लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, गुरुवार, 12 मार्च, 1970/21 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—16, Thursday, March 12, 1970/Phalguna 21, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	
391.	टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा की श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति के लिये टेलीफोन सुपरवाइजरों की तालिका	Panel of Telephone Supervisors for Promotion to Telegraph Engineering Service Class II	1—4
392.	कोयला खानों में ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिये जांच आयोग	Enquiry Commission for Abolition of Contract System in Coal Mines	4—7
393.	दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा गलत टेलीफोन बिलों का भेजा जाना	Faulty Telephone Bill Submitted by Delhi Telephone District	7—13
394.	पंजाब में कृष्कों के लिये चलती फिरती कसटम सेवा	Mobile Customs Service for Farmers in Punjab	13—15
395.	वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि	Rice in Price of Vanaspati Ghee	15—18

अल्प सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTIONS

5.	गोवध पर सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee's Report on Cow Slaughter	18—23

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
396. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की कार्यक्रम मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया कृषि समस्याओं का अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on the Study of Agricultural Problem made by Programme Evaluation Committee of Ministry of Food and Agriculture	23
397. आकाशवाणी के प्रसारणों में भाग लेने के लिये संसद् सदस्यों को समान अवसर	Equal Opportunity to M. Ps. to Participate in All India Radio Broadcasts	24
398. यंत्रीकृत कृषि फार्म सूरतगढ़ के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the Employees of Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh	24
399. एक उद्योग के लिये एक श्रमिक संघ	One Union for One Industry	25
400. 22 जनवरी, 1970 को केरल के एक मंत्री द्वारा प्रसारण	Kerala Minister's Broadcast on 22nd January, 1970	25
401. कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस वापस लेना	Withdrawal of Strike Notice by Calcutta Dock Workers	26
402. विदेशी श्रोताओं पर आकाशवाणी के प्रसारणों के प्रभाव का मूल्यांकन	Assessment of Impact of All India Radio Broadcasts on Foreign Listners	26
403. चौथी योजना में कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of Price of Agricultural Produce during Fourth Plan	26
404. तमिलनाडु में आई० आर० 8 की खेती करने वाले किसानों को ऋण	Loans to Ryots of Tamil Nadu Cultivating IR-8	27
405. ट्रंक काल में धोखा धड़ी	Trunk Call Frauds	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
406. खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा किसानों को ऋण	Loans to Farmers by Central Bank of India for Boosting Food Production	28
407. फिल्म सैंसर बोर्ड के कार्य-करण तथा गठन के बारे में खोसला समिति की सिफारिशें	Khosla Committee's Recommendations on Working and Constitution of Films Censor Board	29
408. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में मजदूरों की भर्ती का तरीका	Mode of Recruitment of Workers in Collieries in Bihar and West Bengal in Private Sector	29
409. सुपर बाजार, नई दिल्ली के प्रशासन के विरुद्ध आरोप	Charges against Administration of Super Bazar, New Delhi	30
410. आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा स्वचलयन्त्री-करण पर रोक लगाने की मांग	All India Trade Union Congress Demand for an Embargo on Automation	30
411. उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण तथा इसके संवेधानिक पहलू	Nationalisation of Sugar Industry in U. P. and its Constitutional Implications	30
412. उन्नत बीज उद्योग के विकास कार्यक्रम के लिये सहायता	Aid for Development Programme for Improved Seed Industry	31
413. पाक अधिकृत काश्मीर के शरणार्थियों का पुनर्वास	Settlement of Refugees from Pak Occupied Kashmir	31
414. भारत की घटनाओं के बारे में पाकिस्तान रेडियों द्वारा मिथ्या प्रचार	Pak Radio Propaganda over Incident in India	32
415. शराब बनाने के लिये अंगूरों की फसल का विकास	Development of Grapes Crop of Preparation of Wine	32
416. आकाशवाणी से चुनाव प्रचार	Election Campaigning over All India Radio	33

ता० प्र० संख्या S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
417. आम मतदाताओं को सामूहिक प्रचार के माध्यम द्वारा शिक्षित करने का कार्यक्रम	Programme to Educate Common Voters through Mass Media	33
418. ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा आयात	Requirement and Import of Tractors	33
419. मजदूरों के लिये सवेतन अवकाश	Paid Holidays for Workers	34
420. पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बीच हैलीकाप्टर डाक सेवा	Helicopter Mail Service between Punjab and Himachal Pradesh	34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

2601. मछली का डिब्बों में भरा जाना	Canning of Fish	35
2602. माडर्न बेकरीज	Modern Bakeries	35—36
2603. उर्वरक तथा कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग	Indiscriminate Use of Fertilizers and Insecticides	36—37
2604. दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्ति	Persons Registered with Employment Exchange, Delhi	37—38
2605. 1969-70 में गुजरात में अनाज का उत्पादन तथा केन्द्र द्वारा सप्लाई किये गये अनाज की मात्रा	Production of Foodgrains in Gujarat and Quantity Supplied by Centre during 1969-70	38
2606. राज्यों में फैक्टरियों में कर्मचारियों की संख्या	Strength of Workers in Factories in States	39
2607. गुजरात में लघु सिंचाई योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Minor Irrigation Schemes in Gujarat	39
2608. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Field Publicity Officers	40
2609. भारत में सर्वोच्च श्रेणी का कर्नाटक संगीतज्ञ	Top Ranking Carnatic Musicians in India	40

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2610.	राष्ट्रीय कार्यक्रम (कर्नाटक संगीत) के लिये कलाकारों का चयन	Selection of Artistes for National Programmee Karnatic Music)	41
2611.	टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये भुगतान	Payment's for Working on T. V. Programmes	41
2612.	टेलीविजन पर कर्नाटक कंठ संगीत का कार्यक्रम	Carnatic Vocal Recitation on Television	41—42
2613.	आकाशवाणी में पांडुलिपि के अनुवाद के लिए शुल्क	Fees for Translation of Scripts for All India Radio	42
2614.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द होना	Closure of Industrial Units in West Bengal	42
2615.	खाद्य उपजाऊ-भूमि के वार्षिक कटाव का अनुमान	Assessment of Annual Erosion of Food Producing Soil	43
2616.	कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पर नियंत्रण	Control over the Use of Pesticides	43
2617.	आकाशवाणी के मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं (चीफ प्रोड्यूसरों) के आयकर विवरण	Income Tax Returns of AIR Chief Producers	44
2618.	भूमि सुधार के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of the Constitution for Land Reforms	44
2620.	आसाम में काजीरंगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र को चिड़ियाघर का रूप देना	Conversion of Kaziranga Game Reserve in Assam as a Natural Zoological Park	45—46
2621.	पक्षी संरक्षण, प्रवासी पशु तथा रोग विज्ञान सर्वेक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference for Bird Protection Migratory Animals and Pathological Survey	46
2622.	ग्रामीण विकास केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Rural Growth Centres	47
2623.	किसानों को औषध युक्त बीजों की सप्लाई	Supply of Treated Seeds to Farmers	47—48

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2624. कर्मचारी भविष्य निधि संघ का संचालन कार्य	Working of the Employees Provident Fund Organization	43
2625. चीनी उद्योगों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का नोटिस	Strike Notice by Sugar Industry Workers' Representatives	48
2626. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बाद घेराव की घटनायें	Gheraos in West Bengal after Mid-Term Election	49
2627. गांवों में सरकारी गोदामों की स्थापना	Setting up of Government Stores in Villages	49
2628. चौथी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में पम्पों का लगाया जाना	Installation of Pumps in Madhya Pradesh during Fourth Plan Period	49
2629. मध्य प्रदेश में नल कूप	Tube-Wells in Madhya Pradesh	49—50
2630. खाद्य तेलों की कमी तथा उनका आयात	Shortage and Imports of Edible Oils	50
2631. सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं की महासभा की वार्षिक बैठक का आयोजन करने की कानुन में व्यवस्था	Provisions in Law for Conducting Annual General Body Meeting of Cooperative House Building Societies	51—52
2632. अनर्ह टेलीफोन सुपरवाइजरों की तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 2 में पदोन्नति	Promotions of Unqualified Telephone Supervisors to Telegraph Engineering Service Class II	52
2633. आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिये नियत धन में कटौती	Cut in Fund Allocation of AIR Imphal	53
2634. ओलों के कारण मनीपुर के थोन्वाल तहसील में फसल को क्षति	Damage to Crop at Thonbal, Manipur Due to Hailstorm	53
2635. मनीपुर में पंचायत चुनावों में चुनाव अधिकारियों द्वारा विशिष्ट सील चिन्ह न दिये जाना	Failure of Presiding Officers to give Distinguished Seal marks in Panchyat Elections in Manipur	53—54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2636. मनीपुर में पंचायत चुनाव	Panchayat Elections in Manipur	54
2637. मनीपुर लोक निर्माण विभाग में छंटनी के संबंध में न्याय निर्णयन की अपील	Adjudication Appeal on Retrenchment in Manipur, P. W. D.	54
2638. भारी रसायनों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Wage Board for Heavy Chemicals	54—55
2639. सरकारी श्रम व्यवस्था के विचाराधीन आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्ट) के मामले	Cases of Staff Artistes of AIR Pending with Government Labour Machinery	55
2640. मध्य प्रदेश में लगाये गये टेलीफोन	Telephones Installed in Madhya Pradesh	55—56
2641. पश्चिमी बंगाल में हड़तालों तालाबन्दी और घेराव की घटनाएं	Incidents of Strikes, Lock Outs and Gheraoes in West Bengal	56
2642. सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज पद्धति की कार्य प्रणाली के बारे में जांच आयोग की नियुक्ति	Appointment of an Enquiry Commission on the working of Community Development and Panchayati Raj System	56—57
2643. आन्ध्र प्रदेश द्वारा खाद्य नीति का पुनरीक्षण	Revision of Food Policy by Andhra Pradesh	57—58
2644. मुख्य मंत्रियों और अन्य नेताओं के प्रसारणों के बारे में संसद् सदस्यों की प्रतिक्रिया	M. Ps. Reaction to Broadcasts of Chief Ministers and other Leaders	58
2645. आकाशवाणी के सलेक्शन ग्रेड दो के पद	Selection Grade II Posts of All India Radio	58—59
2646. आकाशवाणी की रिकार्ड प्रत्यंकन (ट्रांस्किाशन) सेवा के नेहरू यूनिट की देखभाल	Supervision of Nehru Unit of All India Radio Transcription Service	59
2647. आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र पर केरल के मुख्य मंत्री का प्रैस सम्मेलन	Kerala Chief Minister's Press Conference Broadcast over AIR, Trivandrum	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2648. भारतीय फिल्मों के लिये सिनेरमा	Cinerama for India Films	60
2649. अधिक उपज देने वाले बीज सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्र	Centres for Farmers Education and Training under High Yielding Varieties Programme	60—61
2650. भारत में खण्ड विकास कार्यक्रम की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन	Study about the working of Block Development Programme in India	61—62
2651. खेतिहर मजदूरों की प्रति-व्यक्ति आय में कमी	Decline in the Per Capita Income of Agricultural Labour	62
2652. उर्वरक संवर्धन परिषद्	Fertilizer Promotion Council	63
2653. खाद्य उपभोग तथा आत्म निर्भरता	Food Consumption and Self-Sufficiency	63—64
2654. वनस्पति घी के मूल्य पर नियंत्रण	Control over Price of Vanaspati Ghee	64
2655. कृषि प्रदर्शन	Agricultural Exhibitions	64—65
2656. चौथी पंचवर्षीय याजना के दौरान नगरों में टेलीविजन सेवा का विस्तार	Extension of Television to Cities during Fourth Five Year Plan	65
2657. राजस्थान में मूँगफली का उत्पादन	Production of Groundnut in Rajasthan	65—66
2658. टेलीफोन विभाग, जयपुर के कर्मचारियों में असन्तोष	Resentment Among the Employees of Telephone Department, Jaipur	66
2659. आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में ऐसगाँव पुनर्वास परियोजना में बसाये गये शरणार्थी	Refugees Settled in Easgaon Rehabilition Project, Adilabad District, Andhra Pradesh	67
2660. घटिया किस्म की राशन की चीनी	Inferior Quality of Rationed Sugar	67—6
2661. दिल्ली में राशन की दुकानों में अच्छे किस्म का गेहूं न मिलना	Non-Availability of Good Quality Wheat at Ration Shops in Delhi	6

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2662. मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के लिये भुगतान न किया जाना	Non-Payments in respect of Houses in Malviya Nagar, New Delhi	68–69
2663. सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम से प्रसारण का अवसर दिया जाना	Opportunity to Broadcast over AIR Trivandrum by President, Road Transport Corporation Employees, Association	69
2664. अवैधित बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बारे में संसद् सदस्य की प्रतिक्रिया का आकाशवाणी द्वारा सैंसर किया जाना	M. Ps. Reaction on Invalidated Bank Nationalisation Act Censored by Air	70
2665. सरकारी क्षेत्र में वनस्पति घी उत्पादक एकक की स्थापना	Setting up of Vegetable Ghee Manufacturing Units in Public Sector	70
2666. भारत में बसे विदेशों से आये शरणार्थी	Refugees from Foreign Countries Settled in India	70—72
2667. फिल्मस डिविजन के मुख्य ध्वनि इंजीनियर	Chief Sound Engineer of Films Division	72—73
2668. इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Engineering Wage Board Recommendations	73
2669. आकाशवाणी, अलीगढ़, द्वारा कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये भूमि का अर्जन	Acquiring of Land by All India Radio, Aligarh for Staff Quarters	73—74
2670. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी खेती संगठन को अनुदान तथा ऋण	Grants and Loans to Cooperative Farming Organisation by the National Cooperative Development Corporation	74
2671. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के पाउडर की खरीद	Purchase of Milk Powder by Delhi Milk Scheme	74
2672. आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into General Posts	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2674. रानीगंज आसनसोल कोयला पट्टी के श्रमिकों द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त आसनसोल के समक्ष प्रदर्शन	Demonstration by Raniganj Asansol Coal Belt Workers before Regional Labour Commissioner, Asansol	75—76
2675. वर्ष 1973-74 के अन्त तक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Foodgrains Production by the end of 1973-74	76
2676. बिहार के धनबाद जिले में स्थित घौरी कोयला खान	Dhouri Colliery in Dhanbad District, Bihar	76—77
2677. राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था, दरभंगा हाउस, रांची द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों को दिया गया हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by National Coal Organisation Employees Organisation, Darbhanga House, Ranchi on NCDC Management	77—78
2678. दिल्ली और मदुरै के बीच सीधा टेलीफोन कनेक्शन	Direct Telephone Link between Delhi Madurai	78—79
2679. पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के बारे में जांच	Enquiry into Pahari Dhiraj Co-operative House Building Society, Delhi	79—80
2680. राज्यों द्वारा इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Wage Board for Engineering Industry by States	80
2681. शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये एक केन्द्रीय कोष बनाना	Creation of a Central Fund for Solving Unemployment of Educated Youth	80—81
2682. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें पूरी न होने पर उनके द्वारा किया जाने वाला आन्दोलन	AIR Staff Artistes to Agitate on Non-Fulfilment of their Demands	81
2684. चौथी पंचवर्षीय योजना में हैलीकोप्टर डाक सेवा चलाना	Introduction of Helicopter Mail Service during Fourth Five Year Plan	81—82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2685. चल-चित्र निगम की स्थापना	Formation of a Films Corporation	82
2686. अधिक उपज देने वाले बीजों के उत्पादन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पुस्तिका का प्रकाशन	Pamphlet Published by UNO on Producing High Yielding Varieties of Seeds	82—83
2687. आकाशवाणी के दिल्ली आदि केन्द्रों से प्रसारण की समयावधि	Duration of Broadcasts from Delhi and other Stations of All India Radio	83—84
2688. राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का सीधा आयात	Direct Import of Foodgrains by States	84
2689. पश्चिम बंगाल में हड़तालें तालाबन्दियों तथा काम बन्द करने के कारण औद्योगिक कारखानों का बन्द होना	Industrial Units Closed due to Strikes, Lockouts and Closures in West Bengal	84
2690. गोरक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on Cow Protection	84—85
2691. ऐसी फसलें जिनका उत्पादन विदेशों के उत्पादन के समान है	Crops whose Production Compares Favourably with Production in Foreign Countries	85—86
2692. डाक तथा तार डिवीजन में डिप्टी डिवीजनल इंजीनियर, टेलीग्राफ के स्थान पर लेखा अधिकारी रखना	Replacement of Deputy Divisional Engineer, Telegraph by Accounts Officer in P and T Division	86—87
2693. डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल के कल्याण अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Welfare Officer of P and T Department for Bihar Circle	87—88
2694. 1969 में समयोपरि भत्ते तथा अन्य भत्तों के लम्बित बिल	Over Time and other Allowances Bills Pending during 1969	88
2695. कृषि उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश के माध्यम से कृषि औजारों की बिक्री	Sale of Agricultural Equipments by Agro-Industries Corporation, Uttar Pradesh	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2696. रूई में आत्म निर्भरता	Self Sufficiency in Cotton	89
2697. सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल तथा उनका राज्यवार वितरण	Sugar Mills in Cooperative Sector and their Distribution Statewise	89 90
2698. आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से समाचारों का प्रसारण	Relay of News Bulletins from AIR Station, Madras	90
2699. पूर्वी क्षेत्रों में आकाशवाणी के केन्द्रों से कार्यक्रम तथा प्रसारण	Programmes and Broadcasts from Radio Stations in Eastern Region	90—91
2700. कृषि कार्यक्रमों में छोटे कृषकों द्वारा भाग लेना	Participation of Small Farmers in Agricultural Programmes	9I
2701. वर्ष 1967-68 के लिये अखिल भारतीय क्षेत्रीय गन्ना फसल प्रतियोगिता	All India Regional Sugarcane Crop-Competition for 1967-68	92
2702. डाक तार के निर्माण डिवीजन का गोहाटी से कलकत्ता स्थानान्तरण	Shifting of Construction Division of P and T from Gauhati to Calcutta	92—93
2703. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों तथा फलों का निर्यात	Export of Cereals and Fruits by Food Corporation of India	93
2704. 1969 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar During 1969	93—94
2705. बिहार के डाक तार विभाग के अधिकारियों का तबादला	Transfer of Officers of Bihar P and T Department	94—95
2706. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय को भुवनेश्वर से हटाकर अन्यत्र ले जाना	Shifting of Regional Labour Commissioner's Office at Bhubaneshwar	95
2707. 1970-71 में सीधे टेली-फोन करने की प्रणाली को चालू करना	Introduction of Direct Dialing System during 1970-71	95—96
2708. पंजाब द्वारा केन्द्र को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains by Punjab to the Centre	96

तारां० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2709. ग्रामीण जनता के नगरों में अन्तरागमन को रोकने के लिये गांवों के लिये इंफ्राष्ट्रक्चर की व्यवस्था	Provision of Infra-Structure to Villages Check Influx into Cities	96—97
2710. विभागीय लेखनसामग्री की कीमतों में कमी	Reduction in the Prices of Departmental Stationery	97
2711. खाद्यान्नों में राज्य व्यापार द्वारा हानि	Loss by State Trading in Foodgains	98
2712. आकाशवाणी के शिफट कर्मचारियों का अविराम सात घंटे काम करना	Seven Hours' Duty for Shift Staff of AIR without a Break	98
2713. तदर्थ कार्यक्रम अधिकारियों को नियमित करना	Regularisation of Ad hoc Programme Executives	98—99
2714. आकाशवाणी पर प्रसारित भाषणों के पाठों की जांच पड़ताल	Scrutiny of Texts of Speeches Broadcast over AIR	99—100
2615. भूमि में कार्बनिक तत्वों की कमी के कारण फसल की पैदावार कम होना	Low Crop Yield due to low Organic Contents of Soil	100—101
2716. बीजों के लिये शीतागार की सुविधायें	Cold Storage Facilities for Seeds	101
2717. भारतीय सामूहिक संचार संस्थान के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Office of Indian Institute of Mass Communications	101
2718. तमिलनाडु में उपप्रधान सूचना अधिकारी के पद का दर्जा घटाया जाना	Down Grading of Post of Deputy Principal Information Officers in Tamil Nadu	102
2719. आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम रेडियो से किये जाने वाले प्रसारणो में केन्द्र समर्थक दृष्टिकोण के बारे में आरोप	Allegation re Pro-Centre Bias in AIR Broadcasts from Trivendrum Radio	102
2720. आकाशवाणी के महा-निदेशक के कार्यालय से फाइलों का गुम होना	Files Missing from Office of D. G. AIR	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2721. चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता अभियान पर खर्च किया जाने वाला धन	Money to be spent on Cooperative Movement during Fourth Plan	103
2722. लघु सिंचाई योजना पर खर्च	Expenditure on Minor Irrigation Scheme	103
2723. अन्दमान द्वीप समूह में नील द्वीप में बसे लोगों की कठिनाइयां	Difficulties of Settlers in Neil Island Andamans	103—104
2724. खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से भूमिहीन तथा निर्मम किसानों को सहायता की योजना	Scheme to Help Landless and Poor Peasants in Collaboration with Food and Agricultural Organisation	104
2725. उड़ीसा में बालासोर जिले में डाक और तार घर तथा टेलीफोन केन्द्र	Posts and Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Balasore District Orissa	104—106
2726. आकाशवाणी से अरबी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण	Arabic Programmes over All India Radio	106
2727. ट्रैक्टरों की खरीद के लिये कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता	Aid to Farmers for Purchase of Tractors through Nationalised Bank	106—107
2728. सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा शर्तें	Service Conditions of Workers in Public Sector	107
2729. मध्य प्रदेश में मीनक्षेत्र विकास योजना	Scheme for Development of Fisheries in Madhya Prdesh	107
2730. चौथी योजना में खेती के लिये भूमिहीन हरिजनों तथा किसानों को सहायता	Aid to Landless Harijans and Farmers for Cultivation under Fourth Plan	108
2731. मध्य प्रदेश में डाक तार घर	Post and Telegraph Offices in Madhya Pradesh	108—109
2732. सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में लैटर बाक्सों की कमी	Shortage of Letter Boxes in Rajkot Jamnagar and Bhavnagar in Saurashtra	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2733. मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा और गोदामों का निर्माण	Construction of more Godowns by Food Corporation of India in Madhya Pradesh	110
2734. राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिये धन	Funds for Sinking Tube Wells in Famine Stricken Areas of Rajasthan	111
2735. उत्पादन बढ़ाने के लिये सुपर फास्फेट उद्योग को सहायता	Aid to Super Phosphate Industry to Augment its Prodnction	111—112
2736. रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा खाद्य उत्पादन पर उसका प्रभाव	Consumption of Chemical Fertilizers and its Effect on Food Production	112—113
2737. अधिक उपज देने वाले बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र और खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसका प्रभाव	Area under High Yielding Varities of Seeds and its Effect on Production of Foodgrains	114
2738. गुजरात में जूनागढ़ जिले के गाँव जिनमें डाकघर तथा टेलीफोन केन्द्र हैं	Villages provided with Post Offices and Telephone Exchanges in Junagadh District, Gujarat	114—115
2739. भारत में मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता प्राप्त मजदूर संघ तथा औद्योगिक शांति पर गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें	Recognised and Unrecognised Trade Unions in India and Gajendragadkar Commission's Recommendations on Industrial Peace	115
2740. मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अनिर्णित आवेदनपत्र	Applications Pending for Telephone Connections in Madhya Pradesh	115
2741. पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री	Sale of Post Cards and Inland Letters	116—117
2742. कालीघाट डाक में मुहर लगाये पत्र जो युनीक पार्क बेहाला कलकत्ता में फटे पाये गये	Letters Stamped at Kalighat Post Office but Found Torn in Unique Park Behala, Calcutta	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2743. कोलाबा महाराष्ट्र के लिये टेलीफोन विकास योजना	Telephone Development Plan for Kolaba (Maharashtra)	117—119
2744. पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली	Pahari Dhiraj Co-operative House-Building Society, Delhi	119—120
2745. जवानों के लिये विविध भारती कार्यक्रम	Vividh Bharati Programmes for Jawans	120
2747. अवैध ट्रांसमीटरों का पता लगाना	Illegal Transmitters and their Detection	121
2748. मील्स फार मिलियन्स केन्द्र	Meals for Millions Centres	121
2749. होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में प्रायोगिक नलकूप संगठन के लिये दूसरा छिद्रक बर्मा	Second Rig for Exploratory Tubewell Organization in Hoshangabad, M. P.	122
2750. नर्मदा नदी क्षेत्र में प्रायोगिक नलकूप संगठन का कार्य	Work of Exploratory Tube Well Organisation in Narbada Basin	122
2751. नर्मदा नदी क्षेत्र में कम गहरे नलकूपों की क्षमता	Capacity of Shallow Tube Wells in Narbada Basin	123
2752. ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण	Import and Distribution of Tractors	123—124
2753. राज्य सरकारों द्वारा शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans Paid for House Building to Refugees by State Governments	124—125
2754. तौनी देवी (हिमाचल प्रदेश) में डाक तथा तार घर खोलना	Opening of Post and Telegraph Office at Tauni Devi (H. P.)	125
2755. आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार संघ को मान्यता देना	Grant of Recognition to Staff Artistes Union of AIR	126
2756. गुजरात में उथला जल तथा गहरे वाले नलकूप लगाने के लिये छिद्रक बरमे	Requirement of Drilling Rigs for Shallow and Deep Tube Wells in Gujarat	126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2757. खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध और बहुतयात वाले राज्य को कमी वाले राज्य में मिलाने की सरकार की नीति	Zonal Restriction on Foodgrains and Government's Policy to Merge Surplus States with Deficit States	126—127
2758. दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में तिलहन का उत्पादन तथा मूल्य	Production and Prices of Oilseeds during Second and Third Plan periods	127—128
2759. भारत-रूस संलेख पर हस्ताक्षर	Signing of Indo Soviet Protocol	128—129
2760. बिहार में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल	Strike by Sugarcane Growers in Bihar	129
2761. समाचारपत्र सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित हमारा देश नामक समाचारपत्र के संबंध में सरकार को नोटिस	Notice Served on Government regarding Title of Press Information Bureau Newspaper Hamara Desh	130
2762. अलीगढ़ में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Aligarh	130
2764. परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के विरुद्ध केरल के परिवहन मंत्री द्वारा प्रसारण	Kerala Ministers' Broadcast against Transport Workers' Strike	130—131
2765. अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो समिति	International Radio Committee	131—132
2766. खाद्यान्नों की आवश्यकता	Requirement of Food Staffs	132
2767. अनाज के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Foodgrains	132—133
2768. कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई उपदान योजना की क्रियान्विति	Implementation of Scheme of Gratuity Recommended by Coal Wage Board	133
2769. आसनसोल में कोयला खानों में सहकारी समितियों में सरकार द्वारा लगायी गई राशि की वसूली	Recovery of money Invested by Government in Cooperative Societies in the Collieries in Asansol	133—134
2770. दिल्ली और नागपुर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन की व्यवस्था	Subscriber Trunk Dialling System between Delhi and Nagpur	134

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2771. नागपुर में टेलीफोन लगवाने के अनिर्णित आवेदनपत्र	Applications Pending for Telephone Connections in Nagpur	134—135
2772. देश में डाकघर	Post Offices in the Country	135
2773. पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत सोयाबीन तेल का आयात	Import of Soyabean Oil under PL 480 Agreement	136
2774. खाद्यान्न का उत्पादन	Foodgrains Production	136—137
2775. छोटे किसानों का विकास अधिकरण	Small Farmers' Development Agency	137
2776. वनों और वन्य पशुओं के परिरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Preservation of Forests and Wild Life	137—138
2777. आलू की खेती को लगने वाले गोल्डन निमोटोड, रोग का उन्मूलन	Eradication of Golden Nemotode Disease Affecting Potato Cultivation	138
2778. राज्यों में सरकारी परती भूमि की चकबन्दी तथा वितरण	Consolidation and Distribution of Government Fallow Land in States	138
2779. आसाम सर्किल में डाकियों की भर्ती	Recruitment of Postmen in Assam Circle	139
2780. चीनी उद्योग पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on Sugar Industry	139
2781. उपग्रह परावर्तित दूर संचार व्यवस्था	Satellite Reflected Tele Communication System	139—140
2782. ईराक के शिष्ट मंडल और संचार विभाग के राज्य मन्त्री की वार्ता	Talks between Iraqi Delegation and Minister of State for Communications	140
2783. चौथी योजना में लक्टोन दूध का उत्पादन	Production of Lactone Milk under Fourth Plan	140—141
2784. पंजाब डाक सर्किल का विभाजन	Bifurcation of Punjab Postal Circle	141

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2785. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन में पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ का भाग	Share of Punjab, Haryana and Chandigarh on Bifurcation of Punjab Agricultural University	141—142
2786. बिना लाइसेंस के रेडियो	Unlicensed Radio Sets	142
2787. मूंगफली और रूई का रक्षित भंडार	Creation of Buffer Stock in Groundnut and Cotton	142
2788. भूमि सुधार	Land Reforms	143—145
2789. मध्य प्रदेश के अकाल से पीड़ित किसानों को बीज खरीदने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Famine-Striken Farmers of Madhya Pradesh for Purchase of Seeds	145—146
2790. आसाम में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल	Hospital Winder ESI Scheme in Assam	146
2792. चौथी योजना में हीराकुण्ड, महानदी तथा सालंदी क्षेत्रों के विकास की योजना	Scheme for Development of Hirakund, Mahandi and Salandi Areas during Fourth Plan	146—147
2793. भारत सेवक समाज के मामलों की जांच करने वाले आयोग को अभिलेख प्रस्तुत न किये जाना	Non Submission of Records to Commission Enquiring into Bharat Sewak Samaj Affairs	147—148
2794. भारत तथा अन्य देशों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Consumption of Foodgrains in India and in other Countries	148—149
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न	Re. Calling Attention Notice Query	149—159
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	159—164
रोडेशिया की सरकार द्वारा रोडेशिया को गणतन्त्र घोषित करना	Rhodesian Government Declaring Rhodesia a Republic	159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	164
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	164

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक	Bills as Passed by Rajya Sabha	164
(एक) कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1970	Calcutta Port (Amendment) Bill, 1970	164
(दो) आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) चालू रखने का विधेयक, 1970	Essential Commodities (Amendment) Continuance Bill, 1970	164
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	165
115 वां प्रतिवेदन	Hundred and Fifteenth Report	165
सामान्य आय-व्ययक 1970-71—सामान्य चर्चा	General Budget 1970-71—General Discussion	165
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	165—167
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	167—172
श्री शिवाजीराव एस० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	172 175
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	175—177
श्री कुशोक बाकूला	Shri Kushok Bakula	177—178
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	178—184
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh	184—186
श्री दंडपाणि	Shri Dhandapani	186—188
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	188—189
श्री पी० वेंकटयसुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	189—192
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	192
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	192
46वां प्रतिवेदन	Forty-Sixth Report	192

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 12 मार्च, 1970/21 फाल्गुन, 1891 (शक)

Thursday, March 12, 1970/Phalguna 21, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा की श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति के लिये टेलीफोन सुपरवाइजरों की तालिका

*391. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में विभागीय पदोन्नति समिति के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उन टेलीफोन सुपरवाइजरों की सूची तैयार कर ली गई थी जिन्होंने टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा के श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा पास की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो सूची में शामिल किये गये उन कर्मचारियों की सर्किलवार संख्या कितनी है जिनकी इस बीच टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा के श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति कर दी गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सूची को अब समाप्त किया जा रहा है और एक नई विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जा रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सूची में से 238 व्यक्तियों को दीर्घकालिक आधार पर पदोन्नति दी गई थी । तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी II एक अखिल भारतीय सेवा है, न कि सर्कल सेवा और इसलिये अलग-अलग सर्कलों के अनुसार कोई सूची तैयार नहीं की जाती ।

(ग) यह सूची 31-7-1969 के बाद वैध नहीं रही । सरकार द्वारा बनाई गई सामान्य नीति के अनुसार कोई भी चयन सूची सामान्यत: केवल एक वर्ष के लिए वैध रहती है । एक वर्ष और छह महीने की अवधि बीतने या नई सूची तैयार किये जाने में से जो भी तारीख पहले हो, उनके बाद यह वैध नहीं रहती । इस तरह उक्त चयन सूची एक वर्ष और छह महीने की अवधि बीतने के बाद वैध नहीं रह गई थी । शीघ्र ही एक नई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाएगी ।

Shri Ishaq Sambhali : Sir, I want to know whether this list was prepared on the basis of seniority ? Secondly whether any representation was made against this list, if so what action has been taken in this regard ?

Shri Sher Singh : List of qualifying candidates is sent to the Departmental Promotion Committee which makes a selection and prepares a list. So examination and D.P.C. are the basis on which the list is prrepared. The present list was prepared in 1968. No representation was made against it.

Shri Ishaq Sambhali : Is it a fact that the basis on which the list was prepared in 1967 was different from that of 1968 ? Mr. Speaker, Sir, I am surprised to hear that the Hon. Minister has not received any representation. The representation has made on 10-5-1968.

If this list is prepared on the basis of examination and its result, than I want to know why this basis is changed every time ?

Shri Sher Singh : I have not said that this list is prepared on the basis of result only. The name of qualified candidate is sent to the D.P.C. which includes a member of the Commission also. Then a list is prepared after taking into account the records of the candidates.

Shri Ishaq Sambhali : Is it a fact that the prepared list contained many mistakes and as such all the qualified candidates were not absorved ? Sir, you will be surprised to know that qualified persons were dropped and unqualified ones were appointed. These unqualified persons are asked to entrusted with the telephone work. There has developed so many defects in the working of this job. I want to know whether the qualified persons who were not absorved in the present list would be given priority in the fresh list ?

Shri Sher Singh : No body who had qualified and whose name was included in the list was dropped and qualified candidates were absorved as and when there were vacancies. In this way 238 persons out of a list of 300 were absorved. Whatever short term vacancies occurred after one year and six months were filled on seniority cum fitness basis.

Shri Ishaq Sambhali : Sir, I had asked if the persons not absorved would be given priority in the fresh list.

Shri Sher Singh : New D.P.C. will consider their cases.

Shri P. L. Barupal : Is it a fact that the list containing the names of supervisors selected for promotion was sent to various circles ? Have they all been promoted, if not, the reasons therefor ? Secondly, I want to know whether a prepared list was cancelled in the past also ?

Is it also a fact that some vacancies were filled by class I officers and as a result, the number of posts reserved for class II officers had to be reduced ?

Shri Sher Singh : No name was dropped from the list that was sent to various circles. As and when there was any long term vacancy, the candidates were absorved. There was no question of dropping any name.

श्री स० मो० बनर्जी : टेलीफोन, अथवा डाक-तार विभाग के उन कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान माना गया था जिन्होंने सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था। इसीलिये उनकी पदोन्नति नहीं की गयी थी। अब सरकार ने इस व्यवधान को समाप्त कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अब उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ? मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली के टेलीफोन जिले में जिन व्यक्तियों का पदोन्नति के सम्बन्ध में अधिक्रमण किया गया था उनके मामलों पर पुनः विचार किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विभागीय पदोन्नति समिति भी उन कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री शेर सिंह : विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हीं मामलों पर विचार किया था जिन्हें अगस्त, 1968 में हुई परीक्षा के पश्चात् उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। अब सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा इसलिये भविष्य में उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य नहीं समझा जायेगा।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं मैं उसे समझ गया हूं। उन्होंने नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाया है। हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : Have the Scheduled Castes and Scheduled Tribes been properly represented on the Departmental Promotion List ? If not, whether Government is giving special consideration to this matter ?

श्री शेर सिंह : मुझे इस के लिये सूचना मिलनी चाहिये। मैं तत्काल नहीं बता सकता कि कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है।

Shri Madhu Limaye : He has not asked for the details. He wants to know about the policy.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध तैयार की गई सूची से है।

Shri Ram Sewak Yadav : It is our policy to reserve some seats for scheduled castes and scheduled tribes. I want to know whether this policy has been followed in this particular case or not ?

Shri Satya Narayan Sinha : When promotions are made, reservation does not come into the picture.

Shri Ram Sewak Yadav : I have heard several times that while making promotions. it will be taken into account. Is there any policy in reguard thereto ?

Shri Satya Narayan Sinha : There is not such policy as yet.

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that B grade officers are working on A grade posts and this is why they are in difficulty ? What is the reason ?

Shri Sher Singh : Where are they working ?

Shri Ishaq Sambhali : The qualified persons were dropped as a consequence, There of B grade people are working on A grade posts....

Shri Satya Narayan Sinha : If there are any such cases, they will certainly be looked into and the irregularies, if any, rectified.

श्री बसुमतारी : यह एक तथ्य है कि सीधे भर्ती के लिये भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को उपयुक्त नहीं समझा जाता है और उनका आरक्षित कोटा भी नहीं भरा जाता है जब गृह मंत्रालय से इस बारे में लिखा पढ़ी की गई तो उन्होंने सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया कि पदोन्नति के मामले में भी इन जातियों के लिये आरक्षण के बारे में विचार किया जाये । क्या इस मन्त्रालय को यह परिपत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? सरकार कहती है कि वे इन जातियों के सदस्यों को सेवा में लेना चाहती है, परन्तु वास्तव में इसे क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसलिये यह कहने से उनका तात्पर्य है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक सीधे भरती का सम्बन्ध है आरक्षण की व्यवस्था है । परन्तु माननीय सदस्य ने जिस परिपत्र का उल्लेख किषा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है । जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, वर्तमान नीति यह है कि कोई आरक्षण नहीं किया जाता है ।

कोयला खानों में ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिए जांच आयोग

+

*392. **श्री भगवान दास :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री उमानाथ : **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिए श्री बी० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में स्थापित किये गये एक सदस्यीय जाँच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). एक विवरण [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी—2815/70]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bhagaban Das : The colliery labour is being exploited under the contract system. I want to know whether the Government have taken any action for stopping exploitation of contract labour and for giving promotions to them ? Have Government abolished this contract system particularly in the case of Bihar and Bengal or not ? If it has not been abolished, will Government evolve any measures to abolish it during 1970 ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The Court of Inquiry was instituted twice for looking into the question of abolition of contract labour in collieries. Government has accepted their recommendations and wants to abolish this system. A Bill has also been brought here for the same purpose. It is before the Lok Sabha.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : 27 कोयला खानों में से जहां यह पद्धति लागू थी, केवल 22 में यह पद्धति अभी भी जारी है।

Shri Bhagaban Das : Have Government received any memorandum from the Colliery Mazdoor Sabha ? If so, what was the response of the Government thereto ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I do not know which memorandum the hon. Member has in mind. But as I have stated, the report of the Court of Inquiry was received and it was considered in the Industrial Committee on 6th November. The employing Ministry and the State Governments, who run coal mines themselves, are negotiating with them. A Bill has been brought in the Lok-Sabha as well for abolishing contract labour. We are waiting for the opportunity to take it up for consideration.

श्री गणेश घोष : यह निश्चित है कि माननीय मंत्री इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि 1963 में भारतीय श्रम सम्मेलन, 1963-64 में कोयला खान औद्योगिक समिति तथा 1967 में कोयला उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने बहुत ही जोर से कोयला उद्योग में इस ठेके की प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया था तथा एक मत से सिफारिशें की थीं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके बावजूद भी यह प्रथा अभी भी—विशेषकर सरकारी क्षेत्र में—क्यों चालू है ? ऐसे ही एक वक्तव्य में उत्तर देते हुए सरकार ने कहा था कि वह सिफारिशों को लागू करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का अध्ययन कर रही है आज भी वही उत्तर दिया गया है। वह कुछ और समय ले लें इस पर मुझे एतराज नहीं है पर क्या वह ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की मजूरी की सुरक्षा के लिए, जो मजूरी बोर्ड की सिफारिश से कहीं कम है, कोई कदम उठाएगी ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य की सूचना सही है। 1961 में पहली जाँच अदालत नियुक्त हुई थी। इसी बीच मालिकों और मजदूरों में एक द्वि-पक्षीय समझौता हुआ तथा हमने मालिकों से उसे लागू करने को कहा ; मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि उसके फलस्वरूप 227 ऐसी खानों में से, जिनमें यह प्रथा प्रचलित थी, अब केवल 22 रह गई हैं। हाल ही की जांच अदालत ने इस प्रथा के समाप्त किये जाने का सुझाव दिया है, और जैसा कि

मैंने कहा सरकार इसे समाप्त करने को राजी हो गई है। इससे सम्बन्धित विधेयक सभा के सामने है और ज्यों ही हमें समय मिलेगा हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : When two hundred have done it before, what is the hitch in it ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The hitch in it is that earlier we did it on the basis of tripartite Agreement but now a Bill is before the House for abolishing Contract System.

श्री गणेश घोष : वे इस प्रथा को सरकारी क्षेत्र को कोयला खानों में क्यों लागू किए हुए हैं ?

श्री डी० संजीवैया : चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो द्विपक्षीय समझौते के अनुसार कुछ मामलों में मजदूर भी इस बात पर राजी हो गये हैं कि ठेके की प्रथा चालू रहनी चाहिए। उदाहरणार्थ गड्ढे खोदना, रेत उठाना आदि सात कोटियाँ ऐसी है जिनमें मजदूरों ने भी इस प्रथा के जारी रखने की बात को मंजूर किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोयले को उठाना और लदानकार भेजने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री डी० संजीवैया : वह समाप्त कर दिया जायेगा। ज्यों ही ठेका श्रम उन्मूलन तथा विनियमन विधेयक पारित हो जायेगा, यह अब समाप्त हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपका इसे कब तक पारित करने का विचार है ?

श्री डी० संजीवैया : जब भी सभा के पास समय होगा।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मैं ठेका श्रम उन्मूलन तथा विनियमन विधेयक से सम्बन्धित प्रवर समिति का सदस्य था। विधेयक पेश किया गया था पर वह अभी तक पारित नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि इसमें अभी कितना समय लगेगा। उस विधेयक में मजदूरों की कठिनाइयां दूर करने के लिए कुछ सुविधाओं का उपबन्ध है। अतः इन सुविधाओं को देने के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है, क्योंकि हमने पहले ही इस बात की जांच कर ली है कि वे इतनी निर्योग्यताओं और कठिनाइयों से ग्रस्त हैं कि उन्हें डाक्टरी सहायता और मजदूरी तक नहीं दी जाती ? इसलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक विधेयक पारित होता है तब तक सरकार इन श्रमिकों के लिए क्या करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ठेका श्रम को समाप्त करने के बारे में है।

श्री रंगा : कृपया इस सुझाव पर विचार किया जाये।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मेरा सवाल यह है कि जब तक ठेका श्रम प्रथा समाप्त हो तब तक क्या सरकार खानों में काम करने वाले मजदूरों की सहायता के लिए कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री डी० संजीवैया : ठेका श्रम समाप्त किया जाना चाहिए ; इसमें कोई सन्देह नहीं है। विधेयक में ठेका श्रम को पूर्णतः समाप्त करने की बात नहीं है। विधेयक का नाम ही ठेका श्रम विनियमन तथा उन्मूलन विधेयक है। विधेयक के पारित होने पर कुछ कोटियों में ठेका श्रम समाप्त

कर दिया जायेगा जबकि कुछ में वह चालू रहेगा। पर विधेयक के पास होने पर ठेकेदार को मजदूरों को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी।

श्री पी० एम० मेहता : क्या मैं श्रम मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार का अन्य उद्योगों में भी ठेका श्रम को समाप्त करने का विचार है ?

श्री डी० संजावैया : यह विधेयक सभी ठेका श्रमिकों पर लागू होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1962-63 में कोयला उद्योग में चार लाख ठेका श्रमिक थे, जो अब घट कर 3,20,000 रह गये हैं और उनकी संख्या तेजी से घट रही है। खनन इंजीनियरों के लिए कोई काम नहीं है वे इस देश से बाहर जा रहे हैं। दवे समिति ने सिफारिश की है कि कोयला निकालने और भेजने की इस व्यवस्था को अवैध करार दे दिया जाये। बनर्जी आयोग का कहना है कि प्रत्येक क्षेत्र में ठेका श्रम व्यवस्था बढ़ रही है आजकल जब कोई रेलवे के कोयले के लिए निविदा देता है तो निविदा के साथ भेजने के लिए प्रमाण-पत्र पाने के लिए वह क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को सम्भवत: 25,000 रु० देता है। क्या माननीय मंत्री ठेका श्रम को समाप्त करने सम्बन्धी कानून बनाने और इस सत्र के समाप्त होने से पहले इसे पास करवाने के लिए कोई कदम उठाएंगे ?

श्री डी० संजीवैया : मेरे मित्र का कहना है कि कोयला खानों में श्रमिक घट रहे हैं। यह वहां की राजनीतिक और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण हुआ है ; उसी के कारण वहां की कुछ कोयला खानें बन्द हो गई हैं। मजदूरों के लिए वहां कोई सुरक्षा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध भीषण आरोप लगाने का सम्बन्ध है, सामान्य आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि कोई विशेष घटना हमारे सामने लाई गई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत व्याप्त है।

श्री डी० संजीवैया : मैं सामान्यीकरण में विश्वास नहीं रखता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक खुला सत्य है कि रेलवे को कोयला मुहैया करने के लिये प्रमाण-पत्र देने के लिए पोटाटे 20,000 रु० लेता है।

दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा गलत टेलीफोन बिलों का भेजा जाना

+

*393. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री पीलू मोडी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि दिल्ली टेलीफोन जिले में अनेक मामलों में प्रयोक्ताओं को गलत बिल भेजे जा रहे हैं ;

(ख) क्या अभी हाल ही में ऐसे भी समाचार मिले हैं कि अनेक मामलों में बिना नोटिस दिये ही मनमाने ढंग से टेलीफोन काट दिये गये हैं ;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें बकाया धनराशि बीस-पच्चीस रुपये से अधिक न होने पर भी टेलीफोन काट दिये गये हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस विभाग के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ताकि यह विभाग अपने प्रयोक्ताओं के हित में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । अनेक मामलों में तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसी रिपोर्टें मिली थीं और उनकी जांच की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जिन व्यक्तियों की और 5 रुपये से कम राशि बकाया हो, आमतौर पर उनके टेलीफोन नहीं काटे जाते । 20 रुपये से 25 रुपये तक की राशि बकाया होने पर काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार ने खासतौर पर उपभोक्ता की दृष्टि से संतोषजनक ढंग से बिल तैयार करने और लेखा रखने के पूरे मामले की जाँच करने के लिए विशेष रूप से एक समिति की स्थापना की है । इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को गलत टेलीफोन बिलों के संबंध में जनता अथवा संसद्-सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनसे उन टेलीफोन कालों के लिए पैसे वसूल किये जाते हैं जो काल उन्होंने नहीं की है । साथ ही उनसे ऐसी ट्रंक-कालों के लिए भी पैसे वसूल किये जाते हैं जबकि वे दिल्ली में ही उपस्थित नहीं थे । क्या उन्हें कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टेलीफोन विभाग के कुछ व्यक्ति व्यापार-गृहों के साथ साँठ-गाँठ किए हुए हैं और वे व्यापार-गृहों द्वारा मद्रास और बम्बई की गई टेलीफोन कालों का व्यय संसद्-सदस्यों के नाम दिखाने का प्रयत्न करते हैं जबकि वे दिल्ली से बाहर थे ? इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री शेर सिंह : 1969 में हमें 2508 शिकायतें मिलीं । इनमें से 212 मामले ऐसे थे जिनमें बिल बनाने में लेखन अशुद्धि हो गई थी । 4455 मामलों में कुछ कारणों से छूट की आज्ञा दी गई थी । 2241 मामलों में बिलों में तब्दीली करना न्यायसंगत नहीं समझा गया । **(व्यवधान)**

श्री शिव नारायण : प्रोफेसर साहब, हम यहां स्कूल के छात्र नहीं बैठे हुए हैं ।

श्री शेर सिंह : मैं बता रहा था कि गलतियां किस प्रकार होती हैं । एक गलती तो मीटर पढ़ने में हो सकती है । जब भी हमें ऐसी गलती का पता चलता है हम उसकी दुबारा जांच करते

हैं। दूसरी गलती दोषपूर्ण मीटरों के कारण हो सकती है। उसके लिए भी हम तीन तीन मास बाद जांच करते हैं कि मीटरों में कोई दोष तो नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मीटर उपयोक्ता के अहाते में क्यों नहीं लगाए जाते ? मुझे कलकत्ता से 10 पत्र नित्य प्रति आते हैं। इसका क्या समाधान है ? हम सरकार को लूटने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार को अहाते में ही मीटर लगाने चाहिएं। हम नहीं चाहते कि स्वचालित पूर्जोत्पादन से श्रम का ह्रास हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या ही शांतमय वातावरण होता अगर आप यहां न होते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो वे उन लोगों को प्रसन्न करते जिन्होंने उन्हें भेजा है।

श्री शेर सिंह : तीसरा दोष दोहरे कनेक्शन का भी हो सकता है। कई बार वर्तमान स्विचों में दोहरे कनेक्शन होते हैं और इस कारण मीटरों में असाधारण खर्चा आता है। चौथी बात यह है, जो अत्यन्त गम्भीर है, तथा ऐसे छुट-पुट मामले हुए हैं कि जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया मीटर के कनेक्शन में अदला-बदला की कुचेष्टा होती है। ऐसे कुछ मामले हमारे ध्यान में आये हैं और हमने जांच की है तथा ऐसे मामलों में उपयोक्ता को पूर्ण लाभ दिया गया है। पिछले तीन महीनों में उनसे औसत कालों के दर से पैसे वसूल किए गए हैं। जब भी हमें ऐसी कुचेष्टा का पता चलता है हम उसकी जांच करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी कुचेष्टाएं होती हैं। मैं नहीं कहता कि कुचेष्टाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमें प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी गलतियां न हो। **(व्यवधान)**

श्री क० प्र० सिंह देव : अधिक शोरगुल के कारण मंत्री महोदय ने जो कहा मुझे सुनाई नहीं पड़ा। जितना भी मैं समझ सका हूं उस आधार पर मैं अपना प्रश्न रखूंगा। अब मैं वह कापी पेश करता हूँ जो श्री मीठा लाल मीना की विभाग के साथ चल रहे अक्तूबर 1968 के पत्राचार की है मंत्री महोदय ने कहा कि जब भी उन को पता चलता है, उपयोक्ता को पूरा लाभ दिया जाता है। लेकिन इस संसद-सदस्य का पत्राचार अक्तूबर 1968 से चल रहा है। उन्हें स्थानीय कालों के लिए तीन बार अधिक बिल देना पड़ा—1091 रु०, 856 रु०, 86० रु०, जबकि वे दिल्ली से बाहर थे। क्या मंत्री महोदय का वक्तव्य परस्पर विरोधी नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री का अपने ही विभाग के साथ 1968 से पत्राचार चल रहा है।

दूसरे, मूल प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसमें 20 रुपये से कम बकाया रकम पर टेलीफोन काट दिया गया हो। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ जब बकाया रकम कुल 13 रुपये थी। टेलीफोन कट जाने के बाद जिस उपयोक्ता ने 6 महीने का बिल दे दिया था, अचानक ही एक बिल सामने लाया गया कि उसके नाम 13 रुपये बकाया हैं और 6 महीने बाद उसका टेलीफोन काट दिया गया। अगर वे चाहते हैं तो मैं अभी पूरी जानकारी देने को तैयार हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है और क्या संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मैं यह सोचकर भयभीत हो रहा हूँ कि आम जनता, आम आदमी का भाग्य क्या होगा ?

श्री शेर सिंह । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह मुझे मामला दें और मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करूंगा ।

श्री बलराज मधोक : कई मामले उन्हें भेजे गए हैं । यह मामला सदन में उठाया गया है और इसी प्रकार कई मामले सदन में उठाए जा चुके हैं । (**व्यवधान**)

Shri Sheo Narain : My submission is that this should be written off. It is the worthless action of worthless Government. It should be written off. There is corruption in department. We listen vulgar things throughout the night from radio and there is no checking Unnecessary money is charged.

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं स्वीकार करता हूँ कि मीटर पद्धति में कुछ दोष हैं और यह संतोषजनक नहीं है । इसीलिए हम संगणक पद्धति आरम्भ कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, समिति नियुक्त की चुकी है और जब भी हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे । लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि न तो मीटर-पद्धति और न ही बिल-पद्धति संतोषजनक है हम आपके सहयोग से इन चीजों में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री पीलु मोदी : मंत्री महोदय ने अभी वायदा किया है कि समिति नियुक्त की जानी है । समितियों के सम्बन्ध में हमारा अनुभव यह रहा है कि यह मामलों को सुलझाने में विलम्ब करती हैं । मन्त्री महोदय एक अनुभवी व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त करते जो कि हमें बताए कि क्या किया जाना है, ताकि हमें गलत टेलीफोन बिल न मिले ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि समिति बनाई जा रही है। समिति नियुक्त की जा चुकी है और यह कार्य कर रही है इसमें अनुभवी व्यक्ति भी हैं ।

श्री पीलु मोदी : आपको ऐसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि यह बता सके कि लेखा-पद्धति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? अनुभवी व्यक्ति को वह समिति के अन्य व्यक्तियों के साथ क्यों मिलाते हैं ?

श्री एन० शिवप्पा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने घोर भूलों एवं गलत गणनाओं को तत्काल मान लिया है, सम्बद्ध कर्मचारियों की लापरवाही सिद्ध हो चुकी है, जिसके कारण न केवल ससद-सदस्यों बल्कि अन्य लोगों को भी सौ नहीं हजारों रुपयों का नुक्सान उठाना पड़ा है । उस धन-राशि का क्या होगा जो गलत बिलों के कारण 2000 या 3000 रुपये की आय से पहले ही घटाई जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री एन० शिवप्पा : जी हां, महोदय मैं तो केवल मामले की पृष्ठभूमि दे रहा था । कई जोनल समितियां हैं, किन्तु सारे देश के लिए कोई ऐसी समिति नहीं जहां इन कुचेष्टाओं पर विचार किया जाता हो । क्या सरकार ऐसी समिति बनाने का विचार करेगी जिसमें एक तरफ तो अनुभवी व्यक्ति हों और दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो पिछले गलत बिलों में लगी हजारों रुपयों की धन-राशि की जांच कर सके ?

श्री शेर सिंह : समिति में तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो लेखा और बिलो आदि के बारे में सब जानते हैं।

श्री पीलु मोडी : समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री शेर सिंह : उसके लिये मुझे सूचना चाहिये परन्तु सभी सदस्य इस क्षेत्र में दीर्घ अनुभव वाले हैं।

श्री पीलु मोडी : आपका तात्पर्य यह है कि वे लम्बे समय से टेलीफोन करते रहे हैं। क्या वही उनका अनुभव है ?

श्री शेर सिंह : जी नहीं, इस का अर्थ यह नहीं है उन सब को तकनीकी अनुभव है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : लोगों की इस असुविधा के अतिरिक्त लोगों से टेलीफोन की अत्यधिक दरें वसूल किये जाने पर उनमें सामान्य असंतोष व्याप्त है और हम इस बात से भी इन्कार नहीं कह सकते कि लोग टेलीफोन सेवा से असन्तुष्ट हैं। मैं यह जानना चाहूँगी कि भारत में टेलीफोन के बिल आदि बनाने में कम्प्यूटरों का प्रयोग कहां तक सहायक सिद्ध होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि कम्प्यूटर-व्यवस्था केवल उन्नत देशों और बड़े शहरों, जहां पर बड़ी फर्में होती हैं वहीं पर सफल हुई है ? भारत में कम्प्यूटर-प्रयोग टेलीफोन बिल आदि बनाने में और उपयोक्ताओं को कुशल सेवा प्रदान करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो रहा है ?

श्री शेर सिंह : कम्प्यूटरों का प्रयोग केवल बड़े शहरों में ही किया जा रहा है जहां बहुत बड़ी संख्या में बिल बनाने पड़ते हैं। हमने कलकत्ता में इसका प्रयोग किया है। इसलिये इसका प्रयोग बड़े शहरों में ही किया जा रहा है, किसी छोटे स्थान पर नहीं किया जा रहा है। हम छोटे स्थानों पर तो इसका व्यय भी नहीं उठा सकते। वह बिलों के शीघ्रता से बनाने के लिये है ताकि बिल तुरन्त तैयार किये जा सकें और उपयोक्ताओं को बिल भेजने में कोई विलम्ब न हो और उनका भुगतान समय पर किया जा सके। इसे बनाये रखने आदि के बारे में हम देख रहे हैं और यह सेवा निश्चित रूप से सुधर रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे गत तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है क्योंकि वह सारा टेलीफोन बिलों पर ही लग गया।

श्री रणधीर सिंह : इस महीने मुझे मेरे वेतन में से 53 रुपये प्राप्त हुये बाकी सब टेलीफोन बिलों पर लग गये। (**व्यवधान**)

Shri Kanwar Lal Gupta : The telephone service in Delhi has been deteriorating fastly and the hon. Minister has admitted it. The fact is that there is monopoly of the Government and consequently that affects the residents of Delhi. I want to ask the hon. Minister. whether it is not a fact that a sum of about 2 millions is deposited in the Telephone Department but nobody knows in whose names it is deposited and it has been lying there in suspense account. People were told that they had not deposited the money and their connections were cut off though that amount of Rs 2 millions was adjusted in nobody's account ? Today hundreds of brokers operate in Delhi with big business houses. They take Rs. 100 p.m. and put the meter in the reverse movement or connect it with some other person's telephone. I would like to know against how many such peesons action was taken and to whom this amount of Rs. 2 millions pertains and will you arrange for depositing it in their accounts ?

Shri Sher Singh : It is not in my notice, in whose names this amount is deposited but when the hon. Member has asked I shall get it investigated. So for as those persons are concerned who create such mischief and about whom the hon. Member knows.....

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the number of such persons against whom action was taken ?

Shri Sher Singh : We will find out if he gives a fresh notice. However, I may say whichever case came to our notice, punishment has been given of and the rebate has also been given.

Shri Sheo Narain : I appeal to the whole House to give me a patient hearing. Both the Ministers who are sitting here have no dominance over this department. Shri Gujral has got dominance over this department. That is why I want that correct information may be given. There are various complaints regarding direct telephone calls from Lucknow, Kanpur etc. to the effect that the operators set their calls in such a way that if you apply the receiver you can hear. (*Interruptions*) I want to appeal to Shri Satya Narain Sinha who is the senionr-most Minister and has been a Minister since the times of Sardar Patel that the amount of Rs. 2000 which is deposited may be refunded and we may be apprised of the names to whom it pertains.

Shri Sheo Narain : He has got no reply ?

Mr. Speaker : I was thinking whether there was any question could be replied by the hon. Minister. But he has only given advice.

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या मैं जान सकता हूँ कि विशेषज्ञ वाली समिति कब बनाई गई थी और सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ? उपयोक्ताओं को कब तक टेलीफोन के दोष युक्त कार्य से तकलीफ उठानी पड़ेगी ?

श्री शेर सिंह : सन् 1968 में समिति का गठन किया गया था । हमें शीघ्र ही प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

Shri Ramavatar Shastri : I have also been the victim of the the malpractice of the Post and Telegraphs department. A sum of Rs. 400 has been deducted from my salary. When I complained, it was replied that the deduction was quite right. Since 1967 the amount from the salaries of how many members of Parliament has been deducted wrongly and how many members out of them have sent letters for action to him protesting against this wrong thing ? I also want to know whether he has investigated this matter and if so to how many member money has been refunded ?

Mr. Speaker : The question has already been asked.

Shri S. M. Banerjee : Your amonnt might have not been deducted, Ours has been deducted.

Shri P. L Barupal : I have received Rs. 7.30 paise.

Shri K. N. Tiwary : The amount of Rs. 500 of our salary may be given to Shri Satya Narayan as telephone expenses.

Shri Sher Singh : It will a lot of time to collect the required information. Now I have no information about the number of Members with whom any thing has happened.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : बहुत बार, विशेषतया वर्षा ऋतु में गलत कनेक्शन दे दिये जाते हैं । मान लीजिए मैं 34587 मिलाता हूँ तो मुझे 34578 मिलेगा और यदि मैं पुरुष के बारे में पूछता हूं तो महिला उत्तर देती है । क्या ऐसे त्रुटि पूर्ण कनेक्शन के लिये मुझ से पैसा लिया जाना चाहिए ?

श्री शेर सिंह : जब काल पूरी हो जाती है और अंक कहीं मिल जाता है तो मीटर तुरन्त व्यय अंकित कर देता है ।

पंजाब में कृषकों के लिए चलती फिरती कसटम सेवा

394. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने कृषकों के लाभ के लिए "चलती-फिरती कसटम सेवा" नामक एक नई सेवा चालू की है ;

(ख) क्या यह योजना सब प्रकार से लाभदायक पाई गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध करने का है कि वह भी अपने राज्यों में ऐसी योजना आरम्भ करें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना को चालू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि उद्योग निगम के राज्य में ट्रैक्टरों और अन्य कृषि यन्त्रों की विक्रय के उपरान्त सेवा और मरम्मत के लिये "मोबाइल सर्विस वैन स्कीम" नामक एक सेवा चालू की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) समस्त कृषि उद्योग निगमों से आधारिक कर्मशालाओं की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है और उनसे कहा गया है कि यदि उन्होंने पहले से ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था न की हुई हो तो वे अपने-अपने राज्यों में ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि मशीनों के लिये क्रय से पूर्व तथा क्रय के उपरान्त सेवा की व्यवस्था करने के लिये चलती फिरती एककों को शुरू करें ।

(घ) मोबाइल सर्विस गाड़ियों अथवा कर्मशालाओं की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है । परन्तु निगमों को कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्रों की स्थापना की योजना के लिये वित्त की व्यवस्था 50 प्रतिशत ईक्विटी और 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर की जायेगी । निगम की ईक्विटी शेयर पूंजी में केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बराबर बराबर अंशदान होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऋण राज्य निगमों की ऋण आवश्यकताओं के आधार पर दिया जायेगा ।

Shri Sita Ram Kesri : Mobile Customs Service Scheme has been implemented in Punjab which has benifited small farmers to a considerable extent. 50 per cent cost of production has been reduced due to Customs Service and usage of machinery. The scheme is benificial to farmers and also assists in increasing production. I want to know whether the Central Government will take over this scheme and implement it in whole of the country ? So that farmers might be benifited and production be increased.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि ट्रैक्टरों के लिये चलती फिरती गाड़ी योजना लाभदायक है । अत: हमने सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों में ऐसी ही सेवाएं स्थापित करने का सुझाव दिया है । परन्तु मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार का अपने ऊपर इस उत्तरदायित्व का लेना उचित नहीं होगा । इनको आरम्भ करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को स्वयं लेना चाहिये ।

जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को तथा कृषि उद्योग-निगमों को सहायता प्रदान करने के लिये तैयार है ।

श्री रंगा : क्या यह ट्रैक्टरों के लिये है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी हां, यह चलती फिरती गाड़ी योजना ट्रैक्टरों के लिये है । गाडियां किसानों के पास जाती हैं और ट्रैक्टरों के लिये सेवा प्रदान करती हैं ।

Shri Sita Ram Kesri : As I have already stated, the cost of production has been reduced by 50 per cent due to mobile Customs Service. Those who were having 4 or 5 *Bighas* of land had to hire bullocks but now the position is otherwise. I have seen there that the farming cost or Customs Services has been determined by Panchayats even then there has been an income of Rs. 3000 per tractor. Will it not be accorded priority, keeping in view the increase in agricultural production which is our foundation ? Will he make such a scheme for every state and will he make it obligatory to implement for all the States ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, हमने सभी राज्य सरकारों को ऐसी योजनायें अपनाने की सलाह दी है । यदि कुछ किराये पर देने वाले तथा कस्टम सेवा केन्द्र बनाये जाते हैं तो ऐसे केन्द्रों को ट्रैक्टरों के वितरण में प्राथमिकता प्रदान करने का भी सुझाव हमने दिया है । केन्द्र सरकार के परामर्शानुसार बहुत सी राज्य सरकारों ने कृषि-उद्योग-निगम बनाये हैं । अंश पूंजी का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और राज्य सरकारें ऐसी सेवाओं के संगठन के मामले में कार्यवाई करने के लिए मुक्त हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has stated that the State Governments have been advised to implement such schemes. I want to know the number of State Governments which have favourably responded to the centre's advice and what amount the centre is providing as loan for operation of such schemes ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को आरम्भ करने के लिए पहले ही सहमत हो गई है और आधे दर्जन से अधिक राज्यों ने ऐसी योजनाएं चालू कर दी हैं । जहाँ तक सुविधाओं तथा अन्य बातों का प्रश्न है इन राज्यों में इस योजना को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव : केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि दी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कि केन्द्र द्वारा राज्य कृषि-उद्योग-निगमों को 50% आंशिक पूंजी दी जाती है।

श्री हेम बरुआ : भारत में पंजाब केवल देश की शक्ति ही नहीं है वरन वह देश के लिये खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकारों को इस कार्यक्रम को अपनाने का सुझाव देने से पूर्व सरकार ने चलती फिरती शुल्क सेवा से उपलब्ध लाभ के मूल्यांकन के विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने कृषि-उद्योग-निगमों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें पंजाब का निगम भी सम्मिलित था। मैंने स्वयं भी इस सम्मेलन में भाग लिया। हमने पंजाब के अनुभवों का विवेचन किया और सभी राज्यों ने इस योजना को लाभप्रद पाया।

Shri Maharaj Singh Bharti : The farmers in Punjab are advanced and vigilant. They even in the absence of assistance, advances can make progress. In view of the fact, is it not proper for Central Government to provide incentive in the form of credits or grants to backward states to enable them for rapid implementation of Mobile Customs Service Scheme ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई राज्य सरकार इस चलते फिरते कस्टम सेवा केन्द्र बनाने के लिए चाहे कितने ही ट्रैक्टर मांगें उसे आवश्यक संख्या में ट्रैक्टर दिये जाते हैं। परन्तु इसके लिए राज्य सरकार तथा कृषि-उद्योग-निगम को ही पहल करनी होती है।

वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि

395. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी तैयार करने में प्रयोग किये जाने वाले तेलों के जनवरी, 1970 के आरम्भ में मूल्य क्या थे, और उनसे वनस्पति घी तैयार करने पर व्यय के सम्बंध में पृथक-पृथक विवरण क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में, जब तेल का भाव वही था जो आज है, वनस्पति घी का मूल्य 55 से 60 रुपये प्रति कनस्तर था ; और

(ग) वनस्पति घी का मूल्य किस कसौटी के आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आयातित तेलों के अलावा वनस्पति के निर्माण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले देसी तेलों की बाजार कोटेशन पहली जनवरी, 1970 को इस प्रकार हैं :—

	रुपये प्रति मीटरी टन
मूंगफली का तेल	4,100 — 4,350
बिनौले का तेल	4,150
तिल का तेल	4,500 — 4,905

वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के अधीन वनस्पति के मूल्य समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं। यह आदेश अत्यावश्यक सप्लाइज (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के अंतर्गत जारी किया गया था और जोकि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन लागू रहेगा। वनस्पति के मूल्य कच्चे तेलों के मूल्यों और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

वनस्पति के एक कारखाने ने वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, अत्यावश्यक सप्लाइज (अस्थायी अधिकार) अधिनियम और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन वनस्पति के नियंत्रण की वैधता और वनस्पति के लिए नियन्त्रित मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकारी प्राधिकार को चुनौती देते हुए चण्डीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कच्चे तेल के मूल्यों के निर्धारित करने और वनस्पति के मूल्य निर्धारण की मौजूदा कार्य विधि को भी चुनौती दी है। अतः यह सारा मामला न्यायाधीन है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The present system of price determination has absolutely failed consequently neither the consumer nor the producer is placed. The price of vegetables has increased eight times last year. Black-marketting is prevelent everywhere today. Rs. 8 is the black-marketting rate for every time in Delhi. Will the hon. Minister, in order to set right this system, impose control on ground-nuts or decontrol vegetables to make vegetable supply regular and the prices just.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक तुरन्त आवश्यकताओं का संबंध है हम खाने वाले तेलों में सूरज-मुखी तथा सोयाबीन के आयात का प्रबंध कर रहे हैं जो वनस्पति तथा अन्य उद्योगों के लिए लाभदायक होगा। जहां मूंगफली उत्पन्न होती है वहां पर वर्षा न होने से आशानुकूल उत्पादन नहीं हुआ, यही मूल कारण है कि यह समस्या उठ खड़ी हुई। यही मुख्य कठिनाई है। इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने लिये तथा समाज-विरोधी तत्वों के परिस्थिति के अनुचित लाभ से वंचित रखने की दृष्टि से हमने कदम उठाये हैं उदाहरणार्थ शाख आदि पर प्रतिबंध लगाना ताकि जमाखोदी न बढ़े।

जहां तक शीघ्र उत्पादन समस्या का सम्बंध है सरकार यह कदम उठा रही है कि इस समस्या पर उत्पादकों से विवेचन किया जाय। मुझे आशा है कि कोई न कोई हल निकल आएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश कोई याचिका उच्च न्यायालय से लम्बित है जिसके कारण कुछ कठिनाई आती हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The quest of the control of ground-nuts and de-control of vegetables has not been replied.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब बाजार में माल की कमी है, तब नियंत्रण हटाना मैं वांछनीय नहीं समझता। जहां तक नियन्त्रण हटाने का प्रश्न है, इस विषय में मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम नियंत्रण नहीं हटा सकते। इसके विपरीत हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे वितरण के विनियमित करने के लिये उचित पग उठायें।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government have delicensed this industry. I want to know the present capacity and requirements. Is it a fact that the production in last few days has reduced and if so, to what extent ? Will the Government have control on ground-nuts to ensure its regular supply and to avoid frequent changes in prices.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय देश में वनस्पति घी के लगभग 60 कारखाने हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 7.91 लाख टन है 1969 में उत्पादन 4.81 लाख टन था और वास्तविक उत्पादन स्थापित क्षमता से कुछ ही कम है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वास्तविक आवश्यकता कितनी हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : लगभग 5 से 6 लाख टन तक ; इस का अर्थ है कि हमारा उत्पादन जरूरत से ज्यादा कम नहीं है ।

Shri Brij Bhushan Lal : 55 units were working in our Country. For the last few months 9 units out of 55 units have stopped production, which resulted fall in production. I want to know the reasons for stopping production in these units and the steps, which Government are taking to restart production in these units. Peoples do not get pure ghee and so they use Vanaspati. But that had become too costly. That is being sold at the rate of Rs. 110 per tin. What steps Government is going to restart production in these 9 units which have not been working for in last few months ? They should start production.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कारण यह लगता है कि भोज्य तेलों या दूसरे तेलों की जो कि बनस्पति बनाने के प्रयोग में आते हैं कीमतें अधिक हो चुकी हैं और इसलिए वे सोचते हैं कि जो कीमतें सरकार ने निर्धारित की हैं वे कुछ कम हैं । अतः कुछ कारखाने उत्पादन करने में कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनसे हम बातचीत करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये कठिनाइयाँ पारस्परिक बातचीत से दूर की जा सकती हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : बनस्पति निर्माण द्वारा महिने के अन्त तक अपना समस्त उत्पादन को बन्द करने की घोषणा के दो मुख्य कारण हैं : पहला तिलहनों की देश में कमीं और 52,000 टन सोयाबीन तेल के आयात में विलम्ब तथा दूसरे कीमत पुर्नीरक्षण जो पाक्षिक होता था अब तिलहनी और वस्तुओं के बाजार में उतार-चढ़ाव के होते हुए भी दो महीने में एक बार किया जाता है, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार न केवल सोयाबीन तेल को आयात करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी बल्कि कीमत-पुनीरिक्षण के लिए पूर्व सूत्र को प्रयोग में लाएगी ताकि ये कारखाने ठीक समय पर कुछ राहत प्राप्त कर सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक आयात कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हम इसको शीघ्राति-शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम अमेरिका से न केवल सोयाबीन का तेल खरीदेंगे, बल्कि भोज्य तेल जैसे सूरज मुखी का तेल भी आयात करने पर विचार कर रहे हैं, यद्यपि इन तेजों के आयात के लिए दुर्लभ मुद्रा की आवश्यकता है, फिर भी हम वनस्पति कारखानों तथा दूसरी आवश्यकताओं के लिए तेलों का आयात करने के लिए दुर्लभ मुद्रा उपलब्ध करने के लिए तैयार है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : कीमत पुनीरिक्षण जो कि पाक्षिक हुआ करता था उसका क्या हुआ ?

श्री पीलु मोडी : पुराने सूत्र का क्या हुआ ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही मूल उत्तर में कह दिया है कि याचिका निर्णयाधीन है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री पीलु मोडी : नहीं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, वह याचिका की आड़ किस प्रकार ले सकते हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह गलत उत्तर है।

श्री पीलु मोडी : प्रश्न काल इसलिए नहीं होता कि इस ओर से प्रश्न उठाए जाएं और उधर से उत्तर दिये जाय प्रश्न तथा उत्तर में कुछ संबंध होना चाहिए।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह सारा बनस्पति नियंत्रण आदेश है जिसको चुनौती दी गई है, और उसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : On the one hand Government say about the shortage of groundnut oil and on the other hand soyabean oil was to be imported from other countries. According to my knowledge, Government and National seeds corporation have encouraged farmers for the cultivation of soyabean, but neither National Seeds Corporation nor any traders are purchasing same from the farmers. When people have soyabean, in large quantity and there is no purchaser in the market, how can the shortage of Vanaspati be met ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि सोयाबीन देश में उपलब्ध है, तो मैं खुश हूँगा, यदि माननीय सदस्य मेरे मंत्रालय को सूचित करे, हम किसानों द्वारा उत्पादित समस्त सोयाबीन को खरीदने के लिए कार्यवाही करेंगे और जितना भी सोयाबीन देश में पैदा किया जाता है उसको खरीदने के लिए प्रबन्ध करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Sarkar Committee's Report on Cow Slaughter

5. **Shri Kamalnayan Bajaj :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Gopal Saboo :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sarkar Committee has submitted its report regarding banning the slaughter of cow and its progeny ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) the reaction of Government thereto ;

(d) whether it is also a fact that some of the members of the said Committee had tendered their resignations without completing their terms of offices ; and

(e) if so, its effect on the report of the Committee ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) and (e). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—2816/70].

Shri Kamalnayan Bajaj : The hon. Minister knows that this is a important matter Most of the people of the country are agitated by the matter and Acharya Vinoba, was unhappy for the last many months (*Interruption*). I want to give its brief background.

Mr. Speaker : No. You do not give the background, you put up on direct question.

Shri Kamalnayan Bajaj : Does the hon. Minister know or can he tell that Acharya Vinoba Bhave was agitated on this account and he sent one delegation to see Chief Minister West Bengal Government and the other to see Shri Dhebar in Ahmedabad. They met them. What are the outcomes of these meetings and may I know whether the Government has decided or not to form a policy on that account ?

Shri Jagjivan Ram : I have no infomation about the action taken by Vinoba Ji.

Shri Kamalnayan Bajaj : Does, the hon. Minister that Jagat Guru Shankracharya Ji is meeting to Acharyaji tomorrow *i.e.* on 13th and according to the news his intention to meet him is that if the issue of cows slaughter is not solved, he would start some movement or satyagrah. The feelings of Acharyaji on this issue are clear. If the Government give some clear decision in this regard, the people not resort to agitation.

Shri Jagjivan Ram : I have no information whether Vinobaji is going there. But a mention has been made in the statement that Jagadguru Shankracharya wants to start agitation. If the hon. Members read this statement, the policy of Government and our anxiety, about this issue will become clear. I would again appeal to Jagadguru Shankracharya and this followers who want cow protetion to extend their cooperation to this committee so that they might send their report and we may take expeditious action on it.

Shri Ram Charan : May I know from the hon. Minister whether cow slaughtering will be stopped and the cow sheds would be set up at village level. Will any scheme will be prepared at village level to establish cow sheds in each and every village and will the Central Government give assistance for it.

Shri Jagjivan Ram : It is a very good suggestion and all those who want cow protection, should undertake this work. It will he very useful.

Shri Raghuvir Singh Shastri : All party Cow protection Samiti to satisfy and to accept the demands of this committee has been appointed Sir. It is regretted that later on the Samiti boycotted that Committee. I want to know from the hon. Minister whether he has ever called the member and the leaders of the Cow protection Samiti in order have more confidence from them to make their agree to join this committee and to have their cooperation ? If it has not done, does he propose to do it ? At the same time it may be stated that if the Samiti adopts this attitude, how the Committee will work and how the results will be according to the hopes of the people ?

Shri Jajgivan Ram : The question raised by the hon. Member have already been answered in the statement. I have so many times urged upon Jagadguru Shankracharya not to isolate himself from the Committee since unanimity of views is not always possible in a Committee. I have consistently requested him to associate himself with the Committee

for the expeditious completion of the work so that Government may implement their recommendations.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Has the hon. Minister ever called him for direct talks and tried to convince him not to dissociate himself with the Committee ?

Shri Jagjivan Ram : Although I had not had formal talks with those members, but I had spoken to the other Members of the Mahabhiyan Samiti and stated that it were better if the representitives of the Mahabhiyan Samiti associated themselves with the Committee and extended their cooperation in the completion of the work.

Shri Ram Gopal Shalwale : Sir, while getting the Cow Protection agitation suspended the Prime Minister and the Food Minister had given an assurance that this Committee would work for a complete ban on Cow slaughter and 29 members refused to given evidence in that Committee and the reason for that was that the assurances given by the Food Minister were not fulfilled. May I know whether the Government is prepared to accept and exact the resolution and the draft of the cow protection Bill passed by the Delhi Administration and sent to the Central Government ?

Then, the Sarvedishik Arya Pratinidhi Sabha had convened a convention here on the 6th of March. Even of that convention we had reiterated that we would take a decision after the Food Minister has made his statement. Now if you make a categorical statement only then the future agitations can be avoided, otherwise they are inevitable.

Shri Jagjivan Ram : Government sticks to the assurance it had given. As regards the procedure regarding the conduct of business in the Committee, it was stated in the resolution itself that the committee would itself lay it down. As regards the terms of reference, the committee had raised this question in its first meeting. Government was called upon to explain them and we sent them. Had those terms of reference not been satisfactory, the committee would not have put for one year. That Committee included retired judges of the Supreme Court and the High Court. After a lapse of one year controversy raged about the terms of reference and some people opined that Government should be consulted on the terms of reference. Then in the committee itself it was decided that there was no necessity to refer that matter to the Government. The Chairman decided that whatever they had in writing was enough and stated that if they discussed whether the cow slaughter should be completely burned, that might lead to difference in opinion.

After that the three members of the General Action Committee who were there did not agree to that and were of the rest of the members resigned. Some people think that they had resigned, but that is not correct, they said that they dissociated with the sittings . (*Interruption*)...There is no question of Government's deviating from its position.

Shri Ram Gopal Shalwale : What about Delhi ?

Shri Jagjivan Ram : I will consider that.

Dr. Govind Das : Is it not a fact that the purport of the terms of refence was as to what should be done to ban the cow slaughter completely. Although the deliberations of the committee continued for one year, those three members found that a deviation was made from that and what was discussed was whether cow slaughter should at all be bourned in view of the difficulties that came in its way. Then, the Committee had to submit its report within six months, but the report has not so far been submitted. Has the Government pondered over this ?

Shri Jagjivan Ram : That is of course true. But as regards the other question, the delay in the presentation of the report are also obvious. It was not thought proper to

continue the deliberations of the committee since the members, for whose satisfaction the committee was constituted, dissociated themselves. In those circumstances how the report could be expected in six months ? The difference of opinion in a committee cannot be ruled out. The report of the committee could be presented with a note of dissent.

श्री ए० श्रीधरण : जो लोग गौहत्या को बन्द कराने की मांग करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि गाय के लिए उनके दिल में कोई प्यार या सम्मान है। ऐसी बहुत सी गायें घूमती रहती हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और उनकी रक्षा के लिए ये लोग कुछ नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में बड़ी संख्या में लोग गाय का मांस खाते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि गाय का मांस मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है और बकरे का मांस बहुत मंहगा है और कुपोषादार को दूर करने के लिए मांसहारी भोजन की आवश्यकता है, क्या सरकार स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करेगी कि इस समिति की सिफारिशें चाहे कुछ भी हों, गौहत्या पर पूरी रोक नहीं लगाई जाएगी ?

श्री जगजीवन राम : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 48 का जिस रूप में निर्वाचन किया गया है। उसके अनुसार ही हमें चलना है।

Shri Randhir Singh : Sir, the misfortune of this country is that religious things are given a political colour. It is a question of the sentiments and susceptibilities of crores of people and therefore an early decision is called for in this matter. There was a ban on cow slaughter even during the regime of Akbar and Babar cow slaughter was banned. A dead line should be fixed in this regard. What is the dead line ?

श्री जगजीवन राम : इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

Dr. Sushila Nayar : May I know whether it is a fact that 30,000 cows and oxen of Haryana are slaughter and Calcutta every year, whether it is the policy of the Government to prevent the slaughter of wild and draught cattle and if so, the steps Government purpose to take to prevent the slaughter of Haryana cattle in Calcutta ?

Shri Jagjivan Ram : I does not have the figures one thing I must tell that the cattle from Haryana is not sent for slaughter purposes.

Dr. Govind Das : But they are slaughtered.

Shri Jagjivan Ram : Be patient Sethji. I also know. Let me feel the House that large number of people in Haryana depend on milk of cow and buffaloes for their livelihood. Many cows and buffaloes are sent to Calcutta and Bombay as the people of Haryana go there to run milk trade. When these cows and buffaloes go dry, it is not useful for them to keep them there. I make some efforts and I seek the cooperation of Dr. Sushila Nayar and others interested in cow protection should make it also a sphere of activity or cow protection to shift these cows and buffaloes of quality breed from Calcutta through private organisations with the sup of West Bengal Government and we will also try to give some help so that they may be usefully utilised somewhere else.

श्री जे० एच० पटेल : इस देश में दो प्रकार से गौहत्या की जाती हैं, एक तो लोग खाने के लिए, जिसके लिए लोग उन्हें अच्छी तरह खिलाते हैं और बाद में उन्हें काटते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो उन्हें खिलाते नहीं हैं और दूध निकालकर उन्हें मार देते हैं। दूसरे किस्म की हत्या हमारे देश में सबसे बड़ी हत्या है और वह भी ऐसे लोगों द्वारा ही की जाती है, जो वास्तव में सबसे बुरी किस्म

की हत्या का विरोध करते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि यदि एक सम्प्रदाय खाने के लिए इसे मारता है और दूसरा सम्प्रदाय इसका विरोध करता है परन्तु गायों को बिना खिलाये दूध निकालकर इन्हें मारता है, तो दोनों ही बुरी हैं। इसलिए गौहत्या की परिभाषा करते समय क्या आप बिना खिलाये दूध निकालकर उनकी हत्या करने वाले लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे ताकि अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दण्ड दिया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : पहली श्रेणी के लोग संविधान के अनुच्छेद 48 के अन्तर्गत और दूसरी श्रेणी के लोग पशुओं पर अत्याचार रोक अधिनियम के अन्तर्गत आयेंगे।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में 30 प्रतिशत से अधिक लोग गौ मांस खाते हैं और अन्य किसी मांस की अपेक्षा गोमांस पसन्द करते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट व्याख्या को ध्यान में रखते हुए कि गोहत्या पर प्रतिबंध में बैलों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल हैं, क्या सरकार गोहत्या के साथ बैलों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगायेगी ?

श्री जगजीवन राम : मैं सरकार का दृष्टिकोण बता चुका हूँ। हम अपने वक्तव्य और सर्वोच्च संविधान के अनुच्छेद 48 का, जिस रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या की है, पालन करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : गोरक्षा के संबंध में मठों का सहयोग प्राप्त करने के बाद हमें डा० सुशीला नैयर का सहयोग मिला है। इससे मुझे प्रसन्नता है। क्या देश में गोहत्या को बन्द करने के इच्छुक लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे ताकि इस समस्या को हल किया जा सके ?

श्री ई० के० नायनार: सरकार द्वारा नियुक्त की गई श्री अशोक मेहता समिति द्वारा 1957 में प्रतिवेदन दिया गया था। उसमें गोहत्या के बारे में एक बात का उल्लेख है। यदि आप बूढ़ी और लवारिस गायों को इसी प्रकार चलने दें, तो इसका किसानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को गोहत्या के इस नारे के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक राज्य नहीं है। कुछ धर्मों के लोग गोमाँस खाने में विश्वास रखते है। गोहत्या के विरोधी भी भिन्न परिस्थितियों में गोमाँस खाते हैं। क्या सरकार इस मामले में भी कोई निर्णय करने से पहले अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार करेगी और हमारे देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को ध्यान में रखेगी ?

श्री जगजीवन राम : गोरक्षा समिति के निर्देश-पदों में ये सब पहलु शामिल हैं। अपनी सिफारिश करने से पहले समिति को इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, is it a fact that India is a democratic country ; is it also a fact that one of the directive principles providers for ban on cow slaughter ; is it also functions in the name of Gandhiji ; and is it also a fact that the foreign races, such as Muslims, who come to India banned cow slaughter in deference to the sentiments of the majority committee and with a view to maintain peace ? May I know if you want peace and democracy in the country, whether you will take initiative in the matter ? Those, who plead beef-eating, are playing with the sentiments of others. If we do not respect the feelings of other, will there be peace in the country ? Islam does not provide beef-eating.

Will you kindly take initiative in solving this problem so that peace may be maintained in the country, our traditions may be maintained and the words of Gandhiji may also be fulfilled in this Gandhi centenary year ? I would appeal to treat it as a national issue and not to get lost in party politics.

Shri Jagjivan Ram : I am happy that Shri Madhok has realised two existence of Ganhiji and the value of his teachings. It is true that ours is a democratic country and it is also true that if you want to honour the feelings of one section, you should respect the sentiments of the other section also

Mr. Madhok and my other hon. friends are well aware that there is a legal ban on cow slaughter in the major area of the country. I only want to state the constitutional position and I would base my reply on the relevant article of the constitution *i e*. Article 48. In the areas where cow protection agitation is carried, there is already a ban on it and it is not launched where there is no such ban. There is a legal ban in Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, U. P., Bihar, Orissa and Madhya Pradesh and also in the half the areas of Maharashtra and Telengana. As regards Article 48 of the constitution to Shri Madhok refered, Government have already given a statement. Keeping in view the interpretation given by the Supreme Court in their judgement, we have requested the various State Government, who have not taken action accordingly, to act upon it, we seek the cooperation of all the sections in the matter, more agitation will not help the cause. We will try to pursuade such states, where there is no such ban, to agree to it and implement Article 48 of the constitution.

Dr. Govind Das : Why do Government not come forward with a bill to ban cow slaughter in such areas and States ? A central legislation will solve the problem. Why does the centre not to pass a legislation in accordance with the judgement of the Supreme Court ?

Shri Jagjivan Ram : Sethji is a learned person and he also knows the constitution. He should know that we do not enjoy such a power under the constitution.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Report on the Study of Agricultural Problem made by Programme Evaluation Committee of Ministry of Food and Agriculture

*396. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the agricultural problems studied by the Programme Evaluation Committee appointed under the auspices of the Ministry of Food and Agriculture in 1965 ;

(b) the suggestion in brief made by the said Committee to the Government in respect of the said problems ; and

(c) the steps taken by Government to implement the said suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library*. *See* No. LT—2817/70].

आकाशवाणी के प्रसारणों में भाग लेने के लिए संसद-सदस्यों को समान अवसर

*397. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली समीक्षाओं (कमैन्टरीज) में भाग लेने का सब संसद सदस्यों को समान अवसर प्रदान नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). आकाशवाणी की कमेन्ट्रियों, वार्ताओं आदि में संसद सदस्यों के भाग लेने के बारे में कुछ पत्र मिले हैं तथा कुछ प्रश्न हुए हैं ;

आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारण करने के लिए संसद सदस्यों को, अन्य व्यक्तियों की तरह विशिष्ट क्षेत्र में उनके विशेषज्ञ होने, विषय पर उनका गहन ज्ञान तथा आकाशवाणी के कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष प्रसारण के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर आमंत्रित किया जाता है । एतएव, आकाशवाणी की कमेन्ट्रियों में भाग लेने के लिए संसद सदस्यों को समान सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता ।

Demonstration by the Employees of Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh

*398. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees and workers of the Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh run by the Central Government had staged demonstration before the residence of the General Manager on the 15th February, 1970 as a protest against dismissing 9 workers from service without assigning any reason ; and

(b) if so, the action taken by Government to re-instate the workers dismissed from service ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. No dismissals have taken place recently and no demonstration was held.

(b) Does not arise.

एक उद्योग के लिए एक कार्मिक संघ

*399. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उद्योग में एक कार्मिक संघ बनाने के बारे में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल अथवा केरल में बनाये गये एक कानून को जैसा कोई कानून बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). इस मामले पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विभिन्न संबंधित पक्षों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

22 जनवरी, 1970 को केरल के एक मन्त्री द्वारा प्रसारण

*400. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री प० गोपालन** :
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री अ० कु० गोपालन** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के परिवहन मंत्री श्री के० एम० जार्ज को केरल राज्य सरकार परिवहन कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आयोजित आन्दोलन के विरुद्ध 22 जनवरी, 1970 को प्रसारण करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि श्री जार्ज ने आन्दोलन को विकृत रूप से पेश किया तथा राजनैतिक दलों की मिथ्या निन्दा की ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसा करना सरकार द्वारा निर्धारित तथा क्रियान्वित की जाने वाली नीति के बिल्कुल विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम, केरल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) श्री के० एम० जार्ज ने केरल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की हड़ताल के बारे में एक अपील 22 जनवरी, 1970 को प्रसारित की थी ।

(ख) तथा (ग). प्रसारण आकाशवाणी संहिता के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करता था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस वापस लेना

*401. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हड़ताल का नोटिस वापस लेने को सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें लिपिक तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी भी शामिल हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गोदी श्रमिक (रोजगार विनियम) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लिपिक तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी, बना देने की मांग पर 5 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में हुई बैठक में, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, विचार विमर्श किया गया । यह निश्चय किया गया कि कलकत्ता गोदियों के लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए छः महीने की अवधि में गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एक पंजीकरण योजना का मसविदा तैयार करके प्रकाशित कर दिया जाय । तदनुसार, यूनियन ने भी दिनांक 24 जनवरी, 1970 का अपना हड़ताल नोटिस वापिस लेना मान लिया है ।

विदेशी श्रोताओं पर आकाशवाणी के प्रसारणों के प्रभाव का मूल्यांकन

*402. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन करने का कभी प्रयास किया है कि आकाशवाणी के विदेश सेवा डिवीजन के प्रसारणों का विदेशी श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या उसमें कोई सुधार अथवा परिवर्तन आवश्यक पाया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां । यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

(ख) कार्यक्रमों के ढांचे में जो भी परिवर्तन आवश्यक तथा साध्य समझा जाता है वह यथा सम्भव हमेशा ही किया जाता है ।

चौथी योजना में कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण

403. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब के कृषि मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों की घोषणा वर्षवार करने के बजाय चौथी पंचवर्षीय योजना की समस्त अवधि के लिए एक बार ही की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पंजाब के खाद्य मंत्री द्वारा खाद्यानों के मूल्य निर्धारण के विषय में तथाकथित वक्तव्य के बारे में सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) इस समय मौसमी परिस्थितियों के परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा वाली फसलों के साथ मूल्य सम्बन्ध, उत्पादन लागत में होने वाले परिवर्तन आदि विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक विपणन मौसम में मुख्य खाद्यान्नों के न्यूनतम सहाय्यप्राप्त । अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । भारत सरकार का मत है कि प्रत्येक मौसम में इन मूल्यों की जांच की जानी चाहिए ।

तमिलनाडु में आई० आर० 8 की खेती करने वाले किसानों को ऋण

404. **श्री सामिनाथन :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने तमिलनाडु सरकार को केवल 1.4 करोड़ रुपये का ऋण मंज़ूर किया है जिसको उस राज्य में नवराई तथा स्वर्णवारी फसलों में आई० आर० 8 की खेती करने वाले किसानों में वितरण किया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ने इसके लिए 4.4 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी ;

(ग) यदि हां, तो केवल 1.4 करोड़ रुपये देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उनकी 4.4 करोड़ रुपये की मूल मांग को पूरा किया जाये और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). राज्य सरकार ने नवम्बर, 1969 में अनुरोध किया था कि सामान्य शर्तों में छूट देकर उनके विशेष कार्यक्रम के लिए उर्वरकों तथा बीजों के लिए 4.4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अल्प-कालीन ऋण दिया जाये । राज्य को उसकी सामान्य पात्रता के आधार पर विभिन्न आदानों के लिए 1033.68 लाख रुपये का अल्प कालीन ऋण पहले ही स्वीकृत कर दिया गया था । विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किये गये खर्च के आधार पर सामान्य सीमाओं में छूट देते हुए अतिरिक्त अल्प कालीन ऋण स्वीकृत किये जायें । अब तक उर्वरक तकाबी के लिए 50 लाख रुपये की एक अतिरिक्त राशि और बीजों के लिए 124.75 लाख रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ।

Trunk Call Frauds

405. **Shri Babu Rao Patel :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether "trunk call" frauds, as recently detected in Calcutta Telephone District, have been detected elsewhere, if so, where and how many ;

(b) the steps taken to prevent trunk-call frauds ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No such frauds have been reported at other places.

(b) and (c). The existing procedure will be examined in the light of the fraud detected and will be streamlined, to guard against such frauds.

खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा किसानों को ऋण

406. **श्री मयावन :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने वर्ष 1973-74 के अन्त तक कम से कम तीन लाख किसानों को सीधे वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता देने के लिए इन किसानों को किस-किस राज्य में चुना जायेगा ;

(ग) इन किसानों द्वारा इस धन का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ; और

(घ) क्या इस बैंक ने पहले भी कभी किन्हीं किसानों की सहायता की है और यदि हां, तो उससे किसानों को किस प्रकार लाभ पहुँचा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की कार्यविधियां समस्त देश में फैली हुई हैं, योजना के अन्तर्गत सब राज्य लाभान्वित होंगे ।

(ग) इन रकमों को कृषक आदानों, यंत्रों के क्रय के लिए और सिंचाई सहित भूमि के विकास के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ।

(घ) जी हां । दिसम्बर 1969 के अंत तक, 22 करोड़ रुपये लगभग 23,000 खातों में कृषि के सहायतार्थ पेशगी दिये गये । कृषकों ने इस रकम को प्रश्न के उपरोक्त (ग) में उल्लिखित अभिप्रायों के लिए प्रयोग किया ।

फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकरण तथा गठन के बारे में खोसला समिति की सिफारिशें

*407. **श्री राम चरण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोसला समिति ने सेंसर बोर्ड के गठन तथा उसके कार्यकरण के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय चलचित्र निर्माता संघ (IMPPA) ने कुछ सिफारिशों का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (घ). जी, हां। एक *विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन और कार्यप्रणाली के बारे में खोसला समिति की सिफारिशें तथा उन पर इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्ज एसोसियेशन के विचार दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—2818/70]

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में मजदूरों की भर्ती का तरीका

*408. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पश्चिम बंगाल तथा बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी-कितनी कोयला खानें हैं और इन कोयला खानों में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ;

(ख) पश्चिम बंगाल और बिहार में कितनी कोयला खानों में मजदूरों की भर्ती सीधे मालिकों द्वारा की जाती है और कितनी कोयला खानों में ठेकेदारों द्वारा भर्ती की व्यवस्था है ;

(ग) पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों में कितने और किस अनुपात में स्थाई मजदूर हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि ठेकेदारों के द्वारा भर्ती किये गये मजदूरों को उसके नियोजकों द्वारा अनेक तरीकों से धोखा दिया जाता है ; और

(ङ) क्या कोयला खानों में ठेके की मजदूर व्यवस्था को समाप्त करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क)

	बिहार	पश्चिम बंगाल
कोयला खानों की संख्या	399	195
श्रमिकों की संख्या	167301	123000

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें।

(ख) कोयला खानों में कोयला-खान मालिकों/प्रबन्धकों द्वारा ठेकेदारों की मार्फत श्रमिक भर्ती करने की प्रणाली अब प्रचलित नहीं है ।

सूपर बाजार, नई दिल्ली के प्रशासन के विरुद्ध आरोप

*409. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, नई दिल्ली के प्रशासन के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा स्वचल यन्त्रीकरण पर रोक लगाने की मांग

*410. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 28वें सत्र में मांग की गई है कि जब तक सरकार द्वारा स्वचलयन्त्रीकरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति अपनी राय व्यक्त नहीं कर देती है तब तक संगणकीकरण सहित स्वचलयन्त्रीकरण की विचाराधीन अथवा प्रस्तावित सभी योजनाओं पर रोक लगा दी जाए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : अखबारों में छपे इस समाचार के अतिरिक्त कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गुंतूर में 28 जनवरी, 1970 से 1 फरवरी, 1970 को अपना 28वां अधिवेशन किया और कुछ प्रस्ताव पारित किये, सरकार के पास उक्त सम्मेलन अथवा उसमें की गई मांगों के सम्बन्ध के कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण तथा इसके संवैधानिक पहलू

411. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की नीति केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय भारत के संविधान के उपबंधों का उल्लंघन है क्योंकि यह एक केन्द्रीय विषय है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Aid for Development Programme for Improved Seed Industry

*412. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a scheme to develop the improved seeds industry ;

(b) whether it is a fact that research on certain new seeds is being conducted in Government farms ; and

(c) if so, the various new seeds which have been developed and the outlines of the development programme of the said industry and whether any assistance would be provided to those farmers who would like to produce these new seeds in their private farms ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Corporation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In order to ensure production of adequate quantities of newly evolved improved varieties of hybrids and other crops, the Government of India set up the National Seeds Corporation in 1963. In addition, the State Governments also undertake improved seed production programmes. Private seed industry has also grown up in the country. Recently, a Terai Development Corporation has been established in U. P. to produce seeds of high-yielding varieties.

(b) A great volume of research is now being done for developing new high-yielding varieties for major food, fodder and commercial crops. The Indian Council of Agricultural Research has formulated a number of All-India Coordinated Crop Improvement projects. The State Department of Agriculture, Agricultural Universities and Central Research Institutes participate in this projects.

(c) Hybrids of maize, jowar and bajra, composite maize and dwarf varieties of paddy wheat have been developed in the county. The research for evolving new varieties of seeds is a continuing process.

An intimate and close liaison is maintained with seed industry in order to remove no difficulties that may arise and provide such help as may be needed. There is, however, the scheme to provide assistance to those farmers who would undertake to produce new seeds in their private farms.

पाक अधिकृत काश्मीर के शरणार्थियों का पुनर्वास

*413. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाक अधिकृत काश्मीर से अब तक कुल कितने शरणार्थी भारत आये हैं ;

(ख) इनमें से कितने शरणार्थियों को किन-किन स्थानों पर बसाया गया है ; और

(ग) शेष शरणार्थियों के पुनर्वास से सम्बंधित योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारत की घटनाओं के बारे में पाकिस्तान रेडियो द्वारा मिथ्या प्रचार

*414. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में घटने वाली घटनाओं का समाचार देने में पाकिस्तान रेडियो आकाशवाणी से आगे निकल गया है और प्रायः उनको बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है और वे पक्षपातपूर्ण होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी द्वारा उसका खंडन बाद में किया जाता है और इस प्रकार का खंडन पाकिस्तान द्वारा किये गये प्रारम्भिक मिथ्या प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने में असफल रहता है ; और

(ग) क्या अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से पाकिस्तानी प्रचार का मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रयत्नों की कोई सफलता मिली है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) यह कहना सही नहीं है कि इस देश की घटनाओं की सूचना देने में रेडियो पाकिस्तान आल इंडिया रेडियो से आगे है। रेडियो पाकिस्तान अपनी सेवा में भारत विरोधी प्रचार करता है जिसका उद्देश्य भारत के प्रतिबिम्ब को तोड़ मरोड़ कर तथा कलकित करके प्रसारित करना होता है। यह प्रायः कानून तथा व्यवस्था से सम्बंधित घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताने का प्रयत्न करता है।

(ख) ताशकंद घोषणा के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप, आकावाणी सही तस्वीर देकर तथा महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय दृष्टिकोण को निष्पक्षता से प्रतिबिम्बित करके झूठे प्रचार का खंडन करती है।

(ग) कलकत्ता में अति उच्च शक्ति का एक ट्रांसमीटर चालू हो चुका है तथा राजकोट में अति उच्चशक्ति के ट्रांसमिटर को शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है। इन दोनों ट्रांसमिटरों से हमारी वर्तमान वैदेशिक सेवायें और अधिक सुदृढ़ हो जाएंगी। इन सेवाओं के कार्यक्रमों में सुधार करने का बराबर प्रयत्न किया जाता है।

Development of Grapes Crop for Preparation of Wine

*415. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign exchange can be earned in crores of rupees by preparing a good quality of Champagne wine from the grapes grown in India ; and

(b) if so, the efforts being made for the development of the grape-crop, keeping in view the said purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Export potentiality of wine has not been established so far.

(b) The efforts are being made to develop grapes for table purpose.

आकाशवाणी से चुनाव प्रचार

*416. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के प्रसारण के लिए समय नियत करने के प्रश्न पर सरकार ने पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो नये सरकारी प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो, इस पर पुनर्विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). सरकार चुनाव अभियान के लिए राजनैतिक दलों को प्रसारण सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार है, बशर्ते कि दल प्रसारण समय तथा अन्य विवरण के बारे में आपस में सहमत हो जाएं ।

आम मतदाताओं को सामूहिक प्रचार के माध्यम द्वारा शिक्षित करने का कार्यक्रम

*417. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष आम मतदाताओं को उनके मताधिकार से सम्बंधित अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में सामूहिक प्रचार के माध्यम द्वारा शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार व्यवस्था का आयाजन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए जनप्रचार के कार्य की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, यद्यपि जनतंत्र के संदर्भ में मतदान के महत्व के बारे में लोगों को सभी माध्यमों का प्रयोग कर बताया जाता है । विशेष रूप से विशेष सूचना अभियान आम चुनाव के एकदम पूर्व शुरू किया जाता है ।

ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा आयात

*418. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के लिए देश में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टरों की अनुमानित आवश्यकता हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में प्रत्येक देश से कितनी संख्या में

कितने मूल्य के और किस प्रकार के ट्रैक्टरों का आयात किया गया और वर्ष 1970-71 में कितने और किस प्रकार के ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार है ; और

(ग) फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण कितने आयातित ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं ; और उनके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और उन फालतू पुर्जों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :आवश्यक जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी०---2829/70]

मजदूरों के लिए सवेतन अवकाश

*419. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूरों के लिये सवेतन राष्ट्रीय तथा त्यौहारों की छुट्टियों की संख्या के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डा० संजीवैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि सवेतन राष्ट्रीय और त्यौहारी छुट्टियों की संख्या में एकरूपता होना वांछनीय है और प्रत्येक कर्मचारी को कैलण्डर वर्ष में 3 राष्ट्रीय और 5 त्यौहारी छुट्टियां दी जानी चाहिएं। सरकार ने इस सिफारिश को इस अर्थ में स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार की एकरूपता वांछनीय है और उसने राज्य सरकारों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश कर दी है।

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बीच हैलीकाप्टर डाक सेवा

*420. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बीच प्रयोग के आधार पर हैलीकाप्टर डाक सेवा चालू की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेवा से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में सविस्तार जांच कर ली है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) चंडीगढ़ (पंजाब) तथा किलौंग (हिमाचल प्रदेश) के बीच 16 फरवरी, 1970 से एक पाक्षिक हैलीकाप्टर सेवा शुरू की गई है। यह सेवा सीमा सड़क विकास बोर्ड की सेवा की फालतू क्षमता का उपयोग करेगी और सर्दियों में जब रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका रहता है, नियमित रूप से चालू रहेगी।

(ख) जी हां।

मछली का डिब्बों में भरा जाना

2601. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली को डिब्बों में बन्द करने की क्रिया के पर्यवेक्षण तथा इसे वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यकर तरीके से करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मछली को डिब्बों में बन्द करने की क्रिया के पर्यवेक्षण और मछली को बन्द करने के वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यकर तरीके लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सामान्य प्रबंध नहीं किये गये हैं। भारतीय मानक संस्था ने डिब्बों में बन्द मछलियों की पांच किस्मों के लिए मानक निर्धारित किये हैं, किन्तु ये मानक अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते। देश में डिब्बों में बन्द की हुई अधिकांश मछलियों को निर्यात किया जाता है। डिब्बा बन्द मछलियों का निर्यात केवल श्रिम्प मछलियों तक ही सीमित है। डिब्बा बन्द श्रिम्प मछलियों को जहाज में भरने से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक योजना अप्रैल, 1965 में शुरू की गई थी। यह योजना मात्स्यकी तकनालौजी की केन्द्रीय संस्थान द्वारा पहली मई, 1969 तक जब कि इसे भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद को सौंपा गया था, चलाई गई थी। निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अनुभाग 7 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य निरीक्षण किये जाते हैं।

रक्षा सेनाओं के लिए डब्बा बन्द मछलियों को खरीदने हेतु खाद्य विभाग में आर्मी परचेज आर्गेनाइजेशन ने सम्भरणकर्त्ताओं के पंजीकरण की ओर उनके कारखानों के निरीक्षण की एक पद्धति शुरू की है।

(ख) जहाज में भरने से पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत निर्यात के लिए रखी गई डब्बा बन्द श्रिम्प मछलियों के नमूनों के अवभव और जीवाणु संबंधी परीक्षण है किए जाते हैं। जो माल नमूनों के अनुसार नहीं होता उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जहां तक रक्षा सेनाओं के लिए डब्बा बन्द माल के सप्लाई करने का सम्बन्ध है, प्रक्रिया के दौरान और सम्भरण किये जाने के बाद पदार्थों का निरीक्षण किया जाता है। उचित किस्म को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयोगशाला परीक्षण किये जाते हैं।

मार्डन बेकरीज

2602. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से कितनी मार्डन बेकरियां स्थापित की गई हैं, वे कहां कहां स्थापित की गई हैं तथा प्रत्येक पर कितनी पूंजी लगी है, वहां कितनी मात्रा में उत्पादन होता है तथा कितने मूल्य का उत्पादन होता है ;

(ख) प्रत्येक मामले में विदेशी सहायता संबंधी प्रमुख बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गैर-सरकारी कम्पनियों में बनी डबल रोटी के मूल्य की तुलना में इस डबल रोटी के अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस डबल-रोटी में कौन से रसायनों के तत्व मिलाये जाते हैं तथा इसके कारण क्या है ;

(ङ) इस डबल-रोटी में ब्रिटेनिया डबल-रोटी जैसी सुगंध न होने के क्या कारण हैं ; और

(च) डबल-रोटी बनाने की और कितनी एककें स्थापित करने का विचार है, वे कब तथा कहां स्थापित की जाएंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2820/70]

(ख) आस्ट्रेलिया तथा कनाडा सरकारों से 'कोलम्बो योजना' के अन्तर्गत 116 लाख की लागत के संयंत्र तथा मशीनरी उपहार रूप में प्राप्त हुई है। संयंत्र लगाने तथा तकनीकी अमले को प्रशिक्षण देने के लिए भी उपहार देने वाली सरकारों से 'कोलम्बो योजना' के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) माडर्न ब्रेड का मूल्य वही है जो निजी क्षेत्र में मशीनी बेकरियों द्वारा निर्मित रैपरों में बन्द तथा सलाइस्ड ब्रांड की डबल रोटी का है।

(घ) माडर्न ब्रेड को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए विटामिन 'ए', विटामिन 'बी कम्पलेक्स' (रिबोफलाविन, थियामिन तथा नियासिन), लौह एवं लाइसिन से समृद्ध किया जाता है।

(ङ) अन्य ब्रांडों से इसका स्वाद अच्छा समझा जाता है।

(च) इस कम्पनी के और विस्तार करने के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उर्वरक तथा कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग

2603. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महा निदेशक द्वारा 5 नवम्बर, 1969 को सेमिनार का उद्घाटन करते समय किये गये इस आशय के टिप्पणों के बारे में पता है कि किसानों द्वारा उर्वरकों, कृमिनाशी, कवनाशी तथा कीटनाशी औषधियों का अविवेक-पूर्ण प्रयोग किया जाता है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या इस जिम्मेदार वैज्ञानिक की चेतावनी को देखते हुए सरकार का विचार अपनी नीति में परिवर्तन करने तथा उर्वरकों तथा कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग को कम करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महा निदेशक ने उर्वरकों के अधिक तथा बिना सोचे समझे ढंग से उपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। विश्व में कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में भारत में उर्वरकों का उपयोग कम है। भारत मुश्किल से 10.96 किलो ग्राम प्रति हैक्टार पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहा है, जब कि नीदर लैंड 626.25 किलोग्राम प्रति हैक्टार जापान 371.25 किलोग्राम प्रति हैक्टार और अमरीका 75.74 किलोग्राम प्रति हैक्टार का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रयोग में लाये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा ही कम नहीं है बल्कि फसल के सामान्य उत्पादन के लिए अपेक्षित अनुकूलतम स्तर का एक अंशमात्र है। अतः उर्वरकों के अधिक उपयोग के दुष्प्रभावों का प्रश्न ही नहीं उठता। विस्तार कार्यकर्त्ता मृदा परीक्षणों के आधार पर पाई जाने वाली कमियों के आधार पर कृषकों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग के संबंध में शिक्षित करते रहते हैं।

हमारे कृषकों द्वारा कीटनाशक औषधियों का भी कभी-कभी और सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। खपत के वर्तमान स्तर के संबंध में 900 ग्राम प्रति हैक्टार का अनुमान है जबकि अमरीका में 1400 ग्राम प्रति हैक्टार और जापान में 2,000 ग्राम प्रति हैक्टार का उपयोग किया जाता है। अब कीटनाशक औषधियों को कृषि उत्पादन के महत्वपूर्ण आदानों में गिना जाता है। अच्छे बीजों से उत्पादित स्वस्थ पौधे, जिनको कि अच्छी तरह से उर्वरक व सिंचाई प्रदान की गई हो, कीटों और बीमारियों से ग्रस्त होने की सम्भाव्यता है और उसे कीटनाशक औषधियों के प्रयोग आदि की भी आवश्यकता रहती है। यदि इन पौध रक्षण रसायनों को निर्देशों और सुझावों के आधार पर उचित रूप से प्रयोग में लाया जाये तो पूर्णतः सुरक्षित समझे जाते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का ग्राम स्तर तक विस्तार सेवाओं की पूर्ण व्यवस्था है और वे कृषकों को इन रसायनों के उचित उपयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करते हैं।

(ख) उपर्युक्त की मौजूदगी में इस निष्कर्ष के अनुसार नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्ति

2604. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में 1969 में विभिन्न पदों के लिए कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिल गई है ;

(ख) उनमें भूतपूर्व सैनिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और

(ग) उनको रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नियुक्ति सहायता के लिए 1969 में दर्ज लोगों की संख्या 1,36,573 थी। इन में से कितनों को

नौकरी मिली, यह जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्ष के दौरान नियुक्ति सहायता पाने वालों की कुल संख्या 29,885 थी।

(ख)	प्रार्थियों की श्रेणी	पंजीयन	नियुक्ति सहायता पाने वाले
	भूतपूर्व सैनिक	4,389	475
	तकनीकी व्यक्ति	12,519	1,426

(ग) कार्यवाही : चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा बेरोजगार लोगों के लिए अधिकाधिक नियोजन अवसर जुटाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार व्यक्तियों की नियोजन क्षमता सुधारने के लिए उन्हें व्यावसायिक मार्ग-दर्शन, नियोजन सम्बन्धी सलाह और दस्तकार प्रशिक्षण योजना, शिशु प्रशिक्षण योजना इत्यादि के उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती हैं।

1969-70 में गुजरात में अनाज का उत्पादन तथा केन्द्र द्वारा सप्लाई किये गये अनाज की मात्रा

2605. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1969-70 में सभी प्रकार के खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनाज सप्लाई किया गया तथा राज्य में कितने अनाज की खपत हुई ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य को पर्याप्त अनाज सप्लाई किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) गुजरात में 1969-70 के खाद्यान्नों के उत्पादन से सम्बन्धित पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि रबी फसल की अभी कटाई होनी है। पहली अप्रैल, 1969 से फरवरी, 1970 के अन्त तक की अवधि में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय पूल से 2.55 लाख मीटरी टन खाद्यान्न प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में केन्द्रीय पूल से लगभग 45,000 मीटरी टन गेहूं राज्य में स्थित रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई किया गया। भेजा गया था। गुजरात में खाद्यान्नों की कुल खपत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि गुजरात में अप्रैल, 1969 से फरवरी, 1970 तक की अवधि में सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से 3.19 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था।

(ख) और (ग). यद्यपि गुजरात को केन्द्रीय पूल से राज्य की मांग के अनुसार गेहूं सप्लाई किया जाता है, लेकिन केन्द्रीय पूल में चावल तथा मोटे अनाजों की सीमित उपलब्धि होने के कारण उनकी चावल तथा मोटे अनाजों से संबंधित मांग को पूर्णरूप से पूरा नहीं किया जा सकता है।

राज्यों में फैक्टरियों में कर्मचारियों की संख्या

2606. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक, राज्य में 1967-68 से 1969-70 तक वर्ष वार ऐसी कितनी फैक्टरियां थीं जिनमें 20 और उससे अधिक कर्मचारी काम करते थे ;

(ख) प्रत्येक राज्य में 1967-68 से 1969-70 तक वर्ष वार ऐसी फैक्टरियों की संख्या कितनी है जिनमें (1) 20 कर्मचारी नियुक्त हैं, (2) 21 से 100 तक कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त है, (3) 101 से 500 तक कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं, (4) 501 से 1,000 तक कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं, (5) 1001 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना कैलेण्डर वर्ष 1967 और 1968 के सम्बन्ध में उपलब्ध है । तीन विवरण संलग्न हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए एल० टी० 2821-70]

गुजरात में लघु सिंचाई योजना के लिये केन्द्रीय सहायता

2607. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने 1969-70 में लघु सिंचाई योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी :

(ख) इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने इस लघु सिंचाई योजना के लिए गुजरात को कितनी राशि दी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस वित्तीय वर्ष में गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए राशि बढ़ाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केन्द्रीय सहायता किसी विशेष कार्यक्रम/योजनाओं से सम्बद्ध नहीं होती है, बल्कि यह केन्द्र द्वारा, सम्पूर्ण वार्षिक योजना के सम्बन्ध में समूह ऋण और अनुदान के आधार पर दी जाती है । 1969-70 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए गुजरात-सरकार ने अलग से किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं की और न उक्त वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार ने कोई विशेष केन्द्रीय सहायता ही नियत की ।

(ग) वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में, "प्रायः सूखा-पीड़ित क्षेत्रों का विकास" योजना राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आती है । किन्तु चौथी योजना में, प्रायः सूखे से पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों आदि जैसी विशिष्ट समस्याओं के लिए केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत राज्य को दिया जायेगा ।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों की नियुक्ति

2608. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई तथा दिसम्बर, 1968 में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को पदों के लिए परीक्षायें तथा इंटरव्यू (साक्षात्कार) हुए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चुने गये उम्मीदवारों को मार्च, अप्रैल, 1969 में सूचना दे दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सन्दर्भ में पुलिस द्वारा पड़ताल का कार्य मई, 1969 में पूरा कर लिया गया था ;

(घ) क्या चुने गये उम्मीदवारों को अभी तक कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ये नियुक्ति आदेश सम्भवतः कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ङ). जी, हां । जुलाई तथा दिसम्बर, 1969 में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के पदों पर तदर्थ आधार पर, नियुक्ति करने के लिए कुछ उम्मीदवारों के चयन के लिए जुलाई, 1969 में एक परीक्षा और उसके बाद दिसम्बर, 1969 में इन्टरव्यू हुआ था । इन नियुक्तियों को तब तक करने का प्रस्ताव था जब तक संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उम्मीदवारों की नियमानुसार नियमित आधार पर नियुक्ति नहीं हो जाती ।

इसी बीच संघ लोक सेवा द्वारा आयोग द्वारा अप्रैल, 1969 में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों तथा अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड में भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता ली गई । अतएव, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति पर आगे कार्यवाही की गई ।

भारत में सर्वोच्च श्रेणी का कर्नाटक संगीत

2609. **श्री दीवीकन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत भर के कर्नाटक संगीत के 'क' श्रेणी तथा सर्वोच्च श्रेणी के कलाकारों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आकाशवाणी के कर्नाटक संगीत के 'उच्चतम श्रेणी' तथा 'क' ग्रेड के कलाकारों को एक* सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए एल० टी० 2822-70]

* अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम (कर्नाटक संगीत) के लिए कलाकारों का चयन

2610. **श्री दीवीकन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चुनाव करने के नियम क्या हैं ; और

(ख) कर्नाटक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चुनाव करने के लिए यदि कोई समिति है, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए केवल उन्हीं कलाकारों को बुलाया जाता है जो 'क' तथा 'उच्चतम श्रेणी' के ग्रेड के होते हैं। चयन मुख्य प्रोड्यूसर की सलाह पर सम्बन्धित केन्द्रों के प्रमुखों की सलाह से आकाशवाणी महानिदेशालय में संगीत विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। कलाकारों को श्रेणी, कार्यक्रम प्रस्तुत करने की वर्तमान विशेषतायें तथा उनकी आयु ; ये महत्व-पूर्ण बातें हैं जो चयन करते समय ध्यान में रखी जाती हैं।

टेलीविजन-कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भुगतान

2611. **श्री दीवीकन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों ने गत छः महीनों के दौरान टेलीविजन के कार्यक्रमों में कितनी बार भाग लिया :

(एक) श्री चंचल सरकार (दो) श्रीमती इन्दु जैन और (तीन) श्री जोगा राव; और

(ख) प्रत्येक को कितनी धनराशि की अदायगी की गई ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क)

(1) श्री चंचल सरकार	10 बार
(2) श्रीमती इन्दु जैन	10 बार
(3) श्री जोगा राव	36 बार

(ख) कार्यक्रम में भाग लेने के लिये एक व्यक्ति को जो भुगतान किया जाता है उसकी सूचना केवल सरकारी प्रयोग के लिए है और इस सूचना को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

टेलीविजन पर कर्नाटक कंठ संगीत का कार्यक्रम

2612. **श्री दीवीकन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन कार्यक्रमों में कर्नाटक संगीत-गायन शामिल नहीं किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी कर्नाटक-संगीतकार टेलीविजन के कार्यक्रमों में नहीं आया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी में पांडुलिपि के अनुवाद के लिये शुल्क

2613. **श्री दीवीकन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के लिए पाण्डुलिपियों का अनुवाद करने वाले अनुवादकों को क्या शुल्क दिया जाता है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को गैर-सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम शुल्क दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) आकाशवाणी में स्क्रिप्टों के अनुवाद का कार्य सामान्य तथा मासिक फीसों पर कार्य करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा किया जाता है । तथापि, जब बाहर के किसी व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जाता है, तो अनुवादक की योग्यता की तथा स्क्रिप्ट की अवधि को देखते हुए उसे 100 से 200 रुपये तक की फीस दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द होना

2614. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री श्री कृष्णपद घोष ने दिनांक 17 जनवरी, 1970 को कलकत्ता में आयोजित श्रम कल्याण दिवस उत्सव में भाषण देते हुए कहा था कि "161 औद्योगिक एककों को जान-बूझकर बन्द करने के परिणाम स्वरूप 48,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं" ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

विषय : खाद्य उपजाऊ भूमि के वार्षिक कटाव का अनुमान

2615. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में खाद्य उपजाऊ भूमि के वार्षिक कटाव के संबंध में पिछले लगभग पांच वर्षों में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में भूमि के कटाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे हैं?

खाद्य,, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) तथा (ख). देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न उत्पादन करने वाली भूमि के वार्षिक भूरक्षण के संबंध में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। परन्तु एक मोटे अनुमान के अनुसार भूरक्षण से लगभग 500 लाख हैक्टार भूमि को नुकसान पहुंचा है और उसमें प्राथमिकता के आधार पर भूमि संरक्षण की आवश्यकता है।

विवरण

प्रथम योजना से 1968-69 तक देश में विभिन्न-भूमि उपयोग के अन्तर्गत लगभग 100 लाख हैक्टार भूमि पर भूमि संरक्षण उपायों द्वारा उपचार किया गया भूक्षरण को रोकने के लिए किये गये कार्यों में कन्टूर बांध, ग्रेडिड जलनिकास टैरेस, पहाड़ों तथा ऊबड़-खाबड़ स्थल रूप रेखा में बेंच टैरेस, गली तथा तंगधारी नियंत्रण व सुधार कार्य, सिंचाई क्षेत्रों में जल प्रबन्ध, नाला बांध, चैक बांध, घास-स्थलों का विकास, भूरक्षण वाली भूमि पर वनरोपड़ द्वारा संरक्षण, तथा अवसादन को रोकने एवं बांधों के समय को बढ़ाने के लिए नदी घाटी परियोजना के वाह क्षेत्र का भूमि संरक्षण, आदि सम्मिलित हैं।

चौथी योजना की अवधि में 153.32 करोड़ रुपये की लागत से 64.3 लाख हैक्टार भूमि के क्षेत्र में भूमि संरक्षण संबंधी कार्यक्रम अपनाया जायेगा।

विषय : कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पर नियंत्रण

2616. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० डी० टी०, डीलड्रिन तथा एल्ड्रिन आदि कीट-नाशकों के प्रयोग को नियंत्रित करने के बारे में देश में विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : भारत सरकार को 1967 में प्रकाशित हुई थेकर समिति की रिपोर्ट में दिया हुआ विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। हानिकार्क कीटों, रोगों, कृन्तक और खरपतवार के नियन्त्रण के लिए जो कीटनाशक औषधियाँ प्रयोग होती हैं उनके हानिकारक प्रभावों का रिपोर्ट में विस्तृत वर्णन है। इसके परिणामस्वरूप कीटनाशी अधिनियम 1968 पास किया गया है और अधिनियम की कार्यान्विति के साथ डी० डी० टी० डीलड्रिन तथा एल्ड्रिन सहित कीटनाशियों के अनुचित प्रयोग को रोका जायेगा।

आकाशवाणी के मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं (चीफ प्रोड्यूसरों) के आय-कर विवरण

2617. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर विभिन्न स्रोतों से होने वाली अपनी आय का ब्यौरा सरकार को पेश करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दी रूपकों के चीफ प्रोड्यूसर ने ऐसी कितनी आय अपने विवरणों में दिखाई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। उनको यह काम करना जरूरी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Amendment of the Constitution for Land Reforms

2618. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri A. K. Gopalan :
Shri Bhagaban Das :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri Uma Nath :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the recent conference of Chief Ministers, Government did not agree to amend the relevant Article of the Constitution on the question of reforms in regard to tilling and ownership of laws as a result of which all the State laws have become ineffective in bringing about radical land reforms ; and

(b) if so, the specific reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The legal and constitutional difficulties in the implementation of land reforms came up for consideration at the Chief Ministers' Conferenee on Land Reforms held on November, 28-29, 1969. The main difficulties experienced by the State Governments are as follows :

(i) The landowners are resorting to unnecessary litigation with a view to delaying and circumventing implementation of land reforms and through a large number of civil rules under article 226 of the constitution stay orders have been obtained against implementation of land reforms ;

(ii) Any further tightening of ceiling laws by lowering the ceiling level for making ceiling applicable to the aggregate area of land held by all the members of a family or taking away certain exemptions may involve payment of compensation at current market rate in accordance with the second provision to article 31A(1).

(iii) The protection of article 31A may not be adequate to protect measures of agrarian legislation and implementation of recent land reform laws such as the Kerala Land Reforms (Amendment) Act 1969 may be hampered unless such laws are specifically included in the Ninth Schedule.

Reference about these difficulities had also been made by the State Governments earlier and the Minister of Food and Agriculture in his address at the Conference had expressed his views about these problems. As regards the difficulty in the implementation of land reforms due to the landowners misusing the power under article 226 of the Constitution, it was mentioned by the Minister of Food and Agriculture that the Constitution has been amended thrice by the First, Fourth and the Seventeenth Amendments for safeguarding the land reformed laws. A large number of principal land reform laws have been included in the ninth Schedule and cannot be challenged on the grounds of infringement of fundamental rights. The term "estate" in the Article 31A(1) has also been amplified to its all agricultural lands for protection of agrarian laws against attack on grounds of infringement of articles 14, 19 and 31. All this has been done to contain the spate of litigation and it is not likely that in case of land reformed laws the High Court would normally intervene so far as funds, fundamental rights are concerned. It should, therefore, be possible to achieve the object for restricting litigation with a view to expediting land reforms by the State legislature by making suitable amendments in the local land reform laws. As regards revision of ceiling provisions it was mentioned by Minister of Food and Agriculture that the Department of Agriculture had been advised at the time of enactment of the Seventeenth Amendment that the second proviso of article 3 did not take away the right of any State Legislature to reduced or restrict the ceiling and the said proviso would be attractive only in respect of acquisition of land in personal cultivation below the ceiling limit which is at any time in force accommodation to the State laws.

Matters are being considered carefully regarding suggestions made for amendment of the Constitution in consulative with the Ministry of Law. There seem to be some practical difficulties in making amendments which take away or abridge fundamental rights in the light of the Supreme Court's decided in the Golaknath's case.

With the amplification of the definition of the term as 'estate' by the Seventeenth Amendment, article 31A affords adequate protection to agrarian legislation and the recently enactments which are not included in the Ninth Scheduled prima facie enjoy the protection of that article.

विषय : आसाम में काजीरंगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र को चिड़िया घर का रूप देना

2620. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सींग वाले गैंडे के विनाश को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्लभ जाति के पशु की रक्षा करने और आसाम में काजीरंगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र को चिड़िया घर के रूप में देने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) एक सींग वाले गैंडे की नस्ल की समाप्ति को रोकने के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :

भारतीय वन्य प्राणी मंडल ने सन् 1952 में हुई अपनी पहली बैठक में ही गैंडे की रक्षा के सम्बन्ध में सिफारिश की थी। तदनुसार गैंडों की असम गैंडा रक्षण अधिनियम 1954 के अधीन रक्षा की जाती है और पश्चिमी बंगाल में गैंडों को मारने तथा उनके शिकार पर प्रतिबन्ध मौजूद है।

असम सरकार ने सूचित किया है कि जिन क्षेत्रों में गैंडे उपलब्ध होते हैं उन्हें वन्य प्राणी आश्रय स्थल घोषित कर दिया गया है और अतिक्रमण को रोकने के लिए बीट व नए कैम्प खोलना तथा चौकसी मीनारों का निर्माण करना आदि उपाय अपनाये गये हैं।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नस्ल के रक्षण और संवर्द्धन के लिये उन्होंने रक्षक कर्मचारी रखे हुये हैं। उन्होंने इस पशु को मारने तथा इसके शिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(ख) और (ग). सरकार ने इस दुर्लभ नस्ल की रक्षा के लिए पहले ही कदम उठाये हुए हैं। असम सरकार ने अब असम राष्ट्रीय पार्क अधिनियम 1968 प्रकाशित कर दिया है, जिसके अनुसार उन्हें सरकारी राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों को उनके शैक्षणिक, वैज्ञानिक, पुरातत्वीय, जीव विज्ञानीय, अथवा ऐतिहासिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पार्क घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। असम में काजीरंगा वन्य प्राणी आश्रय स्थल को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक जीव पार्क घोषित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विषय : पक्षी संरक्षण, प्रवासी पशु तथा रोग-विज्ञान सर्वेक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2621. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में पक्षी संरक्षण प्रवासी पशु तथा रोग विज्ञान सर्वेक्षण सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में कितने तथा किन-किन देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां। पक्षी परिरक्षण विषयक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् के एशियाई महाद्वीपीय सैक्शन का सम्मेलन दिसम्बर, 1969 में भरतपुर पक्षी आश्रय-स्थल में हुआ था।

(ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) उपरोक्त सम्मेलन के प्रस्ताव संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2823/70]

ग्रामीण विकास केन्द्रों की स्थापना

2622. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश में ग्रामीण विकास केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या होंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी तथा इन स्थानों के क्या नाम हैं जहाँ इन्हें स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) व (ख). योजना आयोग द्वारा विकास केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसंधान परियोजना की एक योजना स्वीकृत की गई है, जो चौथी योजना में आरम्भ की जानी है। इस योजना का उद्देश्य कुछेक चुने हुए क्षेत्रों में सम्भाव्य विकास केन्द्रों और उनके इर्द-गिर्द जीवनक्षम ग्रामीण समुदायों का पता लगाना है और इस बारे में चुने हुए क्षेत्रों में 20 "अनुसंधान तथा अन्वेषण सैल" स्थापित करने की परिकल्पना की गई हैं जो इस दृष्टि से समस्त सुसंगत सामग्री का सर्वेक्षण, एकत्रीकरण तथा अध्ययन करेंगे कि सम्भाव्य विकास केन्द्रों का पता लगाए जाए तथा उनके इर्द-गिर्द सम्बद्ध ग्रामों का परिसीमन करने की योजना का सुझाव दिया जाये और एक 'विकास योजना' तैयार की जाए जो कुछ समय के दौरान केन्द्रों को चल सकने की क्षमता और पूर्ण विकास सम्भाव्य को प्राप्त करने के योग्य बना सके। इस प्रकार इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य उभरते हुए विकास केन्द्रों के इर्द-गिर्द समन्वित क्षेत्र विकास करने में सन्निहित उपादानों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है।

(ग) यह योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना सैलों को जिन स्थानों पर स्थापित किया जाना है उनके बारे में राज्य सरकारों की सलाह से निर्णय किया जा रहा है।

विषय : किसानों को औषध-युक्त बीजों की सप्लाई

2623. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि हालांकि औषध-युक्त बीजों की सप्लाई बढ़ गई है, फिर भी इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं कि यह देश में कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त हो ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को औषधयुक्त बीजों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते ।

कर्मचारी भविष्य निधि संघ का संचालन-कार्य

2624. **श्री स० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संघ के कार्य के सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्रालय के प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि गृह मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग की कुछ सिफारिशें, जिनमें नीति सम्बन्धी मामले सन्निहित हैं, हाल ही में न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं । ये अभी तक सरकार के पास अनुमोदनार्थ नहीं भेजी गई हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

चीनी उद्योगों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का नोटिस

2625. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मजूरी दरों में संशोधन तथा इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण संबंधी अपनी मांगों के समर्थन में 23 फरवरी, 1970 को हड़ताल करने का नोटिस जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां । हड़ताल का आह्वान जारी किये जाने की रिपोर्ट मिली थी ।

(ख) मजूरी दरों के संशोधन के प्रश्न पर द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और उसकी सिफारिशें अब सरकार के समक्ष हैं । राष्ट्रीयकरण की मांग सम्बन्धित विभाग के ध्यान में लाई जा चुकी है ।

Gheraos in West Bengal after Mid-Term Election

2626. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Gherao incidents in West Bengal after the mid-term election ;

(b) the estimated loss to the industries in private sector, State Government and Central Government, according to the facts collected by the Central Government ; and

(c) the number of industries which had to be closed in West Bengal because of the Gheraoes ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). According to information furnished by the State Government, the number of Gheraos, up to the end of January 1970, was 539 ; three industrial units were temporarily closed but subsequently reopened. Information as to estimated loss to the industries is not available.

Setting up of Government Stores in Villages

2627. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government would consider a scheme for setting up Government Stores in big villages like those in cities for the benefits of rural people where the farmers could get necessary goods at controlled prices ;

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) to (c). The scheme of distribution of consumer articles in the rural areas through village service societies and marketing societies is part of the State Plan schemes in the Fourth Plan period, for which Central assistance is available through the National Cooperative Development Corporation. There is no proposal for a separate scheme by the Government of India for this propose.

Installation of Pumps in Madhya Pradesh during Fourth Plan Period

2628. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State the number of pumps likely to be installed in Madhya Pradesh alongwith the number of villages under the lift irrigation scheme during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The Fourth Five Year Plan is yet to be finalished. However, in the Draft Fourth Five Year Plan the target for energisation of Irrigation pumpsets/tubewells in Madhya Pradesh has been fixed as 33,000 within the State Plan outlay. However, additional pumpsets/tubewells are expected to be energised with the help of additional funds drawn from institutional sources etc.

Tube-Wells in Madhya Pradesh

2629. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tube-wells which have been energised so far in Madhya Pradesh and the number of new tube-wells likely to set up under the said Plan ;

(b) their present number ; and

(c) whether the State Government has approached the Central Government for financial assistance or grant for setting up tube-wells in the State, and if so, the amount thereof asked for ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). About 200 tubewells have been energised so far in Madhya Pradesh. The State Government expects to install about 7000 tubewells during the Fourth Five Year Plan.

(c) The State Government have not approached the Central Government for any specific financial assistance or grants for setting up tubewells in the State. In fact, under the procedure in vogue, all Central assistance is to be released to the State Governments in block loans and grants for the Annual Plan as a whole and would not be related to any individual programme or scheme. Discretion for allocation of funds for individual Minor Irrigation Schemes rests primarily with the State Governments. Hence, the question of giving Central assistance or grant for a specific scheme like tubewells does not arise.

खाद्य-तेलों की कमी तथा उनका आयात

2630. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य तेलों की कमी किस प्रकार की है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) अधिक उत्पादन करके तथा देश में ही उपलब्ध सप्लाई का न्यायोचित वितरण करके इस कमी का सामना करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) अगले छः महीनों में खाद्य तेलों की किन-किन किस्मों का आयात करने की योजना बनाई गई है ;

(घ) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात का अर्थ हमारे औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की हानि है ; और

(ङ) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि इस विशिष्ट क्षेत्र में कमी होने के कारण यह है कि हम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में यथोचित सन्तुलन बनाये रखने में असफल रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) खाद्य तेलों के वर्तमान अभाव का मुख्य कारण आपूर्ति की अपेक्षा मांग की अधिकता होना है । जनसंख्या तथा आय में वृद्धि के साथ साथ मांग भी बढ़ गई है । दूसरी ओर मौनसूनों की परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन में उतार चढ़ाव रहता है क्योंकि तिलहनों का उत्पादन मुख्यतः वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जाता है ।

(ख) संभाव्य क्षेत्रों में तिलहनों की फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए सघन कृषि उपायों के आधार पर पैकेज कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है । श्रमताप्रर्ण क्षेत्रों में मूंगफली के

उत्पादन में वृद्धि के लिए सन् 1966-67 से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की गई है। इसके अतिरिक्त रबी/ग्रीष्म ऋतु में आंध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों के विस्तृत सिंचित क्षेत्रों में मूँगफली की दोहरी फसल को अपनाया गया है। बिनौला और खल विलायक निस्सारण जैसे अन्य संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग को भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) सन् 1970 में खाद्य तेलों के आयात का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

	पण्य का नाम	स्रोत	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1.	सोयाबीन का तेल	अमरीका (पी० एल० 480 के अन्तर्गत)	52,000	11.12
2.	सूर्यमुखी का तेल	रूस (वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत)	5,000	1.35
3.	तोरिया बीज	कनाडा (विकास सहायता कार्यक्रम)	25,000 (तोरिया तेल के लगभग 8,000 मीटरी टन)	2.70
				15.17

सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं की महासभा की वार्षिक बैठक का आयोजन करने की कानून में व्यवस्था

2631. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी पंजीकृत सहकारी गृह-निर्माण संस्था की महा-सभा की वार्षिक बैठक में पारित की जाने वाली कार्य-सूची वार्षिक परीक्षित लेखे, लाभ/हानि का विवरण तथा संस्था की गतिविधियों का ब्यौरा इस बैठक से लगभग दो-सप्ताह पूर्व रजिस्ट्री डाक से उस संस्था के सदस्यों को भेजी जानी चाहिए, यदि हां, तो इससे सम्बन्धित कानून में कौन से उपबन्ध हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उस संस्था के सदस्य आर्थिक तथा नीति सम्बन्धी मामलों सहित उक्त मदों की जांच तथा उन पर विचार करने हेतु पर्याप्त समय प्राप्त किये बिना ही इन मदों को कैसे पारित कर सकते हैं, तथा दिल्ली स्थित सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के लिए ऐसे नियम न बनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उपबन्धों को शामिल करने तथा सभी पंजीकृत सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं तथा अधिकारियों को इन उपबन्धों का सख्त से पालन करने की सलाह देने तथा दोषी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) से (ग). राज्यों के विभिन्न सहकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों की उप-विधियों में सामान्यत: यह व्यवस्था होती है कि सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यसूची 14 दिन पहले भेजी जाए। वार्षिक परीक्षित लेखाओं और अन्य विस्तृत प्रतिवेदनों को पहले भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। वार्षिक तुलन-पत्रों को कार्यालय में रखना होता है और वे कार्यालय-समय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए यदि सदस्यों को, अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो तो वे कार्य सूची में प्रस्तावित किसी भी मद पर विचार स्थगित कराने की माँग कर सकते हैं। चूँकि सरकारी समितियां स्थानीय निकाय हैं, जिनके सदस्य उनके कार्यक्षेत्र के निवासी होते हैं, अत: सामान्य निकाय की बैठक से पहले वार्षिक परीक्षित लेखाओं, लाभ/हानि विवरण तथा गतिविधियों के प्रतिवेदन को रजिस्टर्ड डाक से भेजना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

अनर्ह टेलीफोन सूपरवाइजरों की तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 2 में पदोन्नति

2632. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कुछ टेलीफोन सुपरवाइजरों को, जो अनर्ह थे और जिनका विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था, जनवरी, 1968 में विभागीय पदोन्नति समिति के विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गई सूची में सम्मिलित अर्ह व्यक्तियों पर तरजीह देकर स्थानीय रिक्त पदों पर तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 2 में पदोन्नत किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और अर्ह उम्मीदवारों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार चयन सूची सामान्यत: एक वर्ष तक लागू रहती है। कुछ भी हो, एक वर्ष और छह महीने की अवधि के बीतने या नई सूची तैयार करने के समय में से जो भी पहले हो, उससे यह वैध नहीं रहती। उक्त चयन सूची एक वर्ष और छह महीने की अवधि बीतने के बाद वैध नहीं रही। चयन सूची की अवधि बीत जाने पर यदि कोई स्थानीय रिक्त स्थान हों तो उन्हें 'वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर' भरा जाता है। आशा है कि योग्यता-प्राप्त उम्मीदवारों में से नई चयन सूची तैयार करने के लिए अगली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिए नियत धन में कटौती

2633. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिए स्वीकृत खर्च में 30 प्रतिशत अथवा इसके लगभग कटौती की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिए कितनी राशि मन्जूर की गई थी और उपरोक्त अवधि में आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में वस्तुतः कितनी राशि खर्च की और स्वीकृत राशि में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) आकाशवाणी, इम्फाल के बजट की स्थिति इस प्रकार है :—

1968-69 का स्वीकृत बजट अनुदान	1968-69 का वास्तविक खर्चा	1969-70 का स्वीकृत बजट अनुदान	1969-70 का संशोधित अनुदान
*5,97,800 रुपये	6,40,090 रुपये	6,36,700 रुपये	6,72,600 रुपये

ओलों के कारण मनीपुर के भोन्बाल तहसील में फसल को क्षति

2634. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1969 को मनीपुर के भोन्बाल तहसील में कार्किंग क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी क्षति हुई ; और

(ग) किसानों तथा भू-स्वामियों को अब तक क्या सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). मणिपुर से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर में पंचायत चुनावों में चुनाव अधिकारियों द्वारा विशिष्ट सील चिन्ह न दिये जाना

2635 **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के हाल में आयोजित पंचायत चुनावों में चुनाव अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर मतपत्रों पर विशिष्ट सील चिन्ह नहीं दिये थे जिसके परिणाम स्वरूप उनके चुनाव परिणाम नगण्य अल्पमत पर घोषित किये गये हैं ;

*इस राशि में अधिकारियों से सम्बन्धित स्थापना प्रभार शामिल नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो चुनाव अधिकारियों की ओर से ऐसी गलती कितने मतदान केन्द्रों में हुई ; और

(ग) चुनाव अधिकारियों की ओर से हुई ऐसी गलती को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) से (ग). मणिपुर सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में पंचायत चुनाव

2636. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पंचायत चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में हुए हैं;

(ख) कितनी पंचायतों ने नये प्रधान तथा सदस्य चुने हैं ;

(ग) क्या किसी पंचायत के चुनाव अभी बाकी हैं ; और

(घ) द्वि-स्तरीय प्रणाली कब से चालू की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में छंटनी के संबंध में न्याय-निर्णयन की अपील

2637. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ ने श्रम आयुक्त मनीपुर से अपील की है कि वह लोक निर्माण विभाग मनीपुर से प्रभारित कर्मचारियों की छंटनी से उत्पन्न विवाद में निर्णय दे और इस छंटनी को अवैध घोषित करे ; और

(ख) यदि हां, तो न्याय निर्णय का यह मामला किस अवस्था में है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना मणिपुर प्रशासन से मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

भारी रसायनों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

2638. **श्री उमा नाथ** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेष घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी रसायनों तथा उर्वरक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने कहां तक क्रियान्वित किया है ;

(ख) क्या कुछ कारखाने मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई मजूरी की अपेक्षा पहले से ही ज्यादा दे रहे हैं ; और

(ग) उन कर्मचारियों की जिन्हें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से कोई लाभ नहीं हो रहा है, मजूरी बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) ये सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा लागू कराई जा रही हैं। क्रियान्विति की प्रगति के बारे में उपलब्ध सूचना का विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2824/70]**

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस प्रश्न पर मजूरी बोर्ड ने स्वयं सिफारिशें की हैं।

सरकारी श्रम-व्यवस्था के विचाराधीन आकाशवाणी के कर्मचारी-कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्ट) के मामले

2639. **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री देवेन सेन :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों से सम्बन्धित कुछ मामले सरकारी श्रम-व्यवस्था के विचाराधीन है तथा आकाशवाणी के महा-निदेशक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों को स्वीकार करने वाले एक करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के प्रबन्धकों ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से अलग करके औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 का एक-पक्षीय उल्लंघन किया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

Telephones Installed in Madhya Pradesh

2640. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the present number of telephone connections installed in various districts of Madhya Pradesh, district-wise during 1968-69 and their present number also district-wise ;

(b) the present number of persons who are on the waiting list for telephone connections, district-wise ; and

(c) the number of applications for telephone connection received district-wise, during 1969 and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). A statement giving the requisite information is enclosed. Telephone connections are normally given in the order of registration and the applicants who applied during 1969 will get telephones in their turn Some of them may have already got the telephone in their turn by this time. [*Placed in Library. See* No. LT--2825/70].

Incidents of Strikes, Lock-Outs and Gheraoes in We t Bengal

2641. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 660 on the 20th November, 1969 regarding strikes, lock-outs and Gheraoes in West Bengal and state :

(a) whether the requisite information has since beed collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Complete information is not yet available and is being collected.

(b) Does not arise.

(c) As early as possible.

सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज पद्धति की कार्य प्रणाली के बारे में जांच आयोग की नियुक्ति

2642. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री सामिनाथन :
श्री मयावन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
डा० सुशीला नैयर :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री हेमराज :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जगेश्वर सिंह :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज पद्धति की कार्यप्रणाली के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने हाल में एक जांच आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्षेत्राधिकार कितना है ; और

(ग) इस आयोग के प्रतिवेदन की कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) से (ग). सरकार ने हाल ही में एक उच्चाधिकार आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है जो देश की सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करेगा। यह उक्चाधिकार आयोग अभी नियुक्त नहीं किया गया है। मोटे तौर पर यह आयोग देश के सामुदायिक विकास खण्ड संगठनों के वर्तमान ढांचे और कार्यकरण की जांच इस बात का निर्धारण करने के लिए करेगा कि इन्होंने उन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक की है जिसके लिए ये स्थापित किए गए थे ; देश की पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित कानूनों तथा विनियमों की जांच इस उद्देश्य से करेगा कि वे कहां तक बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं और पंचायती राज कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए आशोधनों, यदि कोई हों, सुझाव देगा इस बात की जांच करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं ने कहां तक स्थानीय विकास प्रशासन के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, और लोक-तंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में उनकी विशेषता में सुधार करने के लिए सिफारिशें करेगा ; यह जांच करेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के संयोगशील ग्राम समुदाय को बड़ावा देने के कार्य में कहा तक मदद अथवा रुकावट डाली है और इन संस्थाओं की लोकतंत्रीय प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देगा और इस उद्देश्य से मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा कि विभिन्न राज्यों के वर्तमान पंचायती राज अधिनियमों को सरल बनाया जा सके और उनमें एक रूपता लाई जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा खाद्य नीति का पुनरीक्षण

2643. **श्री० रा० रा० सिंह देव :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० वें० नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1970 के लिये अपनी खाद्य नीति का हाल में पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन नई नीति के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कानूनी राशन व्यवस्था तुरन्त समाप्त कर दी है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चावल और धान (उससे बने पदार्थ सहित) के संचलन पर लगे अन्तर-खंड-प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है । पहले यह राज्य छः खण्डों में बांटा गया था । पहले खंड में पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा के जिले और अन्य खण्ड में बाकी जिले आते हैं । चावल के संबंध में मिल मालिकों/व्यापारियों पर लगी लेवी की प्रतिशतता पहले व दूसरे खण्ड में घटाकर क्रमशः 80 से 50 और 80 से 25 कर दी गई है । हैदराबाद, सिकन्दराबाद और विशाखापतनम में 15-2-70 से सांविधिक राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।

(घ) ये नये पग केन्द्रीय सरकार की सहमति से उठाये गये हैं ।

मुख्य मंत्रियों और अन्य नेताओं के प्रसारणों के बारे में संसद् सदस्यों की प्रतिक्रिया

2644. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मुख्य मंत्रियों और अन्य नेताओं के प्रसारणों के बारे में संसद् सदस्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ; और

(ख) वह क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : कुछ पत्र मिले हैं तथा कुछ संसद सदस्यों ने इस विषय पर संसद के वर्तमान सत्र में प्रश्न पूछे हैं ।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि आकाशवाणी ने राज्य के शासक दल के प्रति भेद-भाव दिखाया । इन प्रसारणों के कुछ कथनों की यथार्थता तथा सत्यता के बारे में भी प्रश्न उठाये गये हैं ।

आकाशवाणी के सलेक्शन ग्रेड दो के पद

2645. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० रमानी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के क्लर्क ग्रेड दो (सलेक्शन ग्रेड दो) के अनेक पद बहुत समय से भरे नहीं गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्लर्क ग्रेड दो (सलेक्शन ग्रेड) के कितने पद स्थानापन्न तथा स्थायी 1963 से वर्षवार रिक्त पड़ें हैं ; और

(ग) उक्त रिक्त स्थानों के भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). लिपिक ग्रेड दो (सलेक्शन ग्रेड) के इस समय 3 स्थायी तथा 14 स्थानापन्न पद खाली हैं। ये पद किस किस तारीख से खाली पड़े हैं, इस बारे में जानकारी मालूम की जा रही है।

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों को कह दिया गया है कि वे इन खाली पदों को शीघ्र भरें।

आकाशवाणी को रिकार्ड प्रत्यंकन (ट्रांस्क्रिपशन) सेवा के नेहरू यूनिट की देखभाल

2646. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री के० रमानी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 से सितम्बर, 1969 तक आकाशवाणी की रिकार्ड प्रत्यंकन (ट्रांस्क्रिपशन) सेवा के नेहरू यूनिट में हिन्दी के कार्य की देखभाल करने वाले अधिकारी का नाम क्या था ; और

(ख) उक्त भाषा के पर्यवेक्षक के लिये क्या-क्या योग्यताओं की आवश्यकता है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) श्रीमती विचित्र सेन गुप्त, प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव, समस्त नेहरू यूनिट की इन्चार्ज थी, जिसमें यूनिट के अपने कार्य के अतिरिक्त हिन्दी का काम भी शामिल है।

(ख) वह हिन्दी के कार्य का ज्ञान रखती हैं तथा जहां तक इस यूनिट के हिन्दी के काम का सम्बन्ध है, उन्हें हिन्दी जानने वाले योग्य स्टाफ की सहायता भी प्राप्त थी।

आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र पर केरल के मुख्य मंत्री का प्रेस सम्मेलन

2647. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री पी० गोपालन :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र से जनवरी, 1970 में केरल के मुख्य मन्त्री के एक प्रेस सम्मेलन का प्रसारण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां के मुख्य मन्त्री ने इस सम्मेलन का उपयोग कुछ कुछ राजनैतिक दलों की आलोचना करने के लिए किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या राजनैतिक दलों के नेताओं को अन्य राजनैतिक दलों को आलोचना करने की अनुमति देना आकाशवाणी की स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस कार्य के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय फिल्मों के लिये 'सिनेरमा'

2648. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय फिल्म उद्योग में 'सिनेरमा' प्रणाली आरम्भ करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रस्ताव में विदेशी मुद्रा निहित है जिसे भारत इस काम पर फिलहाल खर्च नहीं कर सकता ।

अधिक उपय देने वाले बीज सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये केन्द्र

2649. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज संबंधी कार्यक्रम के लिए चुने गये जिलों में किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये 10 और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों तथा जिलों में ये केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों के लिये जिले किस आधार पर चुने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जिन राज्यों तथा जिलों में ये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं उनके नाम संलग्न हैं ।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान-निर्धारण करने के लिये जिलों का चुनाव करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(i) यह एक अधिक उत्पादन-शील किस्मों के कार्यक्रम का जिला होना चाहिये ।

(ii) यह रेडियो स्टेशन के क्षवरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित होना चाहिये ।

(iii) यह किसी कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र या कृषि विश्वविद्यालय के काफी समीप होना चाहिये ।

(iv) जिले में इसी प्रकार की सुविधा का एक विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिये ।

(v) इसमें क्रियाशील साक्षरता की आवश्यकता होनी चाहिये ।

अंतिम चुनाव सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र का स्थान	अलाट किये गये केन्द्रों की संख्या
1.	असम	अरूनाचल, जिला काचर	1
2.	गुजरात	थारसा, जिला कैरा	1
3.	हरियाणा	हिसार, जिला हिसार	1
4.	केरल	तालिपरम्बा, जिला कान्नानौर	1
5.	तमिलनाडु	कोविलपट्टी, जिला तिरूनेलवेली	1
6.	उड़ीसा	भादरक, जिला बालासोर	1
7.	राजस्थान	भरतपुर, जिला भरतपुर	1
8.	उत्तरप्रदेश	फैज़ाबाद, जिला फैज़ाबाद	1
9.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार, जिला कूच बिहार	1
10.	पांडिचेरी	पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	1
		योग :	10

भारत में खण्ड विकास कार्यक्रम की कार्य-प्रणाली के बारे में अध्ययन

2650. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में इस समय खण्ड विकास कार्यक्रम चल रहा है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में इन खण्डों के सफल अथवा अन्यथा कार्यकरण के बारे में पूरा अध्ययन करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से अपने अपने राज्यों में इन खण्डों के कार्यकरण की पूरी विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में इन खण्डों के कार्यकरण के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) इस समय लकादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीवि द्वीपसमूहों को छोड़कर सामुदायिक विकास कार्यक्रम सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में चल रहा है ।

(ख) जी हां । इस बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2642 के आज दिए गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खेति-हर मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय में कमी

2651. **श्री सीताराम केसरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ये खेतिहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 18 वें दौरे के दौरान 1963-64 में हुई ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार खेतिहर परिवार की प्रति व्यक्ति आय 147.69 रु० प्रति वर्ष थी, जबकि इसकी तुलना में द्वितीय कृषि श्रमिक जांच के अनुसार 1956-57 में यह 39.40 रु० थी ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दशा को सुधारने के लिए किए गये विकास कार्यों से खेतिहर श्रमिकों को लाभ पहुँचेगा । पिछले वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं आदिम-जातियों के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं से भी उन्हें कुछ लाभ होगा । इसके अतिरिक्त, आवास, प्रशिक्षण, सहकारी समितियों, ग्राम उद्योगों आदि के लिए विशेष योजनाओं की व्यवस्था से भी उनकी दशाओं में सुधार होगा ।

(ग) और (घ). न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में कृषि रोजगार के लिए न्यूनतम मजूरी पहले ही निर्धारित की जा चुकी है ।

उर्वरक संवर्धन परिषद्

2652. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित उर्वरक संवर्धन परिषद् अपना कार्य कब आरम्भ करेगी ;

(ख) प्रस्तावित परिषद् में कौन-कौन से निकायों/व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा ;

(ग) क्या 1970-71 में परिषद् के लिये बजट में राशि नियत करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो परिषद् के लिये कल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारत सरकार और उर्वरक उद्योग के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में **फर्टिलाइजर प्रोमोशन कौंसल** स्थापित करने का प्रस्ताव विचार अधीन है। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है आशा है परिषद् 1970-71 के आरम्भ में कार्य शुरू कर देगी।

(ग) और (घ). उर्वरक वर्धन के लिये 1970-71 के बजट अनुमानों में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। परिषद् के लिये कितना धन नियत किया जायेगा यह विषय विचाराधीन है।

खाद्य उपभोग तथा आत्म निर्भरता

2653. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री वज भूषण लाल : **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सम्पूर्ण देश में खाद्यान्नों की कुल कितनी खपत होने का अनुमान है ; और

(ख) सरकार ने आत्म निर्भर बनने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खपत के सम्बन्ध में किसी वैज्ञानिक तथा व्यापक सर्वेक्षण के अभाव में और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि खाद्यान्नों तथा अन्य प्रतिस्थापक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तर, आबादी की वृद्धि, शहरीकरण आदि पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों की आवश्यकतायें भी कुछ हद तक अनिश्चित है, किसी उल्लिखित वर्ष के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकताओं/खपत का मात्रात्मक अनुमान ठीक लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन में तेजी से पर्याप्त वृद्धि करने के लिए 1966-67 से कृषि विकास के सम्बन्ध में एक नई नीति शुरू की गई है और चौथी पंच वर्षीय योजना में इस नीति के अन्तर्गत प्रयत्नों को और गतिमान किया जा रहा है। 'नई नीत' निम्नलिखित मुख्य बातें सम्मिलित

हैं : अधिक क्षेत्र में अधिक उत्पादनशील किस्म के कार्यक्रम को लागू करना, बहुद्देश्यीय फसल, सघन खेती के लिए लघु सिंचाई का विकास उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा कीटनाशक औषधियों आदि आदानों की आयोजित व्यवस्था, संस्थात्मक धन सहित सामयिक तथा उदार ऋण सुविधायें, किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा विस्तार का तीव्रीकरण ।

वनस्पति घी के मूल्य पर नियन्त्रण

2654. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री बृज भूषण लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल्दी ही वनस्पति घी के मूल्यों पर नियंत्रण करेगी जो मनमाने ढंग से बढ़ा दिये गये हैं और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ;

(ख) क्या कारण है कि सरकार वनस्पति घी के मूल्यों पर नियंत्रण करने की बजाय तेलों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं करती है ; और

(ग) सरकार को किन-किन वनस्पति घी निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वनस्पति के मूल्यों को पहले ही कानूनी तौर से नियंत्रित किया जा रहा है । अधिसूचित मूल्यों का पालन करवाने हेतु भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ख) पर्याप्त मात्रा में तेल असंगठित क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है जिनमें ग्रामीण घानियां है जोकि देहातों में दूर-दूर तक फैली हुई हैं और इसलिए तेल के मूल्यों को नियंत्रित करना व्यवहार नहीं पाया गया है । तथापि, तिलहन तथा तेलों के प्रति बैंक पेशगियों पर ऋण लेने पर प्रतिबंध लगाकर तथा आयात आदि से देसी माल की सप्लाई में वृद्धि कर तेलों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) किसी भी बनस्पति निर्माता के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

Agricultural Exhibitions

2655. **Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :**

(a) the number of Agricultural exhibitions organised by Government in the entire country during the year 1969 with a view to educating farmers in scientific technique of cultivation and sowing improved seeds ;

(b) the number of farmers who visited the improved Government Agriculture farms at Government expenditure ; and

(c) the nature of effect the said eflorts had on agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) During the year 1969, the Directorate of Extension in the Department of Agriculture took part in 83 exhibitions ; out of these 23 were participations in exhibitions organised by the State Governments/private organisations 56 were independent exhibitions put up by the Directorate in rural and urban areas. These are in addition to those organised by the State Agricultural Departments and Agricultural Universities.

(b) At present there is no scheme operated by the Government of India under which the farmers are conducted to agricultural farms/research stations at Government expenditure.

However, for conducting tours of farmers to the agricultural farms/research stations, a provision has been made in the revised scheme of Farmers Training and Functional Literacy to be implemented from the next Financial year.

(c) Exhibitions enable the farmers to know improved methods of farming, involving High-yielding varieties of crops, multiple cropping, horticulture, poultry and animal husbandry. Besides, the farmers are also made aware of the recent advances in agriculture and animal husbandry that are taking place in different parts of the country. Being a strong visual medium, these exhibitions help in making the farmers interested in the adoption of improved cropping and animal husbandary practices. The effect is reflected in the increasing trend in country's agricultural production.

Extension of Television to Cities during Fourth Five Year plan

2656. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of various cities and areas where Government propose to extend television service during the Fourth Five-Year Plan ;

(b) the various subjects about which it has been decided to accord priority in the display under the display under the said service ; and

(c) the subjects proposed to be included in the said programme particularly for the students ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narain Sinha) : (a) Bombay, Calcutta, Madras, Srinagar and Kanpur/Lucknow and expansion of existing facilities at Delhi.

(b) and (c). The primary purpose of TV service would be education, both social and formal, ar d information. The programmes would also cater to the needs of special groups like students, farmers etc. However, the question of priority to be accorded to any programme would arise after the proposed TV stations have come into existence.

Production of Groundnut in Rajasthan

2657. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the funds spent on the schemes being implemented for achieving maximum production of groundnuts in various parts of the country ?

(b) the area of land earmarked for intensive cultivation of groundnuts during this year in Rajasthan under the above scheme ; and

(c) the comparative details of last years' expenditure and production under the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, community Develoment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The funds spent on the Centrally Sponsored Scheme for Maximised Production of Groundnut being implemented in various States since 1966-67, are indicated below :—

Year	Funds spent (Rs.)
1966-67	6,01,000/-
1967-68	41,01,152/-
1968-69	37,13,420/-

(b) During 1969-70, intensive cultivation of groundnuts in Rajasthan under the above scheme had been taken up in the following districts :—

District/Unit	Area target (Hectares)
1. Chittorgarh	8,000
2. Udaipur	4,000
3. Bhilwara	4,000

In addition, groundnut has been introduced as a new crop under the above scheme during 1969-70 in Rajasthan, Gang and Bhakra Canal areas in the following districts :—

District/Unit	Area target (Hectares)
1. Hanumangarh	2,000
2. Sriganganagar	2,000

(c) A total expenditure of Rs. 37,13,420/- was incurred on the said scheme during 1968-69 ; the additional achieved being 3,79,655 tonnes.

Resentment Among the Employees of Telephone Department, Jaipur

2658. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that resentment prevails in the Telephone Department of Jaipur due to the transfer of employees ;

(b) whether it is also a fact that reports have appeared in the news-papers to the effect that some employees have been transferred under pressure ; and

(c) if so, the measures adopted by Government to improve this situation, to remove the resentment prevalent in the said department and also to tone up the efficiency of the Department ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). No. There has been nothing of the kind in the knowledge of the Department.

(c) In view of reply to (a) and (b) above question does not arise.

आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में ऐसगांव पुनर्वास परियोजना में बसाये गये शरणार्थी

2659. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री नम्बियार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में ऐसगांव पुनर्वास परियोजना में अब तक कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ;

(ख) क्या इन शरणार्थियों द्वारा उगाई गई फसलों से उनकी आय का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपपत्तियां हैं ?

(ग) क्या इन शरणार्थियों ने कहीं अन्यत्र और अच्छे क्षेत्र में उन्हें बसाये जाने की मांग है : यदि हां, तो उसके क्या कारण बताये गये हैं ; और

(घ) उनकी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) लगभग 963 परिवार ।

(ख) जी, हां । सूचना मिली है कि, आन्ध्र प्रदेश में अत्यन्त सूखे और/या अनियत वर्षा के बावजूद, पहले तथा दूसरे जत्थे के परिवारों ने 1968 के खरीफ काल के अन्तर्गत क्रमशः 818 रुपये तथा 482 रुपये की और 1969 के खरीफ काल के अन्तर्गत क्रमशः 920 रुपये और 633 रुपये की, औसत आय प्राप्त की थी ।

(ग) जी, हां । बताये गये कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) खेती के लिए भूमि का उपयुक्त न होना, और

(ii) सिंचाई सुविधाओं की कमी ।

(घ) क्योंकि अन्य स्थानों में उपयुक्त अच्छी प्रकार की फालतू भूमियां उपलब्ध नहीं है इसलिये शरणार्थियों की अन्य क्षेत्र में पुर्नव्यवस्थापन की मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हो पाया है । तथापि, इस गांव परियोजना में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने और भूमियों का भी सुधार करने, के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ; वह भूमियां घटिया तो हैं परन्तु मूल रूप में खेती के लिए अनुपयुक्त नहीं पाई गई हैं ।

घटिया किस्म की राशन की चीनी

2660. **श्री तुलसी दास जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राशन में दी जाने वाली चीनी बहुत घटिया किस्म की है ; और

(ख) उसकी किस्म में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : चीनी कारखानों द्वारा नियंत्रित वितरण के लिए घटिया किस्म की चीनी सप्लाई करने से संबन्धित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

(1) 1969-70 के सीजन से भारतीय चीनी मानक (आई० एस० एस०) की कम से कम रंग श्रृंखला 27 को समाप्त कर दिया गया है।

(2) 1970-71 के सीजन से आई० एस० एस० की रंग श्रृंखला 28 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(3) चीनी निरीक्षक अपने दौरे के समय कारखानों के पास खड़े चीनी के स्टाक से तथा भेजे जा रहे माल से चीनी के नमूने लेकर चीनी के श्रेणीकरण की जांच करते हैं।

नियंत्रित वितरण के लिए लेवी चीनी की सप्लाई के आदेशों में यह प्रावधान करने का विचार है कि सप्लाई की गई चीनी आई० एस० एस० की 29 रंग श्रृंखला के निचले स्तर की नहीं होगी।

दिल्ली में राशन की दुकानों में अच्छे किस्म का गेहूँ न मिलना

2661. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की दुकानों पर काफी समय से अच्छे किस्म का गेहूँ नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि समाचार पत्रों में विशेषतया कई बार ऐसा प्रकाशित हुआ है कि राशन की दुकानों पर अच्छी किस्म का गेहूँ मिलने लगेगा ; और

(ग) लोगों को राशन की दुकान पर कब से अच्छा गेहूँ मिलने लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के लिए भुगतान न किया जाना

2662. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालवीय नगर, नई दिल्ली में ऐसे मकान बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनकी पूरी कीमत का सरकार को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मकानों के वास्तविक मालिक उपलब्ध नहीं है या उनका पता नहीं जगाया जा सका है और वे मकान अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस बारे क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या वहां कुछ प्लाट खाली पड़े हैं; और यदि हां, तो सरकार का विचार उनका कैसे उपयोग करने या बेचने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वहां ऐसे 217 मकान हैं जिनका पूरा मूल्य अलाटियों द्वारा अदा नहीं किया गया है । इन 217 मकानों का कुल मूल्य 5,59,500.00 रुपये है और वसूल करने वाली शेष राशि 1,54,000.00 रुपये है ।

(ख) ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं है जिसमें वास्तविक अलाटी उपलब्ध न हो या उसका पता न हो ; न ही यह नोटिस में आया है कि कुछ मकानों पर अनधिकृत कब्आ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, हां । इन प्लाटों का निपटान नीलाम/टैन्डर द्वारा करने का प्रस्ताव है ।

सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम से प्रसारण का अवर दिया जाना

2663. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० पो० एस्थोस :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने हाल ही में अपने नेतृत्व में दिये गये आन्दोलन के बारे में आकाशवाणी से अपने विचार व्यक्त करने और उक्त आन्दोलन के बारे में केरल के परिवहन मंत्री के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए अवसर मांगा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). राज्य परिवहन मन्त्री का प्रसारण, जिसके बारे में एसोसियेशन के प्रधान ने उत्तर देना चाहा था, कार्यकर्त्ताओं तथा जनता के लिए एक अपील के रूप में था तथा उसमें हड़ताल के लिए किसी राजनैतिक दल या समूह के जिम्मेदार होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था एसोसियेशन के प्रधान को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । अतः उन द्वारा उत्तर दिया जाना जरूरी नहीं समझा गया ।

अवैधित बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बारे में संसद सदस्य की प्रतिक्रिया का आकाशवाणी द्वारा सैंसर किया जाना

2664. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बलराज मधोक :
श्री मृत्युन्जय प्रसाद :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य-सभा में प्रतिपक्षी नेता ने विरोध व्यक्त किया है कि बैंक राष्ट्रीयकरण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उसमें आकाशवाणी द्वारा काट-छांट की गई थी ;

(ख) क्या वह आकाशवाणी के निर्णय से सन्तुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र में बनस्पति घी उत्पादक एकक की स्थापना

2665. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में वनस्पति घी के कुछ उत्पादन एकक स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की घोषणा कब तक की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में बसे विदेशों से आये शरणार्थी

2666. **श्री सामिनाथन :**
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये तथा यहां अब तक बसे कुल शरणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से भारत में आये अब तक कुल कितने शरणार्थियों को बसाया गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों का बसाया जाना अभी बाकी है ;

(ग) कुल कितने तिब्बती शरथार्थियों को बसाया गया है और कितते शरणार्थियों को अभी बसाया जाना है ;

(घ) तिब्बती शरणार्थियों पर कुल कितना वार्षिक खर्च होता है ; और

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भी उन्हें सहायता दे रहा है और यदि हाँ तो कितनी सहायता दे रहा है ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 31 मार्च, 1958 तक पूर्वी-पाकिस्तान से लगभग 41.17 लाख शरणार्थी भारत आये थे । 1964 के प्रारम्भ में शरणार्थियों का नया प्रवाह शुरू हुआ और, प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1969 तक 8.54 लाख व्यक्ति भारत आये हैं ।

(i) पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट कार्य के अतिरिक्त, जोकि अभी शेष है, 31 मार्च, 1958 तक आये हुये शरणार्थियों के बारे में पुनर्वास कार्य 1960-61 तक प्राय: समाप्त हो चुका था ।

(ii) उन शरणार्थियों में से, जोकि 1964 या उसके बाद आये, जिन्होंने सरकार से राहत तथा पुनर्वास सुविधाओं की मांग की और जिन्हें शिविरों में प्रवेश दिया गया, अब तक लगभग 40,000 परिवारों को भूमि पर और उद्योगों, छोटे-मोटे कार्य तथा व्यापार इत्यादि में बसाने के लिए पुनर्वास सहायता दी गई है ।

(ख) अब तक बर्मा, श्रीलंका तथा मोजाम्बिक से लगभग 1.94 लाख भारतीय भारत आये हैं । इनमें से, व्यापार ऋणों, कृषि भूमि की अलाटमेंट, आवास के लिये प्लाटों इत्यादि के रूप सहायता लगभग 43,640 परिवारों (लगमग 1.53 लाख व्यक्तियों) को प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त, रोजगार (अनियत रोजगार को मिलाकर) बर्मा से स्वदेश लौटे 14,022 भारतीयों को दिलाया गया है । इससे लगभग 27,000 भारतीय (लगभग 7720 परिवार) बच जाते हैं ।

अब तक, 23,000 से अधिक तिब्बती शरणार्थियों को कृषि, लघु-उद्योगों तथा दस्तकारियों में बसाया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग 19,000 तिब्बती शरणार्थियों को बसाना शेष है ।

(घ) भारत सरकार द्वारा तिब्बती शरणार्थियों पर किये गये खर्च की वर्ष-बार राशि नीचे दी गई हैं ;

1959-60	16.36	लाख रुपये
1960-61	37.01	,,
1961-62	42.05	,,

1962-63	62.44	,,
1963-64	87.44	,,
1964-65	93.61	,,
1965-66	94.89	,,
1966-67	94.75	,,
1967-68	95.07	,,
1968-69	101.54	,,
	योग 725.16	लाख रु०

इसके अतिरिक्त, तिब्बती शरणार्थियों के भारत में पुनर्वास के लिए विभिन्न विदेशी ऐच्छिक संस्थाओं तथा सरकारों ने 1959 से लेकर 1969 के अन्त तक 3,45,68,000 रुपये का योग दिया है ।

(ङ) जी, हां । शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर, अन्य ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से, भारत में तिब्बत के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए धन राशि प्रदान करते रहे हैं; उन्होंने 1969 तथा 1970 के बजटों में भी इस प्रयोजन के लिए तीन लाख अमरीकी डालरों की व्यवस्था की है ।

फिल्म्स-डिविजन के मुख्य ध्वनि इंजीनियर

2667. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म्स डिवीजन के वर्तमान ध्वनि मुख्य इंजीनियर की अर्हतायें क्या हैं और क्या वह लोक संघ सेवा आयोग के सम्मुख उपस्थित हुए थे ;

(ख) ध्वनि इंजीनियरिंग संस्थाओं और फिल्म संस्था से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की पूर्णतया उपेक्षा कर ध्वनि इंजीनियरों के पदों पर सामान्यतया आकाशवाणी के तकनीशनों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्म्स डिवीजन एक ऐसा संगठन है जो समाचार-दर्शन और वृत्त चित्त जैसे लघु चित्र बना रहा है, क्या सरकार उन व्यक्तियों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी जिन्हें फिल्म निर्माण और फिल्म ध्वनि रिकार्ड करने सम्बन्धी योग्यताएं प्राप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) वर्तमान चीफ साउण्ड इंजीनियर की अर्हता बी० एस० सी०, डी-2 एस० सी० है । उनके संघ लोक सेवा आयोग

के सम्मुख उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भर्ती नियमों के अनुसार इस पद को केन्द्र इंजीनियर ग्रेड के उपयुक्त अधिकारियों या इनके न मिलने पर आकाशवाणी के इंजीनियर वर्ग के सहायक केन्द्र इंजीनियरों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना होता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होती) प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत है।

(ख) यदि प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा पद को भरना सम्भव न हो तो इसको सीधी भर्ती द्वारा पद को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जाने पर फिल्म इंस्टीट्यूट तथा अन्य संस्थानों के डिप्लोमा-होल्डर पद के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(ग) तथा (घ). जी, हां। यदि वे भर्ती नियमावली में निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों तथा लोक सेवा आयोग इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दे।

इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

2668. **श्री नम्बियार :** **श्री के० रमानी :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रश्न को द्विपक्षीय वार्ता और समझौते के लिए राज्य सरकारों को भेजने से पूर्व केन्द्रीय मजदूर संघों से सलाह ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उनसे इस बारे में क्या सलाह ली गई थी और किन-किन मजदूर संघों से सलाह ली गई थी ; और

(ग) इस मामले में प्रत्येक संघ ने क्या-क्या रुख अपनाया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर पहली मार्च, 1969 को बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें अन्यों के साथ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) और हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) उसका सामान्यतः यह मत था कि मजूरी बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मजूरी-विन्यास स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

Acquiring of Land by All India Radio Aligarh for Staff Quarters

2669. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Harijan farmers of village Jamalpur (Aligarh), whose land is being acquired by All India Radio, Aligarh for constructing staff quarters, have sent in any representation to Government ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri S. N. Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) The lands are being acquired under the Land Acquisition Act and adequate compensation will be awarded.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी खेती संगठन को अनुदान तथा ऋण

2670. **श्री राम चरण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा चलाई गई सहकारी खेती संगठनों को वर्ष 1969-70 में कुल कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये ; और

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के किसानों के मामलों पर क्या विशेष रियायतें दी गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी खेती समितियों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है । सहकारी खेती समितियाँ योजना के राज्य क्षेत्र में आती हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता 'ब्लाक' ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Purchase of Milk Powder by Delhi Milk Scheme

2671. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme are purchasing milk from various companies in the country and abroad for preparing milk ; and

(b) if so quantity of such milk purchased and the names of firms from whom it was purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development of Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Delhi Milk Scheme is using only imported skim milk powder for recombination into milk, when there is shortage of normal milk supplies. The import of skim milk powder is arranged by the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(b) The following quantities of skim milk powder were allotted to Delhi Milk Scheme during the last 12 months :

Agency	Quantity		Source
Through National Dairy Development Board, Anand.	Already received	946.025	New Zealand Dairy Board
	In transit	1025.975	—do—
	Total	1972.000 (Long tonnes)	
Through World Food Programme of United Nations (as GIFT)		1140.000 (Metric tonnes)	

Conversion of Reserved Posts into General Posts

2672. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1662 on the 27th November, 1969 regarding conversion of reserved posts into General posts and state :

(a) whether the requisite information in regard to other posts in various departments of his Ministry has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) Does not arise.

STATEMENT

(i) One temporary post of Production Manager in the Directorate of Advertising and Visual Publicity which was initially Class II (Gazetted) was reserved for a Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate if such a candidate was available otherwise it was to be treated as unreserved. As at the time of recruitment suitable candidate was not available, Union Public Service Commission appointed a candidate who was not a Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate. Later on the post was upgarded to Class I with effect from 3rd May, 1963. It was converted into a permanent post with effect from 7th June, 1966. Before the incumbent working agaist the post was made permanent, the case was referred to Ministry of Home Affairs for its being treated as unreserved. Ministry of Home Affairs on 6th June, 1969 agreed to the de-reservation of the vacancy subject to the reservation being carried forward to two recruitment years.

(ii) One post (Class I) of Deputy Director in the Films Division reserved for Scheduled Caste had been de-reserved with the approval of the Ministry of Home Affairs when Union Public Service Commission had recommended that they could not find a suitable Scheduled Caste candidate for the post.

(iii) One post each of Stenographer and Mechanic in A. I. R. reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes respectively had to be get dereserved from Ministry of Home Affairs as no candidate belonging to a reserved community was forthcoming.

रानीगंज-आसनसोल कोयला पट्टी के श्रमिकों द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त आसनसोल के समक्ष प्रदर्शन

2674. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री भगवान दास : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी 1970 को रानी गंज आसनसोल कोयला पट्टी के हजारों कोयला खान श्रमिकों ने कोलियरी मजदूर सभा रानीगंज के नेतृत्व में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) के समक्ष प्रदर्शन किया था ; यदि हां, तो मजदूरों की मांगें क्या थीं ;

(ख) प्रत्येक मांग पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कब तक निर्णय करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डा० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण, जिसमें मांगें और उनके अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति दर्शाई गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2826/70]

वर्ष 1973-74 के अन्त तक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य

2675. **श्री ज्योतिर्मय बसु** ; क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973-74 के अंत तक 1290 लाख मीटरी टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उक्त लक्ष्य कैसे प्राप्त करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । चौथी योजना में 1290 लाख मीटरी टन खाद्यान्नें के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है जो 1973-74 तक प्राप्त करना है ।

(ख) यह लक्ष्य सन् 1966-67 से अपनाई गई कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को गतिमान करके प्राप्त किया जाना है । मुख्य लक्ष्यों में निम्न कार्य सम्मिलित किए गए हैं : 74 लाख हैक्टार नए क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, 56 लाख हैक्टार क्षेत्र में भूमि संरक्षण उपायों को अपनाना, 10 लाख हैक्टार भूमि क्षेत्र का सुधार, 1973-74 तक 92 लाख हैक्टार के वर्तमान स्तर से 25 लाख हैक्टार भूमि में खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती को बढ़ाना, 90 लाख हैक्टार भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र के आवरण के लिए बहुद्देश्यीय फसलें उगाना । लगभग 20.8 लाख मीटरी टन पौष्टिक तत्वों से बढ़कर 55 लाख मीटरी टन के पौष्टिक तत्व तक उर्वरक की खपत में वृद्धि और पौद रक्षा उपायों का अधिक क्षेत्र में लागू करना जो 197 -74 तक 100 लाख हैक्टार हो जायेगा । ऋण की पूर्ति में जिनमें संस्थात्मक धन, जल प्रबन्ध की ओर ध्यान देना, प्रोत्साहन मूल्यों को सुनिश्चित करना, और अनुसंधान, विस्तार, किसानों की शिक्षा और अन्य अवस्थायनात्मक सहायता को सुदृढ़ करना सम्मिलित है, भारी वृद्धि करके विकास प्रयासों को प्रर्याप्त सहायता दी जा रही है । ये उपाय खाद्य उत्पादन की विशेष रूप से सहायता देने के अतिरिक्त वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की वृद्धि में भी सहायक हैं ।

बिहार के धनबाद जिले में स्थित धौरी कोयला खान

2676. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में धनवाद स्थित धौरी कोयला खान राजा रामगढ़ की है ;

(ख) क्या अब इस कोयला खान के मामलों का प्रबन्ध बिहार सरकार द्वारा नियुक्त 'रिसीवर' के हाथ में है ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो (1) कोयला खान में कुल कितने श्रमिक काम करते हैं ; (2) क्या वे सभी ठेकेदारों के अधीन ठेका श्रमिकों के रूप में काम करते हैं ; (3) उनमें से कितने श्रमिक स्थायी हैं ; (4) श्रमिकों के सेवा की शर्तों के बारे में प्रबन्धकों द्वारा बनाये गये नियम तथा विनिमय क्या हैं ; (5) अस्थायी श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रही है कि कोयला खान श्रमिकों की भर्ती ठेकेदारों के माध्यम से करने के बजाय सीधी की जाये ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). 10-10-69 से पहले धौरी कोयलाखान रामगढ़ के राजा चला रहे थे और उसके पश्चात् यह हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर जिनको हजारीबाग के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा प्राप्त नियुक्त किया गया है ; की देख-रेख में चल रही है।

(ग) (1) कोयलाखान के कुल श्रमिकों की संख्या 2180

(2) 80 श्रमिकों सीधे प्रबन्धकों के अधीन हैं और 2100 श्रमिक ठेकेदारों के अधीन हैं ।

(3) लगभग 1000 श्रमिक स्थायी हैं ।

(4) सेवा की शर्तें जैसी कि कोयलाखान के प्रमाणित स्थाई आदेशों में निहित हैं, कायम रखी जाती हैं ।

(5) अस्थायी श्रमिकों को नियमित बनाने के लिए 'रिसीवर' द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) यह मामला न्यायालय के समक्ष है, अतएव अब तक हक के मुकदमे का निर्णय नहीं होता, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था, दरभंगा हाउस, रांची द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों को दिया गया हड़ताल का नोटिस ।

2677. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन (भारत सरकार) कर्मचारी संस्था दरभंगा हाउस रांची द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों को दिये गये हड़ताल के नोटिस के परिणाम-स्वरूप समझौते की बातचीत 6 नवम्बर, 1969 को असफल रही थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते की बातचीत के असफल होने का कारण यह था कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों ने उनकी कोई भी मांग मानने से इन्कार कर दिया था ;

(ग) क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त धनबाद ने मध्यस्थ का काम जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम में परिभाषा दी गई है नहीं किया था ;

(घ) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था के महासचिव ने 7 नवम्बर, 1969 को जारी किये गये एक प्रेस वक्तव्य में विचार व्यक्त किया है कि समझौते की सम्भावना तथा हड़ताल न होने देने की संभाव्यता अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक तथा अधिकारियों की जो वास्तव में एक मैत्रीपूर्ण समझौते के इच्छुक हैं कारगरता पर पूरी तरह निर्भर हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा हड़ताल न होने देने तथा एक मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को 30-9-1969 को 35 मांगों का एक हड़ताल नोटिस दिया था। 15-10-69 से 5-11-69 के बीच विभिन्न तिथियों को समझौता कार्यवाही की गई। समझौता अधिकारी द्वारा प्रयास किये जाने पर भी, दोनों पक्षों द्वारा अपनाये गये रुखों का कोई ऐसा समन्वयात्मक हल न निकल सका जो दोनों को मान्य हो और इसलिए समझौता कार्यवाही असफल हो गयी।

(घ) जी हां।

(ङ) राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ की मांगों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अध्यक्ष तथा वित्तीय निदेशकों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ 10,11 और 13 नवम्बर, 1969 को विचार-विमर्श किया। इसके अधिकांश मामलों के सम्बन्ध में समझौता हो गया। फलस्वरूप, यूनियन ने आन्दोलन का अपना कार्य-क्रम छोड़ दिया है और अब हड़ताल की कोई आशंका नहीं है।

दिल्ली और मुदुरै के बीच सीधा टेलीफोन कनेक्शन

2678. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मदुरै और नई दिल्ली के बीच सीधा ट्रंक टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने के बारे में विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सीधा कनेक्शन कब से चालू हो जायेगा और उस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). मदुराई का सम्बन्ध 1971 के दौरान मद्रास के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़े जाने की सम्भावना है। इससे मदुराई के उपभोक्ता मद्रास, बंगलौर और कोयम्बतूर के उपभोक्ताओं को सीधे डायल कर सकेंगे।

दिल्ली और मद्रास में ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की परियोजना लागत क्रमशः लगभग 84 और 47 लाख रुपये हैं। मदुराई में स्विचिंग उपस्कर लगाने की अनुमानित लागत लगभग एक लाख रुपये होगी। मद्रास और नई दिल्ली के ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के बीच परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाने से मदुराई और दिल्ली के बीच सीधी डायलिंग सम्भव हो जायेगी। फिर भी दिल्ली और मद्रास के बीच स्विचिंग उपस्कर और लम्बी दूरी के परिपथों की कुछ सीमाए हैं, जिन पर काबू पाया जा रहा है। तब तक के लिए प्रत्येक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से कुछ मार्गों पर क्षेत्रीय आधार पर सीधे डायल करने की व्यवस्था की जा रही है।

पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के बारे में जांच

2679. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का आदेश कब दिया गया और उनके नाम क्या हैं तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) जांच कार्य की प्रगति का ब्यौरा और विलम्ब के कारण क्या हैं तथा जांच पूर्ण कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) अभिलेख की जांच और जिन सदस्यों से पूछ ताछ की गई है उसका ब्यौरा क्या है तथा जांच कब पूर्ण हो जायेगी ;

(घ) क्या विशेष लेखा परीक्षा करने तथा अभियोग चलाने का विचार है यदि नहीं, तो कारण ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दोषी पदाधिकारियों को निलम्बित करने का है। यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली की संरचना, कार्यकरण तथा आर्थिक स्थिति की सांविधिक जांच करने का आदेश 16-10-1969 को बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 की धारा 43, जो दिल्ली के केन्द्रशासित क्षेत्र में लागू है, के अन्तर्गत दिया गया था। उस समय इस समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य निम्न व्यक्ति थे।

1. श्री गोविन्द राम ग्रोवर, अध्यक्ष
2. श्री एस० एस० जैन, उपाध्यक्ष
3. श्री शाम लाल कोहली, उपाध्यक्ष
4. श्री एम० पी० जैन, सचिव

5. श्री के० एम० जैन, खजांची

6. श्री टी० सी० जैन, सदस्य

7. श्री लेख राम, सदस्य

(ख) से (ङ). जांच रिपोर्ट पंजीयक, सहकारी समितियाँ, दिल्ली को 25-2-1970 को प्रस्तुत की गई है और उनके विचाराधीन है। उस पर आगे की कार्यवाही पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन जो इस प्रयोजन के लिए सांविधिक प्राधिकारी हैं, द्वारा की जायेगी।

राज्यों द्वारा इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

2680. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरी उद्योग के लिए मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ सरकारों ने इन सिफारिशों को क्रियान्विति करने के लिए अभी तक कार्यवाही नहीं की है, यदि हां, तो उनके नाम क्या है ; और

(ग) इन राज्य सरकारों ने सिफारिशें क्रियान्वित करने के यदि कोई कारण बताये हैं तो वे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) मजूरी बार्ड की सिफ़ारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा होना अभी शेष है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए एक केन्द्रीय कोष बनाना

2681. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिए 50 करोड़ रुपयों का एक केन्द्रीय कोष बनाने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या यह सुझाव भी दिया गया है कि यह कोष प्रत्येक राज्य में औद्योगिक विकास निगमों के सहयोग से एक राष्ट्रीय शिक्षित युवक रोजगार निगम द्वारा चलाया जा सकता है ;

(ग) क्या यह सुझाव भी दिया गया है कि यह योजना राज्य सरकार के प्राधिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित की जानी चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं और क्या निर्णय किए गये हैं ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग). सरकार ने इस बारे में समाचार पत्र में खबर देखी है।

(घ) इन सुझावों के बिना भी, शिक्षित नौजवानों सहित, बेरोजगार लोगों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने का प्रश्न निरन्तर सरकार के विचाराधीन बना हुआ है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें पूरी न होने पर उनके द्वारा किया जाने वाला आन्दोलन

2682. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्टों ने अपनी माँगों पर जोर देने के लिए आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है, जैसा कि आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट संघ के महा मन्त्री ने बताया है ;

(ख) क्या उक्त संघ की मांगों को अगस्त, 1968 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनकी मांगों की ओर शीघ्र ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी इस आशय की कुछ खबरों को देखा है।

(ख) से (घ). स्टाक आर्टिस्टों की यूनियनें तथा एसोसिएशनें समय-समय पर विभिन्न मांगें करती आ रही हैं। इसमें से कुछ को मान लिया गया है ; कुछ पर जिनके ऊपर अन्य मन्त्रालयों आदि की सलाह से बारीकी से विचार किया जा रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोई परिहार्य देरी नहीं हुई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हैलीकौप्टर डाक सेवा चलाना

2684. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में हैलीकौप्टर डाक सेवा आरम्भ की गई है ; और

(ख) चौथी पंचवषीय योजना में किन किन क्षेत्रों में इसके आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना, प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए चण्डीगढ़ और किलौंग के बीच

16-2-70 से एक हैलीकोप्टर डाक सेवा शुरू की गई है। यह सेवा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही सेवा की फ़ालतू क्षमता का उपयोग करेगी। यह सेवा केवल सर्दियों के दिनों में ही चालू रहेगी, जब कि रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका रहता है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम के मिर्जा पहाड़ी जिले में डाक ले जाने के लिये हैलीकोप्टर डाक सेवा शुरू किये जाने की सम्भावना है।

चल-चित्र निगम की स्थापना

2685. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक चल-चित्र निगम बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चल-चित्र उद्योग ने उन्हें निगम के उद्देश्य बताने के लिये सरकार से एक रूपरेखा जारी करने के लिये कहा है ; और

(ग) क्या चल-चित्र उद्योग ने चल-चित्र निगम के स्थापना के विचार का न्यूनाधिक विरोध भी किया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां। फिल्म परिषद् को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। फिल्म उद्योग के अधिकांश सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। तथापि, उद्योग की एक शाखा ने इस विचार का विरोध किया है।

Pamphlet Published by U. N. O. on Producing High Yielding Varieties of Seeds

2686. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether U. N. O. has published some pamphlet on producing high yielding varieties of seeds if so, the broad features of the said pamphlet ;

(b) the benefits likely to accrue to the small farmers as a result thereof ; and

(c) the facilities likely to be provided in getting the said pamphlet and whether it would be available in the market ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The Food and Agriculture Organization of the United Nations have produced a publication entitled 'Control of Production and Distribution of Seeds, which gives technical guideline for establishing an effective organization to control the production and distribution of seed, with particular reference to seed legislation. Some of the High-lights of the publication are that this provides useful information about selection of seed growers, basis of certification, qua l ty control and requirements of legislation for seed distribution and marketing and suggestis guidelines for enforcement and regulation of various provisions of seed legislation.

(b) This publication is primarily meant for the guidance of seed certification, seed production and seed distribution agencies. It may be useful to all farmers.

(c) This publication is unpriced and can be had from the Office of the Food and Agriculture Organization of United Nations, at 1, Ring Road, new Delhi.

आकाशवाणी के दिल्ली आदि केन्द्रों से प्रसारण की समयावधि

2687. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास केन्द्रों से प्रति दिन कितने घण्टे प्रसारण किये जाते हैं तथा पोर्ट ब्लेयर से प्रतिदिन कितने घण्टे प्रसारण किये जाते हैं ;

(ख) दिल्ली, कलकत्ता केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रमों का दिन में कितने घण्टे प्रसारण किया जाता है तथा पोर्ट ब्लैयर केन्द्र से ऐसे कार्यक्रमों का दिन में कितने घण्टे प्रसारण किया जाता है ;

(ग) क्या आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केण्द्र से कार्यक्रमों के प्रसारण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पोर्ट ब्लेयर केन्द्र के श्रोताओं में हिन्दी, बंगला, तेलगु, तमिल तथा मलयालम भाषी लोग शामिल है, ट्रांसमीटरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि एक समय में एक से अधिक प्रसारण किये जा सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

केन्द्र	कुल अवधि	
	रविवार	अन्य दिन
दिल्ली (चार चैनल)	33 घण्टे 25 मिनट	31 घण्टे 55 मिनट
कलकत्ता (तीन चैनल)	22 घण्टे	21 घण्टे 15 मिनट
मद्रास (तीन चैनल)	26 घण्टे 50 मिनट	21 घण्टे 30 मिनट
पोर्ट ब्लेयर (एक चैनल)	11 घण्टे 15 मिनट	10 घण्टे 50 मिनट

(ख) विविध भारती कार्यक्रम दिल्ली तथा कलकत्ता से प्रतिदिन 14 घण्टे की अवधि के लिए प्रसारित किये जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर में विविध भारती का अलग चैनल नहीं है। तथापि यह रविवार तथा छुट्टियों वाले दिन अपनी मुख्य सेवा चैनल से 30 मिनट की अवधि के लिए विविध भारती कार्यक्रम रिले करता है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पोर्ट ब्लेयर में अधिक शक्तिशाली एक ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है। इससे इस केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि होगी। कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने का काम सदा चलता रहता है।

(घ) एक से अधिक चैनल से कार्यक्रम प्रसारित हो सकें, इसके लिए ट्रांसमिटरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभिन्न भाषाओं के श्रोताओं की आवश्यकताओं को एक चैनल से कार्यक्रमों को प्रसारित करके पूरा किया जाना जारी रहेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का सीधा आयात

2688. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के आयात के सम्बन्ध में राज्यों को अन्य देशों के साथ सीधा व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में हड़तालों, तालाबन्दियों तथा काम बन्द करने के कारण औद्योगिक कारखानों का बन्द होना

2689. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हड़तालों, तालाबन्दियों तथा काम बन्द करने के कारण पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक कारखानें बन्द पड़ रहे ;

(ख) इन अड़चनों के कारण उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) राजस्थान तथा गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में उक्त कारणों से उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही हैं और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Report of the Committee on Cow Protection

2690. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made in the work of the Sarkar Committee on Cow protection ;

(b) the time by which its report is likely to be received ; and

(c) if the progress is not satisfactory, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Committee on Cow Protection, which was set up under the Chairmanship of Shri A. K. Sarkar, retired Chief Justice of India on 29-6-67, has so far held 12 meetings, recorded evidence of a number of persons, received written memoranda from more than 100 persons and has also received replies to the questionnaire from all States and Union Territories.

(b) The present term of the Committee is up to 31-3-70 ; the term is, however, being extended.

(c) The Committee could not make Progress towards the completion of its report owing to the withdrawal of the representatives of the Sarvadaliays Goraksha Mahabhiyan Samiti from its work. The representatives of the Sarvadaliaya Goraksha Mahabhiyan Samiti have, inspite of repeated requests, not agreed to participate in the deliberations of the Committee, so far.

ऐसी फसलें जिनका उत्पादन विदेशों के उत्पादन के समान है

2691. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप देश में हो रहा प्रति एकड़ उत्पादन कृषि की दृष्टि से आगे बढ़े हुए देशों के समान है ;

(ख) यदि हां, तो वे फसलें कौनसी हैं जिनका प्रति एकड़ उत्पादन यहां के उत्पादन के समान है तथा वे फसलें कौनसी हैं जिनका उत्पादन यहां के उत्पादन के समान नहीं है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कृषि क्रान्ति के लाभ को समान रूप से वितरित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा कृषि क्रान्ति के लाभ को यथा सम्भव समान रूप से बांटी के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । अधिक उत्पादनशील किस्मों के सम्बन्ध में ।

(ख) गेहूं, धान तथा मक्का के अधिक उत्पादनशील किस्मों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कृषि में उन्नत देशों के इन फसलों के उत्पादन के समान ही है ।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किये गये विभिन्न मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन से मालूम हुआ है कि बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के किसानों ने उत्पादन प्रयत्नों में भाग लिया है । खरीफ 1968 तथा रबि 1968-69 के लिये अधिक

उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के मूल्यांकन के विषय में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अपनी रिपोर्ट में चुने हुये भागीदारों का निम्नलिखित वितरण दिया :—

खेती की जोत के आकार—समूह में भागीदारों की संख्या

फसल अध्ययन के लिये चुने हुए भागीदारों की कुल संख्या	2 5 एकड़ से कम		2.5 से 5 एकड़ तक		5 से 10 एकड़ तक		10 से 20 एकड़ तक		20 से 50 एकड़ तक		50 एकड़ तथा इससे ऊपर	
	खरीफ	रबि	खरीफ	रबि	खरीफ	रबि	खरीफ	रबि	खरीफ	रबि	खरीफ	रबि
धान	602	350	158	118	161	88	147	88	79	39	44	14	13	3
मक्का	106	—	6	—	12	—	25	—	25	—	31	—	7	—
बाजरा	187	—	4	—	11	—	36	—	48	—	74	—	14	—
ज्वार	79	78	0	1	7	8	18	15	20	20	21	25	15	9
गेहूं	—	448	—	38	—	63	—	114	—	129	—	89	—	15

बड़े तथा छोटे सब किसान, जो कृषि की नई नीति में भाग लेते हैं, वे इससे होने वाले लाभों को अनुभव कर रहे हैं।

सरकार को मालूम है कि जो किसान अपने संसाधनों से यह ऋण लेकर उचित आदानों का प्रयोग करते हैं वे अधिक उत्पादनशील किस्मों से अधिक उपज प्राप्त करते हैं और इसके कारण उन लोगों की आय में बड़ा अन्तर उत्पन्न हो जाता है जिन्हें ये सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

चौथी योजना में लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उपाय किये जायेंगे। अन्य बातों के साथ सरकार छोटे किसानों के लिये योजनायें प्रारम्भ करेगी।

डाक तथा तार डिवीजन में डिप्टी डिवीजनल इंजीनियर, टेलीग्राफ के स्थान पर लेखा अधिकारी रखना

2692. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक तथा तार विभाग के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विंग में प्रत्येक डिवीजन में डिप्टी इंजीनियर, टेलीग्राफ के स्थान पर लेखा अधिकारी का पद बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो पटना तारघर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजनों में लेखा अधिकारी नियुक्त करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इस बारे में निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना, प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : जी हां, जहां-कहीं दूर संचार लेखा कार्य विभाग द्वारा लेखा-परीक्षा कार्यालयों से अपने हाथ में लिया जायेगा,

वहां उप-मंडल इंजीनियर के स्थान पर एक लेखा अधिकारी नियुक्त करने की नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है। दूर-संचार लेखा सम्बन्धी कार्य लेखा-परीक्षा कार्यालयों से विभिन्न चरणों में अपने हाथ में लिया जा रहा है। उनसे यह कार्य लेते ही इन तथा अन्य स्थानों पर लेखा अधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल के कल्याण अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

2693. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में सर्किल कल्याण अधिकारी है और यदि हां, तो उसके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं ;

(ख) क्या सर्किल कल्याण अधिकारी ने बिहार सर्किल में डाक तथा तार कार्यालयों और प्रतिष्ठानों का कभी दौरा किया. यदि हां, तो किन-किन स्थानों के और कितने दौरे किये ;

(ग) क्या सर्किल कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत दावों तथा सुविधाओं के बारे में कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए डाक तथा तार कर्मचारियों के कार्यालयों में जाते हैं और पोस्टमास्टर जनरल को कोई प्रतिवेदन देते हैं ; और

(घ) क्या सर्किल कल्याण अधिकारी के ऐसे प्रतिवेदन पर पोस्ट मास्टर जनरल ने कोई कार्यवाही की है ; और क्या कर्मचारियों की समस्याओं में रुचि के अभाव में दावे अनिर्णीत रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी पहले लेखा परीक्षा होती है, यदि नहीं, तो प्रत्येक डाक, रेलवे डाक सेवा, डाक तथा तार इंजीनियरिंग डिवीजन में पृथक-पृथक कितने पूर्व लेखा-परीक्षा संबंधी मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

सूचना, प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां, कल्याण अधिकारी के कार्य और उत्तरदायित्व कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना, उनके काम की परिस्थितियों को अधिक अच्छा बनाने में उनकी सहायता करना और विभागीय साधनों के अन्तर्गत उनकी उन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित करना है।

(ख) जी हां। कल्याण अधिकारी अगस्त, 1967 से अब तक स्थानीय कार्यालयों के अलावा चार अवसरों पर रघुनाथपुर (ब्रह्मपुर चौरस्ता), मुजफ्फरपुर, दरभंगा और कलकत्ता (रेल डाक सेवा कार्यालय) गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। कल्याण अधिकारी की रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई है और कर्मचारियों की समस्याओं आदि को निपटाने की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं है। अनिर्णीय पूर्व लेखा परीक्षा के मामलों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

मंडल इंजीनियर तार, पटना का कार्यालय	175
डाक अधीक्षक, मुंगेर के कार्यालय में	4

प्रवर अधीक्षक, रेल डाक सेवा पी० डिवीजन, पटना का कार्यालय	6
प्रवर डाक अधीक्षक, पटना का कार्यालय	69
मंडल इंजीनियर, तार रांची का कार्यालय	9
प्रभारी अधीक्षक, विभागीय तारघर मुजफ्फपुर का कार्यालय	1

1969 में समयोपरि भत्ते तथा अन्य भत्तों के लम्बित बिल

2694. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक रेलवे डाक सेवा, तार यातायात और तार इंजीनियरिंग डिवीजनों में 1969 में मासवार, समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ते, चिकित्सा सम्बन्धी बिलों, शिक्षण-शुल्क तथा बच्चों के भतों सम्बन्धी कितने बिल तथा दावे लम्बित थे ;

(ख) डाक, रेलवे डाक सेवा, तार यातायात और तार इंजीनियरिंग कर्मचारियों को 1969 में, मासवार, कितने समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ते के बिलों, मेडिकल बिलों, शिक्षण शुल्क तथा बच्चों के भर्ती सम्बन्धी बिलों और दावों का भुगतान किया गया ;

(ग) 1 जनवरी, 1970 को ऐसे कितने बिलों का भुगतान नहीं किया गया था और उनको दिये जाने की तिथि से लेकर 1 जनवरी, 1970 तक अधिकारियों द्वारा उनमें कितना विलम्ब किया गया था ;

(घ) 1969 में राजपत्रित अधिकारियों के यात्रा भत्तों तथा मेडिकल बिलों की संख्या कितनी थी और उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया और 1 जनवरी, 1970 को राजपत्रित अधिकारियों के कितने यात्रा भत्तों सम्बन्धी बिलों तथा मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाना शेष था ; और

(ङ) 1969-70 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी दावों का भुगतान कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना, प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Sale of Agricultural Equipments by Agro-Industries Corporation Uttar Pradesh

2695. **Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of Food and Agricultnre** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agro-Industries Corporation, Uttar Pradesh sells only those agricultural equipments which are manufactured by it and that it can manufacture the said equipments in a limited quantity ; and

(b) if so, how agriculture can be modernised by selling tractors only ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रुई में आत्म निर्भरता

2696. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को रूई में आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तथा कितने समय में कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना से सभी महत्वपूर्ण रूई उत्पादक राज्यों द्वारा पैकेज कार्यक्रमों की पद्धति पर सघन खेती उपाय शुरू किये गये हैं । इसके अतिरिक्त, लम्बे रेशे वाली रूई के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से रूई के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सन् 1966-67 से कियान्वित की जा रही हैं और चोथी पंचवर्षीय योजना में जारी रखी गई हैं । उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्विति के फलस्वरूप, ऐसी लम्बाई वाली रेशे की उपयुक्त किस्मों के आंतरिक उत्पादन को बढ़ाकर 1973-74 तक 1-1 | 16" से 1-3 | 16" तक के लम्बे रेशे की किस्मों के आयात को घटाकर 1.5 लाख गांठों तक कर दिये जाने की सम्भावना है । फिर भी, 1-3 | 16" और उससे अधिक की विशेष लम्बे रेशे वाली रूई का इस समय लगभग तीन लाख गांठों का आयात किया जाता है, उतना ही आयात करना उस समय भी आवश्यक होगा, क्योंकि आगामो 3 या 4 वर्षों में इसके समतुल्य किस्म और बुनाई में श्रेष्ठता रखने वाली किसी भी किस्म का उत्पादन देश में किये जाने की सम्भावना नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की समन्वित अनुसंधान परियोजना अन्य समस्याओं के साथ-साथ, इस समस्या का हल ढूंढ रही है ।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल तथा उनका राज्यवार वितरण

2697. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है तथा उनका राज्यवार वितरण कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

राज्य	लाइसेंस शुदा यूनिटों की संख्या	उत्पादन कर रही यूनिटों की संख्या
1. आँध्र प्रदेश	10	8
2. असम	1	1
3. बिहार	1	1
4. गुजरात	11	5

1	2	3
5. केरल	2	2
6. मध्य प्रदेश	1	–
7. तमिल नाडू	9	6
8. महाराष्ट्र	47	26
9. मैसूर	11	5
10. उड़ीसा	2	1
11. पंजाब	4	4
12. हरियाणा	2	2
13. राजस्थान	1	1
14. उत्तर प्रदेश	8	4
	110	66

आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से समाचारों का प्रसारण

2698. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी मद्रास से रात 8 बजकर 45 मिनट पर हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्रों में आकाशवाणी के केन्द्रों से कार्यक्रम तथा प्रसारण

2699. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन केन्द्रों से किन प्रमुख भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुरी भाषा को, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र की विशिष्ट भाषा है, रेडियो कार्यक्रमों में उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क)

केन्द्र : कलकत्ता, कुर्सियांग, कटक, गोहाटी, कोहिमा तथा इम्फाल ।

उपग्रह केन्द्र : तेजु, ऐजल तथा पासीघाट ।

(ख) जिन मुख्य भाषाओं तथा बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, वे इस प्रकार है :—

कलकत्ता—बंगला, हिन्दी, त्रिपुरी तथा अंग्रेजी ।

कुर्सियांग—बंगला, हिन्दी, नेपाली, तिब्बती, भूटानी, सिक्कमी तथा अंग्रेजी ।

कटक—उड़िया, हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

गोहाटी—असमिया, नेफा तथा नागालैंड की बोलियां, हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

कोहिमा—नागामी, नागा बोलियां, हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

इम्फाल—मणिपुरी, हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

उपग्रह केन्द्र तथा सहायक केन्द्र ऊपर बताये मुख्य केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को उन भाषाओं में रिले पुनप्रसारण करते हैं जो उनका सेवा क्षेत्र है ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि कार्यक्रमों में छोटे कृषकों द्वारा भाग लेना

2700. **श्री वे० कु० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य (कृषि) श्री वी० वेकटप्पया ने टैक्नोलाजी पर आधारित कृषि कार्यक्रमों में छोटे कृषकों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया था क्योंकि कृषि उत्पादन की दृष्टि से छोटी जोतों का कुल क्षेत्र बड़ा तथा महत्वपूर्ण है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार को कृषकों से क्या योगदान प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति के, सदस्यों में योजना आयोग के सदस्य (कृषि) श्री वी० वैंकटप्पया भी शामिल थे, सुझावों में से एक सुझाव के आधार पर उन्नत टैक्नोलौजी पर आधारित कृषि कार्यक्रमों में विकासक्षम लघु सक्षम कृषकों को सम्मिलित करने में सहायता देने के लिए, हाल ही में लघु कृषक विकास एजेंसियों की स्थापना हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय सैक्टर की योजना पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है । बिहार, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में अब तक तीन लघु कृषक विकास एजेन्सियां स्थापित की जा चुकी हैं । इनके सम्बन्ध में कृषकों की प्रतिक्रिया का कुछ समय बाद ही पता चल सकेगा ।

वर्ष 1967-68 के लिये अखिल भारतीय क्षेत्रीय गन्ना फसल प्रतियोगिता

2701. **श्री ने० कृ० दासचौधरी** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 की अखिल भारतीय क्षेत्रीय गन्ना फसल प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय प्रादेशिक गन्ना फसल प्रतियोगिता 1967-68 के पुरस्कार विजेताओं का ब्यौरा संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या० टी—2827/70]

डाक-तार के निर्माण डिवीजन का गोहाटी से कलकत्ता स्थानान्तरण

2702. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि डाक-तार के निर्माण डिवीजन का 1967 में गोहाटी, आसाम सर्किल से कलकत्ता स्थानान्तरण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) भारत में किसी भी डाक-तार सर्किल में निर्माण डिवीजन की न्यायसंगत की कसौटी क्या है ; और

(घ) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में आसाम सर्किल में डाक-तार भवनों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है तथा 1970 में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ; और डाक-तार के आसाम सर्किल में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और क्या इसके देखते हुए एक निर्माण डिवीजन रखना क्रमसंगत है और यदि हां, तो गोहाटी में डाक-तार के आसाम सर्किल में इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । सचाई यह है कि गोहाटी का सिविल डिवीजन 15-4-67 को बन्द कर दिया गया था और 1-3-68 को कलकत्ता में एक अतिरिक्त डिवीजन खोला गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जिस सिविल निर्माण डिवीजन का कार्य बिखरी हुई किस्म का हो, उसके लिए 40 लाख रुपये वार्षिक का कार्य होना चाहिए ।

(घ) आसाम सर्कल में डाक-तार भवनों के निर्माण पर किया गया व्यय इस प्रकार है—

1. 1967-68—7.48 लाख रुपये ।

2. 1968-69—16.83 लाख रुपये ।

3. 1969-70—13.43 लाख रुपये (अनुमानित) ।

4. 1970-71—लगभग 20 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । इससे यह स्पष्ट है कि मौजूदा कार्य के आधार पर एक सिविल डिवीजन का औचित्य नहीं है । फिर भी निर्माण-कार्य के बढ़ने पर जब भी इसका औचित्य होगा, आसाम में डाकतार के निर्माण-कार्यों के लिए अलग डिवीजन खोल दिया जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों तथा फलों का निर्यात

2703. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किन-किन देशों को गेहूं, चावल, चीनी, दालों तथा फलों का निर्यात किया गया ;

(ख) इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) ऐसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि देश में आवश्यकता पूरी करने के बाद फालतू उत्पादन ही निर्यात किया जाता है ताकि मूल्यों में वृद्धि से इनके निर्यात का देश में अर्थ व्यवस्था पर भार न पड़े ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1967, 1968 और 1969 में किसी भी देश को ऐसी किसी वस्तु का निर्यात नहीं किया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

1969 में चीनी का निर्यात

2704. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में चीनी का निर्यात कम हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1969 में चीनी के निर्यात में 1968 की अपेक्षा कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई क्योंकि 1969 में 94,000 मीटरी टन चीनी निर्यात की गई थी जबकि पिछले वर्ष में निर्यात की गई चीनी की मात्रा 99,000 मीटरी टन थी । लेकिन 1966 और 1967 के निर्यात की तुलना में 1968 और 1969 में कम निर्यात हुआ । इसका कारण 1966 और 1967 के निर्यात की तुलना में 1968 और 1969 में कम निर्यात हुआ । इसका कारण 1966-67 और

1967-68 में चीनी का सीमित उत्पादन होना और चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आना है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय चीनी-मूल्य कम होने के कारण चीनी के निर्यात से भारी हानि होती है। तथापि, चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के अधीन लगभग 95,000 मीटरी टन के अधिमान्य कोटे के निर्यात के लिए पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है और इसकी हानि को चीनी उद्योग वहन करेगा। राज्य व्यापार निगम को भी 50,000 मीटरी टन और चीनी निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

बिहार के डाक-तार विभाग के अधिकारियों का तबादला

2705. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में डाक-तार विभाग में काम कर रहे उन अधिकारियों के नाम क्या है जो लिपिक इंजीनियरी सेवा संवर्ग से बराबर उसी पद पर काम कर रहे हैं ;

(ख) बिहार सर्किल में डाक-तार विभाग में राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद किन-किन अधिकारियों को बिहार सर्किल से बाहर तैनात नहीं किया जा सका ;

(ग) किन-किन अधिकारियों ने एक केन्द्र में या एक सर्किल में अपना सामान्य सेवाकाल पूरा कर लिया हैं ; और

(घ) डाक-तार विभाग के ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जो बिहार के हैं और बिहार से बाहर काम कर रहे हैं परन्तु बिहार सर्किल में वापस आना चाहते है और काफी समय से बिहार सर्किल में काम कर रहे अधिकारियों का तबादला करके बिहार सर्किल से बाहर काम कर रहे अधिकारियों व अवसर देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) **कोई नहीं।**

(ख) जिन अधिकारियों ने केवल बिहार सर्किल में राजपत्रित संवर्ग में काम किया है, उनकी सूची अनुबंध (क) में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2828/70]

तथापि इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक निर्दिष्ट अवधि के बाद राजपत्रित अधिकारियों को सर्कल के बाहर भेजा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूची में दिये गये कुछ अधिकारी अन्य राज्यों के हैं, लेकिन उन्हें भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि राजपत्रित संवर्ग में उनको पहली बार बिहार में नियुक्त किया गया था।

(ग) जिन अधिकारियों ने किसी भी स्थान पर अपना सामान्य सेवाकाल पूरा कर लिया है, उनकी सूची अनुबंध (ख) में दी गई है। तथापि यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि

पिछले दो वर्षों से किसी स्थान पर निश्चित कार्यकाल तक रहने के बाद स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लागू है।

इसके साथ-साथ किसी सर्कल में सेवा-काल नियत नहीं है।

(घ) जिन अधिकारियों का बिहार में स्थायी निवासस्थान है और जिन्होंने बिहार में स्थानान्तरण कराने के लिए अनुरोध किया है, उनकी सूची अनुबन्ध (ग) में दी गई है।

इन अधिकारियों को बिहार में तैनाती के लिए उनके अनुरोधों पर बिहार सर्किल में रिक्त स्थान होने पर विचार किया जायेगा। अधिकारी जिन सर्कलों में इस समय कार्य कर रहे हैं, उनके स्थान पर वहाँ दूसरे अधिकारियों को लाने के लिए सामान्यतः उन्हें वहां से नहीं हटाया जाता।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय को भुवनेश्वर से हटा कर अन्यत्र ले जाना

2706. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय को, जिसकी कि उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था, किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने सरकार के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय को वहां से स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव पर रोष प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) के लिये क्या कारण है और सरकार की उपरोक्त भाग (ख) के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

1970-71 में सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली को चालू करना

2707. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली को चालू करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सीधे टेलीफोन करने के लिये किन स्थानों को चुना गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां। 1970-71 के दौरान निम्नलिखित 16 सीधे डायलिंग मार्ग चालू किये जाने की सम्भावना है :

1. जालंधर-चंडीगढ़
2. जालंधर-आगरा
9. ऊटी-कोयम्बटूर
10. देहरादून-मसूरी

3. जालंधर-अमृतसर
4. दिल्ली-अमृतसर
5. मद्रास-मदुराई
6. त्रिची-मदुराई
7. अहमदाबाद-बड़ौदा
8. गौहाटी-शिलांग
11. मद्रास-चिंगलेपुट
12. बड़ौदा-सूरत
13. पटना-कानपुर
14. पटना-लखनऊ
15. पटना-वाराणसी
16. लखनऊ-वाराणसी

पंजाब द्वारा केन्द्र को खाद्यान्न की सप्लाई

2708. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों में केवल पंजाब से ही निर्यात के लिए 1970-71 में पंजाब से अनुमान लगाई गई 32 लाख टन की मात्रा से काफी अधिक खाद्यान्न मिलने की आशा है, जिससे विक्रय की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना हैं और अन्य बातों के अतिरिक्त परिवहन के लिए हजारों किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71 के वास्तविक आंकड़ों तथा भाग (क) में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में वित्तीय पहलुओं सहित विवरण क्या है ; और

(ग) उसके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 1970-71 में पंजाब में खाद्यान्न की कितनी अविशेष मात्रा होगी इसका अभी कोई अनुमान लगाना उपयुक्त नहीं है। पंजाब की मंडियों में आवक को सम्भालने और खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करने हेतु व्यवस्था की गई है और 1970-71 या आगामी वर्षों में किसी गम्भीर कठिनाई की परिकल्पना नहीं की जाती है। खाद्यान्नों को लाने के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं है।

ग्रामीण जनता के नगरों में अन्तरागम को रोकने के लिये गांवों के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था

2709. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण जनता के नगरों में अन्तरागम को रोकने तथा ग्रामीण जनता के लिये गांवों के निकट अपेक्षित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' की व्यवस्था करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय पहलू सहित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक अन्तिस रूप दिये जाने तथा क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) और (ख). सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत विकास केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसंधान परियोजना की एक योजना चौथी योजना के दौरान आरम्भ की जा रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उभरते हुए विकास केन्द्रों के इर्द-गर्द समन्वित क्षेत्र विकास करने में सुन्निहित उपादानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। एक ओर सामुदायिक सहयोग व कार्यवाही और दूसरी ओर साधनों के समन्वित अभिसरण के माध्यम से उम्मीद है कि इस योजना से चुने हुए विकास केन्द्रों के इर्द-गिर्द न्यापक विकास की कार्य-विधियां तैयार की जा सकेंगी ; जिससे अन्य बातों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों के अन्तरागम को रोका जा सकेगा। इस योजना में इस बात की व्यवस्था है कि सर्वेक्षणों द्वारा आंकड़े एकत्रित किये जाएं, उनका विधायन तथा विश्लेषण इस दृष्टि से किया जाए कि समन्वित क्षेत्र विकास के रास्ते में आने वाली अड़चनों का पता लगाया जा सके और तब एक विकास योजना तैयार की जाए। इस योजना के लिये कुल स्वीकृत परिव्यय 1.45 करोड़ रु० है, जिसमें उन सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए लगभग 72 लाख रु० का परिव्यय शामिल है जो मौजूदा योजना तथा योजना से बाहर के कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं आ सकती हैं। तथापि, यह परिव्यय केवल तब उपलब्ध किया जायेगा जब राज्य सरकारें अवस्थापना की प्रमुख मदों के लिये पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था कर लेती हैं, जिसका निर्माण इन क्षेत्रों में परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित बातों के अनुसार किया जाना है।

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस का कार्यान्वयन अप्रैल, 1970 से आरम्भ किया जाना है।

विभागीय लेखन सामग्री की कीमतों में कमी

2710. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय लेखन-सामग्री की कीमतों में कमी करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) डाक-तार विभाग के राजस्व पर इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) प्रस्ताव के कब तक अन्तिम रूप दिये जाने तथा लागू किये जाने की सम्भावना है

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभागीय स्टेशनरी आदि की कीमत घटाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार द्वारा हानि

2711. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गत वर्ष स खाद्यान्नों में राज्य व्यापार द्वारा हानि उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो लगातार हो रही हानि को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्य-नीति में उचित समायोजन करने के अलावा खाद्यान्नों की सप्लाई, संचयन तथा वितरण में होने वाले खर्च को यथा सम्भव कम करने हेतु कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

आकाशवाणी के शिफ्ट कर्मचारियों का अविराम सात घंटे काम करना

2712. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के शिफ्ट कर्मचारियों को सात घण्टे तक निरन्तर कार्य करना पड़ता है और उन्हें मध्याह्न भोजन या चाय के लिये कोई समय नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकांश विभागों के बीच चाय या मध्याह्न भोजन के लिये समय दिया जाता है ; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'हां' में है तो आकाशवाणी के शिफ्ट कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरतने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). आकाशवाणी के पारी पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति सप्ताह काम के 42 घण्टे निर्धारित किये गये हैं । काम के इन घण्टों को निर्धारण करने सम्बन्धी आदेशों में लन्च के समय की व्यवस्था नहीं है । डाक-तार तथा रेलवे आदि जैसे अन्य विभागों में पारी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लन्च समय की व्यवस्था सहित प्रति सप्ताह काम करने के 45-48 घण्टे हैं । आकाशवाणी के कर्मचारियों को लन्च समय न दिये जाने में कोई भेद-भाव नहीं है, क्योंकि उनके लिये सप्ताह में जो कुल घण्टे निर्धारित किये गये हैं वे अन्य विभागों के पारी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये सप्ताह में सरकार द्वारा लन्च के समय के साथ निर्धारित किये गये कुल घन्टों से कम हैं ।

तदर्थ कार्यक्रम अधिकारियों को नियमित करना

2713. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने व्यक्ति तदर्थ कार्यक्रम अधिकारी के नाते कार्य करते हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोग इस पद पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) मार्च 1, 1970 को 108.

(ख) 43

(ग) तथा (घ). इनकी नियुक्तियों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये तदर्थ पदोन्नतियां हैं। प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के ग्रेड के भर्ती नियमों पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है। भर्ती नियमों के संशोधन हो जाने पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों को जहां तक वे पात्र होंगे, नियमित नियुक्तियों के लिए विचार किया जायेगा।

आकाशवाणी पर प्रसारित भाषणों के पालों की जाँच पड़ताल

2714. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी संहिता क्या है तथा क्या इसे आकाशवाणी के सब केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले भाषणों के सब पाठों पर सदैव लागू किया जाता है ; और

(ख) पाठों की वांछनीयता का निर्णय कौन करता है और क्या पाठों को पहले पेश करना पड़ता है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) आकाशवाणी संहिता की एक प्रति संलग्न है। यह आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली सभी वार्ताओं के पाठों पर लागू होती है।

(ख) प्रसारणों की स्क्रिप्टें केन्द्र के प्रमुख को पहले भेजनी होती हैं जो यह निर्णय करता है कि संहिता का किसी प्रकार उल्लंघन तो नहीं होता है। इस प्रकार के मामलों में वह इस विषय पर प्रसारणकर्त्ता से बातचीत करता है ताकि संहिता का उल्लंघन करने वाले अन्ध को हटाया या संशोधित किया जा सके।

आकाशवाणी-संहिता

आकाशवाणी पर व्यक्तियों को निम्नलिखित विषयों के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी :

(1) मित्र-देशों की आलोचना

(2) धर्म अथवा समुदायों पर आक्षेप

(3) कोई अश्लील अथवा अपमान जनक सामग्री

(4) कानून और व्यवस्था कायम रखने के विरुद्ध कोई बात अथवा हिंसा भड़काने वाली बात

(5) न्यायालय का अवमान करने वाली कोई बात

(6) राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप

(7) किसी राजनैतिक दल पर नाम लेकर आक्षेप

(8) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की कटुतापूर्ण आलोचना

(9) संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करने वाली अथवा हिंसक साधनों द्वारा संविधान में परिवर्तन का समर्थन करने वाली कोई सामग्री; परन्तु संवैधानिक तरीके से परिवर्तनों के समर्थन करने पर रोक न होगी।

टिप्पणी : यदि किसी केन्द्र का निदेशक यह पाता है कि उपर्युक्त संहिता के किसी/किन्हीं विशिष्ट मुद्दे/मुद्दों के बारे में किन्हीं भावी प्रसारणों के संबंध में परिपालन नहीं किया गया है, तो वह प्रसारण करने वाले व्यक्ति का ध्यान आपत्ति जनक अंशों की और आकर्षित करेगा। यदि प्रसारण का इच्छुक व्यक्ति केन्द्र-निदेशक के सुझावों को नहीं मानता और तदनुरूप अपने प्रसारण-लेख में संशोधन नहीं करता, तो केन्द्र-निदेशक द्वारा उस व्यक्ति को प्रसारण की अनुमति न देना न्यायसंगत ही होगा।

किसी राज्य-सरकार के मन्त्री द्वारा वार्ता प्रसारित करने के बारे में संहिता की व्याख्या के सम्बन्ध में केन्द्र-निदेशक और राज्य सरकार के किसी मन्त्री के बीच मतभेदों के अनिर्णीत मामले भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मन्त्री को भेजे जायेंगे, जो अन्तिम रूप से यह निर्णय करेंगे कि संहिता के उल्लंघन से बचने के लिए वार्ता के मूल-पाठ में कोई परिवर्तन आवश्यक है या नहीं।

भूमि में कार्बनिक तत्वों की कमी के कारण फसल की पैदावार कम होना

2715. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान से पता चला है कि भारत की भूमि में कार्बनिक तत्वों की कमी है और इसीलिए फसलों की पैदावार कम होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सरकार की क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) यह सत्य है कि भारत में खेती की जाने वाली भूमि में कार्बनिक तत्वों की अपेक्षाकृत कमी है और इसके तत्व अधिक बढ़ाये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां की जलवायु में शीघ्र अपघटन हो जाता है और यह भूमि के कार्बनिक तत्व की सीमा पर प्रभाव डालता है। कार्ब-निक तत्वों की मात्रा की अपेक्षा, पौधों के लिए उपयोगी मिश्रणों में इसके रूपान्तरित की दर अधिक महत्वपूर्ण है। यह सर्व विदित है कि पौधे विशेषतौर से अकार्बनिक रूप में भूमि से अपने

पोषक पदार्थों को लेते हैं। भूमि में कम कार्बनिक तत्वों के निहित होने के बावजूद भी यदि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाये, तो फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बीजों के लिए शीतागार की सुविधायें

2716. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर बीजों को रखने के लिए शीतागारों की सुविधा उपलब्ध की गई है ; और

(ख) क्या यह काम भारतीय बीज निगम को सौंपा गया है अथवा भांडागार निगम इस काम को करता रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा और हैदराबाद और कलकत्ता में केन्द्रीय भंडारगार निगम द्वारा।

(ख) केन्द्रीय भंडारगार निगम 3 शीतागार चला रहा है जिनमें से बीजों, फलों और सबजियों आदि के भंडारण के लिए 2 शीतागार कलकत्ते में है और एक हैदराबाद में। राष्ट्रीय बीज निगम का अपने उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक शीतागार दिल्ली में भी है।

भारतीय सामूहिक संचार संस्थान के कार्यालय का स्थानान्तरण

2717. **श्री रामसिंह अयरवाल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सामूहिक संचार संस्थान के निदेशक ने संस्थान को किलोकरी में श्री सांधी के भवन से दिल्ली में साउथ एक्सटेन्शन क्षेत्र के एक भवन में स्थानान्तरित करके मैसर्स सांधी के साथ सम्पर्क तोड़ दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संस्थान को कम जगह वाले तथा अधिक किराये वाले भवन में स्थानान्तरित करने में निदेशक का व्यक्तिगत स्वार्थ था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बातों से अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है ; और

(घ) क्या इस मामले में एक जांच कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। नए भवन में इस्तेमाल किये जाने के लिए ज्यादा स्थान है, तथा वह सस्ती दर पर है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में उप-प्रधान सूचना अधिकारी के पद का दर्जा घटाया जाना

2718. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के उप-प्रधान सूचना अधिकारी के पद का दर्जा घटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). उपमुख्य सूचना अधिकारी मद्रास के पद का मुख्य कार्यालय अस्थायी रूप से नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि इस पदधारी को दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौपा गया है। मद्रास में एक उपमुख्य सूचना अधिकारी शीघ्र ही तैनान किया जायेगा।

आकाशवाणी के त्रिवेंद्रम रेडियो से किये जाने वाले प्रसारणों में केन्द्र-समर्थक दृष्टिकोण के बारे में आरोप

2719. **श्री रामसिंह अयरवाल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के राजनीतिक नेता ने त्रिवेंद्रम रेडियो पर आरोप लगाया है कि वह अपने बुलेटिनों में पक्षपातपूर्ण और एकतरफा केन्द्र समर्थक समाचारों का प्रसारण करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस नेता ने आकाशवाणी के त्रिवेंद्रम केन्द्र पर धरना करने की धमकी दी है, यदि एकतरफा समाचारों को न रोका गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां, आकाशवाणी त्रिवेंद्रम के विरुद्ध श्री ए० के० गोपालन से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के महानिदेशक के कार्यालय से फाइलों का गुम होना

2720. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के महानिदेशक नई दिल्ली के कार्यालय से बहुत सी फाइले गुम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)। (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता अभियान पर खर्च किया जाने वाला धन

2721. **श्री स० कुण्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में सहकारिता पर कितना धन खर्च किया जायेगा ; और

(ख) पिछड़े राज्यों में सहकारिता अभियान को लोक प्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) (क) सहकारी विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुमानित परिव्यय 278.51 करोड़ रुपये हैं।

(ख) राज्य सरकारें सहकारी आन्दोलन को विस्तृत आधार प्रदान करने और धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कमियों को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रही हैं। इसमें प्राथमिक ऋण समितियों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, कमजोर केन्द्रीय बैंकों का पुनः स्थापन और प्रबन्धकीय तथा परिचालन कुशलता में सुधार करना शामिल हैं। इन राज्यों में भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्र कार्यक्रम में अनुपातत: वृद्धि की उच्च दर मंजूर की जाती है। इन राज्यों में सहकारी विपणन समितियों के लिए सरकारी अंशदान की अपेक्षा सदस्य-अंशपूंजी का अनुपात भी कम है। वर्ष 1968-69 के अन्त तक पूर्वी राज्यों तथा राजस्थान जहां सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर था, मैं सहकारी समितियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का एक कार्यक्रम भी चालू था।

लघु सिंचाई योजना पर खर्च

2722. **श्री स० कुन्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई पर कितना धन खर्च करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों को लघु सिंचाई के प्रयोजन हेतु विशेष क्षेत्र घोषित करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) सन 1970-71 में विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्थाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) लघु सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी क्षेत्र को विशेष क्षेत्र घोषित करने के विषय में सरकार की कोई योजना नहीं है।

अन्दमान द्वीप समूह में नील द्वीप में बसे लोगों की कठिनाइयां

2723. **श्री स० कुन्दू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में नील द्वीप में बसे लोगों ने कहा है कि उस द्वीप में भूमि पथरीली और रेतीली होने के कारण धान की फसल नहीं उग सकती ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने हाल ही में इस बारे में जांच की है

(ग) क्या सरकार उन्हें अन्य द्वीप में ले जाने का विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन लोगों को नकदी में सहायता दी है क्योंकि धान की फसल बहुत खराब हो गई है ?

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । धान की खेती के प्रयोजन के लिए पर्याप्त भूमि नील द्वीप में ही उपलब्ध होने की आशा है ।

(घ) सरकार ने उन परिवारों को विशेष सहायता प्रदान की है जिनकी धान की फसल को चूहों तथा दीर्घ कालीन सूखे से हानि पहुंची थी ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से भूमिहीन तथा निर्धन किसानों की सहायता की योजना

2724. **श्री स० कुन्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन अथवा अन्य देशों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में भूमि-हीन तथा निर्धन किसानों की सहायता के लिये कोई योजना बनायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन राज्यों ने इससे लाभ उठाया है और उनमें से प्रत्येक को अब तक अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी राशि मिली है ; और

(घ) पिछड़े राज्यों में योजना को लोक-प्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं होते ।

उड़ीसा में बालासोर जिले में डाक और तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र

2725. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में उड़ीसा के बालासोर जिले में कितने शाखा डाकघरों, डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन घरों और टेलीफोन केन्द्रों तथा फोन द्वारा तार की व्यवस्था वाले डाकघरों की मंजूरी दी गई है और कितने खोले गये हैं तथा कितनों को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है और कितनों को मंजूरी दी जा चुकी है परन्तु वे अभी तक खोले नहीं गये हैं ;

(ख) बालासोर में टी-43 किस्म वाला ट्रंक वोर्ड एक्सचेंज स्थापित न किये जाने के क्या कारण है यद्यपि मशीन को मंगाये हुए दो वर्ष हो चुके हैं ; और

(ग) क्या टी-43 किस्म का ट्रंक बोर्ड उचित अवधि में स्थापित न करने के कारण इससे सम्बन्ध अधिकारियों को कर्त्तव्य विमुखता के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)

वर्ष	मंजूरी दी गई	खोले गए	मंजूरी नहीं दी गई	मंजूरी दी गई लेकिन अभी खोले नहीं गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968-69	17	17	5	कोई नहीं
1969-70	13	13	10	कोई नहीं

डाकघरों की संख्या

वर्ष	मंजूरी दी गई	खोले गए	मंजूरी नहीं दी गई	मंजूरी दी गई लेकिन अभी खोले नहीं गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968-69	19	19	5	कोई नहीं
1969-70	14	14	10	कोई नहीं

सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या

वर्ष	मंजूरी दी गई	खोले गए	मंजूरी नहीं दी गई	मंजूरी दी गई लेकिन अभी खोले नहीं गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968-69	3	कोई नहीं	कोई नहीं	3
1969-70	4	2	कोई नहीं	2

टेलीफोन एक्सचेजों की संख्या

वर्ष	मंजूरी दी गई	खोले गए	मंजूरी नहीं दी गई	मंजूरी दी गई लेकिन अभी खोले नहीं गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968-69	2	1	कोई नहीं	2
1969-70	कोई नहीं	1	कोई नहीं	1

वासुदेवपुर में एक्सचेंज लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी यह लगाया जाना है ;

फोनोकम डाकघरों की संख्या

वर्ष	मंजूरी दी गई	खोले गए	मंजूरी नहीं दी गई	मंजूरी दी गई लेकिन अभी खोले नहीं गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968-69	2	2	कोई नहीं	कोई नहीं
1969-70	1	1	कोई नहीं	कोई नहीं

(ख) तथा (ग). टी-43 ट्रंक बोर्ड लगाने के लिए अन्य आवश्यक समय जैसे कि रैको और स्विच वोर्ड केवल की आवश्यकता है। इसमें से अधिकांश सामग्री अभी हाल ही में सप्लाई की गई है और इसे लगाने का काम हाथ में लिया जा रहा है। आशा है कि यह मार्च, 1970 तक पूरा हो जाएगा।

आकाशवाणी से अरबी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण

2726. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा अनेक अरब देशों के लिए उनकी सदभावना प्राप्त करने तथा अपने विदेश व्यापार का विकास तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अरबी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा से अरबी में कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10·30 बजे से 11·00 बजे तक तथा रात्रि में 11·00 बजे से 12·00 बजे तक दो ट्रांसमिटरों से रोज 90 मिनट की अवधि के लिये प्रसारित होता है। यह सेवा सऊदी अरब, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जोर्डन, ईराक तथा यमन के श्रोताओं के लिए है। कार्यक्रमों में समाचारों, कमेन्ट्रियों तथा आम रुचि के विषयों पर प्रेस, समीक्षाओं के अतिरिक्त, बातायें, भारतीय फिल्म संगीत, लक्ष क्षेत्र के संगीत तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रुचि के विशेष कार्यक्रम भी शामिल है।

ट्रैक्टरों की खरीद के लिए कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता

2727. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन दुगुना करने के लिए ऐसे कृषकों की भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है, जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है, क्योंकि गरीब कृषकों के पास अपने ट्रैक्टर, बीज तथा उर्वरक नही हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने गरीब कृषकों को विशेषकर ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). संविधान के अनुसार 'भूमि' अर्थात् भूमि में अथवा भूमी पर अधिकार तथा भूधृति आदि राज्य का विषय है। दस एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों की भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। छोटी जोतों के स्वामी यदि निजी तौर पर ऋण के योग्य है अथवा वे सहकारी समिति गठित कर लेते हैं, तो वे ट्रैक्टरों या पावर टिलरों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वे गैर-सरकारी अभिकरणों, राजकीय कृषि उद्योग निगम द्वारा स्थापित भाड़ा केन्द्रों, आदि से ट्रैक्टर आदि प्रयोग करने की सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न राज्यों के लिए ट्रैक्टरों के लिए ऋण के रूप में वितरित करने के लिए अलग से कोई राशि नहीं रखी है।

सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा शर्तें

2728. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों की सेवा की शर्तें अच्छी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Development of Fisheries in Madhya Pradesh

2729. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh has taken up Fisheries Development Scheme, to be fully financed by Central Government, under the Package Programme ; and

(b) if so, the total amount sanctioned for the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir, There is no Package for Programme for development of fisheries in Madhya Pradesh financed by Government of India.

(b) The question does not arise.

Aid to Landless Harijans and Farmers for Cultivation Under Fourth Plan

2730. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the terms and conditions on which Government had given aid to landless Harijans and farmers for cultivation work and for making the land suitable for agricultural purpose ; and

(b) the amount allocated by Government during the Fourth Five Year Plan for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) During the Third Five Year Plan period, a scheme for the reclamation of wastelands and resettlement of landless agricultural labourers was initiated in various States. Under the scheme, the State Government gave financial assistance to landless labourers for starting farm operations on lands given to them and expenditure upto Rs. 750/- per family was reimbursed by the Central Government. Grants were also given for the reclamation of wastelands upto Rs. 750/- per hectare. After the Third Plan, the scheme was continued on a year-to-year basis to the extent of the "spil-over" programme. This position obtained until 31-3-69. About 1.10 lakh families were resettled on about 2 lakh hectares of land under the scheme upto 31-3-69. Assistance amounting to Rs. 6.2 crores in the form of grant and loan has been reimbursed to the State Government so far.

(b) A provision of Rs. 47.50 crores has been tentatively earmarked for helping sub-marginal cultivators and agricultural labourers during the Fourth Plan period.

Post and Telegraph Offices in Madhya Pradesh

2731. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number of new post offices opened in Madhya Pradesh during the last two years ; and

(b) the names of the districts where telegraph service is proposed to be started this year in the existing post offices ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department Communications (Shri Sher Singh) : (a)

	Year	Number of new post offices opened in Madhya Pradesh
	1967-68	83
	1968-69	113

(b)	Name of district	Number of proposals for providing telegraph facilities in existing post offices sanctioned.
	Chhindwara	2
	Mandasaur	1
	Bilaspur	2
	Khandwa	2

1	2
Mandla	1
Raigarh	1
Rewa	1
Shajapur	2
Tikamgarh	1
Raisen	1
Sehera	1
Rajgarh	1
Gwalior	2
Narsinghpur	2
Hoshangabad	2
Dhar	1
Jabalpur	2
Indore	2
Dewas	1
Chhattarpur	1
Balaghat	2
Seoni	1
Jhabna	1
Guna	1
Ujjain	1
Datia	2
Durga	1
Bastar	1
Khargone	1
Sarguja	1

Efforts will be made to open this year as many of the above Telegraph Offices as possible subject to the availability of stores.

सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में लेटर बाक्सों की कमी

2732. क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर और भावनगर जिलों में लेटर बाक्सों की कमी महसूस की गई है ;

(ख) यदि हां, तो लेटर बाक्सों की, जिले-वार, कुल कितनी अनुमानित मांग है और यह कमी कब से महसूस की गई है ; और

(ग) उपरोक्त स्थानों में अपेक्षित संख्या में लेटर बाक्स कब तक लगाये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि में, जिसके दौरान कमी महसूस की गई है, मांग और सप्लाई की स्थिति :—

जिले का नाम	मांग	सप्लाई
राजकोट	500	60
जामनगर	345	—
भावनगर	150	41

(ग) आशा है कि इस कैलेंडर वर्ष के दौरान कमी पूरी कर ली जाएगी । विलम्ब का कारण यह था कि माल सप्लाई करने वालों को इस्पात की चादरें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, जिसके लिए इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योग मंत्रालय ने विशेष प्राथमिकता की व्यवस्था कर दी है ।

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा और गोदामों का निर्माण

2733. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से और गोदाम बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के भांडागार की कुल वर्तमान क्षमता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां ।

(ख) अब तक मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में कुल 2.23 लाख मीटरी टन क्षमता के खाद्यान्न गोदाम बनाने की स्वीकृति मिली है जिन्हें बनवाने का काम 1969-70 और 1970-71 में किया जाता है और गोदाम बनाने का कार्य बाद के वर्षों में किया जाएगा ।

(ग) अब तक स्वीकृत, निर्माण संबंधी अनुमानित लागत 4.80 करोड़ रुपये है जिसमें से कुछ की मंजूरी मिल चुकी है ।

(घ) 2,05,520 मीटरी टन

(निजी——80,900 मीटरी टन
किराये के—1,24,620 „ „)

राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिये धन

2734. **श्री नि० नरसिम्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में अकाल सहायता योजनाओं के अन्तर्गत नल कूप लगाने के लिए धन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) राज्य सरकार को यह राशि कब दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों को सूखा सहायता पर व्यय करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गये खर्चे के आधार पर दी जाती है लेकिन केन्द्रीय दल की सिफारिशों की दृष्टि में समूची उच्चतम सीमा अपनायी जाती है और उनका काम की व्यक्तिगत मदों के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा जाता है ।

भारत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्थान में सूखा सहायता उपायों पर खर्च के संबंध में 58.06 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा अपनाई है । इसमें गाड़ियों के खरीदने, नल-कूपों को लगाने तथा उनको चलाने के लिये बिजली की व्यवस्था करने, शहरी तथा क्षेत्रीय पानी सप्लाई योजनाओं आदि जैसी पेयजल सप्लाई योजनाओं पर खर्च के लिये 4.8965 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है । चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को अब तक सूखा सहायता के लिए 43.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ।

उत्पादन बढ़ाने के लिये सुपर फास्फेट उद्योग को सहायता

2735. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 18 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सुपर फास्फेट उद्योग ने सर्व प्रथम देश में फास्फेटि उर्वरक का उत्पादन आरम्भ किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस का उत्पादन और बिक्री ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड डी० सी० एम० केमिकल, वर्क्स, शा वलैस, रैलिस इंडिया, घरम से मोरारजी, फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड आदि बड़े संगठनों तथा आदर्श कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, उधना जैसे छोटे कारखानों द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सुपर फास्फेट उद्योग में प्रवर्तन उपायों तथा कुशल बिक्री संगठन की किस प्रकार कमी है ; और

(घ) स्वदेशी उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का उपयोग बढ़ाने में सहायता करने तथा इस प्रकार आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुपर फास्फेट उद्योग ने देश में रासायनिक फासफैटिक उर्वरक के सामान्य उपयोग को शुरू किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). उद्योग की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सरकार उन के माल को खरीद कर और उसे किसानों में लोक प्रिय बनाने और वितरण के लिये राज्यों आदि को सप्लाई करके उसकी सहायता करती रही थी। मांग अधिक बढ़ जाने पर उद्योग ने अपने उत्पादन को स्वयं बेचना शुरू कर दिया। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के शुरू होने के साथ साथ फासफेटपूरक उर्वरकों की मांग 1966-67 में और उसके बाद बढ़ गई और इस प्रकार सुपर फासफेट उद्योग समृद्ध बन गया। किन्तु उद्योग ने अपने उत्पादन को बेचने के लिए कोई महत्वपूर्ण विपणन विकास का प्रयास नहीं किया। उपभोक्ताओं ने अब बाजार में आये हुए और सारकृत सम्मिश्र उर्वरकों के, लाभों का पता चल गया है और वे सुपर फासफेट की अपेक्षा उन को प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर भी सुपर फासफेट उद्योग के साथ परामर्श करके उस के पुनर्वास के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। साथ ही समय समय पर फासफेटपूरक उर्वरकों की उन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये कदम उठाये जाते हैं जिन को घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा सकता है जिस में सुपर फासफेट के उत्पादन की सम्भाव्यता भी सम्मिलित है और फासफेटिक उर्वरकों के आयात को उसी सीमा तक आयोजित किया जाता है जिस सीमा तक अनुमानित आवश्यकताओं की अपेक्षा घरेलू उत्पादन में कमी आती है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे आयातित सम्मिश्र उर्वरकों के लिये मांग प्रस्तुत करने से पहले स्थानीय रूप से तैयार हुये सुपर-फासफेट आदि को अधिकाधिक प्रयोग में लायें। स्थानीय रूप से तैयार हुये सम्मिश्रणों के प्रयोग को, (जिन में सुपर फासफेट एक महत्वपूर्ण अंश है) संतुलित उर्वरकता के हित में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये फासफेटपूरक उर्वरक बनाने हेतु कई नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं मुख्यतः अधिक विश्लेषण सम्मिश्र उर्वरक, जिन में लागत के लाभों के जिन कारण तीनों मुख्य तत्व मौजूद हैं बनाने हेतु अतिरिक्त क्षमता सम्मिश्र की जा रही है। इस सम्बन्धित लागत लाभ के कारण, ऐसी सम्भावना है कि देशीय क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग होगा।

रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा खाद्य उत्पादन पर उसका प्रभाव

2736. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तक पिछले तीन वर्षों में देश में इस्तेमाल हुए रासायनिक उर्वरकों को एन० पी० तथा के० के अनुसार रबी और खरीफ की मौसमों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1971-72 में एन० पी० और के० के अनुसार रबी तथा खरीफ मौसमों में उर्वरकों की खपत के लिये निर्धारित लक्ष्य का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) खाद्यान्न तथा अन्य फसलों के बढ़े हुए उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के योगदान के बारे में सरकार द्वारा यदि कोई अध्ययन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 वर्षों के लिये एन० पी० तथा के० के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल का ब्यौरा अधोलिखित है :—

	वर्ष	एन		पी		के	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
	1968-69	5.30	6.78	1.84	1.98	0.72	0.78
(अनुमानित)	1969-70	6.31	8.19	1.87	2.43	0.69	1.31
(अनुमानित)	1970-71	8.58	11.42	3.29	4.21	1.47	2.73

(ख) योजना आयोग द्वारा 1971-72 के लिये निर्धारित रासायनिक खपत के संशोधित लक्ष्य अधोलिखित हैं :—

(मीटरी टन लाखों में)

वर्ष	एन	पी	के
1971-72	24.00	9.30	5.60

वर्ष 1971-72 के लिये खरीफ और रबी मौसम के पृथक-पृथक लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गये हैं।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के उत्पाद परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये अनुसंधान अन्वेषण किये गये हैं। खाद्यान्नों और अन्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में रासायनिक उर्वरकों के अशंदान का मूल्यांकन करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1956-57 से इस क्षेत्र में व्यापक अध्ययन किये हैं। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के सूत्रपात्र के साथ, उर्वरक अनुसंधान पुनः उन्नत किया गया और अखिल भारतीय समन्वित कृषि शास्त्रीय परीक्षणों पर एक योजना कार्यान्वित कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 44 आदर्श परीक्षण केन्द्रों पर 366 मिश्रित परीक्षण किये गये हैं और देश में विभिन्न कृषि जलवायु और भूमि का संवहन प्रतिनिधित्य करने वाले 90 जिलों में कृषकों के खेतों में 7215 सादे उर्वरक परीक्षण किये गये। परिणामों ने प्रदर्शित किया कि भूमि की सामान्य उर्वरता के स्तर पर भी अधिक उत्पादनशील किस्मों ने, स्थानीय किस्मों की उपेक्षा बेहतर उपज दी।

इन अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के एक मीटरी टन के प्रयोग से क्रमशः औसतन 10 मीटरी टन, 6 मीट्री टन और एक मीट्री टन खाद्य का उत्पादन होता है।

अधिक उपज देने वाले बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र और खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसका प्रभाव

2737. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग मुख्य रूप से देश के सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित है ;

(ख) देश में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है और 1970-71 में इसमें से कितने क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया और इस बारे में 1971-72 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) अनाज तथा अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में अधिक उपज देने वाले बीजों के योगदान के बारे में सरकार द्वारा यदि कोई अध्ययन कराया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सिंचित और सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में ।

(ख) देश में समस्त फसलों के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का अनुमान 327.5 लाख हैक्टार (1966-67) है । इस क्षेत्र में से अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970-71 के दौरान लगभग 133.2 लाख हैक्टार तथा 1971-72 के दौरान 168.0 लाख हैक्टार क्षेत्र आनें की सम्भावना है ।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई के क्षेत्र और उपज के निष्पादन के निर्धारण के सम्बन्ध में एक अध्ययन 1969-70 से आरम्भ किया गया है । अभी इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गुजरात में जूनागढ़ जिले के गांव जिनमें डाकघर तथा टेलीफोन केन्द्र हैं

2738. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जूनागढ़ जिले में कुल कितने गांव हैं तथा उनमें से ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें इस समय (1) डाकघर अथवा शाखा डाकघर और (2) टेलीफोन केन्द्र हैं ;

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त सुविधायें मांगी हैं ; और

(ग) उक्त गांवों में से कितने कस्बों तथा गांवों में वर्ष 1970-71 में नये डाक घर तथा शाखा डाकघर और टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) गुजरात के जूनागढ़ जिले में गांवों की कुल संख्या—1126 ऐसे गांवों की संख्या जहां 7-3-70 को डाकघर मौजूद हैं—421 ऐसे गांवों की संख्या जहां 10-3-70 को टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं—4

(ख) ऐसे गांवों की संख्या जिनमें 1969-70 के दौरान डाकघर खोलने की सुविधाओं की मांग की गई है—6

ऐसे गांवों की संख्या जिनमें 1969-70 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की सुविधाओं की मांग की गई है—3.

(ग) उक्त क्षेत्र में ऐसे कस्बों और गांवों की संख्या का जिनमें 1970-71 में नये डाकघरों की व्यवस्था की जानी है, अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है।

उक्त क्षेत्र में ऐसे कस्बों और गांवों की संख्या जिनमें 1970-71 में नये टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था की जाएगी—1.

शेष स्थानों पर एक्सचेंज खोलने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

भारत में मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता प्राप्त मजदूर संघ तथा औद्योगिक शांति पर गजेन्द्र गड़कर आयोग की सिफारिशें

2739. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता प्राप्त मजदूर संघ कितने थे ;

(ख) इनके सदस्यों की स्थापित संख्या कितनी थी ; और

(ग) सौदाबाजी द्वारा समझौतों पर अधिक जोर देते हुए (एक) सामूहिक सौदेबाजी (दो) समझौते (तीन) मध्यस्थता आदि के द्वारा देश में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने हेतु मजदूर संघों को प्रभावी माध्यम बनाने के विषय पर गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). देश में कितनी यूनियनें मान्यता-प्राप्त हैं और कितनी अमान्यता-प्राप्त और उनकी सदस्यों की सत्यापित संख्या कितनी है, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गजेन्द्रगड़कर श्रम आयोग की सिफारिशों की विभिन्न सम्बन्धित पक्षों से परामर्श लेकर जांच की जा रही है।

Applications Pending for Telephone Connections in Madhya Pradesh

2740. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending for telephone connections in Madhya Pradesh; and

(b) the time by which the telephone connections would be sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 8,529 on 31-12-69.

(b) There is a general shortage of exchange equipment and specially the underground cables. It is, therefore, difficult to give any definite date for clearing the existing waiting lists.

पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री

2741. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली विभागीय गणना में पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र और पत्रों की संख्या कितनी थी और गत वर्ष की गणना में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) दोनों गणनाओं में राजस्व आय के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या संख्या में कमी होने के कारण राजस्व आय में कमी हुई है और यदि हाँ, तो क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि गत वर्ष कम से कम पोस्ट कार्ड के मामले में जो कि गरीब लोगों का पत्र-व्यवहार का एकमात्र साधन है, की गई मूल्य वृद्धि को क्यों न समाप्त कर दिया जाये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० शेरसिंह) : (क) यह अनुमानित संख्या करोड़ों में इस प्रकार है :

	1967-68	1968-69
पोस्टकार्ड	121.10	102.69
अन्तर्देशीय पत्र	58.52	51.21
पत्र	92.88	80.41

(ख) पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्र और पत्र की बिक्री से प्राप्त राजस्व का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता। इसे अन्य मदों के ही साथ, जिनके लिए डाक-टिकटों में राजस्व वसूल किया जाता है, 'साधारण डाक-डिकटों की बिक्री' और 'राजकीय डाक-टिकटों की बिक्री' या 'नकदी में वसूल किया गया डाक-भार' के शीर्षों के खाते में जमा कर दिया जाता है। 1967-68 और 1968-69 के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व इस प्रकार था :

	1967-68	1968-69
	(करोड़ रु० में)	(करोड़ रु० में)
साधारण डाक-टिकटों की बिक्री	44.02	53.96
राजकीय डाक-टिकटों की बिक्री	8.77	10.71
नकदी में वसूल किया गया डाक-प्रभार	9.05	11.89
कुल	61.84	76.56

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर से स्पष्ट है, 1967-68 की तुलना में 1968-69 में राजस्व अधिक था। किन्तु 1968-69 में कुछ तो परियात में थोड़ी सी कमी हो जाने और कुछ

हद तक संशोधित शुल्क दरों को वर्ष के शुरू के बजाय 15 मई, 1968 से लागू किये जाने के कारण राजस्व में सम्भावना के विपरीत कुछ कमी हुई है।

पोस्टकार्ड पर विभाग की लागत 15.27 पैसे हैं, जब तक कि इससे प्राप्त शुल्क दर केवल 10 पैसे हैं। विभाग को इस मद में भारी घाटा हो रहा है। इसलिए 1968 में पोस्टकार्डों की शुल्क दर में की गई वृद्धि को छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं है।

कालीघाट डाक में मुहर लगाये पत्र जो युनीक पार्क, बेहाला, कलकत्ता में फटे पाये गये

2742. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री ए० श्रीधरण :**
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधिवत सर नामे लिखे और कालीघाट डाक घर, कलकत्ता में मुहर लगाये गये पत्र जनवरी 1970 के दूसरे सप्ताह में युनीक पार्क बेहाला कलकत्ता में फटे पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को ये पत्र पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 5

(ग) बाद में चार पत्रों का पाने वालों का वितरण किया गया था। इस मामले में पाने वाले को नहीं ढूंढा जा सका और इसलिए इसका वितरण नहीं किया जा सका। एक डाकिये पर सन्देह हैं कि यह उसकी शरारत है। पुलिस को छान-बीन करने के लिए इस मामले की रिपोर्ट की गई है।

कोलावा महाराष्ट्र के लिए टेलीफोन विकास योजना

2743. **श्री दत्तात्रेय कुन्टे : सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के लिए जिला कोलाबा (महाराष्ट्र) में टेलीफोनों के लिए बर्षवार विकास योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) योजना का कितना भाग अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि जिला रत्नगिरि कोलाबा जिले के बिल्कुल साथ दक्षिण में है कोलाबा तथा रत्न गिरि के बीच उत्तर कोलाबा में पानवेल पूना-सतारा होकर लम्बे मार्ग से

सम्पर्क रखा गया है जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो वस्तुतः उन्हें टेलीफोन सुविधा से वंचित रखता है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान न दिये जाने के कारण कोलाबा में टेलीफोन लाइनें अधिकतर खराब रहती है जिससे खाली बैठे रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के अतिरिक्त राज्य को राजस्व की काफी हानि उठानी पड़ती है यदि हाँ तो क्या सरकार ऐसे मामलों में ग्राहक को किराया लौटा देने के बारे में विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में टेलीफोन सुविधा के विस्तार की नीचे लिखी योजना का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में नीचे लिखे कार्य पूरे किये गये :

(i) 1967-68 पानवेल में 200 लाइनों के मेनुएल एक्सचेंज की जगह 300 लाइनों का स्वचल एक्सचेंज लगाना ।

(ii) 1968-69 गारेगांव में 50 लाइनों का छोटा स्वचल एक्सचेंज लगाना ।

(iii) अलीबाग एक्सचेंज की 100 लाइनों को बढ़ाकर 120 करना ।

(iv) आम्बेट में एक सार्वजनिक ट्रंक टेलीफोन पर की व्यवस्था ।

(v) 1969-70 कोलाद में 25 लाइनों का एक कोटा स्वचल एक्सचेंज लगाना ।

(vi) मुरूद एक्सचेंज की 25 लाइनों को वढ़ाकर 50 करना ।

(vii) बोर्ली पंचायतन में एक सार्वजनिक ट्रंक टेलीफोन घर की व्यवस्था ।

(ख) इन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्यक्रम वाली नीचे लिखी योजनाओं को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(i) अलीबाग एक्सचेंज की 120 लाइनों को बढ़ाकर 200 करना—इस कार्य के 1970 में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ii) चौक में 50 लाइनों का एक छोटा स्वचल एक्सचेंज लगाना—1970 में इसके चालू किये जाने की आशा हैं ।

(iii) अवास में एक दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था-सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिए ट्रंक लाइन लगायी जा रही है ।

(iv) पाली में 50 लाइनों का एक छोटा स्वचल एक्सचेंज लगाना—1970 के मध्य तक इसके पूरा हो जाने की आशा हैं ।

(v) खोपोली में 100 लाइनों के एक मैनुएल एक्सचेंज की जगह 200 लाइनों का स्वचल एक्सचेंज लगाना—उपस्कर आ गये हैं । किराये पर उपयुक्त भवन की व्यवस्था की जा रही हैं 1970 में इसके चालू किये जाने की आशा हैं ।

(vi) पानवेल एक्सचेंज की 300 लाइनों को बढ़ाकर 500 लाइनें करना—1970 तक चालू किये जाने की आशा है।

(ग) चूंकि बम्बई से पेन और रत्नागिरि के लिए हाल में सीधे ट्रंक परिपथों की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए रत्नगिरि जिले के मुख्य नगर रत्नगिरि से कोलाबा जिले के मुख्य नगर रत्नगिरि से कोलाबा जिले के मुख्य नगर रत्नगिरि की कालें अब पेन और बम्बई होकर लगायी जाती है

(घ) जी, नही। इस जिले में ट्रंक लाइनों की कुशलता का रिकार्ड 80 प्रतिशत से भी ऊपर चला गया है।

पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली

2744. **श्री रामगोपाल साबू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निमाण समिति दिल्ली के उन सदस्यों को जिनके पास पहले ही भूमि थी समिति की सदस्यता से कब हटाया गया था इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उन लोगों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनको समिति की सदस्यता से हटाने की बजाये उनसे त्यागपत्र प्राप्त करने तथा उन्हें स्वीकार कर लेने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या एक सम्पत्ति दलाल का अमरोहा निवासी सम्बन्धी अपने आपको दिल्ली का निवासी बताकर इस समिति का सदस्य बना था ; यदि हां तो इस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) एक ही परिवार के कई लोगों को समिति का सदस्य बनाने तथा 1968 में बने एक सदस्य को भूमि आवंटित करने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ; और

(ङ) सम्बन्धियों से भिन्न लोगों को अंशों का हस्तांतरण करने की अनुमति देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ऐसा किन परिस्थितियों में करने दिया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग)

(क) और (ख). सहकारी समिति की उपविधियां आन्तरिक प्रशासन, जिसमें सदस्यता तथा हस्तांतरण भी शामिल हैं, के सभी मामलों का नियमन करती हैं। ये उपविधियां सहकारी समिति द्वारा प्रशासित की जाती हैं। यदि पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली के ध्यान में

प्रबन्ध समिति द्वारा उपविधियों को भंग करने तथा उनका परिपालन न करने की कोई शिकायत लाई जाती है तो ये बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925, जो दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में भी लागू है, के अन्तर्गत उनमें निहित सांविधिक अधिकारों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार कर सकते हैं।

पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने यह सूचित किया है कि पहाड़ी धीरज सहकारी भवन निर्माण समिति के चार सदस्यों, जिन्होंने मकान/भूमि ले ली थी और जो इस कारण समिति की उपविधि 8 के अन्तर्गत समिति के सदस्य नहीं रहे थे, वे अपने त्याग-पत्र दे दिए थे और समिति के प्रबन्धकों ने उन्हें 27 अक्तूबर, 1969 को स्वीकार कर लिया था। अतः उत्तर-दायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता

(ग) यदि सदस्यों को प्रवेश देने में की गई अनियमितता के बारे में विशिष्ट जानकारी पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली के ध्यान से लाई जाती हैं, तो वे उसकी जांच के लिए प्रबन्ध कर सकते हैं। समिति द्वारा दिल्ली प्रशासन को उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार सदस्यों को उपविधियों में निहित शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया गया था।

(घ) अब तक इस समिति द्वारा कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(ङ) यह सूचित किया गया है कि समिति द्वारा किया गया हिस्सों का हस्तांतरण उप-विधियों के अनुसार था। पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली, तब कार्यवाही कर सकेंगे जब उनके ध्यान में कोई उल्लंघन लाया जाता है

जवानों के लिए विविध भारती कार्यक्रम

2745. **श्री न० रा० देवघरे : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बावजूद प्रति शनिवार तथा रविवार को कुछ चलचित्र कलाकार जवानों के लिये विविध भारती से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम को आम जनता पसन्द नहीं करती क्योंकि इसमें केवल पुराने कार्यक्रमों को ही पुनरावृति होती है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया ;

(ग) यदि हाँ, तो यह कार्यक्रम किन आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है ; और

(घ) इस कार्यक्रम की उपयोगिता क्या है और काफी समय के बाद भी इसके स्थान पर कोई नया कार्यक्रम प्रस्तुत न करने के क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). यह कार्यक्रम जवानों के मनोरंजन के लिए प्रसारित किया जाता है तथा जैसा कि श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं से पता लगता है कि यह कार्यक्रम केवल विविध भारती सेवा का ही नहीं अपितु समूची आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है।

अवैध ट्रांसमीटरों का पता लगना

2747. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यहां देश में अवांछनीय तत्वों के पास अनेक अवैध ट्रांसमीटर हैं ;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों को विद्यमानता का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक ढंग निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने ट्रांसमीटरों का पता लगाया गया और अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस प्रकार के अनेक प्रेषित्र मौजूद हैं ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ; फिर भी उत्तर के भाग (ग) में दिखाये गये कुछ मामले ध्यान में आये हैं ।

(ख) अन्तर्गस्त प्राविधिक समस्याओं के कारण, अवैध प्रेषित्रों (ट्रांसमीटरों) को पकड़ने के लिए कोई विशेष रीति अपनाना सम्भत नहीं है । अलबत्ता कुछ मामलों में पहले से गुप्त सूचना मिलने पर चल अनुश्रवणों, दिशा-बोधों आदि द्वारा, इन्हें पकड़ना सम्भव हो सका है ।

(ग) उपलब्ध रीतियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये प्रेषित्रों (ट्रांसमीटरों) की संख्या सात थी । अपराधियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गयी ।

'मील्स फार मिलियन्स' केन्द्र

2748. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में चलाये जा रहे 'मील्स फार मिलियन्स' केन्द्र के कार्य क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इन केन्द्रों में यदि कोई अनुसंधान-कार्य किया जाता है तो क्या ; और

(घ) इस केन्द्र के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा सरकार इसे अनुदान के रूप में कितनी धन राशि दे रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नसाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). 'मील्स फार मिलियन्स एसोसिएशन आफ इंडिया' नाम की एक संस्था है जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है । यह एक स्वयंसेवी और स्वायत्त संस्था है जो कि सोसायटी-पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है । इस संस्था के कार्य अथवा प्रबंध से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं और पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस संस्था को कोई भी अनुदान नहीं दे रही है ।

होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में प्रायोगिक नलकूप संगठन के लिए दूसरा छिद्रक बर्मा

2749. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर जिलों में कार्य कर रहे प्रायोगिक नलकूप संगठन के दल के लिए अपेक्षित दूसरे छिद्रक बर्मा (रिग) कब तक भेज दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) अब तक इसे न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). समन्वेषी नलकूप संस्था को इस क्षेत्र में खोज के लिये पहले ही शुरू किये जा रहे वर्तमान 6-8 स्थानों के अतिरिक्त, होशंगाबाद—नरसिंहपुर जिलों में 12 समन्वेषी स्थानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, नर्मदा नदी क्षेत्र में जल संसाधनों के बृहत् अध्ययन को शुरू करने तथा इन अतिरिक्त 12 स्थानों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा लाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः प्रस्तावित परियोजना में अतिरिक्त स्थानों को सम्मिलित करने के विषय में निर्णय होने तक समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा दूसरी रिग को होशंगाबाद—नरसिंहपुर जिलों में बदलने का कार्य स्थगित कर दिया गया है। समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा पहले ही किये जा रहे वर्तमान कार्य के लिए एक रिग पर्याप्त समझी जाती है।

नर्मदा नदी क्षेत्र में प्रायोगिक नलकूप संगठन का कार्य

2750. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोगिक नलकूप संगठन द्वारा नर्मदा नदी क्षेत्र में जो खोज कार्य हो रहा है उसका प्रयोजन क्या है ;

(ख) क्या उपलब्ध की गई सामग्री के आधार पर प्रायोगिक नलकूप संगठन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार गहरे नलकूपों की स्थापना को त्यागने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रायोगिक नलकूप संगठन द्वारा अग्रेतर खोज कार्य जारी रखे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उदग्र तथा आड़ी जलीय सतहों का पता लगाने और उनमें पानी की क्षमता के लक्षणों का पता लगाने की दृष्टि से भी समन्वेषी नलकूप संस्था नर्मदा नदी क्षेत्र में समन्वेषी कार्य कर रही है। यह नर्मदा नदी क्षेत्र में बृहत् भूगर्भ जल निर्धारण के अध्ययनों को प्रारम्भ के रूप में कार्य करेगी।

(ख) अब तक मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नर्मदा नदी क्षेत्र में कम गहरे नलकूपों की क्षमता

2751. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा नदी क्षेत्र सिंचाई कार्यों के लिये कम गहरे नलकूप लगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन नलकूपों से कितने समय तक सिंचाई के लिए जल मिलता रहने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गहरे नलकूपों को जल देने वाला जलयुक्त क्षेत्र अपर्याप्त है और वह इन नलकूपों तथा खोदे गये कुओं को जल देना बन्द कर सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार कम गहरे नलकूप खोदने का काम कर रही है और गहरे नलकूप खोदने का काम रोक रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। नदी क्षेत्र के कुछ भाग कम गहरे नलकूप खोदने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि जल का जमाव या जल स्थल कम गहराई पर ही उपलब्ध हैं।

समस्त नदी क्षेत्र के लिए यह सच नहीं है। कम गहरे नलकूप खोदने के लिए उपयुक्त क्षेत्र भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किये गये भू-जल सर्वेक्षणों के आधार पर सीमांकित किये गये हैं।

(ख) यदि जल स्थलों की वार्षिक अपूर्ति अथवा जल स्थलों की प्रतिपूर्ति से अधिक निकास नहीं होता तो ये नलकूप सदा चलते रहेंगे। फिर भी, एक नलकूप सामान्यतः लगभग 15 से 20 वर्ष तक चलता है।

(ग) तथा (घ). दोनों गहरे तथा कम गहरे नलकूप नर्मदा नदी में बनाये जा रहे हैं। कम गहरे नलकूप कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को अपने निजी नलकूपों पर स्वामित्व रखने और अपनी आवश्यकता तथा सुविधा के अनुसार उन्हें चलाने के अधिकार की अनुमति प्राप्त होती है। अधिक विकास या अधिक निकासी की कोई परिस्थिति अभी तक देखने में नहीं आई है। नलकूपों की संख्या तथा अन्तराल के बारे में काफी सावधानी बर्ती जा रही है। ऐसा कोई भय नहीं है कि अतिरिक्त नलकूप इस समय मौजूद नलकूपों या खुदे हुए कुओं की आपूर्ति में कमी करेंगे या बाधा डालेंगे।

ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण

2752. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयातित ट्रैक्टरों का विभिन्न राज्यों को वितरण करने में क्या सिद्धांत अपनाये जाते हैं ; और

(ख) 1969 में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया और प्रत्येक राज्य को प्रत्येक किस्म के कितने-कितने ट्रैक्टर दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आयातित ट्रैक्टरों के नियतन के समय निम्न सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है :

(1) राज्य कृषि उद्योग निगमों, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों, आदि द्वारा पंजीकृत अपेक्षित मांग ;

(2) सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादनशील किस्मों का क्षेत्र ;

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की वर्तमान संख्या ;

(4) सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का पहले ही अलाट हुए ट्रैक्टरों की संख्या ; और

(5) राज्य में ट्रैक्टरों की मरम्मत आदि की व्यवस्था ।

(ख) सन् 1968-69 की आवश्यकताओं के लिए 15,500 ट्रैक्टरों को आयात करने का निश्चय किया गया है । इनमें से 14,000 ट्रैक्टर या तो प्राप्त हो चुके या समुद्र मार्ग द्वारा आ रहे हैं । विभिन्न राज्यों के मध्य 15,500 ट्रैक्टरों के नियतन को प्रदर्शित करने वाला विवरण सँलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2829/70]

राज्य सरकारों द्वारा शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये दिये गये ऋणों की वसूली

2753. **श्री देवेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर मकान बनाने के लिये शरणार्थियों को दिये गये ऋणों की ब्याज सहित वसूली, कैम्प शरणार्थियों तथा अन्य शरणार्थियों को अलाट की गई भूमि के मूल्य की विकास सम्बन्धी खर्च सहित वसूली और 1950 में अर्जन की तारीख से $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की वसूली के लिए आदेश जारी करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में आसनसोल स्थित महीशिला सरकारी बस्ती में कितने शरणार्थियों को बसाया गया ; और

(ग) उनमें से कितने शरणार्थियों को कैम्पों से लाया गया और अब तक कितने शरणार्थियों के लिये लाभप्रद रोजगारों की व्यवस्था की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विभिन्न पुनर्वास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की उनसे वसूली की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया जाता है । पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई नये आदेश जारी नहीं किये हैं । उन्होंने सूचित किया है कि ऋण की, जो कि (i) भूमि के मूल्य और (ii) विकास लागत का निरूपण करता है, वसूली क्रमशः अधिनिर्णय की तिथि तथा विकास कार्य के

पूर्ण होने से प्रभावी हो जाती है। अन्य राज्यों के बारे में इस प्रकार की जानकारी सरलतया उपलब्ध नहीं है।

ऋण के केवल उस भाग ही की वसूली की जाती है जो कि इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

(ख) 845 परिवार।

(ग) 400 परिवार शिविरों से लाये गये थे और उनमें से 167 को लाभप्रद रोजगार पर लगाया गया है।

तौनी देवी (हिमाचल प्रदेश) में डाक तथा तार घर खोलना

2754. **श्री निहाल सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सभाओं तथा व्यक्तियों ने अम्बाला के महा डाक-पाल से आग्रह किया है कि हमीरपुर उप-खंड (हिमाचल प्रदेश) में तौनी देवी में एक तारघर खोला जाए; और यदि हां तो कब ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अम्बाला के महा डाकपाल ने डी०ई०टी०, पूर्वी जलंधर को इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है और यदि हां, तो कब ;

(ग) तौनी देवी के निकट अन्य तारघरों के नाम क्या है तथा वे कहां से कितनी कितनी दूरी पर हैं ; और

(घ) तौनी देवी डाक घर में तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, किसी सभा अथवा व्यक्तियों ने अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल से हमीरपुर उप-खंड (हिमाचल प्रदेश) के तौनी देवी में तारघर खोलने का अनुरोध नहीं किया है। बल्कि अध्यक्ष तरुण परिषद्, तौनी देवी ने जुलाई, 1969 में तौनी देवी में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने का निवेदन किया था। उसी निवेदन की प्रति 12 जुलाई, 1969 को संसद् सदस्य श्री प्रेमचन्द वर्मा द्वारा भेजी गई थी।

(ख) तौनी देवी में सार्वजनिक टेलीफोन घर (तार घर नहीं) खोलने के प्रस्ताव की जांच ईस्ट जालंधर के मंडल इन्जीनियर तार द्वारा नहीं, बल्कि शिमला के मंडल इन्जीनियर तार द्वारा कराई गई थी। सम्बन्धित मण्डल को अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल ने 31 जुलाई, 1969 को लिखा था।

(ग) हमीरपुर तौनी देवी से निकटतम तारघर हैं जो कि 8 मील के फासले पर स्थित है। दूसरे नज़दीकी तारघर मीटा तथा लदरौर हैं, जो कि तौनी देवी से क्रमश. 10 मील तथा 18 मील के फासले पर स्थित हैं।

(घ) तौनी देवी में तारघर खोलने के प्रस्ताव की जांच अब की जा रही है।

आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों संघ को मान्यता देना

2755. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय ने आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों के दो कार्मिक संघ संगठनों में से एक को कार्मिक संघों सम्बन्धी अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए सदस्यों सम्बन्धी तथ्यों का सत्यापन करने का काम किया था ; और

(ख) इस सम्बन्ध में मन्त्रालय ने क्या कार्यावाही की है और क्या किसी कार्मिक संघ का बहुमत सिद्ध हो गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). आकाशवाणी ने अनुशासन संहिता को अभी तक स्वीकार नहीं किया है । परन्तु, उनकी प्रार्थना पर, दोनों यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन किया गया है और उसके परिणाम की सूचना आकाशवाणी के प्राधिकारियों को भेज दी गई है ।

गुजरात में उथला जल तथा गहरे वाले नलकूप लगाने के लिए छिद्रक बरमे

2756. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने चट्टानी और उर्वरा क्षेत्रों में उथले जल अथवा गहरे जल वाले नलकूपों के लिए छिद्रक बरमों के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) इसकी मांग क्या है और अब तक कितने बरमें भेजे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य और कृषि मन्त्रालय को चट्टानी और जलोढ-क्षेत्रों में उथले तथा गहरे नलकूपों के लिये ड्रिल्लिग रिगों की मांग के बारे में गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं । परन्तु पता चला है कि राज्य सरकार ने राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु रिगों के सम्भरण के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था । वह मन्त्रालय यूनिसेफ से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत छः रिगों की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध और बहुतायत वाले राज्य को कमी वाले राज्य में मिलाने की सरकार की नीति

2757. **श्री सोमचन्द सोलंकी :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किन कारणों से देश में खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध कायम रख रही है ;

(ख) कमी वाले राज्यों को बहुतायत वाले राज्यों के साथ जो कि भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप हैं मिलाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(ग) क्या गुजरात राज्य को गेहूं वाले बड़े क्षेत्र के साथ मिलाने से प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का उद्देश्य बफर स्टाक तैयार करने तथा खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक आंतरिक अधिप्राप्ति करना है ।

(ख) निकटस्थ कमी वाले राज्यों के साथ अधिशेष राज्यों को मिलाने की सरकार की इस नीति का अन्तर्निहित मुख्य उद्देश्य समरूप और आत्मनिर्भर खाद्य क्षेत्र बनाना है जिसमें अधिशेष क्षेत्रों के उत्पादकों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो जायेगा और विशेषकर कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को उचित दामों पर खाद्यान्न मिलेंगे । खाद्य क्षेत्रों से ऊँची क्रय शक्ति वाले क्षेत्रों को होने वाले असमान संचलन को रोक कर अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजने में सहायता मिलेगी ;

(ग) जब उत्तरी गेहूं क्षेत्र को बड़ा किया गया था तब गुजरात को उस बड़े उत्तरी गेहूँ क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रश्न पर गत वर्ष विचार किया गया था । उस समय यह महसूस किया गया कि ऐसा करना उपयुक्त नहीं था । 1970-71 के लिए रबी के क्षेत्रीय ढांचे की समीक्षा मुख्य मन्त्रियों की अगली बैठक में फिर की जायेगी जिसकी 22 मार्च, 1970 को होने की सम्भावना है।

दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में तिलहन का उत्पादन तथा मूल्य

2758. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मांग की तुलना में तिलहन का उत्पादन कितना था ;

(ख) उस अवधि में अन्य कृषि जिनसों में मूल्यों की तुलना में इसके मूल्य कितने प्रतिशत बढ़े ; और

(ग) इसके मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में तिलहन उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा प्रत्येक योजना के अन्त में वास्तविक रूप से प्राप्त हुए लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :

(.000 मीटरी टनों में)

द्वितीय योजना			तृतीय योजना		
लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति	
डिमांड प्रोजेकशन पर आधारित	उच्चतम	योजना के अन्त में	डिमांड प्रोजेक्शन पर आधारित	उच्चतम	योजना के अन्त में
7550	7298 (1958-59)	6982	9820	8563 (1964-65)	6346

(ख) मूल्य में प्रतिशत वृद्धि थोक मूल्यों के निम्न लिखित सूचकांक द्वारा प्रदर्शित की गई है :

वर्ष	तिलहन	कृषि पण्य
आधार (1952-53)	100	100
1961 (कैलन्डर वर्ष)	158.0	124.1
1966 (,,)	284.0	189.6

(ग) मूल्यों की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं (1) मांग का सप्लाई से बढ़ जाना और (2) कृषि आदानों के मूल्यों में साधारण वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना आदि। सरकार ने मूल्यों में होने वाली कमी बेशी को रोकने और इन्हें उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न उपाय अपनाये थे। मुख्य उपाय निम्नलिखित थे :

(1) आयात और निर्यात में समंजन ;

(2) तिलहन और तेलों में सट्टे का विनियमन ;

(3) तिलहन और बनस्पति तेलों के लिये बैंकों की अग्रिम राशि का विनियमन।

इसके अतिरिक्त देश में तिलहन फसलों के उत्पादन की वृद्धि के विचार से केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में पैकेज कार्यक्रम के आधार पर चुनिन्दा सम्भाव्य क्षेत्रों में सघन काशत के उपाय अपनाये जा रहे हैं।

भारत-रूस संलेख पर हस्ताक्षर

2759. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1970 को **"हिन्दुस्तान टाइम्स"** में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय भारतीय दैनिक समाचार पत्रों के कुछ प्रतिनिधि 2 फरवरी, 1970 को भारत-रूस संलेख पर हस्ताक्षर के समय अन्दर जाने नहीं दिये गये थे जबकि रूसी सम्वाददाता वहाँ उपस्थित थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किसी भी भारतीय अथवा विदेशी संवाददाता को समारोह में आने के लिए न तो आमंत्रित किया गया था और न ही अधिकृत किया गया था। औद्योगिक विकास विभाग तथा इस्पात एवं भारी इंजीनियरी मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि इस समारोह में समाचार-पत्र संवाददाताओं को आमंत्रित न किया जाए। केवल कैमरामैनों को ही कुछ समय के लिए हस्ताक्षर वाली रस्म के चित्र लेने के लिए अनुमति दी जानी थी और उन्हें भाषणों के होने से पहले ही चले जाना था। जिन संवाददाताओं ने पत्र सूचना कार्यालय से सम्पर्क किया था, उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया गया था और वे इस व्यवस्था से सहमत थे। तथापि,

तीन भारतीय संवाददाताओं को कमरे में उस समय देखा गया जब कि हस्ताक्षर की रस्म शुरू होने वाली थी। उन्हें पहले से निश्चित की गई व्यवस्था के बारे में याद दिलाया गया और वे बिना किसी विरोध के कमरे से चले गये। उस समय किसी अन्य संवाददाता को कमरे में नहीं देखा गया था। तथापि, बाद में पता चला कि रूम के दो संवाददाता भी मौजूद थे। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया और कहा कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि समारोह प्रेस संवाददाताओं के लिए नहीं खुला था "**हिन्दुस्तान टाइम्स**" की इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है कि रूसी प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री स्काचकाव ने भारतीय संवाददाताओं की उपस्थिति पर आपत्ति की थी।

Strike by Sugarcane Growers in Bihar

2760. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the sugarcane growers in Bihar went on strike to press their demands for an increase in the prices of sugarcann, timely payment of their dues by the owner of sugar mills and providing facilities to them at the weighment centre ;

(b) if so, whether it is a fact that Government have not looked into these problems of sugarcane growers of Bihar sympathetically and consequently it bas adversely affected the sugarcrne production ;

(c) if so, the economic and political factors behind the attitude adopted by Government for not solving the problems of sugarcane growers ; and

(d) whether it is a fact that the owners of sugar created troubles in the way of farmers getting above said facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government have always considered the problems of the sugarcane growers sympathetically and will continue to do so. As regards sugarcane price, Government fix only the minimum price of sugarcane payable by sugar factories. For 1969-70, the the minimum price of sugarcane was fixed at Rs. 7.37 per quintal linked to a recovery of 9.4 per cent or less with a premium of 5.36 paise per quintal for every increase of 0.1 per cent in recovery above 9.4 per cent. This price was fixed after taking into consideration the recommendations of the State Governments, Associations of sugarcane growers and sugar mills and in consulation with the Agricultural Prices Commission and other authorities concerned. Government are also already considering a proposal to provide that the sugar producers pay some additional price of sugarcane to the sugarcane growers if the former realise on their free sale sugar quota a price higher than that of the sugar.

As regards the question of timely payment of cane price, the State Government have been asked to take urgent measures for ensuring timely payment. The matter is under their constant vigilance and they have reported that 70 per cent of the can price has been paid.

As regards the provision of facilities at cane weighment centres, the State Government have already alerted their Area officers and the position is reviewed periodically by the Cane Commissioner Bihar.

(d) No, Sir.

Notice Served on Government Regarding Title of Press Information Bureau Newspaper "Hamara Desh"

2761. **Shri Ram Gopal Shaiwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Press Information Bureau bas started publishing a weekly newspaper entitled "Hamara Desh" :

(b) if so. whether it is also a fact that a newspaper with the same title is already published from Ghaziabad :

(c) if so, whether it is also a fact that the Editor and the publisher of the said newspaper have served a notice on Government in this regard ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communicattons (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) No newspaper entitled 'Hamara Desh' is shown as being published from Ghaziabad in the latest Report of the Registrar of Newspapers. It is, however, understood that one Hindi weekly under this title was being published from Ghaziabad since 1954. This weekly apparently ceased publication as the Press Registrar did not receive during the last four years any issues of the newspaper as required under Rule 5 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956 nor the annual statements as provided for in Rule 6 of the said Rules.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Radio Station at Aligarh

2762. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Boadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a faci that a decision to set up a Radia Station at Aligarh has been taken ;

(b) if so, the cost involved therein ; and

(c) the time by which the said station would be set up ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri S. N. Sinha) : Yes, Sir. Two high power short wave tranmitters are being set up at Aligarh for augumenting the External Services of All India Radio.

(b) Rs. 253 lakhs approximately.

(c) During 1970.

परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के विरुद्ध केरल के परिवहन मंत्री द्वारा प्रसारण

2764. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के विरुद्ध 22 जनवरी, 1970 को केरल के परिवहन मंत्री द्वारा किये गये प्रसारण के बारे में त्रिवेन्द्रम रेडियो स्टेशन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रसारण के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसने आकाशवाणी संहिता के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया । उपचारात्मक उपायों को करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो समिति

2765. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जनवरी, 1970 को दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने किन विषयों पर विचार किया ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । संचार विभाग के द्वारा दिये गये भारत सरकार के निमंत्रण पर अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो परामर्शदात्री समिति (सी० सी० आइ० आर०) ने अपना 12 वां पूर्ण सम्मेलन 21 जनवरी से 11 फरवरी 1970 तक विज्ञान भवन नयी दिल्ली में किया ।

(ख) इस पूर्ण सम्मेलन में चर्चित विषयों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों का उल्लेख किया जा सकता है ;

(i) पन्द्रह विशेषीकृत अध्ययन दलों के कार्य की समीक्षा तथा रेडियो प्रेषित्रों एवं संग्राहकों, ध्वनि तथा दूरदर्शन प्रसारण, अचल तथा चल रेडियो संचार व्यवस्था प्रणालियों, सूक्ष्मतरंग और उपग्रह संचार प्रणालियों आदि के क्षेत्रों में हुई प्रगति के विषय में सिफारिशें तथा रिपोर्ट जारी करना ;

(ii) नये या विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग तथा सहायता देने के लिए अपनाये जाने वाले उपाय ;

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो परामर्शदात्री समिति तथा इसके अध्ययन दलों के कार्य के नये पुनर्घटन आयोजन को अंगीकार करना ।

(ग) इस पूर्ण सम्मेलन ने रेडियो प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 600 तकनीकी प्रलेख अंगीकार किये । इससे रेडियो तथा अन्य संचार उपस्कर के भारतीय तथा अन्य निर्माताओं को, अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों के अनुरूप, इस प्रकार के उपस्कर के आकल्पन तथा विकास में सहायता मिलेगी । तकनीकी हस्त पुस्तकों के प्रकाशन, अल्प मूल्य के दूरदर्शन अभिग्राहित्रों की विशिष्टयों के अंगीकरण तथा साथ ही कम क्षमता की मितव्ययी रेडियो रिले प्रणाली की योजनाओं के रूप में नये अथवा विकासशील देशों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । पूर्ण सम्मेलन ने उपग्रह प्रसारण प्रणाली की लागत प्रभाविता का अध्ययन

करने के वास्ते एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी दल की स्थापना की जिसके भारत तथा अन्य विकास-शील देशों के लिए वहुत सहायक होने की संभानना है । इस सम्मेलन ने 1971 में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के आगामी अन्तरिक्ष दूरसंचार विधेयक विश्व प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन के विषय में प्रारंभिक तकनीकी चर्चा भी की ।

क्योंकि इस पूर्ण सम्मेलन में लगभग 270 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसलिए इसके द्वारा भारतीय इंजीनियरों को विदेशों के अपने समस्थानिकों से मिलने तथा दूरसंचार के क्षेत्र में उपयोगी सूचना के आदान-प्रदान का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ ।

खाद्यान्नों की आवश्यकता

2766. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में मुख्य खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) कुल आवश्यकताओं में से कितने प्रतिशत खाद्यान्नों का आयात विदेशों में किया जाना है ; और

(ग) वर्ष 1971 में उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिव पी० शिन्दे) : (क) भारत में खाद्यान्नों को बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ समझा जाता है । खपत सम्बन्धी आवश्यकताओं पर किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में 1970 अथवा किसी अन्य वर्ष के दौरान देश की खाद्यान्नों की ठीक ठीक कुल आवश्यकताओं के संबंध में संकेत देना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशों से आयात को जाने वाली कुल आवश्यकता की प्रतिशतता बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) 1970-71 के लिए उत्पादन के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

अनाज के मूल्यों में वृद्धि

2767. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1969 में अनाज के मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1969 में अनाज के उत्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो अनाज की कीमतों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : जी नहीं ।

(ख) 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 940 लाख मीटरी टन आंका गया था जबकि 1967-68 में यह उत्पादन 950 लाख मीटरी टन था । उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की कमी हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई उप-दान योजना की क्रियान्विति

2768. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश की गई तथा सरकार द्वारा स्वीकृत उप-दान योजना को क्रियान्वित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सरकार ने कोयला खान श्रमिकों के लिये ग्रेच्युटी योजना की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इस मामले में विधान बनाने की आवश्यकता है और इस बारे में संबंधित मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

आसनसोल में कोयला खानों में सहकारी समितियों में सरकार द्वारा लगायी गई राशि की वसूली

2769. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल में कोयला खानों में सहकारी समितियों में लगी हुई सरकारी राशियों को वापिस लेने के लिए उनके मन्त्रालय ने आदेश दिया है ;

(ख) क्या ऐसे आदेश के कारण आसनसोल खानों में सहकारी समितियों के बन्द हो जाने की संभावना है ;

(ग) आसनसोल के कोयला क्षेत्र में इस समय कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और उनके अन्तर्गत कितने उपभोक्ता आते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि स्थानीय मंडी में चावल के मूल्य पहले ही बढ़ रहे हैं ; और

(ङ) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सहकारी समितियों में लगाई गई राशि की वसूली का उक्त आदेश वापिस लेने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आसनसोल कोयला क्षेत्र में तीन केन्द्रीय सहकारी भन्डार और 123 प्राइमरी भंडार हैं । इन कोयला-खानों में श्रमिकों की संख्या लगभग 1,14,000 है ।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार आसनसोल कोयला क्षेत्र में चावलों के मूल्य हाल ही से कुछ गिर रहे हैं।

(ङ) जो निदेश जारी किए गये हैं वे केवल ऋण की वकाया किश्तों की नियत तिथियों पर वसूली के बारे में हैं, न कि सहकारी समितियों में लगाई गई राशि की वसूली के बारे में।

दिल्ली और नागपुर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

2770. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली और नागपुर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, विशेष रूप से जबकि नागपुर से कम महत्व के नगरों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से दिल्ली को जोड़ा गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). नागपुर को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बम्बई के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने की योजना है। इससे नागपुर से बम्बई, अहमदाबाद, पूना और सूरत के लिए सीधे डायल करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बम्बई ट्रंक स्वचल एक्सचेंज और दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज को परस्पर जोड़ने का कार्य पूरा हो जाने से नागपुर के उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली के लिए काल डायल करना संभव हो जाएगा। इन ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों का परस्पर संबंध स्थापित करने का काम इसलिए रुका हुआ है, क्योंकि अभी कुछ तकनीकी समस्याओं को हल किया जाना है। संभावित परियात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बम्बई और दिल्ली के बीच इस समय ऊंची श्रेणी के ट्रंक परिपथ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इन परिपथों के चौथी योजना के त तक उपलब्ध होने की संभावना है।

नागपुर में टेलीफोन लगवाने के अनिर्णीत आवेदन पत्र

2771. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में टेलीफोन लगवाने के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) आवेदनपत्र कितनी अधिकतम तथा न्यूनतम अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) नागपुर में टेलीफोन लगवाने में औसतन कितना समय लगता है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) टेलीफोन लगवाने के लिए नागपुर के दोनों एक्सचेंजों में अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 20-2-1970 को इस प्रकार थी :

मुख्य एक्सचेंज	820
सिटी एक्सचेंज	666

(ख) दोनों एक्सचेंजों में पड़े सबसे पुराने तथा सबसे नये आवेदन-पत्रों की तारीखें इस प्रकार हैं :

	सबसे पुराने आवेदन पत्र की तारीख	सबसे नये आवेदन-पत्र की तारीख
मुख्य एक्सचेंज	13-2-1968	20-2-1970
सिटी एक्सचेंज	12-4-1967	20-2-1970

इससे देखा जा सकता है कि अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की अधिकतम अवधि मुख्य एक्सचेंज में 2 वर्ष तथा सिटी एक्सचेंज में 3 वर्ष है। इस बारे में न्यूनतम अवधि का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसे आवेदन-पत्र लगभग रोजाना ही प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) अपना टेलीफोन योजना तथा विशेष श्रेणी के आवेदकों के लिए कनेक्शनों की व्यवस्था करने में असाधारण विलम्ब नहीं होता। किन्तु सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए कनेक्शनों की व्यवस्था में अब तक लगभग 2 वर्ष लगते रहे हैं।

देश में डाकघर

2772. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ख) देहाती और नगरीय क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) तार सुविधाओं वाले डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(घ) वर्ष 1969 में खोले गये डाकघरों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) चालू वर्ष में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1 फरवरी, 1970 को देश में डाकघरों की कुल संख्या 1,03,828 थी।

(ख) 1 फरवरी, 1970 को देहाती और शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या :

देहाती	93,891
शहरी	9,937

(ग) 1 फरवरी, 1970 को तार सुविधाओं वाले डाकघरों की संख्या 10,799 थी।

(घ) वर्ष 1969 में खोले गए डाकघरों की संख्या 2,354 थी।

(ङ) चालू वर्ष में कितने डाकघर खोले जाएंगे, इसका अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है।

Import of Soyabean Oil Under P. L. 480 Agreement

2773. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the full quantity of soyabean oil has been received in India as per the agreement concluded for the import thereof with America under P. L. 480.

(b) if not, the reasons therefor and the time by which it would be received in full ; and

(c) the quantity of soyabean oil imported under the aforesaid agreement during the last three years, year wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Over half the quantity of soyabean oil to be imported under the last P. L. 480 agreement of the 13th October 1969 has been either received or is in transit.

(b) The balance is expected to be shipped by the end of June, 1970, which is within the period of validity of the agreement.

(c) The quantities imported under similar agreements during the last three years are given below :—

Year	Quantity (Tonnes)
1967	87,119
1968	68,310
1969	1,12,584

The quantity shown under 1969 includes 31,136 tonnes imported under the last agreement.

खाद्यान्न का उत्पादन

2774. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कृषि का उत्पादन सन्तोषजनक होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों का उत्पादन कितना होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य जोन व्यवस्था समाप्त करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । इस वर्ष कृषि उत्पादन साधारणत: पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की आशा है ।

(ख) सन् 1969-70 की खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान वर्ष की समाप्ति पर अर्थात जुलाई-अगस्त, 1970 तक उपलब्ध होंगे । फिर भी फसल स्थितियों और मौसमों के बारे

में गुणात्मक रिपोर्टों के आधार पर यह आशा की जाती है कि 1969-70 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 1000 लाख मीटरी टन होगा ।

(ग) इस समय खाद्य-क्षेत्रों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छोटे किसानों का विकास अभीकरण

2775. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों के विकास अभिकरण का उद्देश्य क्या है और इन अभिकरणों की स्थापना तथा कार्य संचालन से सम्बन्धित राज्य सरकारें किस प्रकार सम्बद्ध हैं ; और

(ख) प्रत्येक अभिकरण के लिये कितनी कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) छोटे किसानों की विकास एजेन्सी देश के चुने हुए जिलों में मार्गदर्शी आधार पर स्थापित की जाती है । इसका उद्देश्य उन छोटे प्रगतिशील किसानों की समस्याओं को एकाग्ररूप से हल करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें पर्याप्त ऋण और अन्य सुविधायें उपलब्ध की जायें ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें । परियोजनाओं को बनाने का और उनके कार्य संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है । सामान्यत: जिले के समाहर्ता को ही छोटे किसानों की विकास एजेन्सी का अध्यक्ष बनाया जाता है और जिला स्तर के अन्य संबन्धित अधिकारियों को एजेन्सी के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाता है ।

(ख) चौथी योजना में प्रत्येक एजेन्सी के लिए औसतन 1.5 करोड़ रु० की सहायता निर्धारित की गई है ।

Guide-Lines for Reservation of Forests and Wild Life

2776. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down some guide-lines at national level so as to maintain the balance between the preservation of forests and wild life and the agricultural development in the context of ever increasing demand for agricultural land ;

(b) whether it is a fact that the forests have been uprooted in an indiscriminate manner because of industrial development and extension of agricultural land during the last 5 years ;

(c) whether Government propose to take some concrete steps for the preservation of forests so that the country could be saved from the fear of famine and drought if so, the details thereof ; and

(d) whether Government have taken any action keeping in view the recommendations made by the International Union for Preservation of Nature in this regard ?

The Minister of State in the Minister of Food. Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The National Forest Policy enunciated by the Government of India lays down guide-lines at national level for balanced land uses, proportion of land that should be under forests as well as for the protection of wild wife.

(b) No, Sir. There have not been indiscriminate uprooting of forest. The figures for the last 5 years' period are however not available separately. However, due to extraneous circumstances an area of 1 07 million hectares was deforested during the period 1952 to 1966. Inspite of the deforestation of the above area the total forest in the country has increased from 73 4 million hectares in 1952 to 75 3 million hectares in 1966.

(c) The existing provisions as incorporated in the Indian Forest Act, 1927 as adopted and amended by the various State Governments together with special legislations and various rules made thereunder, safeguard the preservation of forests. However as and when necessary the State Governments make special previous either by amending existing legislation or by introducing fresh one to meet any exigencies.

(d) The proceedings of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources containg the recommendations have just been received from the IUCN Secretariat. However specific recommendations pertaining to India, have been discussed already by the Executive Committee of the Indian Board for Wild Life and follow up action is being taken to implement the same.

आलू की खेती को लगने वाले 'गोल्डन निमोटोड, रोग का उन्मूलन

2777. **श्री नंजा गोडर** : क्या **खाद्य और कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आलुओं की खेती में लगने वाले 'गोल्डन निमोटोड' भयानक रोग के उन्मूलन पर प्रति एकड़ 9000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक लागत आती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रोग को, जोकि अनेक स्थानों विशेषत: नीलगिरि जिले में फैला हुआ है समाप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार तथा तमिल नाडु सरकार नीलगिरि की पहाड़ियों में भारत जर्मन विकास परियोजना के प्राधिकारियों के सहयोग से नीलगिरि जिले में 'गोल्डन निमोटोड' के उन्मूलन के लिए कदम उठा रही है ।

Consideration and Distribution of Government Fallow Land in States

2778. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the State wise details of Government fallow land in the various States of India ;

(b) whether some State Governments have also undertaken distribution and consolidation of such land ;

(c) if so, the names of those State Governments, the persons amongst whom such land has been distributed and also the acreage of land distributed, State-wise ;

(d) the details regarding the fallow land in possession of the Government ; and

(e) whether Government have drawn up any scheme for its distribution and if so, the details thereof and the time by which Government propose to implement the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (e). A statement is annexed, [*Placed in library. See* No. LT—2830/70].

Recruitment of Postemen in Assam Circle

2779. **Shri Dhireshwar Kalita** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assam Circle P and T Department advertised in the year 1969 for some posts of Postman ;

(b) if so, the number of posts advertised and how many applications were received ;

(c) whether any interview or examination was held in this behalf ; and

(d) if so, why the result is not yet declared for the suitable candidates to full up the posts of Postmen in Assam Circular immediately ?

The Ministry of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

(b) to (d). Do not arise in view of (A).

चीनी उद्योग पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

2780. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग पर टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के संकल्प सं० 2-1-20 शुगर पालिसी दिनांक 20 फरवरी, 1970 जिसमें कुछ सिफारिशों पर लिए गये निर्णय दिये गये थे, की प्रति सहित रिपोर्ट की प्रति, 26 फरवरी, 1970 को सदन के पटल पर रख दी गयी थी । शेष सिफारिशों पर निर्णय राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करने के बाद लिया जाएगा ।

उपग्रह परावर्तित दूर-संचार व्यवस्था

2781. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने उपग्रहों की सहायता से अपने दो भागों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए दूर संचार प्रणाली की व्यवस्था कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो भारत दूर संचार की ऐसी विकसित तकनीक का क्यों विकास नहीं कर रहा ;

(ग) क्या भारत उपग्रह परावर्तित दूर संचार व्यवस्था का विकास करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जैसा कि समाचार पत्रों में छपे समाचारों से ज्ञात हुआ है, पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के

बीच अन्तः संचार स्थापित करने के लिए भूकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक यह संचार व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है।

(ख) विश्व में भू-उपग्रह से संचार व्यवस्था स्थापित करने की प्रणाली का अभी हाल ही में विकास हुआ है और भू-उपग्रह के द्वारा संचार व्यवस्था करने की योजनाएं बनायी जा रही हैं।

(ग) और (घ). अर्वी में हिन्द महासागर के ऊपर इंटलसेट शृंखला के भू-उपग्रहों के जरिये अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक भू-केन्द्र की स्थापना का कार्य पहले ही चल रहा है। आशा है कि योजना शीघ्र ही तैयार हो जायेगी। देश के भीतर संचार के लिए भू-उपग्रहों का प्रयोग में लाया जाना अधिक विकसित देशों में भी अभी तक प्रारम्भिक चरण में है। हमारे देश में इस तरह की परियोजना शुरू करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

ईराक के शिष्ट मंडल और संचार विभाग के राज्य मंत्री की वार्ता

2782. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के शिष्ट मंडल और संचार विभाग के राज्य मंत्री के बीच हाल ही में निम्नलिखित विषयों पर बात चीत हुई थी, (एक) भारत में ईराक सरकार के लिए डाक-टिकटों का छापना, (दो) भारत में बना अरबी भाषा का दूरभुद्रक इराक को भेजना और (तीन) भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा निर्मित बढ़िया किस्म का टेलीफोन उपकरण ईराक को भेजना ; और

(ख) यदि हां, तो उस बात चीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत के दौरान ईराकी प्रतिनिधि मंडल को बतलाया कि भारत ईराक सरकार के लिए टिकटों का मुद्रण और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विनिर्मित दूर संचार उपस्कर तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास द्वारा विनिर्मित अरबी दूर मुद्रकों का प्रदान कर सकेगा। मामले पर विचार विमर्श जारी है।

Production of Lactone Milk under Fourth Plan

2783. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the progress made so far to popularise and produce Lactone Milk and the target fixed in this regard in the Fourth Plan ;

(b) whether it is a fact that the necessity of importing milk powder would be obviated by producing Lectone milk ; and

(c) if so, the reasons for which efforts are not being made on a large scale in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P Shinde) : (a) Two pilot plants have been installed at Government dairies at Bangalore and Madras with a production capacity of 1000 litres of Lactone milk per day. About 500 litres per day are being produced at each place. The milk is being distributed amongst school children under the school feeding programme and a small quantity of the milk is also being sold to consumers.

A provision of Rs. 40 lakhs has been made for the development of the Lactone milk project in the Fourth Plan period

(b) The necessity of importing milk powder could be reduced to some extent if the Lactone milk becomes popular.

(c) The project is still at the experimental stage. Efforts will be made for large scale production after the present experimental stage is successfully completed.

पंजाब डाक सर्किल का विभाजन

2784. **श्री हेमराज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सर्किल का विभाजन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग-अलग एक सर्किल बनाया जायगा और किस तिथि से ऐसा किया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). मौजूद पंजाब सर्किल के पुनर्गठन के लिए कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए है और ये विचाराधीन हैं।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन में पंजाब ; हरियाणा और चण्डीगढ़ का भाग

2785. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन में संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब राज्य तथा हरियणा को कितना कितना भाग मिलेगा ;

(ख) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अपने अपने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कितना कितना धन दिया जाएगा ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अपना एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन पर इस की सम्पत्ति और दायित्वों को हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1970 (1970 का विधेयक सं० 18) की धारा 35 के अधीन वर्णित तरीके से उत्तरवर्ती विश्वविद्यालयों में बाँटने का प्रस्ताव है।

(ख) राज्य विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने केन्द्र के साथ विचार विमर्श से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास योजनाओं के लिए अनुमोदित सहायता प्रणाली में चुनीदा मदों पर कृषि विश्वविद्यालयों को 100% सहायता की व्यवस्था है जबकि चौथी योजना काल में किसी विश्वविद्यालय के लिए एक मद पर अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से उपलब्ध सहायता की मात्रा विश्वविद्यालय के स्वरूप पर निर्भर करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्तमान प्रस्ताव बहु-संकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है। यदि वह कृषि विश्वविद्यालय का कार्य करती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार की सलाह से वित्तीय सहायता देने के बारे में उचित विचार करेगी।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन बहु-संकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है जिसमें सुदृढ़ कृषि संकाय होगी और जो इस समय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने वाले उत्तरदायित्व को पूरा करेगी।

बिना लाइसेंस के रेडियो

2786. क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जनवरी, 1970 में घोषित रियायत से कितने ऐसे रेडियो मालिकों ने लाभ उठाया है, जिसके पास रेडियो का लाइसेंस नहीं है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों के लिए 1 फरवरी, 1970 से तीन महीने की अवधि के लिए आम माफ़ी की घोषणा की गई थी। बिना लाइसेंस के रेडियों सेटों के जो मालिक इस आम माफ़ी से लाभ उठायेंगे, उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जाएगी और इस आम माफ़ी की अवधि के समाप्त होने के बाद यह सूचना लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मूंगफली और रूई का रक्षित भंडार

2787. **श्री सामिनाथन :**
श्री सेझियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली और रूई का रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

भूमि सुधार

2788. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की आर्थिक विशेषज्ञ समिति ने विकासशील देशों में भूमि कर लगाने और पुराने विशेषाधिकारियों और कुरीतियों को समाप्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) हमारे देश में भूमि सुधारों की अविलम्बनीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार उक्त सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो भूमि सुधारों पर विचार करने हेतु हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विकास योजना की विशेषज्ञ समिति ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और समाजिक परिषद् को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी आधारभूत उद्देश्यों के सम्बन्ध में सिफारिश करते हुए और इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों के क्रम में पुरानी असामयिक संस्थाओं और नियमों, जिसमें अनुचित विशेषाधिकार जो कि अब सहनीय नहीं है को समाप्त करने की दृष्टि से राजनितिक, विधायी और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दिया गया है। साथ ही देशीय संसाधनों को जुटाने के उपाय के रूप में सम्पति संघटकों पर प्रगति कर का भी सुझाव दिया है, जिसे कि देहाती और नगरीय भूमि पर सापेक्षत: सुविधापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा पहले ही भूमि सुधार के उपाय लागू किये जा रहे हैं।

(ग) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन से अब तक बतलाये गये भूमि सुधारों के सम्बन्ध में हुई मुख्य प्रगतियां निम्न प्रकार हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश में एजेन्सी क्षेत्रों में मुत्तादारी और मालगुजारी की समाप्ति के लिए और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भूमि संक्रामण के नियमन के लिये विधान बनाये गये हैं।

2. असम में अधिकमत सीमा के परिशोधन के लिये और वर्चना को रोकने के लिये छूटों और हस्तान्तरणों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। असम के अस्थाई बन्दोबस्ती जिलों में अधिकांश रैयत्तों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कराने और अधिकारों और उप-रैयत्तों को अधिकार प्रदत्त कराने के लिये प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं।

3. बिहार में राष्ट्रपति अधिनियम निम्न बातों के लिये अधिनियमित किये गये थे (1) अर्थ-न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़ कर ऐसे मामलों जिनमें अभिलेखों

में किसी प्रविष्टि के सही होने के सम्बन्ध में स्पष्टतः अथवा अस्पष्ट रूप से आपत्ति हो अथवा जिसमें रैयत्तदारी के वृत का निर्धारण सम्मिलित हो (2) बिहार भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए संशोधन और (3) जो भूमि सुधार उपाय पूर्व राष्ट्रपति उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये थे उनका पुनः अधिनियमन भूमि सुधार उपाय सम्बन्धी कई प्रस्ताव विचाराधीन है, जिनमें बटाईदारों की सूचना और अधिकतम सीमा परिशोधन कानून भी सम्मिलित हैं।

4. गुजरात में भूतपूर्व जमींदारों और उनके काश्तकारों के मध्य के सम्बन्ध को एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर पूर्णतः समाप्त करने के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिए भूमि विकास बैंक के साथ बातचीत की जा रही है। भूमि सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। कुछ मामलों को जोकि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अभी अनिर्णीत पड़े हैं छोड़कर अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि वितरण सम्बन्धी अधिकांश कार्य आगामी बुवाई मौसम से पूर्व ही पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है। राज्य वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार का विचार अधिकतम सीमा विधान के परिशोधन का नहीं है।

5. जम्मू और कश्मीर में भूमि आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर राज्य सरकार और भूमि सुधार उपायों के विधान बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

6. केरल में काश्तकारों और कुडिपिडाप्पुकारन्स की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और काश्तकारों को राज्य के सीधे सम्पर्क में लाने और अधिकतम सीमा के स्तर को और कम करने और छूटों को नियन्त्रित करने के लिये केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को संशोधित किया गया था। केरल भूमि सुधार अधिनियम के विभिन्न उपलब्धों की, जैसा कि उन्हें हाल ही में संशोधित किया गया है, 15 जनवरी, 1970 से लागू कर दिया गया है।

7. महाराष्ट्र में, चीनी कारखानों से लिये गये गन्ने फार्मों की भूमि के स्थायी बन्दोबस्त और ऐसी भूमियों के विकास को सरल बनाने की दृष्टि से अधिकतम सीमा संबंधी उपबन्धों को संशोधित किया गया था। अधिकतम सीमा के स्तर को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

8. मैसूर में अधिशेष भूमि के पुनर्ग्रहण और निर्धारण के लिए आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसके स्थान पर अब एक अधिनियम बना दिया गया है, जिसके आधार पर मुन्सिफ न्यायालयों को भूमि न्यायाधिकरणों के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। काश्तकारों द्वारा स्वामित्व के अधिकारों के क्रय और अधिशेष भूमि के वितरण के लिए राष्ट्रीय-कृत बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

9. राजस्थान में राज्य सरकार ने 'दक्षतापूर्वक' व्यवस्थित फार्मों' चीनी मिलों के द्वारा संचालित गन्ना फार्मों और कुछ विशेष फार्मों को जिन्हें कि आजकल अधिकतम सीमा के बन्धन से छूट प्राप्त है उन्हें अधिकतम सीमा की परिसीमा में लाने के लिये अधिकतम सीमा सम्बन्त्री उपबन्धों में संशोधन करने का निश्चय किया गया है।

10. तमिलनाडु में राज्य सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा कम कर 30 मानक एकड़ों के स्थान पर 15 मानक एकड़ घोषित कर दी है (भूमि की श्रेणी के आधार पर 12 से 60 एकड़)।

11. उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा को कम करने का प्रश्न सक्रिय रूप से राज्य सरकार के विचारधीन है।

12. पश्चिमी बंगाल में, जब तक बरगदारों को पूर्ण अधिकार प्रदान करने के प्रस्तावों और विधान निर्माण को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक के लिए बरगदारों की बेदखली को रोकने के लिए विधान बना लिये गये हैं। छोटे जोतदारों, काश्तकारों और कृषि कामगरों की आवास भूमि भूमि के बन्दोवस्त के लिए सरकार की भूमि अर्जित करने का अधिकार प्रदान करनें के लिए विधान बनाये गये हैं। बंचना की जांच पड़ताल और भूमिहीन खेतीहरों में अधिशेष भूमि के वितरण के लिए विशेष अभिवमन चालू किये गये हैं। अनुमान है कि ऐसे भू-स्वामियों से जिनके पास पर्याप्त भूमि थी 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि भूमिहीन खेतीहरों को प्रदान कर दी गई है। अधिकतम सीमा को कम करने और परिवार के समस्त सदस्यों के स्वामित्व में रहने वाली औसत भूमि पर अधिकतम सीमा स्तर लागू करने के प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

13. मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपबन्धों के संशोधन विचाराधीन हैं।

14. दादरा और नगरहवेली भूमि सुधार नियमों के प्रारूप को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन सुझावों के प्रकाश में संशोधित किया जा रहा है।

15. दिल्ली भूमि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्धों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Central Aid to Famine-Striken Farmers of Madhya Pradesh for Purchase of Seeds

2789. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have given some financial assistance to the famine-striken farmers of Madhya Pradesh for purchase of seeds during the last three years ; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Mintstry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Of the total short term loan assistance provided to the State for purchase of seeds, the amount sanctioned in the last three years by relaxing the normal conditions for drought-affected areas was as under :—

Year	Short Term Loan Assistance provided (Rs. in lakhs)
1966-67	66.00
1967-68	140.00
1968-69	NIL

Hospital under E. S. I. Scheme in Assam

2790. **Shri Biswanarayan Sinha** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any hospital has so far been established under the ESI Scheme in Assam or some arrangements made with the Government and private hospitals for hospitalisation of thh employees who go on sickness leave, if not, the reason thereof ;

(b) whether he is aware that employees find it difficult to get admitted into hospitals and have been facing inconveniences ;

(c) whether he is also aware that some employees have abused the provision because they are not hospitalised and they go on leave from one concern and do some job in other concerns during the period of sickness leave under ESI ; and

(d) if so, what steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The Employees' State Insurance Corporation has furnished the following information :—

(a) No Employees' State Insurance hospital has yet been established in Assam. The Corporation has, however, agreed to the provision of funds for construction of a hospital of 24 beds at Gauhati. Pending the establishment of an Employees' State Insurance hospital, 15 beds have been reserved in certain hospitals in the State for hospitalisation of insured persons. Arrangements also exist for hospitalisation of insured persons in non-reserved beds n Government hospitals on payment of charges under the Employees' State Insurance Scheme.

(b) and (c). No such specific instances have been brought to the notice of the Employees' State Insurance Corporation.

(d) Does not arise.

चौथी योजना में हीराकुण्ड, महानदी तथा सालन्दी क्षेत्रों के विकास की योजना

2792. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने हीराकुण्ड महानदी तथा सालन्दी क्षेत्रों के बारे में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को चौथी योजना में शामिल करने के लिए एक योजना सरकार को पेश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के बारे में जून, 1969 में किसी समय एक केन्द्रीय दल ने उड़ीसा सरकार से विचार विमर्श किया था और इस दल का मत यह था कि इस काम के लिए विश्व बैंक के समर्थन को देखते हुए सालंदी आयाकट क्षेत्रों में तुरन्त कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय दल, जिसने 1969-70 में कृषि विकास और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए अपनाये जाने वाले कार्यक्रमों पर विचार विनिमय के लिए जून, 1969 में उड़ीसा का दौरा किया था, सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान इस बात पर सहमत था कि विश्व बैंक के प्रबल समर्थन को देखते हुए सालांदी कार्यक्रम को तत्काल ही हाथ में लिया जा सकता है । इस बारे में राज्य सरकार ने कार्यवाही करनी थी ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने मंडियाँ और फीडर सड़कें बनाने के लिए 7.90 लाख रुपये (4.50 लाख रुपये मंडियों और 3.40 लाख रुपये सड़कों के लिए) की अनुमानित लागत की एक योजना भेजी थी । राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि सालंदी केन्द्रीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं था । फिर भी, राज्य सरकार को कहा गया था कि वह एक चुने हुये कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करने के बारे में विचार करें । अभी तक इस बारे में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत सेवक समाज के मामलों की जांच करने वाले आयोग को अभिलेख

प्रस्तुत न किये जाना

2793. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मन्त्रालयों ने भारत सेवक समाज द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने वाले कपूर आयोग को सूचित किया है कि इस संगठन को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेखा उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, अतः वे आयोग को प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ;

(ख) यदि हां, तो किन किन मंत्रालयों ने ऐसा लिखा है ;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय के किस किस अवधि के अभिलेख गुम हैं तथा वित्त मन्त्रालय में

केन्द्रीय अभिलेखों के अनुसार इनमें कितनी राशि ग्रस्त है और इनको ढूंढने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) आयोग को ऐसे अत्यावश्यक कागजात प्रस्तुत न किये जाने के बारे में सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) कब तक जांच पूरी हो जायेगी और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) व (ख). जहां तक खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का सम्बन्ध है, भारत सेवक समाज जांच आयोग द्वारा माँगे गए भारत सेवक समाज को दिए गए सहायक-अनुदान ऋण, अग्रिम और सहायता से सम्बन्धित सभी अभिलेख आयोग को उपलब्ध कर दिए गए हैं। तथापि, जांच आयोग ने सूचित किया है कि सूचना तथा प्रसारण, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालयों और योजना आयोग को सूचित किया है कि 1953-59 की अवधि से सम्बन्धित कुछेक पुरानी फाइलें तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। फाइलों को अभिलेख कक्षों आदि में ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और मंत्रालयों ने फाइलों को पेश करने के लिए और समय मांगा है। अभी तक किसी मन्त्रालय। विभाग ने यह सूचित नहीं किया है कि फाइलें खो गई हैं।

(ग) व (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जांच की अवधि 31-8-1970 तक बढ़ा दी गई है। जांच आयोग द्वारा मंत्रालयों/विभागों तथा भारत सेवक समाज से प्राप्त अभिलेखों की जांच की जा रही है।

भारत तथा अन्य देशों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

2794. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रतिवेदन को देखते हुए कि वर्ष 1969 में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 434 ग्राम थी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंगलैंड, अमेरिका, मिस्र और जापान में इसकी तुलना में खाद्यान्न की उपलब्धता के आंकड़े और मूल्य क्या थे ;

(ख) उस खाद्यान्न की प्रतिशतता के बारे में क्या अध्ययन किया गया है जिसका संग्रह किया जाता है ; यदि नहीं तो क्या नमूनें के तौर पर वह अनुसंधान किया जायेगा ;

(ग) चूंकि निम्नतम मूल्य सम्बन्धी आश्वासन उत्पादकों के लाभ के लिए हैं तो यह फसल की कटाई के बाद के तीन महीनों तक की अवधि के लिए ही सीमित क्यों नहीं किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न लाइसेंस में यह शर्त भी शामिल करना है कि सरकार लाइसेंस धारी के कब्जे में जो भण्डार है गत मास के बाजार मूल्य पर ले सकेगी ताकि व्यापारी लम्बे समय से जमा किये जा रहें भण्डार को अत्यधिक न बढ़ा सके।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) विवरण संलग्न हैं—अनुबंध 1 तथा 2।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2831/70]

(ख) किसानों द्वारा जमा किए गए गये अनाज की प्रतिशतता का अध्ययन नहीं किया गया है। फिलहाल, ऐसा कोई अध्ययन करने का विचार नहीं है।

(ग) देश भर में विभिन्न खाद्यान्नों के लिए विपणन अवधि एक जैसी नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की कटाई की अवधियों में काफी अन्तर है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम साहाय्य मूल्य समूचे वर्ष के लिए घोषित किए जाते हैं। क्योंकि ये मूल्य न्यूनतम विपणन अवधि और विपणन मौसम के अन्य महीनों में भी लागू होते हैं, अतः ये मूल्य नई फसल की आपद अथवा किन्हीं अन्य कारणों से देश के किसी भाग में किसी समय मूल्यों में होने वाली अनुचित गिरावट के प्रति एक गारंटी का कार्य करते हैं।

(घ) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही यह व्यवस्था है कि यदि किसी आपातिक स्थिति में स्टाक का अधिग्रहण करना आवश्यक हो जाता है तो यह स्टाक पिछले तीन महीनों के औसत बाजार मूल्य देकर अधिग्रहण किया जा सकता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रोडेशिया की सरकार द्वारा रोडेशिया को गणतन्त्र घोषित करना

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Decleration of Republic by the Rhodesian Government and Government of India's reaction thereto".

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE QUERY

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, जनरल करियप्पा का वक्तव्य बहुत गम्भीर है। यद्यपि मैंने उसके बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया हैं, परन्तु उसे ग्राह्य नहीं किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, नियम 376 (2) के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे श्री कंवर लाल गुप्त के ध्यान आकर्षण नोटिस के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। सदन के समक्ष कार्यवाही के बारे में नियम 376 (2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

कल लोक सभा सचिवालय द्वारा हमें यह सूचित किया गया था कि जनरल करियप्पा के वक्तव्य के बारे में ध्यान आकर्षण नोटिस ग्राह्य हो गया है और इस पर एक बजे म० प० बैलट

होगा । फिर हमें यह बताया गया कि इसे आज कार्य सूची में रखा जायेगा । हमें बड़ा अफसोस और आश्चर्य हुआ जब शाम को पता चला कि मेरे माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ध्यान आकर्षण नोटिस आज की कार्य-सूची में रखा गया है ।

हमें समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि आज राज्य सभा में इसी विषय पर ध्यान आकर्षण नोटिस पर चर्चा होने जा रही है । हमें समाचार पत्रों से यह भी पता चला कि बुधवार अपराह्न में जनरल करियप्पा प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिले थे । वह गृह-कार्य मन्त्री श्री चव्हाण और लोक सभा अध्यक्ष श्री ढिल्लो से भी मिले थे । महोदय, आप जन प्रतिनिधि हैं और इस महान सदन के अभिरक्षक हैं । आपको किसी से भी मिलने का अधिकार है । लेकिन यह एक ऐसा मामला है कि उनके बारे में सदन में ध्यान आकर्षण नोटिस पर चर्चा होनी थी और आपने उन्हें मिलने की अनुमति दी । जनरल करियप्पा यहां कही गई बातों का सदन के बाहर खण्डन कर सकते थे । यदि उन्हें कोई खण्डन करना था, तो गृह-कार्य मन्त्री जनरल करियप्पा से सम्पर्क कर सकते थे । लेकिन जनरल करियप्पा प्रधान मन्त्री और लोक सभा के अध्यक्ष से मिले । यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है । 10 मार्च के टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली संस्करण में छपे प्रेस ट्रस्ट इण्डिया के समाचार के आधार पर ध्यान आकर्षण नोटिस दिया गया था । उसके बाद, जनरल करियप्पा माननीय अध्यक्ष अर्थात् आपसे मिले । आपको उनसे मिलने का पूर्ण अधिकार है । लेकिन कल क्या होगा यदि बिड़ला के खिलाफ ध्यान आकर्षण नोटिस हो ? और वह आपसे मिलकर स्पष्टीकरण दें ? यह अत्यधिक अनियमित है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर आप विचार करे । अन्य लोगों के समान जनरल करियप्पा को इस सदन में पेश किया जाना चाहिए था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ पढ़ा है, उससे प्रतीत होता है कि यह गम्भीर बात है । कल कुछ सदस्यों को यह बताया गया था कि यह मामला कार्यसूची में रखा जाना है और नामों को बैलट किया गया था । यह एक महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि इस देश के एक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा सैनिक क्रांति का खतरा था । अगर इस प्रकार से मामले को पर्दे के पीछे रखा जा सकता है, जैसा कि पहली बार श्री बनर्जी की सूचना से पता चला है तो इसका स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए । अनेक बार ध्यान आकर्षण मामलों के बारे में मुझे पता चला है कि अनेक मामलों को पीछे फेंक दिया जाता है और अज्ञात कारणों से दूसरे मामलों को कार्यसूची में शामिल कर लिया जाता है । ऐसा काफी समय से होता रहा है । मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री स० मो० बनर्जी : यह विशेषाधिकार का मामला है और मैं जनरल करियप्पा के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करूँगा...(**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I also want to say about the admissibility of Calling Attention Notices. I support all what Shri Banerjee has said regarding statement of General Cariappa. If you had decided to admit this Notice, you should not have disallowed it at the advice of Prime Minister or this General.

You had framed certain rules regarding admissibility of Calling Attention Notices, but I am finding from the very beginning of the session, that Calling Attention Notices on

important subjects are not being allowed. You had decided rightly about Rhodesia, but we had given Calling Attention Notices regarding Farakka Barrage and shaving of water of Ganga also. Though the statement of Shri K. L. Rao, was not in the list of business but he was allowed to make the statement on the end of the day. A Minister should not be allowed to make any statement on the subject on which a Calling Attention Notice is already pending.

When Commonwealth's Secretary had come to India, Shri Dinesh Singh had stated that Commonwealth has now become super fluous and so Calling Attention Notice given by us on the subject was not allowed. We request that this house should be given full opportunity to discuss the matter of urgent public importance, whether they be relating to Farakka, Commonwealth or Cariappa's statement.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं श्री बनर्जी के कथन का समर्थन करता हूं। शिव सेना की गतिविधियों पर एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार, चरस के गिरेह के बारे में आपने कहा कि मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं। हम भी आपकी तरह जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सचिवालय या अन्य किसी संगठन की मनमानी कार्यवाही को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को सदन में उठाने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : श्री बनर्जी ने ध्यानाकर्षण नोटिस को स्वीकार किये जाने के विषय में कुछ कहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जनरल करियप्पा अध्यक्ष महोदय से, प्रधान मन्त्री से अथवा गृह कार्य मन्त्री से मिले, यह एक बिल्कुल अलग ही मामला है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्यों ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : ध्यानाकर्षण नोटिसों को स्वीकार करने में प्राथमिकता का निश्चय करना आपका काम है। श्री बनर्जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार न किये जाने के बारे में एक नये तत्व का ही समावेश किया है। उन्होंने, प्रकारान्तर से, आपकी ओर संकेत किया है कि जनरल करियप्पा आपसे मिले, इसलिये आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अस्वीकार किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष के रूप में आप पर वह आरोप लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहां हेरफेर होता है...

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सदस्य सचिवालय द्वारा हेर फेर करवाते हैं। इस कथन को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपके विरुद्ध या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई सदस्य आरोप या आक्षेप लागता है। तो हम उसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझसे विरोधी पक्ष के दो सदस्य मिले और उन्होंने कहा कि मैं जनरल करियप्पा के प्रेस रिपोर्ट पर आधारित वक्तव्य पर विचार करना करूं सदन से बाहर के व्यक्तियों से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करूँगा और अगर प्रेस रिपोर्ट सही है, तो इस पर विचार होना चाहिए। मैंने सदन में कहा था कि मैं इस पर गुण दोष के आधार पर विचार करूँगा। कल मेरा विचार इसे विचारार्थ स्वीकार करने का था...

श्री स० मो० बनर्जी : आपने इसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गुण दोष के आधार पर विचार करूँगा, इस टिप्पणी को जनरल करियप्पा ने देखा और वह मुझसे कल मिले । उन्होंने कहा कि "पी०टी०आई० से मूल रिपोर्ट मैं लाया हूं ।" मूल रिपोर्ट पूर्णतया भिन्न थी । उन्होंने यह भी कहा कि प्रजातन्त्र के अलावा अन्य कोई शासन-प्रणाली सफल नहीं हो सकती । फौजी शासन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वह कभी भी लागू नहीं हो सकता । मैंने मूल रिपोर्ट को सम्बद्ध सदस्यों को दिखाने के लिये कहा । इधर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रोक लिया । अगर आप पी० टी० आई० की रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो सब ठीक है । हमें यह पूर्ण अधिकार नही है कि हम किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाये और फिर यह कहें कि उसे अध्यक्ष से मिलने का अधिकार नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद, श्री ए० के० गोपालन और श्री रणदिके के वक्तव्यों पर सदन में चर्चा हुई, परन्तु उन्हें स्पष्टीकरण का कोई मौका नहीं दिया गया ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : सरकार को इसका जबाव देना चाहिए । राज्य सभा इस पर विचार कर रही हैं । इस सदन में भी सरकार को जबाव देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : लगभग 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रतिदिन आते हैं, लेकिन सभी को विचारार्थ स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । आप नियमों को बदलकर एक नई प्रक्रिया अपना सकते हैं

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है कि जनरल करियप्पा अध्यक्ष महोदय से मिले । मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव को पेश करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सचिव से कहा था कि वक्तव्य को सदस्यों को दिखाया जाय । यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : महोदय, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले ही थे कि जनरल करियप्पा ने आपसे भेंट की और आपने उसे अस्वीकार कर दिया । अगर व्यक्ति इस प्रकार सचिवालय में पहुंच जाते हैं, तो सदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जिस रिपोर्ट के आधार पर सदस्यों ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उस मूल रिपोर्ट को देखने में क्या हानि है ?

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जनरल करियप्पा के वक्तव्य पर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था । कल आपके कर्मचारियों ने मुझे सूचना दी कि वह विचारार्थ स्वीकृत हो गया है और वह आज की कार्यसूची में शामिल हो गया है । लेकिन आपसे जनरल करियप्पा मिले और इसलिये आपने उसे अस्वीकार कर दिया है । मुझे कम से कम लिखित रूप में सूचना मिलनी चाहिए कि क्या इसी आधार पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पहले के आदेश पी० टी० आई० की उस रिपोर्ट पर आधारित थे, जिसके आधार पर सदस्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे थे । मैं चाहता हूँ कि सदस्यगण पी० टी० आई० की मूल रिपोर्ट को देखें और फिर भी यदि वह चाहे, तो प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : इसमें दो मामले अन्तर्ग्रस्त है । एक मूल प्रक्रिया का मामला और दूसरा एक स्वतन्त्र नागरिक के मूल अधिकार का मामला ।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : उन्हें गिरफ्तार किया जाना जाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे समाचार पत्रों में छपे समाचार के आधार पर स्वीकार कर लिया था । परन्तु जब मैंने मूल को देखा तो वह समाचारपत्रों में छपे समाचार से बिल्कुल भिन्न था । इसलिए मेरे लिये उसे स्वीकार करना उचित नहीं था जबकि मुझे पता लग गया था कि मुझे गलत सूचना दी गई थी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप सभा के अध्यक्ष हैं, सरकार के अंग नहीं हैं । आप इसकी सत्यता का कैसे पता लगा सकते हैं ? यह काम तो सरकार का है । आप इस मामले में सभा को अपनी ओर से स्पष्टीकरण दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत सूचना के आधार पर कोई प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, वे इस प्रकार अध्यक्ष का अनादर कर रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

Shri Shashi Bhushan : You can have the sense of the House in this matter. You are side tracking the rights of the members. You are supporting those people who want military rule in the country.

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि आपका ऐसा रवैया है तो हम सदन छोड़कर जाना ही उचित समझते हैं ।

(इसके पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी तथा अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri H. N. Mukerjee and some other hon. Members then left the House.)

Shri Shashi Bhushan : Sir you have taken a wrong attitude. I protest and walk out.

(इसके पश्चात श्री शशि भूषण सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Shashi Bhushan then left the House.)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE— *Contd.*

रोडशिया की सरकार द्वारा रोडेशिया को गणतन्त्र घोषित करना

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : संसद् के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जबाव देते हुए प्रधान मंत्री ने 4 मार्च को इस सदन में रोडेशिया की हाल की घटनाओं के बारे में भारत सरकार का रवैया बतलाया था । माननीय सदस्यों को मालूम ही हैं कि स्वाधीनता की इस इकतरफा घोषणा से 6 महीने पहले ही हमने साल्सबरी से अपना मिशन हटा लिया था और वहां की गैर-कानूनी सरकार से हमारा कभी कोई

सम्बन्ध नहीं रहा है। हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबन्धों का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है और यूनाइटेड किंगडम की सरकार से बार-बार यह कहा है कि प्रशासनिक देश होने के नाते वह रोडेशिया में बहुसंख्यक शासन की स्थापना के लिए सभी तरह के उपाय बरते जिसमें शक्ति का उपयोग भी शामिल है।

इस जातिवादी सरकार द्वारा अपने आप को गणतन्त्र घोषित करने की कार्रवाई को हम पूरी तरह गैर-कानूनी समझते हैं। हमें उम्मीद है कि संसार का कोई भी सभ्य राज्य इसको मान्यता नहीं देगा। हमें यह भी उम्मीद है कि जो राज्य अब भी रोडेशिया के साथ राजनयिक, कोंसली, आर्थिक और सैनिक सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं वे तुरन्त ही उसके साथ सम्बन्ध तोड़ लेंगे। इस सिलसिले में हमें यह देखकर खुशी हुई है कि संयुक्त राज्य अमरीका, फ्राँस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, नीदरलैंड और नार्वे आदि सरकारों ने, जिनका रोडेशिया में प्रतिनिधित्व है, साल्सबरी से अपने कोसलावास हटा लेने का निर्णय किया है।

हमें इस बात का पक्का विश्वास है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत सामान्य और प्रादेशात्मक प्रतिबन्धों का सख्ती से पालन किया होता तो यह गैर-कानूनी सरकार न चल पाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रतिबन्ध अभी तक सफल नहीं हुए हैं, हमारा यह विश्वास है कि जिम्बाबवे के लोगों को उनके वैध अधिकार दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह यह कि सभी सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पूरी तरह समर्थन करें जिसमें युनाइटेड किंगडम द्वारा शक्ति का उपयोग भी शामिल है।

इस विषय पर अपनी नीति के अनुसार हम ऐसे सभी प्रस्तावों का समर्थन करते रहेंगे जो संयुक्त राष्ट्र में अथवा उसके बाहर ज़िम्बाबवे में 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर बहु-संख्यक शासन की स्थापना के लिए रखे जाएंगे।

मुझे विश्वास है कि साल्सबरी की गैर-कानूनी जातिवादी सरकार के खिलाफ स्वतन्त्रता के अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष करने वाले जिम्बाबवे के देशभक्तों को श्रद्धांजलि, सहानुभूति और समर्थन देने में सदन भी मेरा साथ देगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं सुन सका हूं...

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चुप नहीं रहेंगे ?

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए। / Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)—जारी

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)—*Contd.*

श्री सेझियान (कुन्नेकाणम) : करियप्पा के वक्तव्य के बारे में दिये गये ध्यान दिलाने

वाले नोटिस को अध्यक्ष महोदय ने कल स्वीकार कर लिया था। हम अध्यक्ष महोदय से मिले हैं और हम वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं क्योंकि इससे कुछ निश्चित प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय से मिले थे और उन्होंने पी० टी० आई० की रिपोर्ट से, जो श्री करियाप्पा ने अध्यक्ष महोदय को दिखाई थी, अपनी असहमति प्रकट की थी। इस मामले पर पुनर्विचार के बाद अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए राजी हो गये हैं और उसे कल लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I heard on the Radio at 1-30 P.M. today that Rajya Sabha discussed this matter today. Lok Sabha, being the supreme representative of the people, should have discussed it first. My submission is that in future Lok Sabha should be immediately given an opportunity to discuss such issues of great public importance.

When pandemonium prevailed in the House, during the pre-lunch session, the treasury benches were enjoying the fun. The Home Minister himself has stated in the other House that Shri Cariappa's statement was most irresponsible. In such circumstances, the Leader of the House should have been present here. The Parliamentary Affairs Minister was present here but he kept mum. They are paid from the public exchequer. If they fail to discharge their responsibilities towards this House and the public, some action should be taken against them. I want to ask the Minister through you, sir, as to why he kept quiet and whether Shri Cariappa has issued this statement at their instance so that panic is not created in the country and the worshipping of the Prime Minister gets greater tempo ? Otherwise why did they keep quiet at that statement here when the Home Minister was making a statement in the Rajya Sabha.

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : आज सुबह कुछ माननीय सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के बीच वाद-विवाद हुआ था। माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनका प्रस्ताव क्यों नहीं लिया गया है और अध्यक्ष महोदय अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। मैं नही जानता मैं बीच में कैसे आता था।

जहां तक जनरल करियाप्पा के वक्तव्य के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, माननीय गृह-मंत्री ने राज्य सभा में उस वक्तव्य की निन्दा की है। इसलिये सरकार को बीच में घसीटने से कोई फायदा नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मुझे इस बात की चिन्ता है कि माननीय मंत्री ने जिस तरह का स्पष्टीकरण दिया है उससे इस देश के लोगों तथा अन्य देशों के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के दृष्टिकोण से लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं मिलता।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हमारा कई वर्षों का यह अनुभव रहा है कि जब भी कोई सांविधानिक या प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न यहां पर उठाया जाता है तो मंत्रीगण चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस समय बड़ी विचित्र बात हुई है। जबकि मंत्रिमण्डल के एक सदस्य राज्य सभा में उत्तर दे रहे थे, यहां पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर बहस हो रही थी और अध्यक्ष महोदय अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का इस ढंग से स्पष्टीकरण दे रहे थे, जिससे संसद् के स्वरूप और उसकी कार्य प्रणाली पर आंच आती थी, संसद् कार्य मंत्री कहीं देखने को

नहीं थे और विधि मंत्री या अन्य कोई मन्त्री भी यहां पर नहीं थे यह अनेक वर्षों से देखा जा रहा है और अब यह काफी गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

इसके बाद बजट पर चर्चा होगी और प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री होने के नाते सभा में उपस्थित होनी चाहियें परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मन्त्री ने अपनी यह जिम्मेदारी श्री सेठी को सौंप दी है और यहां पर वह बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती हैं। यह किस तरह का रवैया है ? जब यहां पर अचानक सिद्धान्त सम्बन्धी मामले खड़े हो जाते हैं जिससे संसदीय प्रणाली को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो संसद् कार्य मंत्री या विधि मंत्री यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। इस तरह यह सभा, कैसे काम कर सकती है ? इसलिये संसद् कार्य मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह पर्याप्त नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि अन्ततः अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है। परन्तु मैंने तथा श्री लकप्पा ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : मुझे प्रसन्नता है कि ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया गया है। जनरल करिअप्पा ने तीन-चार दिन पहले एक वक्तव्य दिया था और वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया ही जा रहा है, इसलिये अब उस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जो, आप जानते ही हैं कि सभी सदस्य इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए कितने व्यग्र हैं। इसलिए यदि इस विषय में 5 से 10 मिनट तक कुछ कह लिया जाये तो सभी को प्रसन्नता होगी। कृपया आप भी सहयोग करें।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : जनरल करिअप्पा के पास पर्याप्त समय था कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित अपने वक्तव्य का प्रतिवाद करते। परन्तु क्या उन्हें ऐसा करना चाहिये था। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था और इस सम्बन्ध में सदस्य बहुत व्यग्र हो रहे थे। उस समय जनरल करिअप्पा चुपके से आकर अध्यक्ष, गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री से मिलते हैं और ध्यानाकर्षण को बिल्कुल ही समाप्त करा देते हैं। उन्होंने सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। मैंने इस आशय का एक प्रस्ताव भी रखा है। कृपया आप इसे स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी उपयुक्त सूचना दीजिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, Shri Cariappa has said a very serious thing to which no sane person will agree and it should be condemned forthwith. I fully agree with Mr. Banerjee that once a Calling Attention motion is admitted, it must get proper attention. Now if General Cariappa wants to change his statement, let Government come forward and give a reply. But at the same time I condemn the behaviour of my Communist friends towards the Hon. Speaker.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, we always try to cooperate with the Minister for Parliamentary Affairs so that the Business of the House is conducted smoothly. But I am sorry to say that there is a state of inconsistency going on in the House, for example take today's case A calling attention motion in respect of Shri Cariappa was not admitted by the Speaker in the first instance but when approached by Shri Vasudevan Nair and two other Members, he was convinced and admitted it. Again at General Carippa's request he withdrew it and this thing is going on. On the other hand my Calling Attention Notice on Rupee Trade Agreement with Yugoslavia was not admitted, a short notice question was disallowed. This sort of things will not help in conducting the business of the House smoothly.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Whatever General Cariappa has said is a matter of shame for we all. But rejection of Calling Attention Notice is not appreciable. I feel that the more a Member is disciplined and co-operative, the more he is rebuffed in the House. My Calling Attention Notice regarding treatment meted out to Harijans in Punjab has been rejected. I want to know as to what is the criterian admitting or rejecting such motions.

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में हम अभी चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : प्राय: मेरे विचार प्रो० मुकर्जी के विचारों से मेल नहीं खाते किन्तु संसदीय प्रक्रिया से सम्बन्धित मामलों में वह बहुत समझदारी से काम लेते हैं । इस समय चर्चा का मुख्य विषय यह है कि सरकार संसदीय प्रक्रिया तथा संसद द्वारा पारित कानूनों के प्रति कितनी निष्ठावान है । अनुदान के रूप में लम्बी-लम्बी रकमों के लिये स्वीकृति दे दी जाती है लेकिन उसमें मुख्य भागीदार कौन है इसका पता ही नहीं चलता । अभी संसद्-कार्य मंत्री से पूछा गया गया कि मंत्री होने के नाते उन्होंने प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया, इस पर उन्होंने प्रतिपक्ष पर ही हल्ला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मैं इस हल्ले में भाग नहीं ले सकता । यह देखना उनका कर्त्तव्य है कि सभा की कार्यवाही ठीक-ठीक चलती है या नहीं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय सदस्यों को उत्तेजित होना शोभा नहीं देता और जनरल करिअप्पा के वक्तव्य को इतना महत्व भी नहीं दिया जाना चाहिये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : General Cariappa, in his statement had said something against the constitution and had attacked to the student community in general. Mr. Speaker had agreed with our views that the matter is of public importance and admitted a Calling Attention Motion. But afterwards he was convinced by General Cariappa's arguments that he was not correctly reported by the Press. It is very strange that he has not disclosed to the House his conversation wtth General Cariappa.

Mr. Speaker, Sir you sit in this august chair, so you must not indulge in such things. I had given a Calling Attention Notice on the dangerous hail storm which destroyed the crops in Delhi, Haryana and Punjab but it was rejected. It should have been accepted because it related to the sufferings of lakhs of farmers.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय सभा के संरक्षक है । सरकार ने राज्य सभा में इस विषय को उठाने की अनुमति दी थी ओर गृह-मंत्री ने वहां उत्तर भी दिया है । यहां भी अध्यक्ष महोदय अनुमति प्रदान करना चाहते थे । मैं पूछना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में पूछा जा रहा था तो संसद्-कार्य मंत्री ने उनकी सहायता नहीं की ?

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा का आज का क्या कार्यक्रम है? हम कब तक इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। श्री मधु लिमये ने कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये हैं जैसे प्रधान मंत्री की उपस्थिति तथा संसद्-कार्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप। मैं सभा की सहमति से ही कुछ कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूं कि अब इस चर्चा को समाप्त किया जाये इसलिये सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे अब इस सम्बन्ध में कुछ न कहें। संसद्-कार्य मंत्री के विरुद्ध भी कुछ कहा गया है, उन्हें उत्तर देने का अधिकार है, वे आकर उत्तर दें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सुबह जो कुछ हुआ है उसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दे दी है किन्तु स्वयं अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चुप-चाप बैठ कर मुझे इस चर्चा को समाप्त करने दीजिये।

Shri Molahu Prasad (Basgaon) : Your Secretariat is concerned only with reducing the number of questions and the visitors. Secondly, it is the Parliamentary procedure to supply papers both in Hindi and English language. But your secretariat is not following this procedure.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Haryana's Chief Minister Shri Bansilal has used the word 'cheat' for Shahide Azam' (Martyor) Rao Tula Ram. Where should discuss this matter ? Haryana Assembly has already been adjourned. (**अंतर्बाधा**)

श्री रघुरामैया : मैं प्रतिपक्ष में बैठने वाले अपने मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना महत्व दिया है जितना मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मेरा निवेदन है कि मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूं, अध्यक्ष अथवा समापति द्वारा क्या निर्णय लिया जाये, या नहीं।

इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरे कहा गया है कि प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा में संसदीय कार्य मन्त्री ने भाग क्यों नहीं लिया। कल से मैं ऐसा करना प्रारम्भ कर दूंगा किन्तु सदस्यों को मेरा विनिर्णय मानना होगा। सुबह जिस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी और अध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे थे तो कुछ सदस्यों ने हल्ला करना प्रारम्भ कर दिया। उस समय मैं स्वयं भी हल्ला करना नहीं चाहता था, इसलिये चुप ही रहा।

आज जो कुछ भी हुआ है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। बिना कुछ खाये पीये मैं लॉबी में गया और वहां से सदस्यों को साथ लेकर अध्यक्ष महोदय के पास जाकर उन्हें अभ्यावेदन दिया। इसलिये आप ऐसा मत कहिये कि संसद्-कार्य मन्त्री ने कुछ नहीं किया है।

प्रधान मन्त्री पर अनावश्यक तथा निराधार आरोप लगाया गया है कि वह यहां नहीं थीं। बजट पर चर्चा के सारे समय-एक या दो मिनट को छोड़कर वह यहाँ उपस्थित रहीं। (**अन्तर्बाधा**)

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्री यशपाल सिंह से ऐसा व्यवहार करने का सदस्य को कोई अधिकार नहीं जो आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी किया जा सकता है। माननीय सदस्य को खींचा गया है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री रणधीर सिंह : मुझे बहुत अफसोस है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी बोलने देंगे या नहीं । यह तो मित्र केना ते किया गया था फिर भी अशोभनीय है । सभा में किसी सदस्य के विरूद्ध शारीरिक बल का प्रयोग अवांछनीय है । मेरा विचार है कि संसद कार्य मन्त्री गलती से विनिर्णय शब्द का प्रयोग कर गये हैं । पीठाध्यक्ष ही विनिर्णय दे सकते हैं ।

श्री रघु रामैया : इसके लिये मुझे अफसोस है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रोडेशिया की सरकार द्वारा रोडेशिया को गणतन्त्र घोषित करना

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I again call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Declaration of Republic by the Rhodesian Government and Government of India's reaction thereto".

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं अपना वक्तव्य दोबारा पढ़ता हूं ।

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने अपना वक्तव्य दोबारा पढ़ा)

Shri Kanwar Lal Gupta : I congratulate the Hon. Minister for his statement. as well as the whole country shares his sentiments.

By declaring itself a Republic, the Rhodesian Government has defied the wishes of the whole world. I fully agree with the Hon. Minister when he says that the countries of the world are not united against Rhodesian racialism. That is why economic sanctions imposed by the Security Council have not proved successful, instead Rhodesia has increased its growth rate by ten percent. That Government by declaring itself a Republic has established white supermacy for all times. According to their constitution 50 out of a total of 66 legislators will be from white community and only 16 legislators will represent the Black people. They have made two zones—Black Zone and White Zone. It is against humanity to discriminate among the human beings on the basis of colour.

I put one question. The Hon. Minister has stated that he had written to the U.K. Government for using force against Rhodesia. I want to know about the reply received from that Government.

My second question is that whether the Indian Government is going to call a conference of Asian and African countries so that the Government of Rhodesia can be compelled to withdraw its declaration egarding republic.

In the case of Rhodesia you have accepted the principle of one vote for one man. Will you accept the same principle for other countries also ? This principle is not being followed in Fizi island. Are you going to have this principle there also ?

In the end I request you to condemn the present attitude of the Rhodesian Government, so that the world can know our feeling in this regard.

Shri Surendra Pal Singh : No doubt, India condemns Rhodesia and I agree with the facts mentioned by the hon. Member before asking the question.

We had many times asked U.K. and had also supported the resolution of Security Council for using force against Rhodesia. But U.K. had always replied that we cannot use force. She says that the sanctions improved on Rhodesia will surely have their effect and Rhodesia will have to bend before world opinion. But the sanctions are not proving successful. It is a fact that some countries are co-operating with her and the effect of the sanctions has become just equal to nothing.

Our difficulty is that what else we can do. We had condemnd Rhodesia thoroughly, but nothing is coming out.

Hon. Member has suggested to call a Afro-Asian Conference, but I think there is no use of calling it because this matter had already gone before U.N.O., a body represented by all important countries of the world. As such the conference will not solve this matter.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : To declare Rhodesia a republic by 220 thousand whites out of 50 lakhs Rhodesian population is a challenge for the whole of the humanity. We also had such things before our independance. You know there was a fight of Republicans against Franco in Spain. A committee was set up in India for helping them in that struggle. Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Krishna Menon took active part in that.

Now the question of Rhodesia is before us and we should act according to our part. We should also raise our voice against Rhodesia in U.N.O. will the Government set up a Committee on the lines of previous committee to help the coloured people of Rhodesia, so that funds may be collected from all corners to help the Rhodesian freedom fighters ?

Hon. Minister has reported that Mandatory sanctions had not been implemented by many countries. What I want to know is that how many times India raised her voice against the defaulting countries in U.N.O.

It is true that England had not and will not use force. But there are instances where United Nations had taken Police action. Therefore, will the Government of India move this in United Nations that in the absence of England using force United Nations should take police action ?

Shri Surendra Pal Singh : So far as the question of helping the freedom fighters of Rhodesia is concerned we have always supported the rights of Rhodesian people in United Nations or Security Council.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Member raised the question of forming a committee to help the Rhodesian freedom fighters and asked to raise the question of taking police action by United Nations. Will the Government take any step towards that.

Shri Surendra Pal Singh : United Nations will itself decide about the Police action and Government of India will also take action at the proper time.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Will the Government of India take initiative ?

Shri Surendra Pal Singh : At the moment we do not want to take initiative.

Shri Om Prakash Tyagi : The Britishers never gave independence to any country on the basis of majority, but in the case Rhodesia they have not given the right to form a

Government. This was their swect will only that they gave authority to some white to rule. They do not want that coloured people should rule and for that very reason they did not use force there Even due to economic restrictions goods worth 440 lakh pounds were sent to America, West Germany and Japan. I want to say that America and England do not want the whites to loose their grip over Rhodesia. Rhodesian Prime Minister Smith says that Rhodesia will remain in civilized hands.

You know that trade restrictions have failed. Therefore I want to ask that what is the other way so that the coloured people of Rhodesia get independence.

Secondly you say that force should be used to liberate Rhodesia. In the light that I would like to ask that whether the Government will help the organisations working outside India for the independence of Rhodesia.

Shri Surendra Pal Singh : So far as the sanctions are concerned, they had been proved unsuccessful. Even those countries who promised to impose the sanctions did not improve them and they are doing to call with Rhodesia. So far as the second thing is concerned it is the responsibility of the Government of U.K. From our side we are trying our level best in the United Nations that England should come forward.

Shri Om Prakash Tyagi : My question is not answered. Whether Government will help the Liberation Army being raised in Tanjania ?

Shri Surendra Pal Singh : I have already said that we will certaining help the freedom fighters.

श्री म० ला० सोंधी : मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री तथा यहां बैठे अन्य मंत्रियों को शायद अफ्रीका के नक्शे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपने दौरे का कार्यक्रम बनाते समय वे इस ओर देख ही नहीं पाते ।

रोडेशिया के लोगों की स्वतंत्रता के लिए वास्तविक प्रयत्न करते समय हमें अंगोला और मोजम्बीक के बारे में भी सोचना होगा । परन्तु हमारे ब्रिटिश मित्रों को यह नहीं सुहाता क्योंकि पुर्तगाल उनका पुराना मित्र है । तीनों बड़ी शक्तियां इस भाग में शक्ति के बटवारे को बढ़ावा दे रही हैं । माननीय मन्त्री ने सैनिक शक्ति के सम्बन्ध में सदन को सही जानकारी देकर ठीक किया है । रोडेशिया के पास असीम वापु शक्ति है, दक्षिण अफ्रीका की मदद से, जिससे उसकी सैनिक सन्धि है, वह भंयकर बममारी कर सकता है ।

शेष संसार ने इस बात को समझा है । राष्ट्र मण्डल के प्रश्न की चर्चा के समय सरकार ने सदन में कहा था कि वे रोडेशिया की सुरक्षा करना चाहते हैं । आप उसमें असफल रहे हैं । क्या अब आप राष्ट्र मण्डल को छोड़ देगें । अतः सरकार से मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या वह अफ्रीकियों की मदद करने का कोई प्रमाण दे रही है । रोडेशिया के बारे में मंत्री महोदय पूरी ईमानदारी के साथ बतायें कि अंगोला तथा मोज़म्बीक के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है जिसकी घोषणा अभी और इसी समय कर सकते हैं ? वह सदा ही गोपनीयता की ओड़ लेकर बच जाते है जबकि उनकी गोपनीयता के बारे में हर किसी को जानकारी होती है । क्या वह अंगोला और मोजाम्बीक के बारे में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकते ? इस प्रकार के विषयों को सदन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये । यदि हमें रोडेशिया के लोगों के साथ सहानुभूति है तो इस बारे में हमें कुछ करना चाहिये । केवल शुभ कामनायें देने से ही कुछ नहीं होने

का । क्या मंत्री महोदय के पास अंगोला तथा पोजम्बीक जैम्बिया के बारे में कोई सुसमान्बित नीति है । वह विशिष्ट रूप से कोई स्पष्ट उत्तर दें । चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ कितने भी संकल्प पारित करे । किन्तु वे संकल्प रोडेशिया को वायु-सेना तथा नेपाम बमों के प्रयोग से रोक न सकेंगे और बेचारे अफ्रीकी लोग इसी प्रकार मारे जाते रहेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने किसी विशिष्ट भावना को लेकर यह कहा था कि भारतीय लोग अफ्रीकी लोगों की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं । क्या ऐसी प्रतिज्ञाओं की उपेक्षा कर दी जायेगी ? इस बारे में मंत्री महोदय साफ-साफ उत्तर दें और प्रकट करें कि उन्हें अफ्रीका की समिति के बारे में कितना कुछ मालूम है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मोजम्बीक तथा दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में रोडेशिया की स्थिति के बारे में मुझे भी कुछ ज्ञान है । मैंने स्वयं ही कहा है कि इन दो देशों के असहयोग के कारण ही इतनी कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं क्योंकि उनपर वर्ण-भेद की भावना शासन करती है । ये दोनों देश रोडेशियाके साथ पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं और यही सब से बड़ी कठिनाई है । हम प्रतिबन्ध लगाने संबंधी जो भी कार्यवाही करते है इन दोनों देशों द्वारा रोडेशिया को सहायता दिये जाने के कारण वह निरर्थक हो जाती है । अब कठिनाई यह है कि हम क्या करें ? जो कुछ हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इस विषय में हम शेष सारी दुनिया के साथ हैं । जहां पर भी इस बारे में विचार किया जा रहा हैं । हम उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं । और अब हम और क्या कर सकते हैं ।

जहां तक स्वाधीनता के लिये लड़ने वालों को सहायता देने की बात है, सो हम उन्हें सहायता दे रहे हैं । इस बारे में अफ्रीकी देश या विश्व के अन्य संगठन जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं । इस बारे में हम उनकी सभी कार्यवाहियों तथा संकल्पों का समर्थन करेंगे । मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है । मैं नहीं समझ पाता कि और हम क्या कर सकते हैं । माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं का मैं आदर करता हूँ परन्तु केवल भावना व्यक्त करने से ही तो कुछ नहीं हो जाता ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 44 पर विधि आयोग का 33 वां प्रतिवेदन ।

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 497, 498 और 499—शर्तों पर जमानत की मन्ज़ूरी—पर विधि आयोग का 36 वां प्रतिवेदन ।

(तीन) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898—धारा 1 से 176—पर विधि आयोग का 37 वां प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय दंड संहिता के अधीन जीवन पर्यन्त कारावास के दंड पर विधि आयोग का 49 वां प्रतिवेदन ।

(पांच) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898--खण्ड 1 और 2—पर विधि आयोग का 41 वां, प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2810/70**]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री शेर सिंह : श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 फरवरी, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 265 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–2811/70**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) 31 मार्च, 1969 को समाप्त अवधि के लिए मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड बंगलौर, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) 31 मार्च, 1969 को समाप्त अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड लखनऊ, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2812/70]

भारतीय तारयंत्र (संशोधन) नियम

श्री शेर सिंह : मैं भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885, की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तारयन्त्र (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 190 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2813/70]

कोयला खान भविष्य निधि तथा लाभांश योजनायें अधिनियम में के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा लाभांश योजनायें अधिनियम, 1948, की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1969, जो दिनांक 2 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 54 में प्रकाशित हुई थी ।

(2) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1969, जो दिनाँक 2 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 55 में प्रकाशित हुई थी ।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1969, जो दिनांक 2 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 56 में प्रकाशित हुई थी ।

(4) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, 1969, जो दिनांक 2 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 57 में प्रकाशित हुई थी ।

(5) कोयला खान लाभांश (संशोधन) योजना, 1970, जो दिनांक 14 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 223 में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2814/70]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 9 मार्च, 1970 की बैठक में कलकत्ता पत्तन (संशोधनों) विधेयक, 1970 को पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 9 मार्च, 1970 की बैठक में आवश्यक वस्तु (संशोधन) चालू रखने का विधेयक, 1970 को पास किया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक सभा-पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : श्रीमन् मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये निम्नलिखित विधेयकों को भी सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1970

(2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) चालू करने पर विधेयक, 1970

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

115 वां प्रतिवेदन

115th Report

श्री एम० तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम और रसायन विभाग)—वर्ष 1966-67 के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा टेंडर संख्या ओ० पी०/टी० ई० एन०-765 द्वारा तेल के बैरलों की खरीद—पर समिति के 86वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 115वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

———

बजट (सामान्य) सामान्य चर्चा–(जारी)

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : गत दो दिनों से बजट पर जिस प्रकार की चर्चा हुई उससे तो ऐसा प्रतीत होता हुआ जैसे किसी फेशन-शो का आंखों देखा हाल बताया जा रहा है। मुझे बड़ा आश्यर्च हुआ। क्योंकि इसमें बार बार मैक्स फैक्टर, मिनी स्कर्ट, मिनी-कोट आदि का जिक्र किया गया। भला बजट का इससे क्या संबंध है ?

श्री मसानी ने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में रुपया लगाने से 7 प्रतिशत का लाभ होता है जबकि सरकारी क्षेत्र में एक रुपये पर केवल दो पैसे ही मिलते हैं परन्तु वह इस बात को भूल गये कि गैर-सरकारी क्षेत्र को यह लाभ सरकारी क्षेत्र द्वारा पैदा दिये गये उत्पादनों के कारण है अन्यथा गैर सरकारी क्षेत्र को यह लाभ कदापि न होता।

श्री मघोक न तो पूँजीवाद चाहते हैं और न ही साम्यवाद। उन्हें भारतीयकरण से मोह है परन्तु वह किस प्रकार का भारतीयवाद चाहते हैं। उन्होंने 16 फरवरी को हिन्दुस्तान टाईम्स को लिखे एक पत्र में कहा : जब तक इस्लाम धर्म का भारतीयकरण नहीं होगा, ये दंगे-फिसाद होते रहेंगे।"

क्या आप ऐसे ही सिद्धांतों के मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। क्या हम इस देश के अन्य संख्यकों को अपने भाई न समझें ? क्या उन्होंने हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलकर कार्य नहीं किया, भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी ? गुरु गोलवलकर न केवल मुसलमानों की निन्दा करते हैं बल्कि ईसाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों को भी पसन्द नहीं करते।

यह सच है कि किसी देश में लोक तंत्रीय प्रणाली तभी सफल होती है जब वहां अल्प-संख्यक लोग स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित समझें और भारत में ये लोग स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित समझते भी हैं जबकि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। परन्तु मैं गृह-कार्य मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि जिन अनेक अल्पसंख्यकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है उन्हें नागरिकता

प्रदान करने में बिलम्ब न किया जाये अन्यथा उनके मस्तिष्क में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने अल्पसंख्यकों सम्बन्धी बहुत सारी भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है। इस बारे में पूरी तरह विचार किया जाये अन्यथा ये लोग स्वयं को दूसरे दर्जे के नागरिक समझने लगेंगे जबकि वे हमारे सगे भाइयों की तरह हैं।

श्रीमती सुमेता कृपालानी ने कहा है कि प्रधान मन्त्री ने अपने स्वविवेक से राज्यों में वितरण करने के लिये 75 करोड़ रुपये की धन राशि रखी है। आखिर प्रधान मन्त्री उन्हें, चाहे जो कुछ खगीदने के लिए, तो यह धन वितरित नहीं कर देंगी यह राशि तो प्रधान मंत्री के हाथ में होनी ही चाहिए क्योंकि वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाले आवटन कतई संतोषजनक नहीं होता। जब वित्त आयोग के विनिधान से राज्य की अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन पैदा होता है, तब प्रधान मंत्री की स्वविवेक निधि से धन दौलत में सुधार करने, इस असंतुलन को दूर करने के लिए धनराशि निकालकर प्रयोग में लाई जाती है।

बजट के बारे में बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि प्रधान मंत्री ने इस बजट में कुछ अत्यंत आश्चर्यजनक बात होने का दावा नहीं किया है। सबसे अधिक तो उन्होंने देश के बच्चों के बारे में सोचा है तथा उन्हें जन्म से तीन वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा आहार-प्रदान करने के लिए चार करोड़ रुपये रखे हैं। क्या इससे गरीबों को कोई लाभ न होगा ? यह राअनीति नहीं है, यह तो गरीबों के खुशी का कारण है। मैं यह नहीं कहती कि इससे सभी बच्चों को लाभ पहुंचेगा परन्तु कुछ लोगों को तो लाभ होगा। इस बारे में मैं प्रधान मन्त्री से अपील करूंगी कि वह देश को उपहारस्वरूप प्राप्त होने वाले 1,26,000 टन दुग्ध चूर्ण तथा 42,000 टन मक्खन-तेल को बच्चों के उपयोग के लिए निश्चित कर दें। इससे बड़ी संख्या में बच्चों को लांभ पहुंचेगा। साथ ही दूध की सप्लाई को केवल नगरों तक ही सीमित न रखकर सारे देश में फैला दें क्योंकि अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ होने पर अनेक लोगों को आत्म-हत्या तक करनी पड़ती है। केवल बंगाल से ही गत तीन वर्षों में आत्म हत्या के 16,582 के मामले हुए। हालांकि इनमें अनेक मामले अन्य कारणों से भी थे परन्तु बच्चों का पालन-पोषण करने की असमर्थता से भी काफी संख्या में आत्म हत्याएं की गई। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री ने इस समस्या की ओर काफी ध्यान दिया है।

श्री मसानी ने मजाक किया कि हमारी प्रधान मन्त्री एक आधुनिक प्रधान मन्त्री है जो उन्होंने सफाई की वस्तुओं पर कर नहीं लगाया। परन्तु सभी जानते हैं कि हमें कितनी अधिक संख्या में मकानात बनाने हैं और उनके लिए सफाई की वस्तुओं की बड़ी आवश्यकता होगी। केवल बंगाल ही में 124 अनधिकृत बस्तियां हैं जहां 40 लाख शरणार्थी रहते हैं जिनमें से 30,000 लोग बेघर हैं। वहां 18 हजार भिखारी हैं और 50,000 फेरी वाले हैं। वहां सारे बंगाल में 1,26,000 खुले शौचालय हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहां सफाई के सामान की व्यवस्था करना कितनी बड़ी समस्या है, बस्तियों में मैंने स्वयं देखा है कि अनेक गर्भवती स्त्रियां शौचालय में अपनी बारी देर से आने से बेहोश हो गई। क्या श्री मसानी यह अनुभव करेंगे कि हमारी प्रधान मन्त्री केवल "आधुनिक" ही नहीं बल्कि मानवीय समस्याओं को समझने का सामर्थ्य भी रखती हैं।

बंगाल में चाय के बागानों के बारे में भी एक शब्द कहता चाहूँगी। वहां के चाय के बागान बड़ी ही बुरी दशा में हैं। सामान्यत: वहां की अधिकांश चाय का निर्यात हो जाता हैं और उन पर भारी चाय उत्पाद शुल्क पड़ेगा क्योंकि वे क्षेत्र संख्या—4 के अधीन आते हैं। इससे उन बागों की दशा और बिगड़ेगी। यदि इन चाय बागानों को कम से कम उत्पादन-शुल्क क्षेत्र के अधीन नहीं रखा जायेगा तो इन बागों को बन्द कर देना पड़ेगा और इसके परिणाम-स्वरूप भारी बेरोजगारी बढ़ेगी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे। बेरोजगारी बढ़ने से ही हत्याओं और डाका-जनी की घटनाओं में वृद्धि होती हैं। और फिर बंगाल में तो पहले ही रोजगार सम्बन्धी स्थिति बहुत दयनीय है।

एक और बात मैं सभा के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। बड़े ही खेद का विषय है कि हम देश भक्तों को उन स्वतन्त्रता सेनानियों को भूल गये जिन्होंने हमारे वर्तमान के लिए अपने भविष्य को त्रोहित कर दिया। उन्होंने हमें स्वतन्त्र कराने के लिए अपने जीवन की आहूति दे दी। डाक्टर मैस्केमनिहास पुर्तगाली कारागार में सड़ रहे हैं। इसी प्रकार महान क्रान्तिकारी उद्यमसिंह के जीवन चरित्र पर लन्दन में बलराज लेह द्वारा निर्मित की जा रही फिल्म के लिए भी केन्द्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। बंगाल तथा समूचे भारत में अनेक स्वतन्त्रता सेनानी तपेदिक आदि रोगों से मर गये और उन्हें कोई तत्काल सहायता नहीं दी जाती। इसी प्रकार आजाद हिन्द फौज के वीरों ने भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी। अनेकों ने अपने जीवन को खतरे में डाला परन्तु उन्हें भी कुछ नहीं दिया गया। प्रतिरक्षा मन्त्री ने उनके बारे में मुझे लिखा है परन्तु अभी भी उन लोगों के लिए मुआवजे के रूप में 87 लाख रुपया देना बाकी है। उन्हें यह राशि अभी तक नहीं मिली है। मुझे आशा है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय शीघ्र ही इस संदर्भ में कुछ करेगा। आजाद हिन्द फौज ने देश में स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेता जी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनकी आजाद हिन्द फौज को हम कभी नहीं भूल सकते।

इस बजट को हम चाहे जो राजनैतिक रंग दें परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बजट में निश्चय ही यह भावना पूर्णरूपेण प्रतिलक्षित है—"बहुजन दिलाय—बहुजन सुखाय।"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब बजट पर बहस की जा रही है तो वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री यहां उपस्थित है। जहां तक सदन का सम्बन्ध है—यह नया अनुभव है। बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है और इन वर्षों में हमारा यह अनुभव रहा है कि जब बजट की सामान्य मांगों पर चर्चा की जाती है तो चाहे कोई भी वित्त मन्त्री क्यों न हो—सदन में बैठे रहते हैं परन्तु मुझे खेद है कि प्रधान मन्त्री, जिनके पास वित्त का भी मंत्री-पद है, न केवल अनुपस्थित ही हैं परन्तु जब से वार्ता प्रारम्भ हुई है तभी से वे अनुपस्थित रही हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : नहीं, वे यही थीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इससे स्पष्ट है कि जितना जल्दी वे इस मंत्रि-पद को त्याग दें देश और सरकार के लिए उतना ही अधिक अच्छा होगा कौन ताईद कर रहा है। इस देश की

राजनीति को समझने में श्री शिवनारायण को समय लगेगा। जब प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री की हैसियत से बजट पेश कर रही थी तो हम सोच रहे थे कि वह विभाजित कांग्रेस दल का बजट था और दूसरे पक्ष से बजट के पक्ष में दिये गये भाषणों से पता चला कि बम्बई अधिवेशन में लिये गये निर्णयों का यह बजट प्रतिनिधित्व कर रहा था। बाद में मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता की जब बात सुनी तो पता चला कि यह बजट विभाजित कांग्रेस दल का नहीं बल्कि विरोधी कांग्रेस दल और सत्तारूढ़ कांग्रेस दल दोनों का ही बजट था। वह जब बजट पर बोल रहे थे तो यही उनका मुख्य तर्क था। वे यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे कोई भी वित्त-मंत्री हों, यदि श्री मोरारजी देसाई भी उस पद पर काम करना जारी रखते तो भी वही बजट होता जो श्रीमती गांधी द्वारा पेश किया गया है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुईं
Smt. Sushila Rohatgi *in the Chair*]

यदि ऐसी कोई बात है तो मैं उनसे एक प्रति-प्रश्न करना चाहूँगा कि यदि बजट पूर्ववत् है तो वे विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्हें इससे सहमत होना चाहिए था। यदि आप कहते हैं कि इससे और अधिक अच्छा बजट नहीं हो सकता था तो वे विरोधियों में क्यो बैठे हैं? सम्भवतया वे सोच रहे होंगे कि श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के माध्यम से उनमें परस्पर एकता की बात हो सकती है। मुझे मालूम नहीं।

पिछली बार जब श्री मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था तभी मैंने बजट सम्बन्धी जो समीक्षा की थी और इस बजट पर भी वही कर सकता हूं—केवल दो-नीन बातों को छोड़कर। फिर मैंने कहा, "यदि कोई बात है तो वह यह है कि वित्त मन्त्री बहुत ही कायर रही हैं।" फिर मैंने कहा, "इससे कीमतें बढ़ेंगी।" वही बात वर्तमान बजट से सम्बन्ध रखती हैं। तथ्य की बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या का हल करने की कोई बात नहीं बताई गई है। देश में अस्थिरता का यह प्रमुख कारण है। यही सब बातें मैंने पिछली बार कही और यही सब इस वर्तमान बजट पर लागू होती है।

साथ ही मैंने यह भी कहा था कि वित्त मन्त्री नई दिशा की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते हैं परन्तु श्रीमान् जी यहां पर मैं समझता हूँ कुछ अन्तर है। वर्तमान वित्त मन्त्री नई दिशा की ओर अग्रसर तो नहीं हुई हैं परन्तु जहां तक वर्तसान बजट का प्रश्न है—उन्होंने वर्तमान बजट में कुछ नई बातें रखी हैं। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता? भले ही वर्तमान बजट एक राजनैतिक चाल हो सकती है तथापि उन्होंने अपने को चतुर सिद्ध किया है।

बजट की नीति लागू करने में उन्होंने यत्र-तत्र कुछ परिवर्तन किये हैं। इससे ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो गया है कि वर्तमान व्यवस्था में भी कुछ सुधार करने की सम्भावना है। साथ ही समुदाय के सम्पन्न वर्गों से जो कुछ देखने की स्थिति में है। हम कुछ ले सकते हैं उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। धन-कर में वृद्धि नगरीय भूमि और सम्पत्ति पर कर लगाना, ट्रस्ट की सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध, भेंट-कर से सम्बन्धित रियायत का वापिस लेना, 40,000 रु० से अधिक आय पर आय-कर की ऊंची दर, विलासिता की वस्तुओं पर अधिक उत्पादन शुल्क-पर ऐसे उपाय

करने से मेरे (विरोधी) कांग्रेसी मित्रों को किसने रोका ? निम्न मध्यम श्रेणी के लिए ये छोटी 2 रियायतें जो छोटी कही जाती है,--इनका कोई उपाय करने के लिए किसने रोका ? मैं समझता हूं कि विभाजन ने इसकी पुष्टि की है। चाहे श्रीमती गांधी को कितनी ही गालिया सुननी पड़ी हों और उनके मध्य रोड़ा अटकाने वाले बहुत व्यक्ति हों परन्तु उन्होंने ये उपाय अपना लिये हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उनका समाजवादी बजट है—ऐसी बात नहीं है—मैं यह बताना चाहूंगा कि किस तरह बड़े व्यापार के लिए और उनकी एकाधिकारता के लिए भविष्य में क्षेत्र बनाने वाला है जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं था, मेरा यह विश्वास नहीं है कि इस बजट में आर्थिक साम्यता होगी। समुदाय के कमजोर अनुभागों को जो राहत दी जानी थी—भले ही हो परन्तु भौतिक रूप से उनकी स्थिति अधिक अच्छी नही होगी।

मैं इस बात को सोच कर थोड़ा हैरत में हूँ कि बड़े-व्यापार के एकाधिकार को हटाने की तो बड़ी लम्बी चौड़ी बातें होती हैं परन्तु बड़े-व्यापार के विस्तार को प्रश्रय दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए बड़ा-व्यापार और सरकारी उद्योग धंधों का मिल जुल व्यापार को लीजिए प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कहीं। दत्त समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश ऐसी प्रतिक्रियावादी थी कि एक समाजवादी सरकार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बड़ा-व्यापार सरकारी उद्योग से मिल गया है यही ऐसी बात है जिसका हम विरोध कर रहे हैं—हम हमेशा करते रहे हैं कि सरकारी उद्योगों को देश की अर्थ-व्यवस्था में सर्वोपरि होना चाहिये। श्री पीलु मोदी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र असफल रहा है और अधिक सरकारी उद्योग धंधे नहीं चलने चाहियें। इस बजट ने देश में ऐसे तत्वों को जो सरकारी उद्योगों की बदनामी करते हैं, प्रश्रय दिया है। इस बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जो कि कठिनाई और संकट को दूर करके अच्छे प्रबन्ध और अच्छे व्यक्तियों से सरकारी उद्योग क्षेत्रों को इस स्थिति में ला दे जो हमें लाभ दे सके। सभी सरकारी उद्योग के पक्ष में हैं परन्तु बजट में कोई ऐसी नई नीति का संकेत नहीं मिल रहा है—हमारी प्रधान मंत्री ने बड़े-व्यापार गृहों को सरकारी उद्योगों में शामिल होने की सहमति दे दी—इसका तात्पर्य यह है कि हम सरकारी उद्योगों को सफल बनाना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः इस बुनियादी क्षेत्र पर समस्त देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। यह कोई लघु उद्यमी या लघु उद्योगपति नहीं है जिसे सहायता मिल रही है परन्तु बड़े-व्यापार की की एकाधिकारिता है, जो ये सहायता प्राप्त कर रही है। आपने निगमित क्षेत्र को बदले बिना छोड़ दिया है। उन पर आप ने कर भी नहीं लगाया है। वे भी इसमें प्रविष्ट हो कर लाभान्वित हो सकते थे और विदेशी मुद्रा की प्राथमिकता प्राप्त हो सकती थी। क्या होता है ? आपका सरकारी क्षेत्र कहां पर स्थित है ? जब वे समाजवाद की बात करते हैं तो उन्हें उपभोक्ता उद्योगों में जाने से किसने रोका है और अब कौन रोक रहा है ? यदि वे लाभ उठाना चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्रों को क्यों नहीं उपभोक्ता उद्योगों में परिवर्तित कर दिया जाय ? कोई संकेत नहीं, कोई दिशा नहीं वह केवल एकाधिकार हटाने की बात ही बात करती हैं परन्तु क्या देश में एकाधिकार को हटाने का यही तरीका है ?

इसलिए न तो मैं पहले आश्चर्य चकित था न अब ही हूँ बजट पेश होने से पूर्व इसके

समाजवादी होने का बड़ा शोर-शराबा था। इसका समर्थन कहां से हुआ ? एक सदस्य यह कह रहे थे कि इस बजट से सट्टा-बाजार बड़ा खुश है—देश में सामान्य प्रतिक्रिया यही थी कि व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा समाजवादी बजट प्राप्त किया—जा रहा है बड़ा व्यापार ही इस देश की सम्भावनों का लाभ उठाता है। टाटा और बिरला यह समझते हैं कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी से चाहे जो कुछ ले सकते हैं इसी लिए समाजवाद की घोषणा के बाद भी बिरला को फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए अनुज्ञाप्ति दे दी गई। वह समानता नहीं चाहते हैं और यदि ऐसा होता तो यह बजट नहीं होता।

उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है उनपर लांछन नहीं लगाता हूं। जैसा कहा जा चुका है कि दल विभाजित हो गया है परन्तु तत्त्व वही हैं—इन दोनों में क्या अन्तर है ? कुछ नहीं है। स्वरूप वही है, व्यक्ति वही हैं कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है कोई—अन्तर नहीं है। आपको इस बजट में वही अविचारता की पहुंच मिलेगी—यह आर्थिक नीति (कर निर्धारण सम्बन्धी) का बेदिल से किया गया कार्य देश को घातक सिद्ध हो सकता है—मैं तो यही समझता हूं कि समाजवाद के स्थान पर कुछ विपरीत बात ही है।

मैं इस प्रसंग में यह बता दूं कि उन्होंने कर निर्धारण के सम्बन्ध में क्या किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कर-प्रस्तावों पर पहले विचार किया गया था परन्तु कोई समेकित पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने आय-कर में छूटसीमा 5,000 रुपये तक बढ़ा दी है। निगमित क्षेत्रों में आय, मनोरंजन या अतिथि-गृहों पर कर लगाने की छूट दी थी परन्तु अब उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। बड़ा-व्यापार व धन के थैलों पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब प्रो० कालडोर ने इन बातों का सुझाव दिया था तब वे समेकित पहुंच थी। व्यय-कर को पुनः लागू नहीं किया गया। जब किया गया तो वे दिल से घटना ऐसी नीची थी।

प्रोफेसर कालडर ने व्यय-कर को लागू करने का सुझाव दिया था जिससे 10-20 करोड़ रुपये लाभ होने का अनुमान था। परन्तु उनके सुझाव को माना नहीं गया।

उनका यह कहना निराधार है कि छूट-सीमा 5000 रुपये तक कर देने से जनता को राहत मिलेगी। इसका कारण यह है कि मूल्य-स्तर बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 महीनों में मूल्य स्तर में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से छूट-कर की सीमा 7200 रुपये होनी चाहिए।

भूतलिंगम समिति ने भी सिफ़ारिश की थी कि छूट-सीमा 7500 रुपये होनी चाहिये। अगर इसे मान लिया जाता तो क्या हानि थी ! 28 लाख आय-कर दाताओं की संख्या 17 लाख रह जाती और लगभग आठ करोड़ रुपये की हानि होती। लेकिन यह सिफारिशें नहीं मानी गई।

मैं स्वीकार करता हूँ कि न्यास सम्पत्ति पर नियन्त्रण लगा देने से लाभ हो सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनको अपना कर कर-अपवंचकों को पकड़ा जा सकता है पर वे तरीके व्यवहार में नहीं लाये जाते।

1963 में मैंने सदन में नागपुर की फर्म श्रीराम दुर्गा प्रसाद सर्राफ के मामले को उठाया था। यह फर्म कच्चे खनिज एवं धातुओं का निर्यात करती है। उन्होंने लाखों डालर की कीमत का सोना खरीदा है। उसपर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन का आरोप है। श्री सचिन चौधरी, श्री टी० टी० कृष्णमचारी तथा श्री मोरार जी देसाई ने हमें आश्वासन दिया था कि इस मामले में छान-बीन की जायेगी परन्तु अभी तक कोई छान-बीन नहीं की गई। उस फर्म से 2 करोड़ रुपया वसूल किया जाना है। बहुत ही अचम्भे की बात है कि वह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई और न ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त उसे व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस मामले के पीछे अवश्य कोई कूट-योजना है। मैंने मांग की थी इस सम्बन्ध में एक जांच समिति बनाई जाए परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वित्तमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि निम्न आय वर्ग को दी जाने वाली राहत बहुत कम है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय है कि चीनी पर कर लगने से आम जनता को कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। परन्तु करों के फलस्वरूप चीनी के भाव बढ़ना स्वाभिक है और इससे निम्न आय वर्ग पर बोझ पड़ेगा। यही बात मिट्टी के तेल और चाय पर भी लागू होती है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर इस कर को न हटाया गया तो हम इसके विपक्ष में वोट देंगे।

श्री शिवाजी राव रा० देशमुख (परमणी) खाद के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपको खाद या ग्रामीणों को राहत देने का क्या अधिकार है जबकि न तो आपके पास और न ही बजट में ग्रामीण जीवन का कायाकल्प करने का कोई कार्यक्रम है ! ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक सामन्तशाही बनी हुई है।

पिछले वर्ष सदन में जब कृषि सम्पत्ति कर पेश किया गया तो सतारूढ़ दल ने भी इसका विरोध किया गया था। वित्तमन्त्री के लिए इस कर को लागू करना एक समस्या बना हुआ है। इस सम्बन्ध में स्वयं ब्रह्मानन्द रेड्डी दिल्ली आये और प्रधान मन्त्री से कहा कि केन्द्रीय बजट में अनुमानित कृषि सम्पत्ति कर के लिए कोई विकल्प सोचें। ऐसे समाजवादी लोगों के कारण तो अब तक गाँवों में अब तक जमींदारों का प्रभुत्व बना हुआ है।

अगर सरकार यह कहे कि राज्य सरकार भूमि-वितरण, भूमि सुधार तथा किसानों को अधिकार देने के लिए जितनी धन-राशि की मांग करेगी, उसे दी जायेगी तो मैं समझूंगा कि सरकार सामन्तिक तत्त्वों की प्रभुत्ता को समाप्त कर रही है और एक नये युग का अविर्भाव हो रहा है। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि सरकार समस्या का समाधान करने की बजाए उसके मार्ग में रोड़े अटका रही है।

बेरोजगारी की समस्या को ही लीजिए ! इसको दूर करने के लिए जो साधन अपनाये जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष प्रारम्भ हो गया है परन्तु बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष जन संख्या बढ़ती जा रही है परन्तु हमारी योजना निस्प्रयोजन ही सिद्ध होती है।

1961 की जनगणना के अनुसार 9-19 वर्ष की उम्र के 5 करोड़ 80 लाख लड़के 1970 में रोजगार की तलास में होंगे । अगर कार्यक्रम के अनुसार चला जाय तो केवल 1 करोड़ 10 लाख लड़के रोजगार पा सकेंगे । ऐसा लगता है कि इस समस्या के प्रत्येक पहलू पर विचार नहीं किया जा रहा ।

राज्यों को योजना रहित कार्यों एवं अन्य व्ययों के लिए जो धन-राशि दी गई है उसके बारे में भी सदन में काफी वाद-विवाद रहा है । प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने घाटे वाले राज्यों के लिए कुछ धन-राशि देना स्वीकार किया है । लेकिन यह धन राशि बांटने एव व्यय करने के लिए कोई मापदण्ड तो होना ही चाहिये । राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यह धन व्यय नहीं किया जाना चाहिए । अभी तक 9 राज्यों ने लगभग 90 करोड़ का घाटा दिखाया है । अगर उन्हें यह धन दे दिया जाएगा तो घाटा दिखाने की एक प्रथा बन जायेगी । अगर कोई अच्छा हल न ढूंढा गया तो बजट बनाने का कार्य ही एक दिन समाप्त हो जायेगा । उदाहरणार्थ पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से विकसित एवं अविकसित राज्यों के बीच खाई उत्पन्न हो जायेगी और यह खाई बढ़ती ही जाएगी । अतः एक स्थायी वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो जानकारी दे सके कि किस राज्य को कितना धन दिया जाना चाहिये तभी धन-राशि का उचित उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सकेगा ।

यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक अल्पसंख्यक सरकार है । अगर सरकार राजनीतिक समर्थन पाने के लिये राज्यों को बांटेगी तो इससे देश के संघीय ढाँचे में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी । क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये । अगर सरकार का संघीय ढ़ांचा सुदृढ़ बनाना है, प्रत्येक राज्य को स्वायत्त बनाना है तो इस दिशा में कुशलता पूर्वक कदम उठाये जाने चाहिये । केन्द्र में काम कर रही अल्प संख्यक सरकार अगर सारे देश को सूत्रबद्ध देखना चाहती है और प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहती है तो उनका बजट ऐसा होना चाहिये कि सभी राज्यों के समान लाभ हो तभी देश में वास्तविक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है ।

यद्यपि इस बजट ने नये द्वार खोले हैं तो भी यह समाजवादी बजट नहीं है, ना ही प्रधान मन्त्री ऐसा दावा कर सकती हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मुझे प्रसन्नता है कि यहां एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने उन समाजवादी-आदर्शों के सुधार की कम आशा बंधाई है, जिनका हम समर्थन करते हैं । यदि इस बजट से साधारण तथा गरीब जनता को सहायता मिलती है तो वित्त मन्त्री के आलोचक अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ।

मेरे मित्र श्री अशोक महता जी इस बजट को दिखावा मात्र बताते हैं । श्री महत्ता दीर्घकाल एक सरकार के साथ रहे हैं उनके समय में कोई भी ऐसा बजट नहीं बना जिसमें आय-कर सीमा को बढ़ाया गया हो, जिसमें बच्चों के भरण-पोषण का कोई कार्यक्रम बना हो । क्या उस समय कोई ऐसा बजट बना जिसमें शहरी सम्पत्ति पर कर तथा उसकी अधिकतम सीमा निर्धारण करने का प्रयत्न किया गया हो । क्या उनके समय में कोई ऐसा वित्त मंत्री था जिसने निर्धन-किसानों के

विषय में कभी सोचा हो ? क्या कोई ऐसा वित्त मंत्री रहा है जिसने ग्रामीण-आवास तथा जल-पूर्ति के विषय में दिखावा-मात्र भी किया हो ? क्या किसी भी वित्त मन्त्री ने काले-धन के विरोध में कोई पग उठाया है ?

मेरे विचार से इस बजट में समाजवादी युग के लिए सत्य और निश्चित प्रयास किया गया है। चाहे जो हो हमें इस बजट का स्वागत करना है। यदि यह बजट समाजवादी संदेशवाहक नहीं बन पाता तो इसमें हमारा ही दोष है अन्य किसी का नहीं।

श्री मसानी के अनुसार यह बजट मानसून प्रधान है। हमारे देश के साथ यही कठिनाई है कि हम प्रत्येक वस्तु को मानसून प्रधान बताते हैं। हमारी संस्कृति, कृषि सभी वर्षा पर आधारित हैं। हमें आशा करनी चाहिये कि यह वर्षा देश में सम्पन्नता तथा समृद्धि प्रदान करके निर्धनतम लोगों में नवीन आशाएं संचारित करेगी।

यदि कर-ढांचे की ओर देखें तो मानना पड़ेगा कि प्रसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। साधन-जुटाना ही विकास के लिए एक मात्र उपाय है। जो लोग यह दावा करते है कि भारत में सर्वाधिक कर थोंपे गये हैं उनसे यह स्मरण रखना चाहिए कि अप्रत्यक्ष कर ही भारत में सर्वाधिक है। जहां तक प्रत्यक्ष-करों का प्रश्न है ये भारत में सबसे कम हैं। यदि हम इस बजट पर दृष्टि-पात करते हैं तो ज्ञात होता है कि सरकार ने साधन जुटाने के लिए पूर्णतया प्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं किया है।

जब हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तब हमें नियमित-करों को नहीं भूलना चाहिए। इन निगमित करों की दो श्रेणियां है; प्रथम के अन्दर वे कम्पनियां आती हैं जिनके शेयर सट्टा-बाजार तथा शेयर बाजार में उद्धत किये जाते हैं और दूसरी के अन्तर्गत वे कम्पनियां आती हैं जिनके शेयर बाजार में उद्धृत नहीं किये जाते। सरकार में यह कहने का साहस नहीं है कि आगे से यह कृत्रिम भेद नहीं रहेगा। यदि साधन जुटाने हैं तो उन लोगों पर प्रत्यक्ष कर लगाये जाये जो इन्हें वहन करने योग्य हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करते साधन नहीं जुटा पायेंगे और समाजवाद की बात व्यर्थ हो जायगी।

इस विषय में सभी अर्थशास्त्री एकमत हैं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें और स्वायत्त-संस्थायें सभी मिलकर कुल कर का 40 प्रतिशत ग्रामीण-क्षेत्रों पर लगाते हैं। हमारे देश में 80 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामनिवासी हैं और इनमें 80 प्रतिशत के लगभग बहुत निर्धन हैं। इन ग्रामों से देश की कुल आय का 50 प्रतिशत तथा निर्यात का 50 प्रतिशत देश को प्राप्त होता है। यद्यपि हम ग्रामीण-क्षेत्रों पर 40 प्रतिशत कर लगाते हैं परन्तु वहां हमारा प्रति व्यक्ति निवेश क्या है ? वह मुश्किल से 5 प्रतिशत है।

मेरे इस आरोप को कोई भी अर्थशास्त्री नहीं झुठला सकता है कि साधन ग्रामीण-क्षेत्रों से जुटाये जाते हैं और लाभ शहर वालों को होता है। इस दृष्टिकोण से वित्त मन्त्री का शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रयास सराहनीय है। मेरे विचार से विपक्ष वाले सदस्य भी इस विषय पर सहमत होंगे कि ग्रामीण-क्षेत्रों पर निवेश के अनुपात से ही कर लगाये जाएं।

जो समाजवाद की चर्चा करते हैं वे भूल जाते हैं कि केवल नारे लगाने से समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अर्थ का वाणिज्य-सम्बन्धी परिचालन तथा कृषि उत्पादन की मूल्य रचना कुछ इस प्रकार की है कि शताब्दियों से शहरी क्षेत्र ग्रामों का शोषण करते चले आ रहे हैं और आज भी वैसी ही स्थिति है। प्रजातन्त्र तथा आर्थिक विकास आदि के नाम में नीतियों का अनुसरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है जिससे शहर तथा ग्रामीण-क्षेत्रों में अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

यदि इस अन्तर को कम करना है तो हमें ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन-राशि देनी चाहिए। हमें अभी घोषित करना होगा कि हमारी कृषि-योग्य योजना भूमि का प्रत्येक इंच सर्वोपयुक्त साधनों से सिंचित किया जायगा, प्रत्येक ग्राम में बिजली की व्यवस्था की जायगी। यदि हमारे किसानों को इस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं तो देश भी निर्धनता समाप्त हो जायगी।

यह सर्वसाधारण को विदित है कि हमारे देश के ग्रामीण-क्षेत्रों से 80 प्रतिशत जवान आते हैं जो अपना जीवन तक देश की सुरक्षा तथा विकास के लिए न्यौछावर कर देते हैं। इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए हमें इन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करना चाहिये।

भारत में उर्वरकों की दरें अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षा तिगुनी है तकनीकी पत्रिकाओं में उर्वरक कारखाने का मूल्य 2 करोड़ डालर उद्धृत किया जाता है परन्तु हमारे यहां वही कारखाना 8 करोड़ डालर में स्थापित होता है। इसी कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होती है।

यह साधारण सी बात है जहां उर्वरक उत्पादन के मितव्ययता बरती जाती है वहां उर्वरक बनाने के सरल ढंग हैं, जिसे अबाधित प्रक्रिया कहा जाता है। यदि हम एमोनिया बनाते हैं तो इसे नाइट्रोजन तथा यूरिया में सरलता से परिवर्तित कर सकते हैं परन्तु हमारे यहां ऐसा नहीं होता—क्योंकि हमने पुराने ढंग अपनाये हुए हैं, इसी कारण मूल्य अधिक आता है। मैं वित्त मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से निवेदन करूंगा कि उर्वरक पर लगाये करों को समाप्त कर दिया जाय और यदि सम्भव हो सके तो विधि व्यवस्था द्वारा अन्य देशों की अपेक्षा भारत में उर्वरक के बढ़ते हुए मूल्य को रोका जाय। जब तक हम ऐसा नहीं करते हम ग्रामीण-क्षेत्रों से उत्पादन वृद्धि का दावा नहीं कर सकते।

आय-कर ढांचे का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होता है कि 5,000 रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को आय-कर से मुक्त रखा गया है। यदि इसका प्रत्यक्ष रूपान्तर देखें तो ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति आय-कर देता था उसे 11 रुपये का लाभ है। परन्तु एक अधिकारी जिसकी वेतन से आय 48,000 और अल्प-बचत विनियोजन से 3,000 है तथा एक व्यापारी, जिसकी आय 51,000 तथा विनियोजन द्वारा आय 3,000 है उन्हें 350 रुपये की छूट दी गई है इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कर भुगतान कर सकते हैं उन्हें ही अधिक छूट दी गई है।

बारानी खेती के लिए हम 25 पैसे प्रति एकड़ की छूट दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार बारानी खेती को प्रोत्साहन दिया गया तो इसे सिंचाई खेती के बराबर आने में हजारों वर्ष लग जायेंगे।

अतः मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा उर्वरक मिट्टी का तेल आदि पर लगाये गये करों को वापस ले लिया जायगा जिनसे निर्धन लोग प्रभावित होते हैं। इस निवेदन के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : श्री तेन्नेटि विश्वनाथम ने पं० जवाहरलाल नेहरु को कुशल व्यक्ति बताते हुए उन्हें नौकर-शाही द्वारा बहकाये जाने के विषय में कहा है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि जब तक कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है उसे नौकरशाही मूर्ख नहीं बना सकती। रफी अहमद किदवई तथा सरदार पटेल के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिन्हें कोई भी मूर्ख नहीं बना सका।

दूसरी बात यह है कि हमने पहले प्रधान मंत्री का पतन उनकी लड़की द्वारा आरम्भ होते देखा है। क्योंकि वह यह कहती हैं कि अब तक के 21 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया। केवल उन्होंने ही निर्धन व्यक्तियों के प्रसन्नतापूर्वक रहने सम्बन्धी क्रान्ति को जन्म दिया है।

कुछ व्यक्ति इस बजट को समाजवाद में प्रवेश बतलाते हैं और कुछ इसे साधारण कहते हैं इस बजट के सर्वोत्तम भाग में बहुत अधिक ऊपरी दिखावा है। स्त्रियों से हम क्या अपेक्षा करते है।

बजट देश के लिये निर्धारित अर्थ-व्यवस्था के ढांचे के आधार पर तैयार किये जाते हैं। स्वाधीनता के पश्चात हमने जो अर्थ-व्यवस्था का ढांचा तैयार किया है वह अत्यधिक पूंजी लगाने की अर्थ-व्यवस्था का ढांचा है। इस अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत एक हजार करोड़ रुपयों की लागत से तीन विशाल इस्पात कारखाने स्थापित किये गये हैं जिनमें प्रति वर्ष 40 कोड़ रुपये के हिसाब से घाटा होता है और इन विशाल कारखानों में एक लाख अथवा डेढ़ लाख की पूंजी पर एक व्यक्ति लगा हुआ है।

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व, निर्धनों को दो बार भरपेट भोजन उपलब्ध कराना लक्ष्य था। गांधी जी के कथनानुसार, निर्धनों को स्वच्छ कपड़े, छोटे साफ मकान, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यह सब भूलकर हम रूस की नकल करने लगे। हम यह भी भूल गये कि उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए। जनता का जीवन-स्तर तभी ऊँचा हो सकता है, जबकि बेरोजगारी समाप्त हो। यदि डेढ़ लाख की पूंजी से सिर्फ एक आदमी को रोजगार मिलता हैं, तो इसका मतलब है कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आजादी से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात औद्योगिक सम्मेलन हुआ करते थे, जिनमें उद्योग के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया जाता था। उनके पास बिजली, मशीने या बड़े कारखाने स्थापित करने के लिए पूंजी नहीं थी। मगर सभी सुधारकों का यह लक्ष्य था कि जनता को लाभप्रद रोजगार मिले और रोजगार बढ़ता ही जाय। मगर, यहां प्रत्येक योजना के अन्त में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उद्योग के विकेन्द्रीकरण और कृषि की उपेक्षा करके हम गरीबों को रोजगार नहीं दे सकते। लोगों को रोजगार देकर ही राष्ट्र प्रगति कर सकता है—इस सिद्धान्त को हमने पं० जवाहर लाल नेहरू व अन्य नेताओं ने स्वीकार किया था।

बड़ी अजीब बात है कि आज गांधी जी की आर्थिक नीति को प्रतिक्रियावादी समझा जाता है। गान्धी जी ने कभी भी विज्ञान या तकनीकी ज्ञान के लोगों का परित्याग करने को नहीं कहा।

गांधी जी लोगों को शोषण से बचाना चाहते थे और चाहते थे कि लोगों के फालतू श्रम का उपयोग हो। गान्धी जी यन्त्रों के विरुद्ध नहीं थे। उनके कथनानुसार मानव-शरीर एक अनुपम यन्त्र है। गांधी जी विशाल स्तर पर उत्पादन के विरुद्ध नहीं थे ; वे तो सिर्फ ऐसी वस्तुओं के विशाल स्तर पर उत्पादन के विरुद्ध थे जिन्हें ग्रामीण जनता आसानी से निर्मित कर सकती है। वे श्रम बचाने वाली ऐसी मशीनों के पीछे पागल होने के भी खिलाफ थे, जिससे हजारों व्यक्ति बेरोजगार होकर भूखों मरने लगें। उनके विचारानुसार जहाज-निर्माण, लोहा और विद्युत-उत्पादन कार्य गांव की हस्त-कलाओं के साथ-साथ अग्रसर होना चाहिए। भविष्य में औद्योगीकरण इस प्रकार किया जायेगा कि गांव की हस्तकलाओं में वृद्धि हो और वे बरबाद न हों। गान्धी जी सरकार के स्वामित्व में केन्द्रित उद्योगों को सामान्य हितमें नहीं मानते थे।

गान्धी जी मानवतावादी थे। इसी कारण वे यन्त्रीकरण और 'स्वचालित' मशीनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। स्वचलित मशीनों से 90 प्रतिशत मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। यूरोप में वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो जाने पर उनको नष्ट कर दिया जाता है जिससे कीमतों का उचित स्तर बना रहे। दार्शनिकों और मानवतावादियों ने भी विकेन्द्रीकृत उद्योगों के पक्ष में मत प्रकट किया है। गान्धी जी कुटीर और ग्राम-उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। वे बिजली उत्पादन के भी पक्ष में थे, क्योंकि उसे दूर-दूर तक ले जाया जा सकता है। बड़ी मशीनों के मानकीकृत पुर्जे कारखाने के विभिन्न भागों में निर्मित किये जाते है। इन पुर्जों को कारखाने के विभिन्न भागों में निर्मित करने की वजाय गांव के ऐसे घरों में तैयार किया जा सकता है, जिनमें खराद, मशीनें और बिजली उपलब्ध हो। यह प्रक्रिया जापान में प्रचलित है। कुछ मात्रा में इस पर पंजाब में भी अमल हो रहा है। विदेशी अतिथियों को हम गांवों में न ले जाकर बड़े-बड़े बांध दिखाने ले जाते हैं। बांध भी ऐसे हैं कि बांध हैं भी तो नहर नहीं और नहर है, तो बांध गायब।

तीन इस्पात कारखानों की स्थापना से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई और चौथे इस्पात कारखाने की स्थापना कर डाली। इन तीन कारखानों में 1100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। मैं कोई सांख्यिकीविद नहीं हूँ ; परन्तु यह सरकार भी बिना आंकड़ों के योजना बनाती है। इन तीन इस्पात कारखानों में 35-40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। फिर भी 800 करोड़ रुपये की लागत से चौथा बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात कारखाने में अभी तक कोई उत्पादन नहीं हुआ। विदेशी अतिथियों के लिए विशाल, भव्य भवन और बंगले अवश्य तैयार हुए हैं। आर्थिक समीक्षा में आंकड़े नहीं दिये गये हैं ; अगर वे दिये होते तो उनकी संख्या बहुत बड़ी होती। हम रूस से मशीनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं रूस में मशीनें तैयार हैं भी या नहीं। हमारे साम्यवादी मित्र चाहते हैं कि हम अमरीका की बजाय रूस से ही हवाई जहाज खरीदें। ऐसा वे क्यों कहते हैं, क्योंकि रूस उनका पितृदेश है।

इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था बरबाद हो रही है। हम जब तक अर्थ-व्यवस्था को एक नई दिशा नहीं देंगे, हमारे बजट सिर्फ गणना मात्र होंगे। बेकारी और मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी।

इस बजट में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कुछ लोग अच्छा समझते हैं, उदाहरणार्थ बच्चों के खाद्य-भोजन के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था ; मगर इससे मुद्रा-स्फीति में वृद्धि होगी । ईसा मसीह ने पांच रोटी के टुकड़ों और थोड़ी सी मछलियों से और आशीर्वाद मात्र से एक भीड़ के सभी व्यक्तियों का पेट भर दिया था । इसी प्रकार कांग्रेस के वैज्ञानिक समाजवाद में यह पांच करोड़ रुपये की रकम सारे देश के बच्चों के लिए पर्याप्त होगी ।

इसी प्रकार, गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । यह सारा देश ही एक गन्दी बस्ती है । राजधानी में बीस दिन तक हमें जहरीला पानी पीने को दिया जाता है और बाद में उससे बचने का उपाय बताया जाता है । हरेक बंगले के साथ गन्दी बस्ती है । नौकरों के लिए छोटे से कमरे में बीस-बीस व्यक्ति रहते हैं । इसलिए यह पांच करोड़ रुपये की रकम गन्दगी बस्तियों की सफाई के लिए ईसा मसीह के प्रसाद की ही तरह है ।

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : The Budget presented by Prime Minister for the year 1970 71 affirms the belief that it prints to a socialist and welfare state. But it is doubtful whether this would accelerate the rate of development. We all hoped that after Bombay Session of the Congress some important and revolutionary measures would be adopted, but nothing has been done to remove economic backwardness and inequality between the rich and the poor. Would there be an increase in the revenues of States as contempleted in the Budget ?

The money earmarked for feeding the children is not sufficient. People in big cities, especially in Delhi, live with great pomp and show. Ladakhis can not even imagine such a life. No encouraging results have come to light by the capital employed in public enterprises. No plan has been formulated to get benefit at a fixed rate. May I hope that a part of the amount allotted for eradication of backwardness of States would be given to Ladakh ? Even after twenty-two years of independence there is ulter poverty and frustration among Ladakhis. There is acute shortage of nutritious food and there is no proper facility of hospitals. Prime Minister look into their difficulties.

There are certain attractive items in the budget *e.g.* works-programme in famine-stricken areas, relief against draugt, nutritious food for the children, increase in employee's pension, research work in agriculture. I think that developed areas are being developed and poorer sections of the society are getting poorer. Ladakh area is still undeveloped. Development of distant areas like Ladakh is the urgent need of today. Then only we would strive for the solidarity of the country.

Gajendragadkar commission has admitted in its report that there has not been balanced development of Jammu and Kashmir State. No concrete measures have been adopted for the social, cultural and economic uplift of Ladakh.

The ambitions and aspirations which are found in the citizens of a free country are very rare in the people of Ladakh due to poverty, illiteracy and backwardness. There is need to give them relief.

In the end, I request to this House to pay heed to the poor people of Ladakh also. The Honourable Members with their intelligence, humanity and courage may please think over the pitiable condition of Ladakh and try to develop it like the other parts of the country. I will speak at the time of discussion on the demands of the Ministries and then I will give some suggestions for the development of Ladakh area.

The people of Ladakh believe in religion and in that connection 300 persons are coming from Leh to Chandigarh and 200 persons from Nubra to Pathankot to attend a

special ceremony of Dalai Lama at Dharam Shala. I have requested to the Prime Minister and Defence Minister to make arrangements for their air travel.

In 1947 and 1962 there was a special contributions for the Defence of the country by the people of Ladakh.

90% money is given by the Central Government for the development. But all the work is done by the development Council. I am a member of that Council. I will give my suggestions regarding the development of Ladakh at the time of discussion on the Development Council of Ladakh.

I am greatful to you for giving me time to speak.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : महोदया, इस बजट की कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है कि यह समाजवादी नहीं है, मेरी राय से यह आलोचना असंगत है, क्योंकि यह सोचा गया है कि वर्तमान सरकार समाजवाद के लिए कटिबद्ध है, और समाजवादी लोग इसमें है तथा पूंजीवाद का तख्ता पलट गया है, किन्तु ऐसा न होकर यहां पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, कांग्रेस के दो गुट हो गये हैं और दोनों में यह अन्तर पड़ गया है कि सरकार पर कुछ दबाव होने से देश की अर्थ नीति, बजट में लोक महत्व तथा प्रजातंत्र को कुछ अधिक महत्व प्राप्त हो गया है, इस परिवर्तन का यही सार है कि लोगों को सरकार पर दबाव डालने की नई शक्ति प्राप्त हो गयी है कि लोगों पर पुराने किस्म के दबाव न डाले जायें, और यदि संभव हो तो लोगों को कुछ मदद दी जाय, अतएव मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो बजट के समाजवादी न होने से असन्तुष्ट हैं, नहीं, मैं विरोधी कांग्रेस या स्वतन्त्र या जनसंघ के सज्जनों में से हूँ ; क्योंकि यद्यपि श्री मोरार जी देसाई ने कांग्रेस का यह भाग छोड़ दिया है फिर भी उनकी बुरी आदतों का वहां कुछ तो प्रभाव रहेगा ही कि जो कि बजट बनाने वालों तथा नीति निर्माताओं को गुमराह करेगा ।

अप्रत्यक्ष कर उन्हीं वस्तुओं पर लगाए गये हैं जिन पर बहुत समय पहले इन्हीं सज्जन पुरुषों ने भी कर लगाये थे, चाय, चीनी तथा डाक लेखन सामग्री के अतिरिक्त उन लोगों ने तो महिलाओं के सो के आभूषणों तक को लेने का प्रयत्न किया था । अतः विरोधी कांग्रेसियों को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है । मैं उनकी आलोचना का समाधान कर रहा हूँ । काली क्रांति से इस देश में किसी को सफलता नहीं मिली चाहे वे बनावटी हिटलर या मुसौलिनी पैदा कर दें, क्या यह बजट पूंजीपतियों की शक्ति कम करने वाला है या कार्यकारी लोगों की शक्ति बढ़ाने वाला है ? क्या इस बजट से एकाधिकारियों को कमजोर किया गया है ? और कार्यकारियों को आर्थिक दशा को सुदृढ़ किया गया है ? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत वायदे किए जाते हैं किंतु क्या वे सब पूरे भी किये जाते हैं ? कोई पूछ सकता है कि क्या वे बजट द्वारा पूरे किये जा सकते हैं ? नहीं, बजट के अतिरिक्त अच्छे प्रशासन तथा दूसरे नियमों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करके विकास किया जा सकता है, किन्तु दुर्भाग्यवश नीति-निर्माता पुराने ही विचारों पर चल कर कहते हैं कि हम नयी नीति चाहते हैं ।

सामान्य तथा रेल बजट को एक साथ ही लीजिए, रेल बजट ने करोड़ों यात्रियों जो

कि महानगरों मे कार्यालयों तथा कारखानों में मजदूरी के लिए जाने हैं, पर आक्रमण-सा कर दिया, इस सरकार की वित्तीय नीति जो कि कहती है कि वह प्रजातंत्र की अच्छे ढंग से सेवा करना चाहती है, वह न होकर निर्धन वर्ग पर आक्रमण था, यह सब क्यों हुआ ? केवल 80 लाख रुपये की राशि के लिए ? इससे स्पष्ट है कि वहां कोई ऐसा आदमी था जो कि लोगों के सामने घोषणा करके कहना चाहता था कि यह सरकार क्या है, और प्रतिक्रियावादी तत्व को निकालने के पश्चात् भी यह पार्टी कैसी है ?

श्री शिव नारायण : आप उनसे मिल रहे ही हैं ।

श्री श्री० अ० डांगे : आप वहीं से आये हो, इसलिये मत बोलो, वहां के चिह्न अभी आप पर हैं, चिन्ता मत करो, इससे लगता है वे नई विचारधारा का पोषण करने में अभी समर्थ नहीं हैं, जिसका कि उन्होंने लोगों से वायदा किया था, नहीं तो रेल बजट उस तरह का नहीं होना था, लेकिन अभी आशा है, और यह समय भी आयेगा । वह इसी से स्पष्ट है कि लोगों की मांग पर सरकार ने प्रस्तावों में संशोधन कर लिया, पुरानी पार्टी तथा इस पार्टी में इतना ही अन्तर है कि पुरानी पार्टी ने ये संशोधन कभी नहीं करने थे क्योंकि उस वक्त यह काम इस्पात-निर्मित व्यक्ति, पुराने वित्त मंत्री के हाथों में था । उनके समय में प्रतिदान नहीं था । यदि ज्यादा मांगे रखी जाती थीं तो उनका उत्तर गोलियों से दिया जाता था, आज फिर भी प्रजातांत्रिक राय की संतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है, और यही कारण है कि बजट में संशोधन किया गया । यहीं अन्तर है । मुझे आशा है यह बढ़ेगा जिससे पूंजीवाद जड़ से हिल जाय ।

सामान्य बजट पर मैं सब कर प्रस्ताओं पर नहीं बोलना चाहता । उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल पर कर क्यों लगाया । तेल तथा पैट्रोलियम मन्त्री ने तेल कम्पनियों से बात की किन्तु वह पुराने मंत्रियों तथा भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की गल्तियों को ठीक नहीं कर सके, जिनको 3 करोड़ टन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई और 8 करोड़ टन उत्पादन क्षमता स्थगित की गई थी । यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने चुपके से 3 करोड़ की बजाय 8 करोड़ का उत्पादन किया और वह बात सरकार की कानों तक न गयी, अब वे इसका जितना लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं, परन्तु यदि एक गरीब किसान चुपके से आधा एकड़ पर अधिकार जमा लेता है तो तो वह उसी स्थान पर ढेर कर दिया जाय या सीधे जेल भेज किया जाय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा इस देश के एक साधारण व्यक्ति के साथ जिसने छोटा सा अपराध किया हो, व्यवहार करने में सरकार ने यह अन्तर किया हुआ है ।

तेल तथा पेट्रोलियम मंत्री ने तेल कम्पनियों के साथ अच्छी प्रकार बात की, और उनके साथ वादा भी किया कि उनको समाजवादी राष्ट्रों से अग्रिम पूर्ति की जायेगी । समाजवादी देश इस देश की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं, मैं इस संदर्भ में बोकारो इस्पात कारखाने के विषय में कहे बगैर नहीं पूछ सकता । तीन साल तक वे अमरीका से बोकारो की स्थापना के लिए प्रतीक्षा करते रहे, तीन वर्ष के प्रतीक्षा की उन्होंने लात मार दी ।

तब सोवियत रूस ने कहा कि यदि तुम हमसे मदद चाहते हो तो हम तुम्हें मदद दे सकते

हैं किन्तु इसमें उन्होंने पहले नहीं की, वास्तव में रूस की मदद से बना भिलाई इस्पात कारखाना पूरी उत्पादन दे रहा है, जबकि दुर्गापुर कुछ ढीला सा है ।

तेल कम्पनियों पर मन्त्री महोदय ने एक बैरेल पर 10 सेन्टस कम कर दिया, मैं नहीं जानता कि वह 10 सेंटस कहां जा रहे हैं । मंत्री जी सोच रहे थे कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को होगा या फिर सरकार के कोश में जायेगा ताकि सरकार हर संभव लोगों को खुद राहत दे सके, फिर भी मुझे पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर कर देना पड़ रहा है । तुम कम्पनियों से 10 सेंटस एक बैरल पर ले रहे हो और बजाय इसके कि उपभोक्ताओं को कुछ राहत दो उनसे मिट्टी के तेल तथा पैट्रोल के लिए अधिक कीमत ले रहे हो । आप मूल्यों में कमी करने के लिए संघर्ष करते हैं परन्तु इस कमी का लाभ कौन उठाता है ? इस समय तो यह लाभ तेल कम्पनियों की जेबों में जाता है । हम जो लोग कर देते हैं उनको क्यों नहीं इसका लाभ पहुँचता ।

इसी प्रकार चीनी के व्यापार में सब जानते हैं कि बडे-बड़े चीनी-व्यापारियों ने यहां तक कि सहकारी क्षेत्र ने भी लाखों का लाभ कमाया है और गरीब गन्ना उत्पादक को तथा उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिला । यद्यपि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश के कारखानों द्वारा कमाये गये लाभ में से कुछ भाग गन्ना उत्पादकों का भी लाभांश के रूप में दिया जाये, परन्तु महाराष्ट्र जो कि स्वयं सहकारी क्षेत्र का लाभ हैं, ने एक भी कोड़ी देने से मना कर दिया । इसे आम सहयोग कहते हैं ? वे लोग उपभोक्ताओं से लाखों रुपये कमाते है परन्तु गरीब गन्ना उत्पादकों को थोड़ा सा भी लाभ देने से साफ मना करते हैं । अतः अनियंत्रित चीनी पर शुल्क क्यों नहीं लगाया जाये ? चीनी कारखानों को वस्तुतः गन्ना उत्पादक ही धन देते हैं । वे उन्हें उधार गन्ना देते हैं परन्तु फिर भी उन्हें उनके गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलता जबकि चीनी कारखाने लाखों रुपये कमाते हैं और राजनैतिक दलों को चन्दे देते हैं । फिर भी प्रस्ताव किया गया है कि चीनी पर कर लगाया जाये । क्यों ? आप चीनी मिलों को अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते ? यदि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय बाधक बनता है तो आप इन चीनी मिलों पर इतना कर लगाये कि वे खुद ही मजबूर होकर आप से कहें चीनी मिलों को अपने अधिकार में कर लीजिए । यह तरीका सबसे सरल है । परन्तु सरकार ने यह नहीं किया बल्कि चीनी पर उत्पादन शुल्क लगा दिया ।

अब चाय को लीजिए । सरकारी अधिकारी जो कर लगाने की व्यवस्था करते हैं, समझते हैं कि चूरा-चाय को ही गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं पत्ती वाली चाय को नहीं ; इसलिए उन्होंने चूरा-चाय पर कर नहीं लगाया है । यह धारणा गलत है । वास्तव में मध्य श्रेणी के तथा गरीब लोग पत्ती वाली चाय भी पीते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कर लगाने वाले यही नही जानते हैं कि देश में अधिकांशतया कैसी चाय का उपयोग किया जाता है । इसीलिए उन्हें नहीं मालूम कि वे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं । होता यह है कि मुनाफाखोरों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और कपड़ा, चीनी, मिट्टी का तेल, तेल आदि पदार्थों में खूब मुनाफाखोरी हो रही है ।

अतः बजट में प्रस्तावित करने के कारण कोई शक्ति अपने परिवार की अर्थव्यवस्थ । के बारे में आत्म निर्भर नहीं बन पायेगा । फिर 5000 रुपये तक की धनराशि को आय कर से

मुक्त करके यश कमाने का प्रयास किया गया है। जबकि सही बात ही यह है कि यह रियायत इसलिए दी गई है कि इस आय वालों से आयकर वसूल करने में सरकार का जितना धन खर्च होता है उतना उसे कर के रूप में प्राप्त ही नहीं होता। इस संबंध में अच्छी भावना और दुर्भावना का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक किसानों को राहत देने की बात है जो वस्तुतः उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। वैसे तो मध्यम श्रेणी के किसान, गरीब कृषक, बारानी खेती, कूओं आदि के बारे में खूब बातें की गई हैं परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि गावों में धनी किसान, महाजन तथा जमीदारों का ही बोल बाला है। आप अपने बजट में भले ही यह लिख दें कि यह बजट और इसके आदेश गरीबों की भलाई के लिये हैं परन्तु केवल लिखने से यह बात दूर नहीं हो जाती। जब तक सुयोजित रूप में किसानों तथा निर्धन लोगों की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, अमीरों की तुलना में गरीबों के हितों की रक्षा नहीं की जाती, तब तक इन उपायों से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा।

आप सब जानते हैं कि गांवों में क्या हो रहा है क्योंकि आप सब गांवों से संबंधित हैं। वहां ऋण देना स्वीकार तो किया जाता है परन्तु स्वीकृति दिलाने वाले द्वारा कमीशन आदि की कटौती के बाद उन गरीबों को केवल 25 या 30 प्रतिशत ही वस्तुतः प्राप्त होता है। मैं इस व्यवस्था के बारे में विवाद नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसकी प्रशासनिक प्रणाली से मेरा मतभेद है जिसे ये लोग नाराज नहीं करना चाहते, समाप्त नहीं करना चाहते। इसलिए हम बजट में विदित अच्छी भावनाओं का कोई फल नहीं निकलेगा जब तक कि इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए देश भर में, कारखानों में लोगों को सामान्य लोगों को तैयार नहीं किया जाता।

बजट में वर्णित कई बातों को शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया है। जब तक ऋण व्यवस्था को उस नीति में निमन्त्रणाधीन नहीं रखा जाता जिससे उत्पादन बढ़ाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना है तथा शोषण करने वाले तत्वों को रोकना है तब तक कर, वित्त आदि की बात करने से कोई लाभ नहीं। परन्तु क्या वित्त मंत्रालय ऐसा करने में समर्थ है? न तो वित्त मन्त्रालय और न ही उसकी कोई सहायक व्यवस्था ही ऐसा कर सकने के योग्य है।

आप देखते हैं कि डालडा तथा अन्य तेलों के मूल्य बढ़ रहे हैं। हम एक दूसरे पर इस बारे में दोषारोपण कर रहे हैं जबकि इस का सारा उत्तर-दायित्व भारत के रिजर्व बैंक पर है जो कि यद्यपि राष्ट्रीयकृत है परन्तु कलकत्ता तथा बम्बई के सट्टे-बाजों को धड़ाधड़ ऋण दे रहा है। क्या वित्त मन्त्रालय इस बात को समझता है? मैं आप को बता दूं कि जब डालडा के मूल्य बढ़ रहे थे और यहां तक कि लीवर बन्धु भी यह शिकायत कर रहे थे कि मूंगफली का तेल कहां गया; तक रिजर्व बैंक जागता है तथा उसके गवर्नर एक पत्र लिखकर ऋण राशि बढ़ाने की न्यायोचितता सिद्ध करते हैं। फिर वह यह भी कहते हैं कि वह ऋण देने की नीति को सख्त कर रहे हैं मगर फिर फरवरी में ही उन्होंने अधिक ऋण दिये। क्या वित्त मंत्रालय के आई० सी० एस० अधिकारियों अथवा सचिवों ने डालड़ा तथा मूंगफली के तेलों के बढ़ते हुए मूल्यों की ओर ध्यान दिया? क्या उन्होंने सट्टे बाजों को ऋण देना बन्द किया है। वैसे कहते यह हैं कि रिजर्व

बैंक ऋण संम्बन्धी आवश्यकताओं की पूरी तरह खोज बीन करता है। रिज़र्व बैंक के निदेशकगण सफेद झूठ बोलते हैं। वे कहते कुछ हैं तथा करते ठीक उसके विपरीत हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चार दिनों में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व ही ऋणों की राशियां बढ़ गई। यह वृद्धि बाद में भी हुई। समाचार पत्रों में हम ने पढ़ा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को विचार-विमर्श के लिये वित्त मंत्रालय ने बुलाया और उन्होंने घोषणा की कि ऋण संबंधी मामलों में बहुत कम परिवर्तन होगा। परन्तु प्रश्न यह है कि वह ऋण किस उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है? राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने वर्ष 1968 में एक समिति नियुक्त की थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा बैंकों द्वारा दी गई अल्पावधि ऋण राशि को लम्बी अवधि के लिये लगाया जा रहा है तथा बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशियों को सट्टे बाजों में प्रयुक्त किया जा रहा है।

वायदे का व्यापार कुछ समय पूर्व बन्द कर दिया गया था परन्तु आज फिर कुछ प्रसिद्ध समाजवादियों का मत है कि इन्हें फिर से चालू करने की अनुमति दे दी जाये। यदि इस मत के पीछे यह धारणा है कि वायदा-बाजार के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जाए, तो उसके लिये देश की अर्थ व्यवस्था को तो तबाह नहीं किया जा सकता। वायदा बाजार सट्टे बाजी का और देश में मूल्य स्थिरता की प्रणाली को तहस नहस करने का साधन है। उदाहरणार्थ, बजट में करों की वृद्धि की प्रतिक्रिया से बाजार में मन्दी आती है और यदि कर नहीं लगाये जाते तो तेजी का व्यापार होता है। परन्तु सट्टे बाजों पर बजट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी मूल्यों में कमी या ज्यादती क्यों होती है? इसका कारण यह है कि मूल्यों में कमी या ज्यादती से सट्टे बाजों को उन पूंजी लगाने वालों के साथ कोटाला करने का अवसर मिलता है। इस संबंध में जीवन बीमा निगम भी दोषी है। उसे शेयर बाजार में पूंजी नहीं लगानी चाहिये तथा लाभप्रद उद्योगों को सीधे ही खरीद लेना चाहिये। अनेक देशों में सट्टा बाजार किये बिना ही व्यापार होता है। सट्टे बाजार से तो मूल्य निर्धारण व्यवस्था तथा देश की वित्त संबंधी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त होती हैं। अध्ययन दल ने पाया है कि वर्ष 1964-65 तथा 1966-67 के मध्य बैंक ऋण का ऊंची दरों पर विस्तार हुआ। यही बात विशेष रूप से नोट करने योग्य है। उत्पादन की आवश्यकता से अधिक ऋण का विस्तार हुआ है तथा इससे सट्टे बाजों का लाभ पहुंचा है। जो वस्तुओं की जमाखोरी करना चाहते थे। हालांकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है तथापि वे अभी भी सट्टा बाजार करने वालों की सलाह पर कार्य कर रहे हैं। इस बारे में यदि सरकार वस्तुतः ही कोई उपचारात्मक कार्यवाही करना चाहती है तो वह सरकार की नीति से विपरीत चलने वाले अधिकारियों को नियंत्रित करे, उन्हें दण्ड दे अथवा अन्य किसी प्रकार अनुशासित करे। मैं नहीं जानता कि वे अधिकारी कौन है परन्तु रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी नाम इनमें शामिल है।

जब तक वित्त का नियन्त्रण नहीं होगा तब तक बजट से उन लोगों के हितों को लाभ नहीं पहुँचेगा जिनको मस्तिष्क में रख कर कोई व्यवस्था की गई है। एक यह नगरीय सम्पत्ति को ही लीजिये जिसपर आपने कर लगाया है। आप भी जानते कि नगरीय सम्पत्ति के मूल्य

कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं 25,000 रुपये की सम्पत्ति 50,000 में (कालाबाजार में) बिक रही है। तथा बीजकों में वह कीमत नहीं दिखाई जाती।

यदि आप आवास योजना को वास्तविक भावना से चलाना हैं तो या तो इसका राष्ट्रीकरण कीजिये या उसे नगरपालिका के अधिकारों में लाईये। अन्यथा इस सम्पत्ति के क्रय विक्रय में बीच वाले व्यक्ति को ही लाभ होता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप सारी नगरीय आवास भूमि का राष्ट्रीयकरण कर डालिये। 8 किलोमीटर की दूरी के बाद यह कर वही लगता परन्तु दिल्ली में 15 किलोमीटर से दूर कई कई लाख रुपये के बंगले आदि हैं। अनेक मिल मालिक रहते हैं। वे सब उस कर से बच जायेंगे। शायद उन्हें बचाने के लिये ही 8 किलो मीटर की दूरी रखी गई है। अन्यथा सभी जानते है कि आज कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर आ जा सकता है। यही तो कारण है कि ऐसे उपाय कारगर नहीं हो पाते।

हम जानते हैं कि आप पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद नहीं ला सकते। यदि हम सोचें कि हम राजाओं, एकाधिकारियों बैंकरों, कपड़ा मिल मालिकों में तथा ऐसे सभी लोगों को अपने अधिकार में ले सकते हैं तो अन्य कार्यवाही करने के समय तक हम दीवालिया हो चुके होंगे। और इसके बाद भी आप उन्हें भेट देते रहे हैं तथा फिर गरीब के गरीब रहेंगे। इसलिये उन्हें जो चाहे करने दीजिये आप अपना कार्य करते जाईये।

अतः पूरा मुआवजा देने की नीति नहीं चलेगी। परन्तु क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका आदेश दिया है अतः आप इस संबंध आमूल मूल परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिये आपको संविधान में परिवर्तन करना होगा तभी यह सम्पत्ति अनुच्छेद समाप्त हो सकेगा। जब तक यह सम्पत्ति अनुच्छेद समाप्त नहीं किया जायेगा और उत्पादन के बड़े क्षेत्रों को अधिकार में नहीं लिया जायेगा देश का कोई बजट सुनियोजित नहीं होगा। लोगों के हितों को रक्षा नहीं होगी। केवल राष्ट्रीयकरण से ही काम नहीं चलेगा बल्कि कर्मचारियों तथा लोक तांत्रिक भावना के लोगों द्वारा इन क्षेत्रों का निमन्त्रण भी किया जाना चाहिये।

अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को उपभोक्ताओं की श्रेणी में आना चाहिये। भारत सरकार चीनी के उत्पादन में भागीदार बने। यदि वह सारे ही वर्तमान चीनी कारखानों को अधिकार में नहीं ले सकती तो केवल 10 बड़े बड़े कारखाने ही अधिग्रहीत कर ले गन्ने के बड़े बड़े खेत उगायें तथा इस प्रकार मिल मालिकों को परास्त करे।

जहां तक बन्द कपड़ा मिलों को अधिकार में लेने की बात है सो सरकार केवल घाटे में चल रहे मिलों को अपने अधिकार में ले रही है। कई अच्छे मिलों को अधिकार में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इस संबंध में कानपुर के चार-पाँच बैंकर बाधायें डाल रहे हैं। और न तो वह स्वयं ही और न ही उनका मन्त्रालय इन बैंकरों का सामना कर सकता है। परिणामतः मिल बन्द पड़े हैं तथा हजारों कर्मचारी बेरोजगार हैं। एक्सारिया मिल का यही हाल है।

अतः मेरा सुझाव है कि केवल लाभप्रद मिलों को ही अधिकार में लिया जाये तथा साथ-साथ नये मिल भी खोले जायें। सरकार बहुत अच्छे अच्छे 10 मिल खोले जिनमें किसी प्रकार की कोई विदेशी सहायता न ली जाये, हथ करघा उद्योगों को सुन्दर धाग्य सप्लाई किया जाये तथा

उन्हें अधिक वेतन देकर मूल्य कम किये जायें। ऐसा करना कोई कठिन नही है। कुछ राज्य सरकारें ऐसा करने का विचार कर रही हैं। परन्तु असली समस्या तो यह है कि इन्हें चलाया कैसे जाये।

आवास के संबंध में मेरा सुझाव है कि सीमेंट उद्योग को बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र में चलाया जाये। उधर आवास भूमि का राष्ट्रीयकरण करके वहां मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए वास्तव में ही, सस्ते मकान बनाये जायें। यदि सरकारी क्षेत्र इस प्रकार के उत्पादनों में भाग नहीं लेगा तो जन साधारण का भला नहीं हो सकेगा।

इसलिए हम बजट में भले ही अच्छी भावनायें निहित हों परन्तु यह बजट उन सभी भावनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा। दूसरे, इस में उपयोक्ता वस्तुओं पर कर लगाने की वही पुरानी परम्परायें निभाई गई हैं। अतः मैं प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री एवम् अन्य सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करूंगा कि गरीब लोगों तथा सामान्य उपभोक्ताओं पर लगाये सभी कर हटाये जायें।

आज कार्य करने वाले लोगों तथा किसानों को कमजोर वर्ग के लोग कहा जाता है जबकि सारा समाज इसी कमजोर वर्ग के कन्धों पर चल रहा है। यदि यह वर्ग हड़ताल करदे तो बिड़ला और टाटा तक कांपने लग जाते हैं तथा कलकत्ता या जमशेदपुर से भागते दिखाई देते हैं। परन्तु कर्मचारी वर्ग मजदूर वर्ग उन्हें हर राज्य में मिलेगा। उन्हें अपनी शोषण की गतिविधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा। आप इस वर्ग को किसी प्रकार अशक्त न समझें और इस वर्ग को किसी सशक्त समुदाय, सशक्त वित्त मन्त्री अपना सशक्त प्रधान मन्त्री की हिमायत की भी आवश्यकता नहीं है।

अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कर प्रस्तावों पर पुनः विचार करें, तथा संविधान में भी अनुरूप संशोधन करें। आप अपने उद्देश्यों को फिर से तैयार करें।

समाजवाद के बारे में हमें साफ साफ इसके अर्थ को समझना चाहिये। समाजवाद का यही अर्थ है कि उत्पादन के प्रमुख साधन सरकार के हाथ में हों, और सरकार पर कर्मचारी वर्ग का अधिकार हो न कि पूंजी पतियों का तभी सच्चा लोकतन्त्र स्थापित होगा। समाजवाद के भी कई प्रकार है, हम तो उसी समाजवाद को मानते है जो मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों के अनुसार है। अतः मेरा सुझाव है कि जो ईमानदारी से समाजवाद में लिखा रखते है वे सब एक जगह मिल बैठ कर समाजवाद का कोई सामूहिक कार्य क्षेत्र बनायें। देश में समाजवाद की वैज्ञानिक परिभाषा तैयार हो।

Shri Dalbir Singh (Sirsa) : I am happy to find that some hopes have been raised for the poor in the Budget. For the last more than twenty years, our economic policies have been such that our poor people have been crushed and a small section of rich and resourceful people have been holding their monopoly in almost all the fields. Even now such people have formed their stronghold in all the political parties as well. The result is that the poor man has still not been able to raise his hand.

I am happy that a man trend has set in, a new revolution has started as a result of certain inescapable changes in the Congress Party. Who so ever be the Prime Minister. these policies would certainly help in improving the situation in the country.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nayar *in the Chair.*]

I therefore, congratulate the Government for adopting such policies in which the poor section of the country can cherish certain hopes.

In the earlier days, many assurances were given to the Mujaras and tillers that their interests would be protected and they would be made land owners. The labour class was assured of a radical change in their living conditions.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

The Harijans were also assured a revolution in their economic conditions. Today, we find that a ray of hope has been created to fulfil those assurances. Now, certainly we except that our conditions will improve. For a long time, the working class, the teachers, the soldier—who are defending our borders—have been earning a very small amount. All our efforts to improve their economic conditions proved abortive. But now, in this Budget, we see a ray of hope.

It is high time that economic revolution is brought about in our country and for that we will have to do lot many things. The poor people of this country are the very basis of our democracy and the State wants that the poor should get equal opportunities in the society.

But the facts have been different. During the elections, the poor and minorities were terrorised and prevented from casting their votes according to their choice. Many malpractices were indulged in the name of casteism during the elections.

An atmosphere is created at the polling booths by the officers that the members of the minority community are not able to exercise their franchise freely and fearlessly. We shall have to do something to give protection to the voters in future.

The quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not filled up and in practice hardly one or two per cent posts go to the members of these Castes. Inspite of the recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, from time to time, this quota is not filled up the Centeral and the State Governments do not take any special steps to fill this quota It is a very sad commentary on the working of the Central and the State Governments as far as the recommendation of the Commissioner for S.C. and S.T. are concerned Various safe guards guaranteed to them under the constitutions should be provided to them.

The demand for a separate state of Punjab was voiced by the Punjabis and the Haryana people were not bankering after a separate state of Haryana. The Punjabis wanted a commission to be set up for giving an award on Chandigarh. They had promised to go by the verdict of the commission. But what happened ? They flonted the verdict of the commission on the Chandigarh issue. Again, demand for a commission is being voiced. If their recommendations are flonted like this, nobody would like to come into these commissions and no state would accept their verdict. Therefore, this matter needs serious consideration.

The Ministers of the Punjab Government have been making irresponsible statements and the Chief Minister has been contradicting them. Statements such as Hindus should leave Punjab, Harijans should leave Punjab are very damaging and the Central Government should not keep mum merely for the sake of political convenience. Otherwise a time will come when democracy cannot survive in this country.

Political parties now hanker after ministries. The Jan Sangh people regard Hindi as the national language and claim to be staunch supporter of Hindi. But for the

ministerial posts in the Punjab Ministry, they have strangthened Hindi in Punjab. Akalis and Jan Sanghis were responsible for creating bitterness between the Sikhs and the Hindus in Punjab. And today they are running a coalition ministry there. But they can no longer fool the public. The people are wide awake now, In the next elections, the public will teach them a lesson.

In the agricultural field the big farmers reap all the benefits of medern technology, improved seeds, fertilizers, agricultural research, irrigation etc. These benefits do not reach the petty farmers who constitute 99 percent of the agricultural population of the country. Government should turn t eir attention towards the poor farmers. The landless persons should be allotted lands.

With these words, I support the proposals made in the budget.

*श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : कांग्रेस दल के विभाजन के बाद प्रदतिवादी शक्तियां प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक साथ मिल गई थीं और चूँकि यह प्रधान मंत्री का पहला बजट था, इसलिये हमें इस बजट से बड़ी आशाएं थीं परन्तु एक-आध प्रगतिवादी बातों के अलावा इस बजट से यह आभास नहीं मिलता कि यह समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

लोग नारों से तंग आ गये हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बजट में जो आश्वासन दिये गये हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाये।

देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में चीनी के मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार यह कर इसलिए लगा रही है कि खुले बाजार में चीनी का मूल्य काफी गिर गया है। परन्तु मूल्य में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहता है और व्यापारी जब चाहे मूल्य बढ़ा सकते हैं और रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीकृत बैंक उनकी सहायता के लिये हर समय तैयार हैं। इस लिये केवल इसी आधार पर यह अतिरिक्त कर लगाना उचित नहीं है। इसे वापस ले लिया जाना चाहिये। खांडसारी पर भी कर लगा दिया गया है। यह ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और इस कर को भी वापस लिया जाना चाहिये। पेट्रौल और मिट्टी के तेल पर से भी प्रस्तावित कर को वापिस ले लिया जाना चाहिये क्यों कि प्रस्तावित कर से गरीब जनता पर भार पड़ेगा।

यदि मुझे ठीक से याद है तो खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने इस सभा में एक बार आश्वासन दिया था कि पम्पसेटों तथा उर्वरकों पर करों में कमी की जायेगी। इस समाजवादी वातावरण में उन्हें उस आश्वासन को पूरा करना चाहिये।

तमिलनाडु एक पिछड़ा राज्य है। उसने प्रगति जरूर की है लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि सारे तामिलनाडु राज्य ने प्रगति की है। उसका अधिकतर भाग अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो वह इस बात की पुष्टि एक विशेषज्ञ समिति भेज कर कर सकती है। तमिलनाडु के उद्योग पतियों को केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिये। तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के लिये सरकार द्वारा उस राज्य को आवश्वयक सहायता दी जानी चाहिये।

*तामिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

पिछले 20 वर्ष से हम सलेम में एक इस्पात कारखाना की स्थापना की मांग करते रहे हैं। अब तक सारे इस्पात कारखाने उत्तर भारत में स्थापित किये गये हैं। इसलिये चौथा इस्पात कारखाना दक्षिण भारत में स्थापित किया जाना चाहिये। सरकार को पेट्रो-रसायन उद्योग समूह परियोजना को जल्दी ही अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिये। सरकार को नायलन कारखाने, टायर-कोर्ड कारखाने, कार्बन-ब्लाक कारखाने के लिये भी अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिये क्योंकि तमिलनाडु में इनका काफी विकास हो सकता है।

तमिलनाडु में नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहां पर पोटाशियम क्लोराइड, मैंगनेशियम क्लोराइड तथा मैंगनेशियम सल्फेट की सहायता से एक लाभप्रद रसायन कारखाना स्थापित किया जा सकता है। दक्षिण में एक भी औषध निर्माण उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। इसलिये वहां पर इस तरह का एक उद्योग स्थापित करने की संभावना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री द्विवेदी ने पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया था। जब प्रधान मंत्री कोयम्बटूर गई थीं तो मैंने उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था। उसका श्री सेठी ने उत्तर दिया था। उस पत्र में श्री सेठी ने बताया कि वित्त आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार इस आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करेगी। उनका दावा अनुचित तथा अन्यायपूर्ण है। हमें पता है कि कुछ चीजें दूरगामी राजनीतिक इरादों से की जाती है। तमिलनाडु को कम केन्द्रीय सहायता देने के मैं कारण गिनवा सकता हूं। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय राजस्व में हमारे राज्य का हिस्सा 7.2 प्रतिशत से घट कर 6.9 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार उत्पादन शुल्क का हिस्सा 8.18 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत, आयकर 8.34 प्रतिशत से 8.18 प्रतिशत और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 11 प्रतिशत से घटकर 9.63 प्रतिशत रह गया है। 1969-74 की अवधि में राज्य के घाटे को पूरा करने के लिये दी जाने वाली राशि 34 करोड़ रुपये से घटकर 23 करोड़ रुपये रह गई है। अन्य राज्यों पर भी यही चीज लागू की जानी चहिये थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लिये 1300 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। यह बड़ी विचित्र निष्पक्षता है।

तमिलनाडु को चौथी योजना के लिये केन्द्र से 140 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी है। परन्तु केन्द्र ने पूंजी तथा व्याज के रूप में राज्य से 160 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिये कहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार खाल उतारने वाले साहूकार की तरह व्यवहार कर रही है। जैसा श्री द्विवेदी ने कहा है इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये और राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा हितों की रक्षा करने हेतु एक नया वित्त आयोग स्थापित किया जाना चाहिये।

तमिलनाडु में हाल में सूखे तथा अकाल से भारी विनाश हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये कई ठोस उपाय किये है। तमिलनाडु के अधिकांश भाग में अभी भी सूखा पड़ा हुआ है। सूखे की स्थति का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये तमिलनाडु को कम से कम 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि 175 करोड़ रुपये की राशि में से तमिलनाडु को 25 करोड़ रुपये की यह राशि दे दी जायेगी।

बिना वर्षा वाली भूमि के विकास के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मूलानूर क्षेत्र में कन्नडीपुथुर योजना काफी अच्छी योजना है और उसके लिये 2.5 करोड़ रुपये चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह राशि मंजूर कर देनी चाहिये।

ऋणों की वापसी के लिये राज्यों को 800 करोड़ रुपये नियत करने का प्रस्ताव है। इसमें से 50 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार को दिये जाने चाहिये और इस राशि को लौटाने की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष कर दी जानी चाहिये।

चौथी योजना के लिये तमिलनाडु को 202 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का आश्वाशन दिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये के साधन खुद जुटाने पड़ेंगे।

द्रमुक सरकार लोगों पर और कर लगाने के लिये तैयार नहीं है क्यों कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही उन पर बहुत कर लाद दिये गये हैं और लोग भिखारी बना दिये गये हैं। इसलिये राज्य सरकार यह राशि कहां से जुटाएगी ? केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करनी चाहिए। वित्त आयोग की जो सिफारिशें उस राज्य के पक्ष में होती हैं उनको तो स्वीकार नहीं किया जाता और जो उसके पक्ष में नहीं होती उनको स्वीकार किया जाता है।

फिर तमिलनाडु के लोगों पर हिन्दी लादने की बात कही जाती है। हिन्दी के कारण दक्षिण भारत से आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके विरुद्ध योजना बद्ध तरीके से पक्षपात किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता की बात कही जाती है और हमारे जनसंघी मित्र भारतीयों के भारतीय करण की बात करते हैं : जब हम वापस तमिलनाडु जाते हैं तो वहां की जनता हम से पूछती है : कांग्रेसियों के साथ-साथ तुम भी राष्ट्रीय एकता की बात करते हो। क्या यह सच है कि दिल्ली में तमिलनाडु और यहां के अधिकारियों की कोई इज्जत नहीं है। तमिलनाडु के लिये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक परियोजनाएं मंजूर नहीं करती। हम लज्जित हो जाते हैं। केन्द्रोय सरकार तमिलनाडु के लोगों के साथ अन्याय कर रही है और एक दिन इसे इसका दण्ड अवश्य मिलेगा।

मैं अपने दल की ओर से इस बजट की अच्छी बातों का स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूँ कि जब तक साधारण व्यक्ति पर भार डालने वाले प्रस्ताओं को वापस नहीं लिया जाता हम समाजवाद नहीं ला सकते।

Shri Hem Raj (Kangra) : Sir, I would like to congratulate the Prime Minister on the budget which she has presented. Today our country is on the cross roads and it is for the first two since the attainment of independence that such a budget has been presented. The first time plans had widened the gap between the rich and the poor and now at least an effort has been made to lift the common from his present morass.

This budget has generated a new wave of confidence and enthusiasm among the people. Some hon. Members say that there is nothing new in this budget. Had there been nothing new in this budget, they would not have criticised it. This budget has given a new orientation to the creative energy of the people. Nationalisation of major banks, small irrigation schemes for arid areas would open new vistas for the efforts of the common man. By and large all sections of the society have welcomed this budget.

But the proposals of indirect taxes are not all edifying because they bit the common man. Increase in excise duty on articles of daily consumption would put an extra-burden on the people in rural areas The refailers inflate the prices out of all proportion to the actual increase in excise duty. It is therefore urged that these increases in excise duty on various articles should be withdrawn.

Then the relief given to the low income group and the middle income group in the matter of income tax is negligible. The exemption limit has been raised from Rs 4800 to 000. The exemption limit should at least be raised to Rs. 6000 if not to Rs, 7500 as was suggested by the Boothlingam Committee.

As regards our public sector undertakings not all of them are sustaining losses. Of course the finances of the Hindustan Steel are in the red. Labour participation should be introduced, Our policy in this regard should be production. Oriented and not living wage oriented.

Another point which I wish to make is that whenever a new Finance Commission is set up its terms of reference do not include the union territories. When we raise question of Statehood for Himachal Pradesh, the Government takes the plea of economic viobility of the region I therefore suggest that a committee should be appointed to study the question of economic viobility of the union territories. We have been denied even our legitimate claims in respect of areas which were recommended by the Shah Commission for inclusion in Himachal Pradesh.

The four projects, *viz.*, Sutlej-Beas Limb, Bhakra Dam, Pong Dam and Joginder Nagar Power House are located in Himachal Pradesh but their management has been given to Punjab. I feel the management should be transferred to Himachal Pradesh.

The non-gazetted employees of Himachal Pradesh had been getting the scales of Punjab for the last 20 years, but now they have been given the central scales. This has caused much resentment in their and they have decided to go on strike. The entire Governmental machinery will be paralysed them. We are prepared to take the responsibility for them if we are given the statehood. With these words I support the budget.

श्री वे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार मुझे बोलने का मौका मिल ही गया । मैंने कम्युनिस्ट और संसोपा नेताओं के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है । श्री डांगे ने हमें इधर आने के कारण धोखेबाज कहा है । पर अब श्री डांगे अपने मार्क्सवादी साथियों के समक्ष अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करें, जोकि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एजेन्ट बताते हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री वेंकटासुब्बया ने श्री डांगे पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डांगे स्वयं उसका ध्यान करेंगे, और फिर इसमें व्यवस्था का प्रश्न कौन सा है ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री वेंकटासुब्बया ने श्री डांगे को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एजेन्ट कहा है । किसी सदस्य को किसी अन्य देश का एजेन्ट बताना इस सदन का अपमान करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदन के माननीय सदस्य हैं और अपना बचाव कर सकते हैं । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्री डांगे कांग्रेस के दो भागों में बट जाने से अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। कांग्रेस के इस विभाजन का श्रेय वे अपने आप को देते हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं चाहता हूँ कि वे इसी प्रकार ब्लैकमेल करके देश को सर्वाधिकारवाद की ओर ले जायें।

बजट पर श्री द्विवेदी द्वारा दिया गया भाषण उनकी चतुरता का परिचायक है। वर्तमान परिवर्तनों को देखने से लगता है कि कांग्रेस के विभाजन का सबसे अधिक लाभ उन्हें ही हुआ है।

प्रधान मंत्री का कहना है कि इस बजट से देश में समाजवाद आयेगा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसके विपरीत यह एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। कुछ माननीय सदस्यों ने बजट के सामाजिक पहलू, रोजगार आदि उत्पादन को प्रमुख्यता देने आदि के पहलू की आलोचना की है। क्या यह सब उद्देश्य इस बजट से पूरा हो रहा है। बजट के पेश किये जाने के समय सब ओर से—पूंजीपतियों की ओर से भी—बजट की सराहना की गई।

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम समाज के उस कमजोर वर्ग की सहायता के लिए बनाया गया है जो पिछले 22 सालों से जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। कहा जाता है कि यह बजट इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है पर आँकड़ों को ध्यान से देखने से क्या ऐसा लगता है कि ये उद्देश्य इससे पूर्ण हो जायेंगे। इस बजट में भी उतना ही रुपया इस मद के लिए निर्धारित किया गया है जितना कि पिछले बजटों में किया गया था पर इस बार वह कई अलग-अलग मदों पर न होकर एक मद के रूप में दिया गया है, जिससे लगता है कि इसके द्वारा गांव के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार द्वारा उठाये गये, अनेक कदमों के बावजूद किसानों और मजदूरों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी है।

न तो आर्थिक सर्वेक्षण में और न ही बजट में कहीं भी कानून और व्यवस्था का जिक्र है। आजकल देश में चारों ओर अराजकता का बोलबाला है। शासक वर्ग विभिन्न राज्यों में आपस में ही जंगलियों की तरह लड़ रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पर सरकार फिर भी लोगों की सुरक्षा के लिए, कुछ दलों द्वारा उसका साथ छोड़ देने के डर से कुछ नहीं कर रही है।

इस सरकार की अस्थिरता आर्थिक उन्नति के मार्ग में एक बाधा स्वरूप है। कुछ राज्यों में सरकार जानबूझकर अस्थिरता पैदा कर रही है। प्रधान मंत्री उन राज्य सरकारों को प्रश्रय दे रही है जो उनका समर्थन करती है तथा जो उनकी विरोधी हैं उन्हें गिराने की स्थिति पैदा कर रही हैं। इस देश के जनतन्त्र के लिए यह बड़ी खतरनाक बात है।

प्रधान मंत्री का 175 करोड़ रुपये राज्यों की सहायता करने के लिए अपने अधिकार में रखने का अर्थ ही यह है कि वे जिस राज्य सरकार को चाहेंगी मदद देगी और जिसको नहीं चाहेंगी उसे नहीं देगी। यदि सरकार इस सम्बन्ध में ईमानदार हैं तो उसे यह तय करने के लिए कि किस राज्य को सहायता की आवश्यकता है एक आयोग नियुक्त करना चाहिए। जब तक यह नहीं होता हम यही समझेंगे कि इस राशि का उपयोग इस देश के जनतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ किया जायेगा।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायलसीमा को योजना से बाहर कुछ धन दिलाने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ प्रधान मंत्री के पास आये थे । मैं नहीं जानता कि उस प्रदेश की उन्नति के लिए कुछ भी प्रयत्न न कर यहां आने में उनका क्या उद्देश्य है ।

यदि सरकार इसे ईमानदारी से कार्यरूप देना चाहती है तो उसे मरुस्थल विकास बोर्ड की तरह सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए । जब तक यह नहीं होता तब तक यह कहना बेकार है कि इस बजट से मध्यम श्रेणी के किसान और मजदूरों को कोई लाभ होने वाला है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात है निगमित क्षेत्र को कर से मुक्त करना । कुछ सदस्यों ने सरकार की इस नीति का समर्थन किया है । निगमित क्षेत्र में कराधान की प्रक्रिया बड़ी ही अव्यवस्थित हैं । इसलिए इसे तर्कसंगत बनाया जाये जिससे उन लोगों पर कर लगे जिन पर कि वह लगना चाहिए ।

एक बात कही गई है कि कराधान में हम अन्तिम स्थिति पर पहुंच गये हैं अतिथि गृहों और मनोरंजन आदि पर होने वाले व्यय में छूट को समाप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं पर यदि इसकी सही-सही निगरानी न की गई तो इससे काला बाजार में और वृद्धि होगी । कुछ क्षेत्रों में करों के बढ़ाने और साथ ही कुछ जगहों में ऐसी कमियां छाड़ देने से, जिसके कारण आसानी से कर अपवंचन किया जा सके कोई लाभ नहीं होने वाला है । अतः मुख्य आवश्यकता कर के ढांचे को तर्कसंगत बनाने की है ।

कर-अपवंचन को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है । हम जानना चाहते हैं कि करापवंचन को रोकने के प्रयोजन से व्यवस्था को आधुनिकतम और युक्ति संगत बनाने के लिए क्या प्रयास किया गया है । वित्त मन्त्री तथा अन्य मन्त्री यह तो स्वीकार करते हैं कि कर-अपवंचन होता है और कहते हैं कि कर वसूली के लिए प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं, परन्तु गत वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि कर-वसूली में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ हैं । करापवंचन को प्रभावी ढंग से रोकने पर अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है ।

अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि होती जा रही है । सदन में बार-बार इस बात की आलोचना होने के बावजूद भी कि अप्रत्यक्ष करों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो रही है, अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहे हैं ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था की भी कोई सीमा होनी चाहिए । इस बार 230 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था की गई हैं । अगले वर्ष वित्त मन्त्री कहेंगे कि विभिन्न कारणों से आशानुकूल राजस्व-प्राप्ति नहीं हुई और यह खाई बढ़ती जायेगी । इस प्रकार मध्यम-वर्ग तथा आम आदमी की कठिनाइयां बढ़ेगी । इसलिए घाटे की अर्थ व्यवस्था को रोकने के लिए व्यावहारिक उपाय किये जाने चाहिये ।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में खोटे और नकली सिक्के बड़ी मात्रा में प्रचलन में हैं । इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियां बढ़ने का गम्भीर खतरा है ।

राज्यों के मध्य जल-विवादों और सीमा-विवादों के बारे में मुझे आशा है कि भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तनाव बढ़े। देश के प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी अनिर्णीत विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से और सम्बद्ध राज्यों की सहमति से सुलझाये जायें और उन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था और स्थिरता पर आंच न आये।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : The present budget is based on the same pattern as the last one. It appears from the budget that the Government are trying to do something, but are unable to find the way out I hope they would be able to do something in the next budget.

It is a good thing that effort has been made to improve the minimum of taxation on the poorer section of the society. But it is a matter of regret that the budget spelt out no concrete programme or measures to give relief to that section. Since 1960-61, there has been no increase in per capita income which had staggnated at Rs. 300 According to the reports of National Sample Survey, 80% of the population had to sustain itself with less than a rupee per head per day. Out of that, 8 to 9 crores of people were so poor that they could afford to spend less than 8 annas per day.

Nearly 83% of our total population resides in the villages and fifty per cent of the country's total revenue is contributed by them. The country's budget can be termed as the people's budget only when the interests of the villages, in agriculturists and landless are protected. But there is no concrete proposal or programme in the budget for the development of village economy. The country can move towards economic development only when we give priority to villages and means of communications, electricity and educational and medical facilities are provided there.

Though we all know that national economy is based on agriculture, yet our agriculture continues to be dependent on the mercy of nature and weather. We can progress only when we do away with this dependence on weather and thus make our agriculture closely connected with the trace of our development.

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 13 मार्च, 1970/22 फाल्गुन, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 23rd March, 1970.

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.